खण्ड-356, अंक-6
मंगलवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(16 मार्च, 1982 ई0)

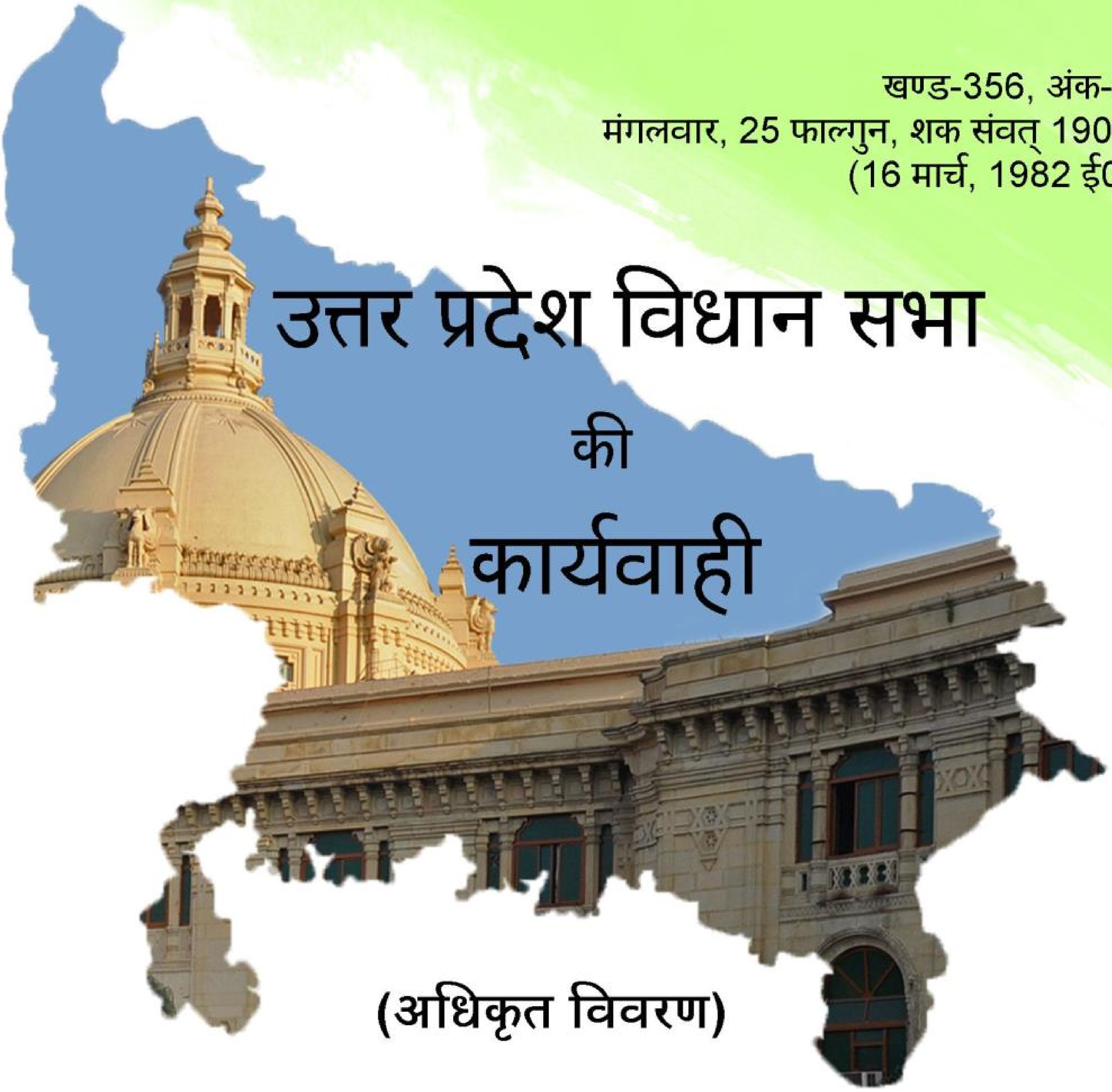

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	642–650
प्रश्नोत्तर	651–768
आज की कार्यसूची के कतिपय प्रश्नों के उत्तर स्थगित कराये जाने पर आपत्ति ..	768–769
भूतपूर्व सदस्य, श्री प्रयाग ध्वज सिंह के निधन की सूचना प्राप्त न होने पर आपत्ति ..	769–770
भूतपूर्व सदस्य, श्री प्रयाग ध्वज सिंह के निधन पर शोकोद्गार .	770–773
आज की कार्य सूची के कतिपय प्रश्नों को स्थगित कराये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)	773
निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर, जनपद इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	774
सीतापुर की जेल अधीक्षिका द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में पिपरावां संघर्ष समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	775
जे0 के0 जूट मिल्स के मजदूरों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	775–776
पश्चिमी बंगाल के परिवहन मंत्री श्री मुहम्मद अमीन के वाराणसी आगमन पर उनका स्वागत न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	776–777
प्रदेश के पूर्वांचल में बसे कमेरा जातियों के समक्ष जीवनयापन की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	777
उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981–82 का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	778
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	778
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	778–780
भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भारत सिंह चौहान की संदिग्ध मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	781–785
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 74—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 75—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	786–843
गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना ..	843–844
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	845
सरस्वती कन्या विद्यालय इन्टर कालेज, नरही, लखनऊ की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की कथित घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	845–849
नत्थियां ..	851–870

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--333

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ओम प्रकाश जिंदल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण भगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, अन्सारी श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झागड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पांडेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन श्री, (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेश सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)

रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन, लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
रामस्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)

राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमल राकेश, श्रीमती, (सुल्तानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायणसिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमनी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्श दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैयद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 16 मार्च, 1982 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद जौनपुर के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रसुलहा परियत में अंग्रेजी अध्यापक की नियुक्ति

*1—श्री जंगबहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के किसान उच्चतर विद्यालय, रसुलहा परियत में अंग्रेजी पढ़ाने हेतु अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी ? क्या शासन छात्रों के पढ़ाई का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी अध्यापक की नियुक्ति करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

जी हां। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति का सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विद्यालय में अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए अन्य अर्ह अध्यापक उपलब्ध हैं।

श्री जंगबहादुर—

मैं जानना चाहता हूं कि यदि अंग्रेजी पढ़ाने की योग्यता के अध्यापक विद्यालय में थे तो अध्यापक पद हेतु विज्ञापन कराने एवं साक्षात्कार कराने की क्या आवश्यकता थी ? और यदि साक्षात्कार हुआ तो उस चयन समिति में कितने लोग, कौन-कौन लोग थे और उसके द्वारा कौन-कौन लोग चुने गये ?

श्री सच्चिदानन्द—

इस चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन इस बीच श्री जमींदार सिंह, भूतपूर्व सदस्य, प्रबन्ध समिति ने शिकायती-पत्र भेजा कि छात्र संख्या फर्जी है, इसलिए यह न किया जाये। इसी कारण यह चयन नहीं हुआ।

श्री पंचानन राय—

अधिनियम में यह प्राविधान है कि पद-सृजन उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक के छात्र संख्या के सत्यापन एवं संस्तुति होने के उपरान्त करेंगे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने संस्तुति की होगी और उसके बाद पद सृजित हुआ होगा और जो पद सृजित कर दिया है, उसे वहीं समाप्त कर सकता है, तो मैं वह जानना चाहता हूं कि जमींदार सिंह जो प्रबन्ध समिति के भूतपूर्व सदस्य बताए जाते हैं, उन्होंने जो शिकायत की, उसके आधार पर उप शिक्षा निदेशक ने पद को समाप्त कर दिया या चयन की कार्यवाही रोकने का कोई आदेश जारी किया ? यदि किया, तो किस तारीख को किया ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जो शिकायती-पत्र आया, तो उस पर जांच की गयी और उसमें यह पाया गया कि अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए वहां अध्यापक उपलब्ध हैं और आवश्यकता नहीं है।

श्री पंचानन राय--

शासन कानून के हिसाब से कार्य करेगा, पद सृजित करने और निरस्त करने का उसका अधिकार है। तो पद सृजित हुआ था और जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से विज्ञापित होता है और इसके लिए तीन एक्सपर्ट्स की कमेटी यह नियुक्त करता है। तो जंगबहादुर सिंह कह रहे थे कि साक्षात्कार हुआ और प्रबन्ध तन्त्र जिस किसी खास व्यक्ति को चाहता था, उसका चयन जब नहीं हुआ तो चुने गये योग्य अभ्यर्थी को उन्होंने नहीं रखा, क्या यह सही है ? मेरे एक-एक प्रश्न का जवाब आ जाए ?

श्री सच्चिदानन्द--

जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार मैंने निवेदन किया कि इस समय अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं और आवश्यकता नये चयन की नहीं है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, अब आप मेरी सुरक्षा कीजिए। यह शिक्षा विभाग का एजेन्डा है आज का। इसमें मेरे अपने 9 सवाल ऐसे हैं, जो पिछले सत्र से चले आ रहे हैं लेकिन सबके बारे में जवाब आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। ऐसे-ऐसे प्रश्न हैं, जैसे क्या अमुक व्यक्ति का अमुक तारीख का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसके सम्बन्ध में ही आप प्रश्न कीजिए ?

श्री पंचानन राय--

पद के सृजन का, नियम के अनुसार, उप-शिक्षा निदेशक को अधिकार है और निरस्त करने का भी। तो क्या उन्होंने निरस्त करने का कोई औपचारिक आदेश जारी किया ? यदि हां, तो उस विद्यालय में किस-किस कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कौन-कौन अध्यापक अर्ह हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

वहां पर जो प्रधानाध्यापक हैं वे अंग्रेजी विषय में बी० ए० हैं और वे हाई स्कूल स्तर पर छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सक्षम हैं। विभागीय मान्यता के अनुसार प्रधानाचार्य को प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वहां 4 और अध्यापक हैं सर्वश्री गोपीचन्द्र यादव, मघई राम सिंह, मगरू यादव और सोधई राम यादव जो आठवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए अर्ह हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मूलतः प्रश्न यह है कि पद सृजन करने का दायित्व, नियमों के अनुसार, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को है। उन्होंने उस पद का सृजन किया और उन्हें ही निरस्त करने का अधिकार है तो क्या उन्होंने कोई आदेश किया ? क्या उन्होंने उस परिधि में अंग्रेजी के छात्रों की संख्या देखी ? यदि नहीं देखी, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

पद जो सृजित किया गया, वह समाप्त किया गया । वे जानना चाहते हैं कि क्या वह अधिकृत व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया अथवा नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द--

जब शिकायत में फर्जी छात्रों की संख्या के बारे में बताया गया तो यह अनुभव किया गया कि आवश्यकता नहीं थी । मान्यवर, आप मूल प्रश्न देखें । इसमें पूछा गया है कि इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने हेतु अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी और छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए क्या शासन अंग्रेजी अध्यापक की नियुक्ति करेगा ? जिसका उत्तर मैंने निवेदित किया है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आप देखें यह प्रश्न स्थगित किया गया था जो रेलेवेन्ट बात है, उसको शासन नहीं बता रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने अपने उत्तर में कहा कि अंग्रेजी के अध्यापक की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी । जो पद सृजित हुआ था, वह समाप्त किया गया या नहीं किया गया, या अभी फिर से होगा, क्या उस सम्बन्ध में आपके पास सूचना नहीं है ? कोई बात ऐसी सामने आनी चाहिए जिससे स्थिति साफ हो ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है उसी के आधार पर निवेदन किया कि जांच के बाद पता चला कि अंग्रेजी अध्यापक की आवश्यकता नहीं है । इतनी ही सूचना मेरे पास है ।

श्री पंचानन राय--

अगर उप-शिक्षा निदेशक ने यह नहीं कहा तो क्या किसी रास्ते चलने वाले ने यह तय कर दिया कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उस संस्था में आवश्यकता नहीं है । तो क्या उसने कोई औपचारिक आदेश प्रसारित किए ? मान्यवर, स्थिति यह है कि चयन हेतु 3 एक्सपर्ट्स बैठाये गये थे और उनके द्वारा सही आदमी चुना गया तो उसकी नियुक्ति नहीं की गयी ? इस प्रकार के उत्तर देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर चुनाव स्थगित कर दिया गया । तो उप-शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, यह डिप्टी डायरेक्टर, माध्यमिक, से जो सूचना मिली उसे मैंने निवेदन किया, यदि और कोई सूचना की आवश्यकता होगी तो वह प्रेषित कर दी जायेगी ।

श्री हुकम सिंह--

बताया गया कि वहां पर छात्रों की वांछित संख्या नहीं है । तो जब पद का सृजन किया गया होगा उस समय वांछित संख्या बतायी गयी होगी । तो उस समय संस्तुति आपके पास किस अधिकारी की आयी थी और अब किस आधार पर कहते हैं कि छात्रों की संख्या कम है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बताया उन्होंने कि डिप्टी डायरेक्टर की सूचना है ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

जिस वक्त उस पोस्ट का सृजन किया गया उस वक्त वांछित संख्या छात्रों की थी या नहीं थी और छात्रों की संख्या में कब कमी हो गयी और यह कब सरकार को लिखा गया कि अब अध्यापक की जरूरत नहीं है ?

श्री सच्चिदानन्द--

शिकायती-पत्र जब आया तो उस पर जांच की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

पद के सृजन की मान्यवर, एक प्रकिया होती है, प्रबन्धक पहले डी0 आई0 ओ0 एस0 को लिखता है, फिर वह संस्तुति करके डिप्टी डायरेक्टर को भेजता है, फिर उसके यहां से संस्तुति आती है । प्रबन्धक महोदय ने गलत सूचना देकर, फर्जी संख्या छात्रों की बताकर, पहले पद को सृजित कराया, बाद में जब सूचना गलत निकली तो उसे खत्म कर दिया । तो गलत सूचना देने के लिये क्या सरकार प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द--

इसे देख लेंगे ।

श्री पंचानन राय--

(व्यवधान)

इसे स्थगित कर दीजिये ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

शिकायती-पत्र की जांच कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द--

जांच चल रही है और जिला विद्यालय निरीक्षक को कहा गया है । जांच के लिये ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस की डिमान्ड पर, किन-किन अधिकारियों की सिफारिश पर यह पोस्ट क्रीएट की गयी और किस तारीख को की गयी तथा किस अधिकारी के आदेशानुसार उस पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं किया गया और पोस्ट को खत्म कर दिया गया ?

श्री सच्चिदानन्द--

इस सारी डिटेल्स के लिये सूचना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री जंगबहादुर--

मैं अपनी जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर विद्यालय में आज भी अंग्रेजी पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है और मेरी जानकारी है कि जिस समय चयन हो रहा था तो मैनेजर अपने लड़के को जो थर्ड डिवीजन था, उसको रखना चाहते थे और जो फर्स्ट डिवीजन में था उसे नहीं रखना चाहते थे, चूंकि उनका लड़का रखा नहीं गया इसलिये उस पोस्ट को ही निरस्त करा दिया गया । मैं चाहूंगा मंत्री जी इसकी जांच करवा लें और उचित कार्यवाही करें ?

श्री सच्चिदानन्द--

इसकी मैं जांच करवा लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री विशन सिंह, तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा प्रतिकर वितरण में घोटाले की जांच

*2--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1979 में श्री विशन सिंह, तत्कालीन लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी, बुलन्दशहर ने अनूपशहर व खुर्जा तहसील के किसानों को उनकी जमीन के जो मुआवजे बांटे गये थे, उनके प्रशासनिक जांच द्वारा बड़ा घोटाला पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

श्री विशन सिंह, तत्कालीन, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा कृत प्रतिकर वितरण से सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक जांच आख्यायें प्राप्त हुई हैं जो अभी शासन के परीक्षणाधीन हैं ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जांच के आदेश कब हुए और जांच की आज्ञा कब प्राप्त हुई और जांच का परीक्षण वह किस स्तर से हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह 9-5-80 को जब उन लोगों की शिकायत आई थी, 10-5-80 को अलग-अलग प्रार्थना पत्र आये थे, उसी के आधार पर जांच की आज्ञा दी गयी थी और जो जांच कर रहे हैं। जाँच कार्यवाही डी0 एम0 के थ्रू अतिरिक्त जिलाधिकारी, दो जिलाधिकारी मिलकर, दो भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सी0 एम0 दुबे, और श्री बाज बहादुर सिंह, इन दोनों का नाम है। उसमें जो आरोप लगाये गये थे, उसमें बहुत सीमा तक कुछ आरोप प्रमाणित होने के कुछ सबूत आये थे, इसलिए इसमें सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसमे दो लोगों को सस्पेन्ड किया गया है और इनके बारे में कठोर कार्यवाही करने पर शासन विचार कर रहा है।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, जिस अधिकारी ने घपला किया है, उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही नहीं करने जा रहे हैं और जिस अधिकारी ने जांच करके सही रिपोर्ट दिया, उसका तुरन्त स्थानान्तरण करा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो आपके पास जिलाधिकारी की रिपोर्ट आई है और 401/406/420/476/409 आई0 पी0 सी0 की धाराओं में मुकदमा दायर करने की संस्तुति की है। यदि मान्यवर, जिलाधीश ने ऐसी संस्तुति की है, तो आपने उस पर क्यों नहीं कार्यवाही की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने जो संस्तुति की है, उसको मैंने बड़ी गम्भीरता से लिया है और उसमें शीघ्र कार्यवाही हो रही है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1980 में अन्तरिम रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है और एक साल से रिपोर्ट को लिए आप बैठे हुए हैं और सदन में आश्वासन दे रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। इतने दिनों तक आप एक स्पष्ट रिपोर्ट को अपने पास ही रखे हुए हैं, जिसमें 420/466/409 की धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा कायम करने की संस्तुति की गयी थी। क्या मंत्री जी तुरन्त मुकदमा कायम करवा कर भ्रष्ट अधिकारियों को निलम्बित करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, शीघ्र कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना का ख्याल रहेगा।

परगनाधिकारी, महाराजगंज, जिला गोरखपुर के विरुद्ध सरकारी अहेतुक सहायता, गृह अनुदान में धपला आदि आरोपों की जांच

*3--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के परगनाधिकारी के विरुद्ध सरकारी अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अपाहिजों को मिलने वाले कम्बल में घपला करने आदि विषयों से सम्बन्धित शिकायतें माह जनवरी, 1981 में उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां । परगनाधिकारी महाराजगंज, जिला गोरखपुर के विरुद्ध सहकारी अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अपाहिजों को मिलने वाले कम्बल में घपला आदि आरोपों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांकित 6-1-81 जनवरी, 1981 में प्राप्त हुआ था । शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से कराई गयी । जांच मे उपरोक्त आरोप निराधार पाये गये ।

[मंगलवार, 16 मार्च, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गांव गोसाईपुर, जिला वाराणसी में डकैती की घटना

*1--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 अप्रैल, 1980 को रात्रि में गांव गोसाईपुर, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में भयंकर डाका पड़ा जिसमें चार व्यक्तियों को गोली से उडा दिया गया और 20 घायल हो गये ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या कोई सहायता भी मृतकों के परिवारों एवं घायलों को सरकार ने दी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्रश्न में उल्लिखित तिथि को उल्लिखित आशय की घटना का होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय विभागों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति तथा उनका स्टेटस

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा राजकीय विभागों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो प्रशासन में उनका स्टेटस क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां । सलाहकारों का प्रशासनिक ढांचे में कोई विशेष स्थान नियत नहीं किया गया है । आमतौर पर उनका कार्य विभागीय मंत्री को इंगित प्रश्नों पर सलाह देना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश प्रशासन में कितने सलाहकार है ? वह कौन-कौन हैं और उनके नाम क्या हैं ? वे किस-किस मंत्री के साथ सम्बद्ध हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ? मान्यवर, भारत का संविधान का अनुच्छेद 163 यह कहता है कि टु एड एण्ड एडवाइस, सहायता और सलाह करने के लिए राज्यपाल ने सलाह परिषद् का गठन किया । राज्यपाल स्वयं कार्यकारी प्रधान है, हमारे संविधान के तहत उसको सलाह देने के लिये मंत्री की नियुक्ति की गयी है । अब ये दूसरे सलाहकार आ गये हैं । दूसरे सलाहकार मंत्री जी को सलाह देंगे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति किसने की है और इनकी नियुक्ति का वैधानिक महत्व क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कई प्रश्न माननीय सदस्य ने एक साथ किया है। पहला आप यह जानना चाहते हैं कि कितने सलाहकार हैं और किस किस के साथ सम्बद्ध हैं। कुल सलाहकार की संख्या इस वक्त उत्तर प्रदेश शासन में 9 है। जिसमें से एक सलाहकार पूर्व शासन से चले आ रहे हैं, 8 सलाहाकार वर्तमान शासन ने नियुक्ति किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उनका नाम और योग्यता बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, अगर आप चाहते हैं कि नाम और योग्यता बता दें तो मैं पढ़ देता हूं। पहले हैं श्री बी० जी० लाल, भूतपूर्व आई० सी० एस० उर्जा विभाग में अवैतनिक सलाहकार के पद पर रखे गये हैं। यह पहले स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं। दूसरे हैं कुंवर महेन्द्र सिंह लाटरी में। इनको पुराना लाटरी वितरण का अनुभव प्राप्त है वह इसको देख रहे हैं। तीसरे हैं डा० डी० पी० सिंह पहले से नियुक्त चले आ रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। नियुक्ति में नाम हो कर सकते हैं। यह भूइपूर्व उपकुलपति पन्त नगर विश्वविद्यालय हैं। चौथे हैं उमा चरन घिल्डियाल भूतपूर्व उपकुलपति गढ़वाल विश्वविद्यालय एक हैं प्रो० के० एन० कौल, चन्द्रशेखर कृषि प्राद्योगिकी विश्विद्यालय हैं कानपुर के उपकुलपति रहे हैं। एक हैं श्री जे० एम० पाहवा, यह अलीगढ़ में नेत्र चिकित्सक थे इनको नेत्र चिकित्सा एवं नेत्र विषयक परामर्श देने के लिये किया गया है। एक हैं श्री उमा शंकर चलचित्र निगम में रखा गया है इनको सम्वादलेखन का अनुभव है। एक श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्त यह बी० डी० ओ० डी० डी० ओ० के पद पर रह चुके हैं। एक हैं श्री राजेन्द्र सिंह, इनको बन जन्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मेरा प्रश्न यह था भारतीय संविधान का उद्धरण देते हुये मैंने यह पूछा है कि इनकी नियुक्ति किसने किया है ? इसको बता दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शासन ने नियुक्त किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार कुमार गुप्त--

नहीं मान्यवर, कहें तो फिर से स्पष्ट करा दूं यह हमें बता दें कि नियुक्त किसने किया इनको।

श्री अध्यक्ष--

नियुक्त किसने किया है यह जानना चाहते हैं आपसे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शासन की सलाह पर राज्यपाल ने किया है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एडवाइजर नियुक्त हुये हैं हर विभाग के मंत्री के पास उस विभाग का सचिव जो कायदे कानून का हर किस्म से वाकिफ होता है मौजूद है । तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो एडवाइजर रखे गये हैं वह सचिवों से ऊपर हैं या उनके नीचे हैं । इनकी एडवाइस किस समय इस्तेमाल की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि उसकी जो हेरारकी है उसमें विशेष स्थान नहीं है बल्कि उनका स्थान सलाह के लिये है कि विभागीय मंत्रियों को चाही हुई इंगित चीज पर सलाह देते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

इन सलाहकारों की सलाह का वजन जो विभागीय सचिव हैं उनके बाद इस्तेमाल होगा या पहले और वह मा० मंत्री को कब इफेक्टिव होगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सलाहकार, सचिव के ऊपर, अनुभव वाले सचिव हैं उनको नियुक्त किया है सलाह के लिये । सचिव मार्गदर्शन अपने सरकारी काम में करते हैं किन्तु विशेषचीज आ जाये तो उस पर सलाहकार सलाह दें, इसलिये पुरानी परिपाटी के अनुसार उनको नियुक्त किया है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के किस आर्टिकिल में प्रावीजन है कि इस तरह एडवाइजर नियुक्त किये जाये । चूंकि कांस्टीट्यूशन में "कंडक्ट आफ गवर्नमेन्ट बिजनेस" आर्टिकिल 166 (2) में लिखा है --

"आर्डर्स एन्ड अदर इन्स्ट्रूमेन्ट्स मेड एन्ड एक्जीक्यूटेड इन दि नेम आफ दी गवर्नर शैल बी आथेनटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसीफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाई दि गवर्नर एंड दि वैलिडिटी आफ ऐन आर्डर आर इन्स्ट्रूमेन्ट व्हिच इज सो अथेन्टिकेटेड शैल नाट बी फाल्ड इन क्वेश्चन आन दि ग्राउन्ड दैट इट इज नाट ऐन आर्डर आर इन्सट्रूमेन्ट मेड आर एक्जीक्यूटेड बाई दि गवर्नर ।"

इसलिये मान्यवर, वह रूल बताया जाय जिसके अनुसार यह किया गया है । चूंकि जितना सरकारी काम होगा वह आर्टिकिल 166 के अनुसार होगा, इसलिये मैं वह रूल जानना चाहता हूं जिसके अनुसार यह किया गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, चूंकि महत्वपूर्ण और नीतिगत प्रश्न है कि कुछ निश्चित विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति का वर्णन किया है, तो वह विभाग जिनमें इतने सचिव उप सचिव और अनु सचिव रखे हुये हैं और फिर सलाहकारों की आवश्यकता पड़ी । तो क्या राज्यपाल महोदय ने इन सम्बन्धित विभागों की अक्षमता स्वीकार कर लिया था तब सलाहकारों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी ?

दूसरा प्रश्न है कि क्या इन सलाहकारों में कोई हरिजन या महिला या मुसलमान सलाहकार है ? यदि नहीं, तो क्या शासन नियुक्त करेगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय ने किसी विभाग की अक्षमता स्वीकर नहीं किया बल्कि उस विभाग ने वहां के मंत्री या शासन की सलाह पर और क्षमता बढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस अक्षम सरकार की क्षमता बढ़ाने के लिये जिन सलाहकारों को नियुक्त किया गया है वह अवैतनिक हैं या उनको वेतन मिलता है । अगर वेतन मिलता है तो इस गरीब प्रदेश के खजाने पर कितना भार डालने के लिये वह सक्षम हुये हैं ? अलग-अलग सलाहकारों को जो इमाल्यूमेंट दिये जाते हैं उसको आप बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कुंवर महेन्द्र सिंह को 12 सौ रुपये मासिक परिश्रमिक दिया जाता है । श्री बी0 बी0 लाल जी को 3 हजार रुपये प्रति महीने एवं श्री डी0 पी0 सिंह को 3 हजार रुपये प्रति महीने, श्री उमा चरण घिल्डियाल को 3 हजार रुपये प्रति महीने, प्रोफेसर के0 एन0 कौल को 3 हजार रुपये, डाक्टर पाहवा को इस तरह का कोई वेतन नहीं दिया जाता है लेकिन यात्रा भत्ता अनुमन्य है । श्री उमाशंकर को 2 हजार रुपये, श्री रामेश्वर प्रसाद को 1 हजार रुपये तथा श्री राजेन्द्र सिंह को 15 सौ रुपये दिये जाते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने बताया था कि शासन की प्रार्थना पर राज्यपाल ने सलाहकार नियुक्त किये है । तो क्या मौजूदा शासन ने यह पहली बार किया है या पहले से ऐसी परम्परा रही है । अगर रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता शासन काल के दौरान 1977 से 1980 के बीच कितने सलाहकार नियुक्त किये गये, उनके नाम और उनकी योग्यता क्या थी और उनकी स्टेटस क्या था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भी यह सलाहकार नियुक्त हुये हैं । जनता शासन काल में भी यह सलाहकार नियुक्त हुये हैं और उनकी योग्यता विभिन्न रही है । कैसे नियुक्त किया है इसके लिये अलग से प्रश्न कर देंगे तो डिटेल बता दूंगा ।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, सलाहकार सलाह देने के लिये रखे गये तो इनके पास फाइल भेजते होंगे । क्या सलाहकारों ने कोई गोपनीयता की शपथ ली है या बगैर गोपनीयता की शपथ लिये वह फाइलें देखते हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

उनको सलाह लेने उनके पास पत्रावलियां नहीं भेजी जाती हैं यही परम्परा रही है । उनको विषय दिया जाता है कि इस विषय में जनभावना और उपयोगिता के बारे में अपने पूर्व अनुभव के आधार पर बतायें कि इस बिन्दु पर किस प्रकार का और कार्य किया जाय जिससे शासन की क्षमता में वृद्धि हो सके ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इससे साबित हो गया है कि यह सरकार का एक दम सुपरफ्लूअस इक्सपेंडीचर है । जनता पार्टी के शासन में जो अच्छे काम हुये हैं उनका अनुकरण आपने नहीं किया । अगर कोई गलत काम हो गया है, गरीब प्रदेश पर बोझ पड़ रहा है, उसका अनुकरण आप करेंगे ?

तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए कि इस प्रकार के सलाहकारों के पद तुरन्त भंग कर दिये जायं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यदि उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी तो बिलकुल भंग कर देंगे मगर अभी तो उनकी उपयोगिता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिन सलाहकारों की सूची माननीय मंत्री जी से यहां सुनने को मिली उसमें एक हैं श्री ए0 एन0 कौल जिनको ये तीन हजार रुपये वेतन दे रहे हैं और उनकी आयु है मान्यवर, 75 वर्ष । इसके अतिरिक्त वह भूमि विकास निगम से भी सम्बद्ध हैं । उनके पास इतना ही नहीं, वे तीन असाइनमेन्टस से सम्बद्ध हैं । मंत्री जी यही बतला दें कि श्री कौल के पास एक महीने में जो-जो बिन्दु निर्दिष्ट किये गये हैं, वे कौन-कौन से हैं और क्या उन पर उनकी कोई आख्या शासन को मिली है । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि आज तक उनके पास कोई बिन्दु नहीं भेजा गया है । इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 में यह दिया हुआ है कि राज्य सरकार की कार्यशैली क्या होगी इसका निर्देशन दिया हुआ है कि जो सचिव हैं वह राज्यपाल की तरफ से कार्यकारी अधिकारी हैं और राज्यपाल को सलाह देने का काम करती हैं मंत्रिपरिषद् । तो मंत्रि-परिषद् को इस बात को मानना चाहिये कि राज्यपाल उनकी सलाह मानने को बाध्य है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कार्यकारी अधिकारी सचिव हैं और सलाह देने का काम मंत्रियों का है तो फिर अलग से जो ये सलाहकार बनाये गये हैं तो किस नियम के तहत बनाये गये हैं ? क्या उनके लिये कोई रूल्स बनाये गये हैं, किस रूल के तहत उनकी नियुक्ति हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या कोई नियम बनाये गये हैं उनके लिये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इन सलाहकारों की नियुक्ति जहां-जहां इनकी आवश्यकता पड़ी, की गयी है । इनके लिये कोई सामान्य नियम नहीं बनाये गये हैं । मान्यवर, स्थिति यह है कि यह परम्परा के रूप में ऐसा नहीं रहा चाहे वह 1972 हो चाहे वह 1978 हो, चाहे वह 1979 हो या 80 हो । जब कोई विशेष योग्यता का और अनुभवशील व्यक्ति होता है और जिससे शासन महसूस करता है इस बात को तो उनके ज्ञान का फायदा उठाने का हम प्रयास करते हैं । जब हमको लाभ उससे मिलता है तब पता लगता है कि मानदेयों के मुकाबिले में वह इनका ज्ञान ज्यादा होता है इसलिये उनकी नियुक्ति की गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, श्री कौल के बारे में स्पष्ट है कि तीन असाइनमेन्ट उनके पास हैं और शासन से एक भी बिन्दु उनको रिफरेन्स के लिये नहीं दिया गया है । कोई भी रिफरेन्स उनके द्वारा नहीं हुआ है । माननीय मन्त्री जी ही बता दें यदि उनके द्वारा कोई रिफरेन्स हुआ हो ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, आप ही हमें संरक्षण दें । उनको कौन-कौन से विभाग काम देते हैं, इसकी सूचना हमें कहां होगी । उनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 1979 से हुई है इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें कि क्या-क्या काम उनको अभी तक भेजे गये हैं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से जो चीजें सामने आती हैं उनमें से केवल दो छोटी-छोटी बातें ही मैं उनसे पूछना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न सलाहकारों को विभिन्न वेतन निश्चित किये गये हैं । तो मान्यवर, इस वेतन के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो यें उनको वेतन दिया है तो क्य यह उपकार भत्ता है ?

(2) प्रदेश के शासक अभी तक इलाहाबाद नगर के ही होते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद नगर के कितने सलाहकार इसमें नियुक्त किये गये हैं ?

(3) क्या इसमें कोई हरिजन या मुसलमान या महिला प्रशासक भी हैं ? यदि नहीं, तो इनको इसमें क्यों नहीं नियुक्त किया गया ? हमारी इन तीनों बातों का उत्तर माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय बाजपेयी जी ने आपके माध्यम से जानना चाहा है कि उपकार भत्ता, तो इसका कोई प्राविजन शासन में नहीं है । कहीं पर मानदेय और कहीं पर वेतन दिये जाने का प्राविधान है और उसी के अनुरूप दिया गया है । दूसरा प्रश्न किया कि इलाहाबाद के कितने लोग हैं तो केवल एक व्यक्ति हैं जो नियुक्त हैं । तीसरा प्रश्न, इनकी इच्छा महिलाओं में ज्यादा है कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई सलाहकार के पद पर, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उपयुक्त महिला मिलेगी तो उनकी नियुक्ति पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं में ज्यादा रुचि है, मैंने उनसे हरिजन, महिलाओं, मुस्लिम की बात की है और अगर कोई सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट है कि मेरा विशेष सम्बन्ध महिलाओं से है, तो वह भी बता दें ?

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यह सरकार जनता पार्टी की सरकार की नकल करे लेकिन किन परिस्थितियों में सलाहकारों की आवश्यकता पड़ी और किन-किन तारीखों में या एक ही तारीख में सभी सलाहकार नियुक्त हुए ? अगर विभिन्न तारीखे में नियुक्त हुए तो किन-किन तारीखों में ?

श्री अध्यक्ष --

बड़ा भारी प्रश्न कर दिया । कैसे उत्तर देंगे । यह तो बहुत विस्तृ प्रश्न है ।

गोरखपुर के परतावल विकास खण्ड में प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

*3--जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के विकासखण्ड परतावल के प्राथमिक शिक्षकों को अप्रैल, 1981 के वेतन का भुगतान जुलाई 7, 1981 को किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? परतावल के विकास खण्ड कार्यरत शिक्षकों का मई, 1981 का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी हां ।

विभिन्न स्तरों पर विलम्ब होने तथा अध्यापकों द्वारा बैंक को एक विशिष्ट शाखा से भुगतान चाहने के कारण जनपद गोरखपुर के परतावल विकास खण्ड में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को माह अप्रैल, 1981 के वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ है । माह मई, 1981 का वेतन माह अगस्त, 1981 के प्रथम सप्ताह में भुगतान कर दिया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि किन-किन स्तरों पर विलम्ब हुआ और उनके लिए कौन उत्तरदायी है तथा किस विशेष शाखा से वे लोग भुगतान चाहते थे ?

श्री सच्चिदानन्द--

पंजाब नेशनल बैंक, परतावल के माध्यम से बंटना था । स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा श्यामदेऊरवा के माध्यम से वितरित हुआ । दूसरा त्रैमासिक सूचना जिला स्तर के अधिकारियों को भेजनी होती है उच्च अधिकारियों को जिसमें समय से सूचना नहीं मिल पाई । इसलिए विलम्ब हुआ । इस समय वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सारे जिले में वेतन का भुगतान नियमित रूप से हो और एक विशेष क्षेत्र में भुगतान न हो, संदेह का कारण पैदा हो जाता है । मेरी निश्चित सूचना है कि जो वहां के प्रति, उप विद्यालय निरीक्षक हैं, कुछ चाहते थे, इसको मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन जानबूझकर, उनकी कर्त्तव्यहीनता के कारण वेतन का भुगतान नहीं हुआ ।

मेरी सूचना को सही मानकर कि वेतन का भुगतान नहीं हुआ । बैंक से कोई मतलब नहीं है केवल वहां के शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह किया गया है तो क्या मंत्री जी इस सारे प्रकरण की जांच करवायेंगे और दोषी अधिकारियों को हटायेंगे ?

श्री सच्चिदानंद—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसे हम दिखवा लेंगे कि देरी के कारण में जानबूझकर कोई अधिकारी तो नहीं रहा, इसे हम दिखवा लेंगे ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है । यह बड़ा अहम सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय ।

प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का सृजित पद तथा दिये गये अधिकार एवं शक्तियां

*4—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में महानिरीक्षक पुलिस के उच्च महानिदेशक पुलिस का पद सृजित किया गया है ? यदि हां, तो उसकी शक्तियां, अधिकार एवं कर्त्तव्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 4-3-1982 से पुलिस महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश का पदनाम बदल कर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश किया गया है । उन्हें वही सब अधिकार, शक्तियां एवं कार्य प्राप्त होंगे जो अभी तक पुलिस महा निरीक्षक तथा पुलिस महा निदेशक को प्राप्त थे ।

श्रीमती घनराजा के पति बाबू लाल को पुलिस द्वारा गोली मार कर हत्या कर देने और लूटपाट किये जाने से सम्बन्धित पत्र की सी० आई० डी० द्वारा जांच

*5—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती घनराजा बेवा बाबू लाल हरिजन, निवासी ग्राम औसिया, थाना बीघापुर, जिला उन्नाव ने 20-4-1981 को पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को लिखित सूचना दी कि थानेदार जोरा सिंह व कान्स्टेबिल रमाकान्त व अन्य तीन चार सिपाहियों ने गांव के तीस चालीस आदमियों के साथ 11-4-81 को उनके घर पर हमला किया और उसके पति बाबू लाल को गोली मार कर हत्या कर दी तथा घर की औरतों को भी मारा पीटा और लूट पाट की ? यदि हां, तो इस घटना का मुकदमा किन-किन धाराओं में और किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ कायम किया गया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ अन्य क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, श्रीमती धनराजा बेवा बाबू लाल हरिजन, निवासी ग्राम औसिया, थाना बीघापुर, जिला उन्नाव का पुलिस अधीक्षक उन्नाव को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 20-4-81 प्राप्त हुआ था जिसमें थानेदार जोरा सिंह व कुछ अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 11-4-81 को उनके पति की हत्या तथा मारपीट और लूटपाट किये जाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गई है।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा में वेतन न मिलने से सम्बन्धित शिकायती पत्र

*6—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा से सम्बन्धित वेतन न मिलने सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र दिनांक 1-4-81 मिला है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति उप सचिव शिक्षा अनुभाग—9 ने दिनांक 29 अप्रैल, 1981 द्वारा की है ? यदि हां, तो इसके संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)—

जी हां।

जुलाई, 80 से सितम्बर, 80 तक का वेतन बिल भुगतान हेतु दिनांक 21-10-81 को पारित करके भुगतान हो चुका है।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल रेहटी के भवन का निर्माण

*7—श्री प्रभुनारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल रेहटी वर्ष 1965 से अपने भवन में न चल कर पंचायत भवन में चलता है ? क्या यह भी सच है कि जमीन उपलब्ध होते हुए भी भवन निर्मित न होने के कारण बालिकाओं के पठन पाठन में घोर व्यवधान उपस्थित होता है ? क्या सरकार उक्त राजकीय बालिका विद्यालय का भवन शीघ्र निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। बालिकाओं के पठन-पाठन में कुछ व्यवधान होता है। संसाधन उपलब्ध होने पर भवन का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

स्व0 श्री कृपाल सिंह, स्टाफ इन्स्ट्रक्टर, प्रादेशिक शिक्षा दल आगरा की पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति

*8—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री कृपाल सिंह स्टाफ इंस्ट्रक्टर, प्रादेशिक शिक्षा दल, आगरा जिनकी मृत्यु 25 सितम्बर, 1973 को हो गई थी, की विधवा श्रीमती मुख्त्यारी देवी की पारिवारिक पेन्शन अभी तक स्वीकृत नहीं ? यदि हां, तो पारिवारिक पेन्शन न देने के क्या कारण हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

स्व0 श्री कृपाल सिंह स्टाफ इंस्ट्रक्टर, प्रादेशिक शिक्षा दल, आगरा की पत्नी श्रीमती मुखत्यारी देवी को महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा दिनांक 26-9-73 से रु0 35 प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह जो उत्तर शिक्षा मंत्री जी ने दिया है, यह पूर्ण रूप से असत्य है । मान्यवर, सत्य बात यह है कि जब मैंने यह सवाल किया उसके बाद एक इलाहाबाद के शिक्षा विभाग के अधिकारी उस महिला के पास स्वयं पहुंचे और तब पेन्शन के बारे में कागजात तैयार करके पेन्शन देने की बात कही । अभी डेढ़-दो महीने पहले पेन्शन मिली है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने यह झूठ रिपोर्ट दी है, असत्य उत्तर बनवाने के लिए आपको मजबूर किया है, क्या उस अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, जिस पारिवारिक पेन्शन प्रदान करने के लिए माननीय सदस्य ने किहा, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के दिनांक 26-9-81 के आदेश द्वारा दिनांक 26-9-73 से 35 रु0 प्रति माह की दर से पेन्शन देने को आदेश दिया गया ।

श्री किरन पाल सिंह--

एक सवाल और ।

श्री अध्यक्ष--

हो गया । पेन्शन 73 से दी जा रही है । अब जाने दीजिए । अभी बहुत से सवाल हैं ।

शाहनजफ इमामबाड़ा, लखनऊ में चोरी की घटना की दर्ज रिपोर्ट

*9--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीशमहल, शाहनजफ, लखनऊ में करोड़ों रुपये की ऐतिहासिक बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी का मामला माह अप्रैल, 1981 में प्रकाश में आया है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी है और उक्त मामले को लेकर अली कांफ्रेंस ने क्रमिक भूख हड़ताल की थी ? यदि हां तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई और घटना का वास्तविक विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार माह अप्रैल, 1981 में शाहनजफ इमामबाड़े में चोरी की कोई घटना नहीं हुई बल्कि दिनांक 7-4-80 को तत्कालीन दरोगा इमाम बाड़ा श्री मिर्जा हुसैन जैदी न इमाम बाड़े से तीन चांदी के गुटके और 75 चांदी की नलकी के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया था । मुकदमा झूठा पाये जाने के कारण अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई ।

इस मामले को लेकर हड़ताल किये जाने की बात सही नहीं है ।

उप श्रमायुक्त द्वारा रायबरेली स्थित राज्य कताई मिल का निरीक्षण तथा रिपोर्ट

*10--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि रायबरेली स्थित राज्य कताई मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध श्रमिकों से ओवरटाइम कराने तथा उक्त ओवरटाइम का पारिश्रमिक न देने के सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा कोई रिपोर्ट मास अगस्त-सितम्बर, 1981 में विभाग को भेजी गयी है ? यदि हां, तो पूरी रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

जी हां । दिनांक 23-9-81 को 1·40 बजे अपराह्न उप श्रमायुक्त, लखनऊ ने रायबरेली स्थित राज्य कताई मिल का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान उप श्रमायुक्त ने पाया कि दो श्रमिकों सर्वश्री प्रेम नाथ शुक्ल एवं रतिपाल से निर्धारित अवधि से अधिक कार्य लिया जा रहा है तथा कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सेल्टर तथा रेस्ट हाउस की भी व्यवस्था नहीं है । पूरी रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

उपर्युक्त उल्लघंनों के आधार पर श्रम विभाग द्वारा प्रतिष्ठान के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के न्यायालय में प्राभियोजन दिनांक 21 दिसम्बर, 1981 को दायर कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 85 पर ।)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह प्रश्न श्रमिकों से सम्बन्धित और पब्लिक सेक्टर से सम्बन्धित है ।

पब्लिक सेक्टर के श्रमिकों का शोषण हो रहा है, यह उसका एक जीता जागता प्रमाण है । किसी भी पब्लिक सेक्टर में श्रमिकों से ओवरटाइम काम लेने के बाद भी जिन अधिकारियों ने उनको ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया है, क्या शासन उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा ?

श्री राम नारायण पाठक--

जहां तक जेतली जी का प्रश्न है, वास्तव में यह एक दर्दनाक बात है । चाहे पब्लिक सेक्टर के कारखाने हो या प्राइवेट हों, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । और अगर सरकारी विभाग द्वारा कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सरकार उसकी जांच करायेगी और उस पर सख्त कार्यवाही करेगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

रायबरेली की जिस कताई मिल का जिक्र है, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह ए० बी० सी० में से किस कटेगरी का मिल है ?

श्री राम नारायण पाठक--

कटेगरी का सवाल तो है नहीं, ओवरटाइम का पैसा देने का सवाल है। ओवरटाइम का पैसा देने में नियमों का उल्लंघन न हो, इस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

इससे बढ़ कर शोषण और क्या हो सकता है ?

सिविल पुलिस तथा आर्म्स पुलिस के उप अधीक्षकों, अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दूसरे संवर्गों में स्थानान्तरण

*11--श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल पुलिस (सी0 पी0 व सी0 आई0 डी0) तथा आर्म्स पुलिस (ए0 पी0 व पी0 ए0 सी0) का अलग-अलग कैडर है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि दोनों अंगों के उप अधीक्षकों का स्थानान्तरण एक दूसरे में किया जाता है तथा इन्सपेक्टर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक दूसरे शाखा में समयकालिक के आधार पर क्यों नहीं किया जाता ? क्या इसे लागू करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सिविल पुलिस (सी0 पी0 व सी0 आई0 डी0) तथा आर्म्स पुलिस (ए0 पी0 व पी0 ए0 सी0) के अलग-अलग कैडर हैं लेकिन पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग में नागरिक पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस के अलग-अलग कैडर नहीं हैं। अतएव पुलिस उप धीक्षकों का स्थानान्तरण पुलिस विभाग के दोनों संवर्गों में किया जाता है।

नागरिक पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस के संवर्गों में निरीक्षक पद तक के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों एवं प्रशिक्षण विधियों में अधिक असमानता होने के कारण इनका स्थानान्तरण एक दूसरे कैडर में नहीं किया जा सकता। कान्सटेबिल का स्थानान्तरण सेवाकाल के आरम्भ में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में किया जा सकता है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सिविल पुलिस के सब इन्सपेक्टर का चयन इन्सपेक्टर तक होने के लिये कितना समय लगता है तथा ए0 पी0 के सब इन्सपेक्टर को सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनने में कितना समय लगता है ? दोनों में कितने समय का अन्तर है ? माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के काम और ट्रेनिंग में काफी फर्क है तो डी0 वाई0 एस0 पी0 के स्तर पर उनका स्थानान्तरण क्यों किया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

डी0 वाई0 एस0 पी0 के जो कार्य और ट्रेनिंग हैं या उनके कर्त्तव्य हैं, उनमें उनको सब प्रकार की शिक्षा दी जाती है और इसलिये कि वह आर्म्स पुलिस सिविल पुलिस हो या पी0 ए0 सी0 हो, उन सबको जिस प्रकार के कर्त्तव्य होते ह

उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है इसलिए उनके स्तर पर एक दूसरे विभाग में उनका स्थानान्तरण किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि शिक्षा और ट्रेनिंग मे कितना फर्क है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आर्म पुलिस आर0 एस0 आई0 अंग्रेजों ने अपने लिये अलग से बनाया था कि जो सब इन्सपेक्टर में भर्ती होगा वह 5 साल के बाद इन्सपेक्टर हो जायेगा और 3 साल के बाद उपअधीक्षक पुलिस हो जायेगा इन पदों पर पहले अंग्रेज रहते थे, क्या इस नियम को बदलेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि आर्म्ड पुलिस के प्रमोशन के चान्सेज ज्यादा हैं और सिविल पुलिस के कम हैं और क्या इनमें नियम परिवर्तन करेंगे या नहीं, मेरा निवेदन यह है कि आर्म्ड पुलिस और सिविल पुलिस दोनों के लिये अलग-अलग अपने निश्चित कुछ स्थान हैं । आर्म्ड पुलिस में जाने वाले लोगों की संख्या कम होती है, उसमें जाने की इच्छा कम प्रकट होती है जब कि सिविल पुलिस में ज्यादा होती है, इसलिए सिविल पुलिस में प्रमोशन में कुछ ज्यादा समय लग जाता है जब कि दूसरी में नहीं लगता । इसलिए नीति में परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बदायूं में कालीन बनाने के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय

*12--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा 300 कालीन बनाने के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय हाल ही में लिया गया है ? यदि हां, तो जनपद बदायूं को कितने केन्द्र खोलने की स्वीकृत की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)--

वर्ष 1981-82 में शासन द्वारा 100 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया ।

बदायूं जनपद में 2 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र वर्ष (1981-82) में खोले गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बदायूं जनपद पिछड़ा जनपद है यह तो बात घोषित कर दी है, 100 कालीन प्रशिक्षण केन्द्र देने चाहिये जबकि सिर्फ दो आपने खोले हैं, तो क्या इसको देखते हुये 1982-83 में प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कष्ट करेंगे या नहीं ?

श्री नियाज हसन खां—

उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रान्त है । 56 जिले हैं । अगर दो-दो का हिसाब आ जाता है तो 100 तो यूं ही हो जाते हैं...

श्री विद्या सागर नौटियाल—

57 जिले हैं, एक कम कर दिया ।

*13—श्री रियासत हुसैन—

[दिनांक 9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 26 द्वारा उत्तरित]

बाराबंकी के राजकीय बालिका विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु धन की स्वीकृति

*14—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बाराबंकी के राजकीय बालिका विद्यालय का बरसात के दिनों में हर कमरा पानी से भर जाता है मैदान में लगने वाली कक्षाओं की छात्राएं भोगती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस विद्यालय के भवन में सुधार करने की सोच रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द—

जी हां, समस्या के निदान हेतु विद्यालय भवन की विशेष मरम्मत हेतु रु0 2·98 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

धनराशि स्वीकृति कर दी है उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं, मगर इसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विद्यालय वर्षों से जर्जर है और लड़कियां भोगती रहती हैं, मेरे प्रश्न के प्राप्त होने पर उन्होंने धनराशि दी है या पहले कोई सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक से आई थी । दूसरी बात आने वाली बरसात के पहले क्या भवन तैयार हो जायेगा ताकि लड़कियों को बैठने और पढ़ने की सुविधा हो सके ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, 31 दिसम्बर को शासन ने आदेश निर्गत कर दिये थे और यह धनराशि जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दी गई है...

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

इसके लिये तो मैं आभार प्रकट कर चुका है । मान्यवर, मुझे सुन लीजिए । मेरे प्रश्न करने के पहले आप को जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्यों सूचना नहीं दी । वहां पर स्थान नहीं है, लड़कियां भीग रही हैं, मैदान में स्कूल लगता है, इसके बारे में प्रकाश डालें ।

श्री सच्चिदानन्द—

यह जिला परिषद् का भवन था इसलिए शासन उस पर मरम्मत कार्य नही कर सकता था । जिला परिषद् से शिक्षा विभाग को 81 में इसका स्थानान्तरण हुआ और उससे बाद शासन ने यह स्वीकृति दी है ।

*15—श्री मुईद अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

*16—श्री किरनपाल सिंह—

[29वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ में जनता पार्टी के सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

*17—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि 2-9-81 को लखनऊ में जनता पार्टी के सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिसमें दो दर्जन से अधिक सत्य ग्रही बुरी तरह से घायल हो गये ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और लाठी चार्ज में किन-किन सत्याग्रहियों को चोट लगी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-9-81 को लखनऊ में जनता पार्टी के सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया और न कोई सत्याग्रही घायल हुआ ।

श्री कुबेर भण्डारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यहां पर लाठी चार्ज हुआ है...

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इसका उत्तर दे तो दिया ।

जनपद अल्मोड़ा में 'सुवाखान चलनीछीना' मोटर मार्ग के निर्माण में उद्यानपतियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

*18—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में "सुवाखान चलनीछीना" मोटर मार्ग का सा० नि० वि० द्वारा निर्माण किये जाने के कारण कुमाऊं की श्रेणी एक फलपट्टी एवं निजी उद्यान के उद्यानपतियों को पहुंची क्षति की क्षतिपूर्ति शासन के द्वारा निर्धारित मापदन्डों के अनुसार कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

जनपद अल्मोड़ा में सुवाखान-चलनीछीना मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के कारण कुमाऊं की श्रेणी 'एक' फलपट्टी की हुई क्षति की क्षतिपूर्ति का भुगतान उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा से सत्यापित कराने के उपरान्त कर दिया गया है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मानवीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मोटर मार्ग में जो क्षति बागवानों को हुई वह कितने की हुई और कितने उद्यानपतियों को कितना भुगतान किया गया ? उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, कुल 36 उद्यानपति हैं और जो धनराशि दी गई है वह 66,449 रुपया है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कुल कितने फलों के पेड़ कटे हैं । मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, ये कमरे में आ जायं, बता दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

यहीं बता दीजिए। कमरे में विश्वास नहीं है । ये जो कुछ कहते हैं, वह होता नहीं है । इनके पत्र डिस्पैच नहीं होते हैं कई उदाहरण हैं ...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से ये यहीं सदन में बता दें । कितने पेड़ मोटर मार्ग बनने से काटे गये हैं ।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

देवरिया जिले के नारायणपुर गांव में घटित घटना की जांच रिपोर्ट

*19--श्री मोहन सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत जनवरी, 1980 में देवरिया जिले के नारायणपुर गांव में घटित घटना की जांच हेतु जिस न्यायिक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, उस कमीशन ने अपनी रपट शासन को दे दी थी ? यदि हां, तो उसकी मूल स्थापना क्या है और उसकी मूल संस्तुति के सम्बन्ध में अभी तक शासन ने क्या कार्यवाही की ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और नियमानुसार इसे सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही की जा रही है ।

कमला नेहरू विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (तकनीकी संकाय) सुल्तानपुर को अवध विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम सम्बद्धता

*20--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कमला नेहरू विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (तकनीकी संकाय) सुल्तानपुर अपने में एक पृथक् एवं स्वतंत्र महाविद्यालय है अथवा कमला नेहरू विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान सुल्तानपुर का एक संकाय है ? इसकी मान्यता अवध विश्वविद्यालय द्वारा किस रूप में प्रदान की गई है ?

श्रम एवं प्राविधिक शिक्षा मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

इस संस्थान की तकनीकी संकाय अपने आप में एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं पृथक् संकाय है । अवध विश्वविद्यालय से इसे अनन्तिम (प्रोविजनल) सम्बद्धता प्रदान की गई है और स्थाई सम्बद्धता का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा में पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते की चोरी

**1--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा में पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते की 28 हजार रु0 की धनराशि 1/2 जनवरी, 1982 की रात में चोरी चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप किसी पुलिस कर्मी को वेतन का वितरण नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो इस सिलसिले में कोई मुकदमा कायम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, इसमें हमारी रुचि है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । पूछिये ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूछा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो संदर्भित प्रश्न में पूछा गया है कि इतनी धनराशि की चोरी हो गई तो क्या वहां के कर्मचारियों को उस माह का वेतन वितरित कर दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। आपकी आज्ञा का पहले ही पालन कर दिया गया है।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, यह जो चोरी हुई है उसकी कोई जांच पड़ताल की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, कोई सवाल नहीं उठता। तनख्वाह बांट दी गई। आप भी खुश और हम भी खुश।

कस्बा फरीदपुर, जिला बरेली के मुसलमानों द्वारा गत मुहर्रम के अवसर पर ताजिये दफनाने के संबंध में विवाद तथा मुख्य मन्त्री को दिये गये ज्ञापन पर निर्देश

**2—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा फरीदपुर, जिला बरेली के सभी मुसलमानों न गत मुहर्रम के अवसर पर तख्त एवं ताजियों को नवीबख्श की कब्र पर न ले जाकर अपने-अपने इमामबाड़ों में रखा और इस संबंध में 8-11-81 को एक ज्ञापन परगनाधिकारी, फरीदपुर को दिया तथा माननीय मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन उनके बरेली आगमन पर दिया जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने जिलाधीश, बरेली को आदेश दिया था कि 3 दिन में इस विवाद को हल करा दें ? यदि हां, तो जिलाधीश ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या यह सत्य है कि आज भी ताजिये दफनाये नहीं गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1981 में मुहर्रम के अवसर पर फरीदपुर कस्बे में एक तख्त श्री बंदे अली शाह पहलवान का मुहल्ला ऊंचा से तथा दो तख्त मोहल्ला सिरधान से श्री नन्हें शाह एवं हाजी अजीज उल्ला द्वारा निकाले गये थे। यह लोग तख्तों को सी0 ए0 एम0 इन्टर कालेज के मैदान में बनी कब्रों में से नवीबख्श की कब्र पर ले जाना चाहते थे जो परम्परा के अनुकूल नहीं था, अतः अनुमति नहीं दी गई। विरोध स्वरूप ताजिये नहीं दफनाये गये। 8-11-81 को कोई ज्ञापन परगना-मजिस्ट्रेट, फरीदपुर को नहीं दिया गया बल्कि 7-11-81 को जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली को श्री ए0 डी0 खां, एडवोकेट आदि ने एक ज्ञापन दिया था। 19-11-81 को एक ज्ञापन मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था और उन्होंने निर्देश दिये थे कि जांच कराकर इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाय। तद्नुसार जांच हुई और इस मांग को स्वीकार करना इस कारण संभव न हो पाया क्योंकि एक नई परम्परा सृजित हो रही थी।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री फखरे आलम की रुचि पर लिया गया

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भी ताजिये इसी तरह से रखे हुए हैं तो सारे मामले को सुलझाने के क्या प्रयास सरकार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह बात सही है कि ताजिये रखे हुए हैं लेकिन मान्यवर, एक नयी परम्परा की शुरुआत होने की मांग थी इसलिए उस पर विचार नहीं कर पाये हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए और हमारे राष्ट्रीय एकीकरण मे भी यह बाधक होता है । इस प्रकार वे पूरे देश और प्रदेश में टेंशन पैदा होता है 19-11-81 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिया था कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाय तो क्या कारण है 19-11-81 के आदेश के अनुपालन में जिला मैजिस्ट्रेट ने कब अपना फैसला दिया कि यह ताजिये नहीं दफनायेंगे, यह सरकार सैकुलर है तो इन ताजियों को दफनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? जिला मैजिस्ट्रेट ने कब निर्णय दिया और आपके पास कब यह मामला आया और कब क्या कार्यवाही इस पर कर रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमारा भारत वर्ष सैकुलर स्टेट है, हमारा कर्तव्य है कि जितने भी धार्मिक परम्परायें हैं उनको जो मानने वाले हैं वह सुन्दरता से परिपूर्ण हों । जो परम्परागत जुलूस निकलने वाले हैं उसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है जो बहुत पुराना निर्णय है जहां से पुराने परम्परागत जुलूस निकलते आ रहे हैं वहीं से निकलें नये जुलूस को कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी जो परम्परागत रास्ते हैं उनमें से जुलूस निकालने में कोई एतराज नहीं है, वहां से जुलूस निकलना चाहिये और दफनाना चाहिये । लेकिन इसमें रास्ता बदलने की बात थी, एक नया रास्ता लेने की बात थी उसका विरोध किया कि नया रास्ता नहीं दिया जायेगा इससे सांप्रदायिक भावना जागृत होकर टेंशन होने की संभावना थी ।

श्री कल्याण सिंह सोलंकी--

मैं बरेली जनपद का रहने वाला हूं, फरीदपुर आंवला मेरा क्षेत्र है जहां से दो किलो मीटर यह पड़ता है । यहां ताजिये हमेशा ही निकला करते थे । इसमें जिला मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया गया एस० डी० ओ० को ज्ञापन दिया गया जिसमें एक सौ हिन्दुओं ने गवाही दी । ताजिया हमेशा वहां से निकलते थे अगर प्रशासन ने उस रूट को नहीं लिखा तो यह उनकी गलती है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, यह बरेली का मामला है मुझे भी एक सवाल करने दें ।

श्री अध्यक्ष--

और भी हैं ।

श्री नन्दराम--

मान्यवर, उस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं । 50 साल पहले उस फील्ड का बनाया किसी ने कराया था । वहां पर एक कब्र बनी हुई है । कुछ लोगों ने कहा न तो कब्र बिगाड़ी जाय और न उसकी रिपेयर की जाय तो वह वैसे ही पड़ी रही। यह लोग वहां ताजिया ले जाना चाहते थे हम लोगों न कहा कि यह रूट नहीं है यहां से ताजिया कैसे ले जायेंगे । वहां हिन्दू मुसलमानों में विवाद चल रहा था । यह बिल्कुल गलत है कि वहां ताजिए जाते थे, ताजिये कभी नहीं जाते थे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई अपना मजहबी जुलूस निकालना चाहता है तो उस पर कौन से कानून के मुताबिक ऐसा है कि आप उसको इजाजत नहीं देंगे कि वह नहीं निकाल सकता है।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नबी बख्श की कब्र है और उसके इर्द-गिर्द काफी जमीन है । असल झगड़ा उस जमीन का है जो लाखों रुपयों की है । मुसलमानों का दावा है कि यह जमीन हमारी है । उसके बगल में एक कालेज है और उनका कहना यह है कि यह जमीन हमारी है, जिन पर कालेज वाले गेम कराते हैं । मुसलमान यह कहते हैं कि यह वक्फ की प्रापर्टी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, इसलिए हमको यह हक है कि हम वहां पर से ताजिया निकाल सके, तो क्या गृहमंत्री को यह निश्चित जानकारी है कि वाकिया वह जमीन मुसलमानों की है ? यदि है, तो उनको मिलना चाहिए और यदि कालेज की है तो एक बार उनको कब्जा करा दिया जाए, ताकि यह डिस्प्यूट हमेशा के लिए समाप्त हो जाय ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह जो अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि इस जमीन का विवाद है और इसका मुकदमा चला है । एक स्टेज पर मुकदमे का फैसला भी हो गया है, और जो फैसला हुआ है, जो क्षेत्र के विधायक ने कहा वह बात सच है । यह बात सच है कि कभी भी वहां पर ताजिया ले जाने की परिपाटी नहीं थी और नई परिपाटी को जन्म न दिया जाए । यह शासन का निर्णय है । नई परिपाटी को जन्म देने से वहां का सद्भाव का वातावरण बिगड़ेगा । इसलिए वहां पर माननीय मुख्य मंत्री के आदेश के बावजूद भी वहां के अधिकारियों ने जांच करके यह एक निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त जो रियासत हुसैन जानना चाहते थे उस संबंध में शासन ने निश्चित आदेश दिया है कि दोनों वर्गों के लोगों को आप बैठाकर, बातचीत के द्वारा कोई सद्भावपूर्ण रास्ता निकाल लें ।

श्री चेत राम गंगवार--

जब 8-11-81 को माननीय मुख्य मंत्री ने वहां के जिलाधीश को आदेश दिया कि वह आख्या सहित शीघ्र कार्यवाही करें, तो जिलाधिकारी के बुलाने पर वहां के परगनाधिकारी, मिस्टर कपूर पुराने दरोगा, मिस्टर दुबे और टाउन एरिया के चेयरमैन श्री कृष्ण अवतार सहित 78 जन प्रतिनिधि और अधिकारी लोग उनके पास पहुंचे और उन लोगों ने अपने साक्षात्कार में बताया कि इस कब्र तक ताजिये हमेशा जाया करते थे, लेकिन चूंकि वहां पर बीच में एक स्कूल आता है, जिसके प्रिंसिपल वहां पर शाखा का आयोजन करते हैं, उनके न कहने की वजह से यह झगड़ा हुआ। तो जब इतने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उसके पक्ष में साक्षात्कार दिया तो फिर क्या कारण है कि आज तक उनको वहां तक ताजिया ले जाने की सरकार ने इजाजत नहीं दी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ऐसा कोई साक्ष्य इस वक्त सामने नहीं है, जैसा उन्होंने कहा है कि वहां जाता रहा है। बल्कि हमारे पास जो सम्बन्धित कागजात हैं, उसमें यह कहा गया है कि इससे नई परिपाटी का जन्म होगा।

श्री चेतराम गंगवार--

यह गलतबयानी कर रहे हैं। 78 आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने साक्ष्य दिया है कि उनके ताजिये जाते रहे हैं ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मुझे एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिस भूमि के ऊपर न्यायालय में विवाद चला तो उसने वह सम्पत्ति किसकी घोषित की कालेज की या वक्फ की घोषित की गयी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो निर्णय आया वह कालेज के हक में जमीन का आया। उस सम्बन्ध में अभी भी मुकदमा चल रहा है और जो निर्णय होगा, तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वे वहां पर गये हैं, जानते हैं, उन्होंने देखा भी है। अगर माननीय सदस्य कुछ जानना चाहते हैं तो उनसे जानकारी हासिल कर लें।

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

थाना कैसरबाग, लखनऊ के अन्तर्गत हाता लाल खां तथा गुईन रोड में चोरी की घटना की जांच

1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना कैसरबाग, लखनऊ के अन्तर्गत हाता लाल खां तथा गुईन रोड में दिनांक 28/29 नवम्बर, 1981 की रात्रि में जो चोरियों की घटनाएं घटीं और जिसमें डेढ़ लाख की मालियत से अधिक के जेवरात तथा कपड़े गायब हुए और जिनकी रिपोर्ट उक्त थाने में 29-11-81 को लिखायी गयी के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की अब तक की क्या प्रगति है। कितने व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े गये और जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि अपराधी अब तक नहीं पकड़े गये तो क्या सरकार इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28/29-11-81 को रात्रि में घर में चोरी हो जाने के संबंध में श्री सैयद अतीक अहमद निवासी हाता लाल खां द्वारा दिनांक 29-11-81 को सुबह 7-45 बजे थाना कैसरबाग पर लिखायी गयी सूचना के आधार पर अभियोग के अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की गयी। विवेचना से लगभग 8,600 रु0 के जेवरात गायब होने एवं 3 व्यक्तियों को संदिग्ध होना पाया गया। अभियुक्त फरार हैं। चोरी की गयी सम्पत्ति की बरामदगी में एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

दिनांक 28/29-11-81 की ही रात्रि में दुकान से कपड़े चोरी हो जाने के सम्बन्ध में श्री के0 एन0 सिंह इन्चार्ज यू0 पी0 हैन्डलूम, गुईन रोड द्वारा दिनांक 29-11-81 को 12-30 बजे दिन थाना कैसरबाग पर लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की गयी। विवेचना से लगभग 2175 रुपये की कीमत के कपड़े चोरी होना पाया गया। चोरी की गयी सम्पत्ति की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये परन्तु माल मुल्जिम का पता न चलने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी।

इन मामलों की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में हुई अनियमितताएं तथा अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

2—श्री छत्तर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 आई0 जी0 एस0, मेरठ ने तथा बी0 एस0 ए0 महिला बुलन्दशहर ने तथा प्रधानाचार्य रा0 उ0 मा0, पहासू ने कितनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां सत्र 1979-80 एवं 1980-81 और वर्तमान सत्र 1981-82 में अब तक बिना रिक्तियों का विज्ञापन किये बिना रोजगार कार्यालय से नाम मांगे, बिना आरक्षण का ध्यान रखे, बिना उचित चुनाव प्रक्रिया अपनाएं अयोग्य, अधिक आयु अशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाराणा प्रताप पालीटेकनिक, गोरखपुर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

3--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि महाराणा प्रताप पालीटेकनिक, गोरखपुर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को गत माह नवम्बर, 1981 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार इनको नियमित वेतन भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां । यह एक अनुदानित संस्था है । शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु संस्था को अनुदान तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है । मार्च से जून, 1981, एवं जुलाई, 1981 में अक्तूबर, 1981 तक के व्यय के लिए अनुदान संस्था को दिया जा चुका है । नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक के व्यय के वहन हेतु तृतीय किस्त दिये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों को समय से प्रेषित करने के लिये उचित निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, जौनपुर में शिक्षकों की नियुक्ति

4--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, जौनपुर में गत दो वर्षों से अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता की नियुक्ति नहीं की गई है ? उक्त संस्था में पढ़ने वाली छात्राओं के हित को ध्यान में रख कर क्या सरकार प्रत्येक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा चलाई गई अदीब कामिल परीक्षा को सरकार द्वारा मान्यता

5--श्री अकबर हुसैन तथा श्री राम आसरे वर्मा

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार के अधीन सेवा में भर्ती के प्रयोजनों के लिए जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा चलाई गई अदीब कामिल परीक्षा को सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है और इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है ।

अनुवादकों का स्थायीकरण

6—श्री अकबर हुसैन तथा श्री राम आसरे वर्मा—

00यह सही है कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 56 (3)/20-ई–3–144 (विविध) 73, दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 द्वारा अनुवादक के पद पर मौलिक नियुक्ति स्थायीकरण हेतु विकल्प मांगा गया था ? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने अपना विकल्प नहीं दिया है, उन्हें उक्त पद पर बनाये रखने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

जी हां । अभी अनुवादकों का स्थायीकरण नहीं हुआ है । स्थायीकरण के पूर्व किसी व्यक्ति को पद विशेष पर बनाये रखने अथवा न रखने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है ।

अनुवादकों के संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी को सन्दर्भ लिपिक पद का सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का औचित्य

7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7900/20–ई–3–75, दिनांक 4 फरवरी, 1975 द्वारा अनुवादकों के संवर्ग में क्रम संख्या 1 पर नियुक्त कर्मचारी को सन्दर्भ लिपिक पद का सेलेक्शन ग्रेड लगभग 6 वर्षों से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अनुदान में सन्दर्भ लिपिक का जब कोई पद सृजित नहीं है तो सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सम्बन्धित कर्मचारी को संदर्भ लिपिक के पद का सेलेक्शन ग्रेड उसका उक्त संवर्ग में गठन होने एवं ज्येष्ठता के आधार पर दिया गया था । अनुवादक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त होने पर संदर्भ लिपिक के पद के सेलेक्शन ग्रेड के लाभ से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता था ।

थाना सण्डीला, हरदोई में होमगार्डों की ड्यूटी में फर्जी हस्ताक्षर करके भुगतान कर लेने के सम्बन्ध में पत्र

8—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नागरिक सुरक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि थाना सण्डीला, हरदोई में 30 होमगार्डों की ड्यूटी में फर्जी हस्ताक्षर करके भुगतान कर लेने के सम्बन्ध में 30 होमगार्ड के हस्ताक्षर सहित एक पत्र माह दिसम्बर, 1981 को महासमादेष्टा (होमगार्ड), उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जिलाधिकारी, हरदोई पुलिस अधीक्षक, हरदोई को भेजी गई है ? यदि हां तो उसमें कौन–कौन से आरोप हैं तथा अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गई, क्या यह भी सही है कि थानाध्यक्ष, सण्डीला द्वारा दिसम्बर, 1981 में इस मामले में मुकदमा भी कायम किया गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हस्ताक्षरों से युक्त इस आशय के पत्र दिसम्बर, 1981 में महासमादेष्टा (होमगार्ड) जिलाधिकारी, हरदोई तथा पुलिस अधीक्षक, हरदोई, को प्राप्त हुए थे। उनमें अनुलग्नानुसार आरोप निहित थे। आरोपों की मंडलीय कमान्डेन्ट होमगार्ड से जांच कराई जा रही है। यह सही है कि इस मामले में थानाध्यक्ष सण्डीला, द्वारा एक मुकदमा कायम किया गया है। मन्डलीय कमान्डेन्ट, की जांच आख्या तथा पुलिस विवेचना के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 852 पर।)

9—श्री राम चन्द्र—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण हटाया गया।]

मेसर्स हरी फर्टिलाइजर्स, साहुपुरी, वाराणसी के सेवायोजकों द्वारा मजदूरी का भुगतान

10—श्री राम चन्द्र—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1981 से अप्रैल, 1981 में 15 दिन की वेतन की कटौती हरी फर्टिलाइजर्स साहुपुरी, वाराणसी के मिल-मालिक द्वारा श्रमिकों से की गई है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या सरकार श्रमिकों के कटौती की धनराशि का भुगतान करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मेसर्स हरी फर्टिलाइजर्स, साहुपुरी, वाराणसी के सेवायोजकों ने अपने श्रमिकों को पहली अप्रैल से 15 अप्रैल, 1981 तक की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया।

सेवायोजकों का इस सम्बन्ध में कथन है कि श्रमिकों ने हाजिरी का कार्ड पंचिंग न करके अपनी हाजिरी उपर्युक्त अवधि में अंकित नहीं कराई और श्रमिकों की अनुपस्थिति हाजिरी रजिस्टर पर होने के कारण उनका भुगतान नहीं किया गया।

सेवायोजकों से उपर्युक्त अवधि के वेतन की वसूली के लिये सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया था। सेवायोजकों ने वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध रिट याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। उच्च न्यायालय के सशर्त स्थगन आदेश के अनुसार सेवायोजकों ने 25,262·00 रु0 सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी के पास जमा कर दिया है।

केमिकल फैक्ट्री मजदूर यूनियन, साहूपुरी, वाराणसी का पंजीकरण तथा अध्यक्ष

11—श्री राम चन्द्र—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केमिकल फैक्ट्री मजदूर यूनियन, साहूपुरी, वाराणसी द्वारा अगस्त, 1981 में भेजे गये प्रपत्र 'ज' के अनुसार अध्यक्ष

कौन है ? क्या नियमानुसार उक्त यूनियन का रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

केमिकल फैक्ट्री मजदूर यूनियन, साहूपुरी, वाराणसी द्वारा अगस्त, 1981 में भेजे गये प्रपत्र 'जे' में अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी दर्शायी गयी थीं ।

उक्त यूनियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 के अन्तर्गत दिनांक 11-11-57 से ही पंजीकृत है ।

उक्त यूनियन के पदाधिकारियों का एक चुनाव दिनांक 17-9-80 को कराया गया था, जिसके पदाधिकारियों के नामों का अंकन, रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियंस द्वारा अपने कार्यालय के रजिस्टर में कर लिया गया । इसी यूनियन के दूसरे चुनाव दिनांक 7-10-80, जिसके माध्यम से श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी अध्यक्ष चुनी गयीं थीं, के द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों के सम्बन्ध में रजिस्टर में अंकन की कार्यवाही इस कारण नहीं की जा सकी, क्योंकि इसी यूनियन के दिनांक 17-9-80 को चुने गये महामंत्री श्री रामसूरत सिंह एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियंस पर मामले में पुनः जांच करने पर रोक लगा दी गई है ।

हरी फर्टिलाइजर्स साहूपुरी, वाराणसी के श्रमिकों की बस्ती में ट्रान्सपोर्ट कम्पनी खुलवाने का औचित्य

12—श्री राम चन्द्र—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरी फर्टिलाइजर्स साहूपुरी, वाराणसी के मालिकों ने श्रमिकों की बस्ती में ट्रान्सपोर्ट कम्पनी खुलवाई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी नहीं । ऐसी कोई ट्रान्सपोर्ट कम्पनी श्रमिकों की उक्त बस्ती में नहीं खुलवाई गई है । गृह संख्या 7/3 एवं 7/4 को कारखाने के प्रयोग हेतु बाहर से ट्रकों द्वारा आने वाले कोयले इत्यादि का लेखा-जोखा रखने के लिये कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।

जिला उद्योग केन्द्र, गोण्डा में प्रार्थना-पत्रों का वितरण

14—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री दीप नरायन वन महन्थ—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा, जिला उद्योग विभाग में कम्पोजिट लोन के अन्तर्गत सन् 1980 के वर्ष काल में आये प्रार्थना-पत्रों में कितने पर कर्ज वितरित किया गया ? तथा उनके कम्पोजिशन का ब्योरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

वर्ष 1980 में जिला उद्योग केन्द्र गोण्डा में प्राप्त ऋण प्रार्थना-पत्रों से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :—

1—उत्तर प्रदेश वित्त निगम की कम्पोजिट ऋण योजना के अन्तर्गत—

(1) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या 3

(2) स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या 2

(3) वितरित प्रार्थना-पत्रों की संख्या 1

2—जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत—

(1) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या 15

(2) स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या 9

(3) वितरित प्रार्थना-पत्रों की संख्या 9

3—विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत—

(1) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या 25

(2) स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या 23

(3) वितरित प्रार्थना-पत्रों की संख्या 23

राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल तथा राजकीय पालीटेक्निक गोचर, जिला चमोली के प्रथम वर्ष में प्रवेश किये छात्र

14—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय पोलिटेक्निक श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल तथा राजकीय पोलिटेक्निक गोचर, जिला चमोली में प्रथम वर्ष के लिए कुल कितने स्थान हैं और वर्ष 1981-82 में इन स्थानों के लिए कितने अभ्यर्थी जिला चमोली और पौड़ी गढ़वाल के लिये गये हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

वांछित सूचना निम्नवत् है :—

संस्था का नाम	प्रथम वर्ष की कुल प्रवेश क्षमता	1981-82 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिये गये छात्रों की संख्या		
		कुल छात्र	चमोली जनपद के छात्र	पौड़ी गढ़वाल जनपद के छात्र
1—राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल)	180	149	9	24
2—राजकीय पालीटेक्निक, गोचर (चमोली)	90	60	22	5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15—श्री जसवन्त सिंह विष्ट —

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

16—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री सुरेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर देने की थाना बड़ौत पर दर्ज रिपोर्ट तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि जगदेव सिंह, ग्राम माजरा, थाना भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा कोई रिपोर्ट थाना बड़ौत में दिनांक 28-11-81 को लिखायी गयी जिसमें उसके भाई सुरेश कुमार को रामपाल सिंह के नेहरू रोड स्थित मकान बड़ौत गोली से मार दिये जाने का जिक्र किया गया है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-11-81 को श्री जगदेव सिंह ग्राम माजरा, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर ने थाना बड़ौत, जिला मेरठ पर एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रार्थी के भाई सुरेश कुमार की श्री रामपाल सिंह के नेहरू रोड स्थित मकान कस्बा बड़ौत पर अमुक व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और थाने में झूठी रिपोर्ट लिखा दी कि मृतक सुरेश उन्हें मारने आया था । उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर धारा 147/148/149/302/201 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना बड़ौत पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसकी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना प्रचलित है ।

श्री गुरु प्रसाद थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ के घर पड़ी डकैती में शहीद हुये श्री भगवान दास के आश्रितों को आर्थिक सहायता

18—श्री सन्त बक्स रावत —

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8/9-10-80 को श्री गुरु प्रसाद पुत्र मंगला, निवासी हसनपुर खेवली, थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ के यहां डकैती पड़ी थी, जिसमें श्री भगवान दास पुत्र श्री वादे (हरिजन), निवासी ग्राम उपरोक्त, जो उस रात ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सतर्कतापूर्वक पहरा देते हुये श्री गुरु प्रसाद के घर पर उनकी मदद में पहुंचने के कारण डाकुओं द्वारा मुठभेड़ में शहीद हुये, जिसका मु0 अ0 सं0 318 धारा 396 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 9-10-80 को थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ में पंजीकृत किया गया ? यदि हां, तो मुकदमें में क्या कार्यवाही की गयी तथा शहीद हरिजन परिवार के आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना के सम्बन्ध में थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ पर अ0 सं0 318 अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया

गया था। उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान 13 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 10 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा शेष अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया उक्त सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया। कार्यवाही शिनाख्त में वादी और गवाहान ने किसी अभियुक्त को नहीं पहचाना। अतः सभी अभियुक्त धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत रिहा किए गए तथा अभियोग की विवेचना समाप्त की जा चुकी है।

मृतक श्री भगवान दास के आश्रितों को आर्थिक सहायता हेतु हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है।

डायमण्ड डरी कालोनी, लखनऊ स्थित आवास संख्या ई0 डी0 25 तथा ई0 डी0-32 में आवंटित व्यक्तियों का नाम तथा बकाया किराये की वसूली

19—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि डायमन्ड डेरी कालोनी, लखनऊ स्थित आवास संख्या ई0 डी0-25 तथा ई0 डी0-32 वर्ष 1979 (सितम्बर) से किसके नाम आबंटित हैं तथा सितम्बर, 1979 से सितम्बर, 1981 तक उक्त दोनों आवासों के अध्यासियों द्वारा कितनी धनराशि किराये के रूप में वसूल की गयी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 854 पर)।

डायमण्ड डेरी, लखनऊ स्थित आवास संख्या ई0 डी0-45 तथा 46 में अध्यासियों द्वारा किराये के भुगतान की वसूली

20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डायमण्ड डेरी, लखनऊ स्थित आवास संख्या ई0 डी0-45 तथा ई0 डी0-46 भूतपूर्व आवंटियों के अन्यत्र स्थानान्तरण तथा अन्यत्र आवास आवंटन किये जाने के उपरान्त भी अभी तक रिक्त नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आवासों के अध्यासियों से नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 में कितनी धनराशि किराये के रूप में वसूल की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

प्रश्नगत अवधि का नियमानुसार प्रतिकर का बिल भेजा गया जिसका अध्यासियों द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत रामनगर से रामपुर मार्ग का निर्माण

21—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 4थे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रश्नगत मार्ग

(रामनगर से रामपुर) के शेष 8 कि0मी0 भाग का निर्माण शीघ्र किये जाने हेतु कोई आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्बार रिजवी—

8 कि0मी0 के स्वीकृत भाग पर कार्य प्रगति पर है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में की गई कृत कार्यवाही तथा मुख्यालय का कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरण के संबंध में आदेश

22—श्री मोहन सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अनेकों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पिछले 10 माह से शासन के आदेश के विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया है और उनमें से कुछ को गैर कानूनी ढंग से पदावनति (तनज्जुल), निलम्बित एवं सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

खादी बोर्ड द्वारा कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है, और इन आदेशों का अनुपालन न करने के कारण कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । खादी बोर्ड स्वशासी संस्था है । तथापि शासन ने जानकारी प्राप्त करने पर एवं यथोचित विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 16(1) के अन्तर्गत खादी बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी/अधिकारी 11 माह से निलम्बित हैं उनको निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाय तथा कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण रद्द कर दिया जाय ।

23—श्री मोहन सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यालय को लखनऊ में रखने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसका कार्यान्वयन हो गया है ? यदि नहीं हुआ है, तो क्यों ? कानपुर में खादी बोर्ड के द्वारा किराये पर लिए गये विभिन्न भवनों का प्रति माह किराया दिया जा रहा है और शासनादेश के बाद इस अनावश्यक खर्च के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोउद्योग बोर्ड के मुख्यालय को लखनऊ स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो आदेश दिये गये हैं उसका पूर्णतया अनुपालन खादी बोर्ड द्वारा कतिपय कारणों से नहीं किया गया है । बोर्ड के कानपुर स्थित कार्यालय भवनों का किराया 3443.75 रु0 प्रति माह बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है । कानपुर में बोर्ड के कार्यालय जिन भवनों में स्थित हैं उनमें जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, परिक्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय तथा बोर्ड के कुछ अनुभागों का रिकार्ड तथा फर्नीचर आदि होने के कारण किराया दिया जा रहा है ।

राज्य विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वर्तमान ज्येष्ठता सूची तथा नियुक्ति के नियम

24—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा के सहायक कुल सचिव, उप कुल सचिव व कुल सचिवों के पदों में नियुक्त ऐसे अधिकारियों की वर्तमान ज्येष्ठता सूची सदन के पटल पर रखेंगे, जो अधिनियम व सेवा नियमावली के अन्तर्गत अब केन्द्रीयित सेवा में आमंत्रित हो चुके हैं? साथ ही क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन में से कौन—कौन अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा तथा कब से व किन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त हैं? क्या ये सूचियां अन्तिम रूप से बनाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को बतलाई जा चुकी हैं?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

अधिकारी वरिष्ठता सूची अभी तैयार नहीं की जा सकी है। समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से आवश्यक सूचना मांगी गई है। उसके प्राप्त हो जाने के उपरांत ही केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता सूची बनायी जा सकेगी। प्रश्नगत सूचियां अन्तिम रूप से बन जाने के उपरांत ही यह विवरण देना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को संसूचित करना सम्भव हो सकेगा।

श्रीमती शारदा अरोरा, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अष्टम मण्डल, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितता का आरोप तथा इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज देने का औचित्य

25—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती शारदा अरोरा, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अष्टम मण्डल, लखनऊ को वर्ष 75 से 78 तक मण्डलीय निरीक्षिका आगरा के पद पर रही थीं और उस अवधि में वर्ष 1976-77 में हरचरन दास गर्ल्स इन्टर कालेज, हाथरस में इनके द्वारा किसी आर्थिक गम्भीर अनियमितता के कारण इनके तथा इनके कार्यालय के लिपिक श्री मुरारी लाल शर्मा के विरुद्ध वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया गया था? यदि हां, तो इनका प्रकरण क्या समाप्त हो चुका है? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारी को पुनः उसी समकक्ष पद पर बनाए रखने का क्या औचित्य है?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

26—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार श्रीमती शारदा अरोरा, मण्डलीय बालिका विद्यालय, निरीक्षिका, लखनऊ को जब तक उक्त प्रकरण निर्णीत नहीं हो जाता उस समय तक के लिए ऐसे पद पर स्थानान्तरित कर जिसका इन्डिपेन्डेंट चार्ज न हो, देने की कृपा करेगी।

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (ज्येष्ठ) वेतनक्रम 800-1,450 रु0, जिसमें श्रीमती शारदा अरोरा कार्यरत हैं, की महिला शाखा

में मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका के 12 तथा प्रधानाचार्या, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद का एक पद कुल मिला कर 13 ही पद हैं जो सभी इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज के पद हैं।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में बी0 टेक0 की डिग्री तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने इंजीनियरिंग कालेजों में बी0 टेक0 की डिग्री दी जाती है तथा प्रत्येक कालेज में कितने प्रतिशत अंक पाने पर छात्र उत्तीर्ण होते हैं? यदि प्रत्येक कालेज में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अलग-अलग है, तो इसका कारण क्या है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित प्रदेश के निम्नलिखित तीन कालेजों में बी0 टेक0 की डिग्री दी जाती है। इनमें उत्तीर्ण होने का प्रतिशत उनके सामने अंकित है:

(1) एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर	प्रत्येक थ्योरी पेपर में 30 प्रतिशत, प्रैक्टिकल व सेशनल में 50 प्रतिशत और औसत में 50 प्रतिशत।
(2) कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, सुल्तानपुर	प्रत्येक पेपर में 30 प्रतिशत व औसत में 50 प्रतिशत।
(3) पन्त कालेज आफ टेक्नालोजी, पन्तनगर	यहां इन्टरनल ग्रेडिंग सिस्टम लागू है जिसमें सारे विषयों को मिला कर 5 म से 3 या 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

उपर्युक्त प्रथम दो कालेज अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं तथा तीसरा कालेज जी0 बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का एक घटक है। प्रत्येक कालेज शैक्षिक मामलों में अपने विश्वविद्यालय से शासित है। अतः उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अलग-अलग है।

रुदौली कस्बे में स्थित जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त श्री गरीबे का वेतनमान

28—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पहली जुलाई, 1974 में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली कस्बे में स्थित जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त ट्यायू श्री गरीबे को प्रतिमाह वेतन के रूप में मात्र 31.00 रु0 का ही भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। श्री गरीबे पानी पिलाने वाले अंश कालिक कर्मचारी हैं और नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं। ऐसी दशा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अनुमन्य वेतनमान दिया जाना संभव नहीं है।

जूनियर हाई स्कूल रुदौली, जनपद बाराबंकी में श्री राम दत्त चौकीदार का मासिक वेतन

29—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली कस्बे में स्थित जूनियर हाई स्कूल, रुदौली में नियुक्त चौकीदार श्री राम दत्त को मासिक वेतन के रूप में आज 10·00 रु0 का ही भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जूनियर हाई स्कूल रुदौली, जनपद बाराबंकी में श्री राम दत्त नाम का कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अतः किसी प्रकार के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्व0 त्रिपुरारी पाण्डेय, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, श्री गांधी विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, गोण्डा के आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन का भुगतान

30—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 त्रिपुरारी पाण्डेय, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, श्री गांधी विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, गोण्डा की उनके कार्यालय में ही दिनांक 3-11-71 को मृत्यु हो गई किन्तु उनके आश्रितों को आज तक पारिवारिक पेन्शन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और यह भुगतान कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद में महराजगंज-राजे सुल्तानपुर मार्ग पर गिट्टी का "डम्प कलेक्शन"

31—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में महराजगंज-राजे सुल्तानपुर मार्ग पर कि0 मी0 एक एवं दो में गिट्टी का कार्य पूरा होने के बाद भी गिट्टी का "डम्प कलेक्शन" क्यों किया गया ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग के कि0 मी0 एक एवं दो में गिट्टी का कोई "डम्प कलेक्शन" नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जनपद में स्थित परशुरामपुर-शंकरपुर मार्ग पर पहुंच मार्ग का निर्माण

32—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वमनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित परशुरामपुर-शंकरपुर मार्ग पर छोटी सरयू में सेतु का निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी पहुंचमार्ग (अप्रोच रोड) का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

भूमि अध्यापित में कठिनाई है ।

आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान

33—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजममढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुख्तार खलील, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय जुल्फिकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर की विभिन्न मदों का बकाया भुगतान

34—श्री फखरे आलम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुख्तार खलील अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय जुल्फिकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर का सस्पेन्स एकाउन्ट का अन्तिम भुगतान, उपार्जित अवकाश का नगदीकरण तथा जीवन बीमा की धनराशि, जिसकी कटौती वेतन में से होती है, का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ है ? जबकि उनको रिटायर हुए दो साल से अधिक हो चुके हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों के ग्रान्ट-इन-ऐड पर लिए जाने का आधार

35—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री मंगलदेव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस वर्ष 1981-82 में कितने जूनियर हाई स्कूलों को ग्रान्ट-इन-ऐड पर लिया गया और लिए जाने का क्या आधार है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

एक विद्यालय के मानको को पूरा करने के कारण इस वर्ष अभी तक लिया गया है ।

चिमकुनी–अछल्दा मार्ग की स्वीकृति तथा निर्माण

36—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में चिमकुनी मार्ग शासन द्वारा कब स्वीकृत हुआ और उसके निर्माण के लिए 1980–81 व 1981–82 में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ? अभी तक उक्त मार्ग का निर्माण क्यों नहीं हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत चिमकुनी–अछल्दा मार्ग दिनांक 31–7–78 को स्वीकृत हुआ था । वर्ष 1980–81 में 1·17 लाख रुपया तथा वर्ष 1981–82 में 2·03 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था ।

कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति में है ।

37—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[2–2–82 को अतारांकित प्रश्न संख्या–3 3 द्वारा उत्तरित ।]

जिला बाराबंकी के प्रमुख कस्बों रुदौली, रामसनेहीघाट तथा फतेहपुर में चोरी की घटनाएं

38—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के तीन प्रमुख कस्बों रुदौली, सुमेरगंज, रामसनेही घाट तथा फतेहपुर की बाजारों में मास दिसम्बर सन् 1981 के दूसरे पखवारे में एक–एक रात में 6 चोरियां हुई,जिनमें से रुदौली कस्बे की एक चोरी में लगभग 2 लाख रुपए का माल चोरी चला गया और रामसनेही घाट की चोरी में हाकिम तहसील रामसनेही घाट के बंगले की चोरी भी शामिल है ? यदि हां, तो अपराधों की इस बाढ़ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह दिसम्बर, 1981 के दूसरे पखवारे में जिला बाराबंकी के प्रमुख कस्बों रुदौली, सुमेरगंज, रामसनेही घाट तथा फतेहपुर के बाजारों में एक–एक रात में 6–6 चोरियां होने की बात सही नहीं है । इस अवधि में कस्बा रुदौली में चार, कस्बा रामसनेही घाट (सुमेरगंज) में एक तथा कस्बा फतेहपुर में एक चोरी की घटना हुई । चोरी की इन घटनाओं में प्रश्न में उल्लिखित चोरी की घटनायें भी शामिल हैं । अपराधों को रोकने के लिए सभी थानाध्यक्षों को रात में गस्त के कड़े आदेश दे दिए गए हैं ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अधिकारियों को स्टाफ कार की व्यवस्था

39—श्री छत्तर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत कितनी मोटर गाड़ियां 100 रु0 प्रतिमाह पर शासन द्वारा अधिकारियों को आवंटित की हुई हैं ? उस मद से राज्य सरकार का व्यय प्रतिमाह कितना हो रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्य सम्पत्ति विभाग की कोई स्टाफकार अधिकारियों को 100 रु0 प्रतिमाह पर नहीं दी गई है अतएव ऐसी व्यवस्था में खर्च का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम दिनवापुर से अजीतन का पुरवा पूरेभीखम, जनपद रायबरेली, शाह से आंदुरी जूनियर हाई स्कूल तक मार्ग का निर्माण

40—श्री छत्तर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली, विकास खंड तिलोई के ग्राम दिनवापुर से अजीतन का पुरवा पूरे भीखम शाह से आंदुरी जूनियर हाई स्कूल तक जो मार्ग प्रस्तावित है उसे आज तक नहीं बनाया गया और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दारुलशफा स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर्स की मरम्मत एवं मूल निर्माण कार्यों के आगणन प्रेषित करने के आदेश

41—श्री मीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने अपने पत्र संख्या आर-9105/32-81/42-बी0एन-80, दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खंड नं0 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह आदेश दिया था कि दारुलशफा स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर्स की मरम्मत का कार्य कराकर तथा मूल निर्माण कार्यों का आगणन तैयार करके शासन को भेजें ? यदि हां, तो इसका पालन किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

1—प्रश्नगत शासकीय पत्र द्वारा आवश्यक मरम्मत एवं मूल निर्माण कार्यों के आगणन प्रेषित करने के आदेश दिये गये थे ।

2—शासन द्वारा अपेक्षित आगणन प्राप्त हो गये । जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

3—प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर से की गई यात्रा

42--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, सन् 1980 से 15 जनवरी, 1982 तक वित्त मंत्री जी ने कुल कितनी बार तथा किन-किन स्थानों की हेली-काप्टर से यात्रा की ? उनके यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जून सन् 80 से 15 जनवरी, 1982 तक वित्त मंत्री ने हेलीकाप्टर से कुल 27 बार यात्रा की । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 855 पर ।)

जनपद मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

43--श्री हुकुम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को 20-5-82 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनीकरण तथा आग्नेयास्त्रों के लिये नये स्वीकृत लाइसेंस

44--श्री हुकुम सिंह--

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगी कि जनपद मुजफ्फरनगर में 1 अक्तूबर, 1981 से लेकर 15 जनवरी, 1982 तक कितने व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनी-करण किया गया और उन व्यक्तियों से कितना-कितना धन राष्ट्रीय बचत कोष एवं अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर में उल्लिखित अवधि में 1278 शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया गया । लाइसेन्सधारियों से प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई धन जमा नहीं कराया गया ।

45--श्री हुकुम सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि मुजफ्फरनगर जनपद में 1 अक्तूबर, 1981 से लेकर 15 जनवरी, 1982 तक हथियारों के लिए कितने नये लाइसेन्स स्वीकृत किए गए एवं लाइसेन्स लेने वालों से कितना-कितना धन राष्ट्रीय बचत कोष में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मुजफ्फरनगर में 1 अक्तूबर, 1981 से 15 जनवरी, 1982 तक आग्नेयास्त्रों के लिए 177 नये लाइसेन्स स्वीकृत किये गये । लाइसेन्स लेने वालों से राष्ट्रीय बचत कोष एवं अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कोई धन जमा नहीं कराया गया ।

ग्राम नवादा, थाना कुढ फतेहगढ़ में पुलिस द्वारा मस्जिद का दरवाजा आदि तोड़ने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

46—श्री अकबर हुसैन--

क्या गृह मंत्री को विदित है कि ग्राम नवादा, थाना कुढफतेहगढ़, जनपद मुरादाबाद के इमामुद्दीन पुत्र श्री अलीमुल्ला आदि ने दिनांक 22-10-81 को पुलिस द्वारा गांव की मस्जिद के दरवाजे आदि तोड़े जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र आपको भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । इस आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया । एक शिकायती-पत्र दिनांक 22-10-81, ग्राम नवादा, थाना कुढ फतेहगढ़ में पुलिस द्वारा मस्जिद का दरवाजा आदि तोड़ने के सम्बन्ध में श्री हसनुद्दीन आदि का प्राप्त हुआ था, जो जांच से निराधार पाया गया ।

47—श्री माता प्रसाद पांडेय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर डबरी मार्ग के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि तथा प्रतिकर की धनराशि का वितरण

48—श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर-डबरी मार्ग के लिए जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हे मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो यह मुआवजा कब दिया गया ? यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है तथा कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

फर्रुखाबाद जिले के विकास खंड राजेपुर के अंतर्गत निर्मित राजेपुर डबरी मार्ग के लिए 17.44 एकड़ अर्जित भूमि के 2,25,396 रुपये (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि का वितरण कृषकों को 16-2-82 को कर दिया गया है और शेष 10,016 रुपये (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि को कृषकों के उपस्थित न होने के कारण आर० डी० के मद में जमा कर दिया गया है ।

उक्त कार्य के लिए 19.95 एकड़ अस्थायी रूप से ली गई भूमि के 2,903 रुपये (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि का वितरण कृषकों को 17-2-82 को कर दिया गया है और शेष 207 रुपये (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि को कृषकों के उपस्थित न होने के कारण आर० डी० के मद में जमा कर दिया गया है ।

जनपद अल्मोड़ा में रिजर्व पुलिस लाइन तथा पुलिस कार्यालय के भवनों के निर्माणार्थ ग्राम खगमराकोट तथा दुगालखोला की ली गयी भूमि

49—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद अलमोड़ा में ग्राम दुगालखोला स्थान पर पुलिस लाइन निर्माण करने का निर्णय अभी हाल ही में सरकार द्वारा लिया गया है यदि हां, तो कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई ? क्या यह सही है कि उक्त अधिग्रहीत भूमि श्री लक्ष्मी प्रसाद/लालता प्रसाद की आराजी नं0 1219 से 1223 तक लगभग 1/5 एकड़ में निर्मित भवन को भी अधिग्रहीत कर लिया गया है ? इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी, अल्मोड़ा ने माह अप्रैल, 1980 एवं अगस्त, 1980 में शासन को यह रिपोर्ट भेजी है कि उक्त 1/5 एकड़ भूमि छोड़कर पुलिस लाइन का निर्माण किया जाय ? पुलिस लाइन निर्माण करने के सम्बन्ध में प्रस्तावित भूमि का पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित माह अप्रैल, 1980 एवं अगस्त, 1980 की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद अल्मोड़ा में रिजर्व पुलिस लाइन तथा पुलिस कार्यालय के भवनों के निर्माणार्थ ग्राम खगमराकोट तथा दुगालखोला में भूमि को अधिगृहीत किए जाने का निर्णय वर्ष 1980 में लिया गया था । कुल 243 नाली 3 मुट्ठी (लगभग 12.153 एकड़) भूमि अधिग्रहीत की गई है । उक्त अधिग्रहीत भूमि में श्री लक्ष्मी प्रसाद/लालता प्रसाद की आराजी संख्या 1219 से 1223 तक लगभग 1/5 एकड़ (4 नाली 13 मुट्ठी) भूमि शामिल है जिस पर अर्जनाधीन अवस्था में श्री गुप्ता ने भवन निर्माण करा लिया था । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी अल्मोड़ा की माह अप्रैल, 1980 एवं अगस्त, 1980 को उल्लिखित रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष भाग का उत्तर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हीवेट पालीटेक्निक महानगर, लखनऊ की प्रबन्ध समिति तथा सदस्यों के नाम व पते

50—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हीवेट पालीटेक्निक, महानगर, लखनऊ की वर्तमान प्रबन्ध समिति विवादग्रस्त है ? यदि हां, तो शासन ने हीवेट पालीटेक्निक महानगर, लखनऊ को अनुदान किन-किन शर्तों पर दिया है और विवादग्रस्त प्रबन्ध समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा वर्तमान प्रबन्ध समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या मंत्री जी सदस्यों के नाम व पते भी बतायेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

संस्था का प्रबन्ध समिति विवादग्रस्त है संस्था के मेमोरेन्डम आफ दि एसोसियेशन एवं नियमावली के अनुसार शासन के 5 नामित सदस्यों, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, के स्थान पर नये सदस्यों के नामांकन कराने हेतु संस्था द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी । संस्था को अनुदान प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सहायक अनुदान नियमावली के अन्तर्गत दिया जाता है । वर्तमान में प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1—राजा एस0 साबिद हुसेन आफ कोटवारा, कोटवारा अध्यक्ष हाउस, लखनऊ ।

2—राजा अजीत प्रताप सिंह, एम0 पी0, सी-957/56, उपाध्यक्ष महानगर, लखनऊ ।

3—श्री ए फ0 यू0 किरमानी, निरालानगर, लखनऊ सदस्य

4—श्री एम0 एम0 आबिद अली, एडवोकेट, ख्यालीगंज, लखनऊ । ,,

5—चौ0 हसन अहमद जैदी, निरोला हाऊस, ख्यालीगंज, लखनऊ । ,,

6—श्री ए0 वाई0 कुरेशी, प्रधानाचार्य, हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ पदेन सदस्य/सचिव

शासन की नामिनी निम्न सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है :—

1—श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक शिक्षा परामर्शदाता (टेक्नीकल), एन0 आर0 ओ0, 1, ए, लक्ष्मणबाग, कानपुर ।

2—श्री जे0 पी0 मित्तल, 2, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।

3—प्रधानाचार्य, रेलवे सिस्टम टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, नार्दन रेलवे, चारबाग, लखनऊ ।

4—श्री के0 डी0 श्रीवास्तव, चीफ आडिट आफिसर, कोआपरेटिव ऐण्ड पंचायत, स्टेशन रोड, लखनऊ ।

5—श्री जे0 बी0 गुप्ता, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ ।

श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर की गोली मार देने से मृत्यु तथा आश्रितों को पेंशन देने पर विचार

51—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सुभद्रा वर्मा परिवार कल्याण अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर को गत 3-4 सितम्बर, 1980 को डाकुओं ने जान से मार डाला ? यदि हां, तो मुल्जिमों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति तथा पेंशन देने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना राबर्ट्सगंज, जनपद मिर्जापुर में 3-9-80 की रात्रि में श्रीमती सुभद्रा वर्मा को गोली से घायल कर देने की सूचना पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 452/307/426 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा श्रीमती वर्मा को सदर अस्पताल मिर्जापुर ले जाते समय मृत्यु हो जाने के कारण इसे धारा 302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया जहां से अभियुक्त रिहा कर दिये गये ।

मृतक के परिवार को पेंशन देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव चिकित्सा विभाग के विचाराधीन है ।

लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी आर्य कन्या इंटर कालेज, मथुरा के भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रार्थना पत्र

52--श्री कन्हैया लाल--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी आर्य कन्या इंटर कालेज, मथुरा द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की पत्रावली सन् 1975 से चल रही है ? यदि हां, तो धारा 6 की विज्ञप्ति में विलम्ब होने का क्या कारण है ? क्या सरकार धारा 6 की विज्ञप्ति धारा 4-ए की विज्ञप्ति के 3 वर्ष के भीतर ही कराने की कृपा करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं । उक्त संस्थान के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, मथुरा को दिनांक 31-10-77 को प्राप्त हुआ एवं भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4-ए के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 6-6-79 का प्रकाशन उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 28-7-79 में हुआ । मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर में वेलफेयर सेन्टर एवं श्रम न्यायालय के मुख्य द्वार के पास ब्लाक नं0 29 के सामने अवैध दुकानों का निर्माण

53--श्री दूधनाथ राजभर तथा श्री ख्वाजा हलीम--

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सच है कि पुरानी श्रमिक बस्ती बेना झावर, कानपुर में वेलफेयर सेन्टर एवं श्रम न्यायालय के मुख्य द्वार के बगल में श्रम विभाग की भूमि पर 3 घरों एवं नाले के ऊपर ब्लाक नं0 29 के सामने 3 दूकानों का अवैध रूप से निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो अवैध कब्जा हटवाने के लिए शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? तथा उन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी नहीं । ये सभी निर्माण नगर महापालिका की नजूल भूमि पर हुए हैं, जो श्रमिक बस्ती पुराना बेनाझाबर के क्षेत्र के बाहर हैं तथा श्रम हितकारी केन्द्र की सीमा निर्धारित करते हुए बनाई गई चहारदीवारी के बाहर है । ब्लाक संख्या 29 के सामने जिन तीन दूकानों का अवैध निर्माण किया गया है, उसका श्रम विभाग से कोई सम्बध नहीं है । ये दूकानें नाले के ऊपर बनाई गई हैं, जिसका निर्माण नगर महापालिका ने बरसाती पानी के निकास के लिये किया था । श्रमिक बस्ती पुराना बेनाझबर के ब्लाक संख्या 29 के सामने किसी प्रकार की दूकानों आदि का निर्माण नहीं किया गया है । प्रश्नगत दूकानों को हटाने का दायित्व नगरमहापालिका का है ।

पुरानी लेबर कालोनी बेना झाबर, कानपुर के निवासियों के प्रार्थना पत्र में मुख्य शिकायतें

54--श्री दूधनाथ राजभर तथा श्री ख्वाजा हलीम--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी कालोनी बेना झाबर, कानपुर के निवासियों का दिनांक 28-9-80 का कोई शिकायती प्रार्थना पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? क्या सरकार उसकी जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां ।

दिनांक 28-9-80 के शिकायती प्रार्थना-पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :--

(1) पुरानी लेबर कालोनी, बेनाझावर वेलफेयर सेन्टर एवं श्रम न्यायालय के मुख्य द्वार के बगल में तीन घरों एवं नाले के ऊपर की भूमि पर ब्लाक नं0 29 के सामने तीन दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है । अतः श्रम विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाये और मदद हेतु नगर प्रशासक से अनुरोध किया जाय ।

(2) श्रमिक बस्ती की भूमि के सीमांकन हेतु ब्लाक नं0 32 से रोड तक, जहां पिलर गड़े हुये हैं, उस पर बाउन्ड्री वाल बनाने के यथाशीघ्र आदेश दिये जायें ।

(3) ब्लाक नं0 31 व 32 जो कि ढलान पर बने हैं, उनमें वर्षा का पानी निकलने का रास्ता अवैध निर्माण से बन्द हो चुका है । अतः इन ब्लाकों के पीछे की नाली को चौड़ा करके बड़े नाले से मिला दिया जाये ।

उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है --

(1) शिकायत में बताये गये अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में विभागीय अभियन्ता द्वारा जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि श्रमिक बस्ती के निवासियों द्वारा जिस भूमि पर अनधिकृत निर्माण होने की बात कही गई है, वह भूमि श्रम विभाग के क्षेत्र से बाहर है, अतः श्रम विभाग द्वारा उन्हें हटवाने अथवा इस हेतु प्रशासक को लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) सीमांकन हेतु लगाये गये पिलर को हटवा कर पक्की बाउन्ड्री वाल बनवाना वर्तमान वित्तीय साधनों में सम्भव नहीं है ।

(3) ब्लाक संख्या 31 व 32 के पास का पानी पहले बस्ती के पास के नाले से निकल जाता था, जो नाले पर किये गये निर्माण से अवरुद्ध हो गया है । इस क्षेत्र का विकास करने के लिये नगर महापालिका द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है तथा वर्षा का पानी निकालने के लिये कच्चा नाला बनाया गया है, जिससे इस क्षेत्र का पानी पास के नाले से निकल जाता है । इसे पक्का कराने के लिये महापालिका के अधिकारियों को लिखा जा रहा है ।

श्री रोशन लाल, ग्राम मोहम्मदी नगर, जिला रामपुर के साथ पुलिस सिपाही श्री सालिग राम तथा सरताज द्वारा अत्याचार करने की शिकायत

55--श्री बलबीर सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 4-12-81 का जिसमें श्री रोशनलाल ग्राम मोहम्मदी नगर, जिला रामपुर के

साथ पुलिस सिपाही श्री सालिग राम तथा सरजात द्वारा अत्याचार करने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । इस मामले में जांच की जा रही है ।

श्री जगतगुरु शंकराचार्य इन्टर कालेज, मेंहदावल, जिला बस्ती के स्पेशल आडिट में आपत्तियों पर कृत कार्यवाही

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगतगुरु शंकराचार्य इन्टर कालेज, मेंहदावल, जिला बस्ती का वर्ष 1978 में जो स्पेशल आडिट हुआ उसकी रिपोर्ट में मुख्य आपत्तियां क्या प्रकाश में आईं तथा कालेज के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जानकी बाई बालिका इन्टर कालेज, मथुरा की अध्यापिका श्रीमती शकुन्तला शर्मा का वेतन तथा आवास भत्ता का भुगतान

57—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जानकी बाई बालिका इन्टर कालेज मथुरा की अध्यापिका श्रीमती शकुन्तला शर्मा का वेतन एवं आवास भत्ता दिनांक 10-11-75 से 24-4-81 तक तथा 1 अप्रैल, 1978 से 5-11-81 तक का बकाया है ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा भुगतान न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य

58—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की महावीर छपरा-कुस्मौल, जैतपुर-वोकटा सेवई जैतपुर और कौड़ीराम-गजपुर मार्ग जिला परिषद् गोरखपुर द्वारा माह सितम्बर, 1979 में सार्वजनिक निर्माण भवत को स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों को नि ण कराने का कारण क्या है और कब तक इन्हें निर्मित करा दिया जाएगा म?नीं

श्री अम्मार रिजवी—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद के बाघागाड़ा-जरलही मार्ग के आमी नदी पर पुल निर्माण

59--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के बाघागाड़ा-जरलही (रवीन्द्र सिंह) मार्ग के आमी नदी पर पुल निर्माण के लिए प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 28-7-81 को कोई पत्र मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय निरीक्षक श्री राम नरेश मिश्र, जिला मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा स्थानान्तरण पर विचार

60--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्यालय निरीक्षक (रामनरेश मिश्र) जिला मिर्जापुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जू0 हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मंडल वाराणसी के दिनांक 13-12-81 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

61--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर (राम नरेश मिश्र) का स्थानान्तरण सन् 1979 से 1981 के बीच चार बार हुआ ? तथा उसे रोक दिया गया ? क्या पुनः उनका स्थानान्तरण जनहित में करने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया में दीवानी न्यायालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा आरक्षण कोटा पूरा कराने के लिये निदेश

62--श्री हरिवंश सहाय--

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायगे कि देवरिया में दीवानी कचहरी के विभिन्न न्यायालयों में 31-12-81 तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है ? क्या आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में आरक्षण कोटा की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

प्राप्त सूचना के अनुसार देवरिया के दीवानी न्यायालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के क्रमशः 139 तथा 107 कर्मचारी कार्यरत हैं । उनमें तृतीय श्रेणी के

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 9.4 तथा 6.5 है । इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 12.6 तथा 28.2 है । केवल चतुर्थ श्रेणी के पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूरा है । भविष्य में शेष आरक्षण कोटा पूरा कराने के लिये निदेश दे दिये गये हैं ।

विधायक निवास 2 में फर्नीचर एवं अन्य सामानों की आपूर्ति

63--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री विधायक निवास 2 अर्थात् दारुलशफा बी ब्लाक से जुड़े नवीन भवन में विधायकों के कमरे में दिए जाने वाले फर्नीचर एवं अन्य सामानों की आपूर्ति अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो कब तक आपूर्ति हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

आफिस रैक, सेन्ट्रल टेबिल, आर्मड चेयर इजीचेयर तथा आर्मलेस चेयर की आपूर्ति हेतु अगस्त, सितम्बर, 81 में आदेश दिये गये थे परन्तु सम्बन्धित फर्मों ने अभी तक सप्लाई नहीं की है । उद्योग निदेशक द्वारा फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

2--डाइनिंग टेबिल, डायनिंग चेयर, तथा टी टेबुल का रेट उपलब्ध न होने के कारण आपूर्ति नहीं हो सकी है । इनका रेट कान्ट्रेक्ट करने के लिए उद्योग निदेशक से निवेदन किया गया है ।

3--सभी सामानों की आपूर्ति यथाशीघ्र करा दी जायेगी ।

ग्राम बरवाना (अलीगढ़) में गुलाब उद्योग से सम्बन्धित इन्डस्ट्री खोले जाने की योजना

64--श्री राम सिंह रावल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत वर्ष में गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध ग्राम बरवाना (अलीगढ़) में गुलाब उद्योग से सम्बन्धित कोई इन्डस्ट्री खोले जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी नहीं ।

यदि कोई उद्यमी अपना उद्योग वहां लगाना चाहेंगे तो उन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ।

एटा जनपद की जलेसर तहसील के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की योजना

65--श्री राम सिंह रावल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जनपद की जलेसर तहसील के अन्तर्गत एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की जो योजना है उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

अपेक्षित धन की उपलब्धि पर शिक्षा सत्र 1983-84 में प्रश्नगत कालेज खोले जाने का विचार है ।

अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को अकार्यकारी खंडों में कार्य करने का अनुभव होने के बावजूद भी पुनः उन्हीं खंडो में नियुक्ति तथा स्थानान्तरण में शासनादेश का पालन

66--श्री सन्त बक्स रावत तथा श्री मोहन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता हैं जिनको अकार्यकारी खंडों में कार्य करने का अनुभव होने के बावजूद भी शासनादेश दिनांक 28-2-77 का उल्लंघन करके माह जून, 1981 एवं इसके बाद में पुनः अकार्यकारी खंडों में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

शासनादेश दिनांक 28-2-77 में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को अकार्यकारी खंड का 2 वर्ष का अनुभव होने के उपरान्त उसकी तैनाती पुनः वहां नहीं की जायेगी । प्रशासनिक औचित्य और कार्य की निरन्तरता बनाये रखने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत करते हुये कभी-कभी ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पुनः अकार्यकारी खंडों में तैनात करना पड़ता है जिन्हें अकार्य कारी खंडों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है ।

इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1981 में कतिपय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अकार्यकारी खंडों में स्थानान्तरित किया गया था जो पूर्व में 2 वर्षों का अकार्यकारी खंडों का अनुभव प्राप्त कर चुके थे ।

67--श्री सन्त बक्स रावत, श्री मोहन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4896 ई0 जी0/23 सा0 नि0 अनुभाग-5--116-ई0-जी0 76, दिनांक 28-2-77 के द्वारा अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति सम्बन्धी कोई नीति निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या माह जून, 1981 एवं उसके बाद में किये गये स्थानान्तरण में उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रशासनिक औचित्य और कार्य की निरन्तरता बनाये रखने तथा अधिकारी/कर्मचारियों की उचित कठिनाईयों को दृष्टिगत करते हुये माह जून, 1981 एवं उसके बाद में किये गये स्थानान्तरण में यथा सम्भव प्रश्नगत शासनादेश का पालन किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति की अर्हताएं

68--श्री सन्त बक्स सिंह रावत, श्री मोहन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश, दिनांक 28-2-77 के अनुसार अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति से पूर्व दो वर्ष का अनुभव प्राप्त करने हेतु अकार्यकारी खंडों में नियुक्त किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । शासनादेश दिनांक 28-2-77 में निहित आदेशों के अन्तर्गत अवर अभितन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति से पूर्व अन्वेषणालय, सर्वेक्षण, नियोजन, परिकल्पना एवं परियोजना खंडों में यथासम्भव 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने हेतु तैनात किया जाता है, परन्तु प्रशासनिक औचित्य और कार्य की निरन्तरता बनाये रखने की दृष्टि से भी यह तैनातियां की जाती है ।

69--श्री पंचानन राय--

[9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 193 द्वारा उत्तरित]

श्री लालता प्रसाद चतुर्वेदी, शिवपति इंटर कालेज, शोहरतगढ़, बस्ती की पदोन्नति से सम्बन्धित पत्र

70--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लालता प्रसाद चतुर्वेदी शिवपति इंटर कालेज, शोहरतगढ़ बस्ती की पदोन्नति से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह प्रकरण क्या शासन में 5 वर्ष से अधिक तक विचाराधीन है ? रहने के उपरान्त इस पर निर्णय न होने के क्या प्रमुख कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के कारण, इस प्रकरण पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ।

श्री देव नारायण सिंह प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर का निलंबन तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

71--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देव नारायण सिंह, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को 10 जून, 1975 से निलम्बित किया गया है और उन्हें अभी तक आरोप-पत्र नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो 6 वर्ष से अधिक अवधि तक बिना आरोप-पत्र के निलम्बित किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन इनके निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। कतिपय गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं आदि के मामले में सतर्कता विभाग की संस्तुति पर श्री देव नारायण सिंह प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को निलम्बित किया गया था। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच पूर्ण होने पर श्री सिंह के निलम्बन के मामले में निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

श्रीराम पति राम, कला अध्यापक, इंटर कालेज, कप्तानगंज, आजमगढ़ को सेलेक्शन ग्रेड न दिये जाने से सम्बन्धित पत्र

72—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पति राम, कला अध्यापक, इंटर कालेज, कप्तानगंज, आजमगढ़ को सेलेक्शन ग्रेड न दिये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस हरिजन अध्यापक को सेलेक्शन ग्रेड न दिये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रकरण पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

भारतीय इंटर कालेज, मतौली, फर्रुखाबाद में चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

73—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि भारतीय इंटर कालेज, मतौली, फर्रुखाबाद में चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सात माह के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां।

प्रधानाचार्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चारों कर्मचारियों ने स्वतः त्याग पत्र दे दिया था। त्याग-पत्र देने एवं स्वीकार करने के स्थिति सन्देहयुक्त होने के कारण शिक्षा निदेशालय द्वारा स्थानीय विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने पर विचार

74—श्री मोहन सिंह—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चयन समिति, लखनऊ द्वारा वर्ष 1979 में चुने गये कतिपय अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में याचिका दायर की थी ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय ने याचिका में क्या आदेश पारित किये हैं ? माननीय उच्च

न्यायालय के अनुपालन में अब तक कितने अभ्यर्थी सेवायोजित कराये जा चुके हैं तथा कितने अभ्यर्थियों का सेवायोजना अवशेष है तथा उन्हें कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जी हां ।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 28-7-1981 को यह आदेश पारित किये हैं कि जो व्यक्ति 3 अगस्त, 1979 को चयन सूची में चयनित घोषित किये गये हैं उन्हें वर्ष 1979-80 की रिक्तियों में नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जाय । दूसरे शब्दों में चयन सूची दिनांक 1-12-79 को निरस्त नहीं समझी जायेगी बल्कि भर्ती वर्ष 1979-80 की समाप्ति पर, अर्थात् दिनांक 1-7-80 को । उच्च न्यायालय के इन आदेशों के अनुपालन में, पूर्व नियुक्त किये सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अब तक 154 अभ्यर्थी और सेवायोजित कराये जा चुके हैं तथा 480 अभ्यर्थियों का सेवायोजन अवशेष है जिनमें से 249 अभ्यर्थियों का नामांकन विभिन्न सेवायोजकों को भेजा जा चुका है । शेष 231 अभ्यर्थियों का नामांकन सेवायोजकों से वर्ष 1979-80 की रिक्तियों की अधिसूचना प्राप्त होने पर किया जा सकेगा ।

जनपद बलिया में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल एवं भवन निर्माण की योजना

75—श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, जनपद में कुल कितने प्राथमिक एवं जू0 हाई स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे हैं ? उनमें से कितने के पास भवन नहीं हैं ? जिन स्कूलों के पास भवन नहीं हैं क्या उन्हें बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जनपद बलिया में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत 1,184, प्राथमिक एवं 149 जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं । इनमें से 280 प्राथमिक एवं 23 जूनियर हाई स्कूलों के पास भवन नहीं हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन बेसिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जनपदवार अनुदान स्वीकृत किया जाता है और उस धनराशि से जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयन किये गये विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जाता है ।

गढ़वाल संसदीय उप चुनाव के लिये तैनात किये गये पुलिस कर्मियों पर व्यय

76—श्री कुंवर सिंह नेगी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 22 नवम्बर, 1981 को होने वाले गढ़वाल संसदीय उप चुनाव के लिये कितने पुलिस कर्मी उस क्षेत्र में तैनात किये गये थे ? उनके आने-जाने पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रदेश में किसी भी चुनाव अथवा उप चुनाव के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक आधार पर की जाती है। इस प्रकार के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई ब्योरा दिया जाना जनहित में नहीं होगा।

जनपद जौनपुर में बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना

77—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में जून, 1981 तक कितने व्यक्ति बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त करके बेरोजगार हैं ? क्या सरकार इन प्रशिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र रोजगार दिलाने की योजना बनाएगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वर्तमान में जनपद जौनपुर में कुल 908 बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं। इन बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों को जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र एवं नवीन विद्यालयों हेतु सृजित पदों के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले रिक्तियों पर शनैः शनैः नियुक्त किया जा रहा है और इसके अलावा अलग से कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

झांसी मण्डल में जिला क्रीड़ा अधिकारियों/उप क्रीड़ा अधिकारियों द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण तथा उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण

78—श्री हरिवंश प्रसाद पाण्डेय—

क्या खेल-कूद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81 से 31 अक्तूबर, 1981 तक झांसी मंडल के किन-किन जिले में जिला क्रीड़ा अधिकारियों/उपक्रीड़ा अधिकारियों ने किन-किन तिथियों में किन-किन कालेजों में छात्रों को प्रशिक्षण दिया तथा उच्च अधिकारियों ने उनका कब-कब निरीक्षण किया ? क्या यह सत्य है कि उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा ने वर्ष 1979-80 से 31 अक्तूबर, 1981 तक बालकों को बालीबाल का कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वर्ष 1979-80, 80-81 से दिनांक 31-10-81 तक झांसी मण्डल में जनपदवार व तिथिवार दिये गये प्रशिक्षण का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

जी नहीं। उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा द्वारा वर्ष 1979-80 से 31-10-81 तक प्रशिक्षण दिया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 858 पर।)

उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा के विरुद्ध आवेदन-पत्रों पर कृत कार्यवाही

79—श्री हरिवंश प्रसाद पाण्डेय—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष 1979 से 31 अक्तूबर, 1981 तक शासन/निदेशालय में उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा के विरुद्ध कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जांच का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था तथा उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा के विरुद्ध विभिन्न श्रोतों से तमाम आवेदन-पत्र 1979 से 31-10-81 तक प्राप्त हुए थे। इन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में जांच का कार्य प्रभारी अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी, बांदा एवं उप निदेशक ग्रीनपार्क, कानपुर को सौंपा गया था और यह कार्य पूरा हो गया है। जांच आख्या के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। श्री आर० पी० सिंह, उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा का स्थानान्तरण बांदा से अन्यत्र किया जा चुका है।

नेशनल कार्बेट पार्क के मध्य से ग्राम धारा झिरी एवं कोठहियारी ग्रामों के किसानों को अन्यत्र बसाये जाने की कार्यवाही

80—श्री बलबीर सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल कार्बेट पार्क के मध्य से ग्राम धारा झिरनी एवं कोठहियारी ग्रामों के किसानों को फिर से दूसरी जगह बसाये जाने के निर्णय को अभी तक कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है ?

वनराज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)—

नेशनल कार्बेट पार्क के मध्य से ग्राम धारा झिरनी एवं कोठहियारी ग्रामों के किसानों को दूसरी जगह आम पोखरा वन ब्लाक में बसाये जाने हेतु उनकी भूमि से वन भूमि के विनियमन के प्रस्ताव केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन हेतु दिनांक 4-2-82 को प्रस्तुत किए गये हैं। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

झांसी मण्डल में बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं के खेलकूद की प्रतियोगितायें

81—श्री हरिवंश प्रसाद पान्डेय—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी मन्डल के किन-किन जिले में वर्ष 1979 से 31 अक्तूबर, 1981 तक बालक, बालिकाओं व महिलाओं की कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं हुईं तथा कौन-कौन से कालेजों महाविद्यालयों के छात्रों/छात्राओं ने भाग लिया ? क्या यह सत्य है कि उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा की अनियमितताओं के कारण दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त, 1981 तक तथा दिनांक 27 व 28 सितम्बर, 1981 को आयोजित महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं में आर्य कन्या इन्टर कालेज, बांदा राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा की प्रधानाचार्यों ने अपने-अपने यहां की छात्राओं को नहीं भेजा था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

झांसी मण्डल में जिन खेलों में वर्ष 1979 से 31 अक्तूबर, 81 तक विभाग द्वारा बालक/बालिकाओं व महिलाओं के खेलकूद का आयोजन व प्रतियोगितायें की गयीं उनकी जिलेवार सूचना तथा इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यालयों व लाभान्वित बालक एवं बालिकाओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

स्थानीय स्कूल/कालेजों के टेबुल-टेनिस व खो-खो प्रतियोगिता दिनांक 26 से 28 अगस्त, 1981 तक आयोजित की गई थी जिसमें दोनों विद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया । यह प्रतियोगिता सिर्फ स्कूलों के लिए थी । दिनांक 27 व 28 सितम्बर, 1981 को होने वाली प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता थी जिसमें कोई भी महिला सम्मिलित हो सकती थी । इसमें भाग लेने वाली महिलाओं/बालिकाओं ने विभिन्न क्लबों के माध्यम से भाग लिया जिनमें उक्त विद्यालयों की बालिकायें भी सम्मिलित थीं ।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 860 पर ।)

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स निदेशालय के निर्देशानुसार झांसी मण्डल में खेलकूद समारोह का तिथिवार विवरण

82-श्री हरिवंश प्रसाद पांडेय—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शासन निदेशालय के निर्देशानुसार झांसी मण्डल के किन-किन जिले में तीसरा उत्तर प्रदेश महिला खेलकूद समारोह वर्ष 1981 में किन-किन तिथियों में आयोजित किया गया तथा किन-किन मदों में कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि उपक्रीड़ा अधिकारी, बांदा ने दिनांक 27 व 28 सितम्बर, 1981 को बांदा में हुये तेज बारिश में भी प्रतियोगितायें सम्पन्न कराई थीं ? यदि हां' तो उसका क्या कारण था ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स निदेशालय के निर्देशानुसार झांसी मण्डल में उत्तर प्रदेश महिला खेलकूद समारोह 1981 जिन-जिन जिलों में जिन-जिन तिथियों में आयोजित किया गया था उनका पूरा विवरण तथा व्यय का लेखा-जोखा परिशिष्ट 'ट' पर संलग्न है ।

दिनांक 27 व 28 सितम्बर, 1981 को पूर्वाह्न में यह प्रतियोगितायें आयोजित की गयीं और बारिश होने के कारण अपराह्न में स्थगित करायी गयी । शेष प्रतियोगितायें व पुरस्कार वितरण दिनांक 30 सितम्बर 1981 को किया गया ।

निश्चित समय सारिणी के कार्यान्वयन हेतु प्रतियोगिताओं को सम्पन्न कराना आवश्यक था ?

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 862 पर ।)

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में खेलकूद का मैदान बनाने की योजना

83—श्री दीपनारायन वन महन्थ —

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई खेलकूद का मैदान नहीं है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी खेलकूद का मैदान बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई विभागीय खेलकूद का मैदान नहीं है ।

ग्राम स्तर पर खेलकूद का मैदान (स्टेडियम) बनवाने की खेलकूद विभाग की कोई योजना नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में हरपालपुर-अरवल मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि तथा कृषकों को प्रतिकर का भुगतान

84—श्री हरीशंकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि हरपालपुर-अरवल मार्ग तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में अर्जित की गयी भूमि का प्रतिकर भूमि अर्जित किए जाने के चार वर्ष बाद भी सम्बन्धित कृषकों को नहीं दिया गया ? उक्त प्रतिकर कब तक दे दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में हरपालपुर—अरवल मार्ग के निर्माण हेतु रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहीत की गई थी । 79 कृषकों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है और शेष कृषकों को प्रतिकर वितरण नहीं किया जा सका क्योंकि तत्सम्बन्धी अधिग्रहीत भूमि के क्षेत्रफल आदि के सम्बन्ध में आपत्तियां की गई हैं । स्थल पर जांच एवं संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त स्थिति स्पष्ट होने पर अवशेष मुआवजा दिये जाने की शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

85—श्री मथुरा प्रसा पाण्डेय—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री द्वारा अतिथि सत्कार एवं पार्टियों में व्यय की गई धनराशि

86—श्री कुबेर भंडारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री द्वारा अतिथि सत्कार एवं पार्टियों में कितनी धनराशि अगस्त, 1981 से 21 दिसम्बर, 1981 तक व्यय की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

रुपया 4,488/- (चार हजार चार सौ अठ्ठासी रुपया मात्र)

अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग इटावा के विरुद्ध घपले की शिकायत तथा जांच की आख्या

87—श्री गोरेलाल शाक्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्बास अली जाफरी ठेकेदार द्वारा जो शिकायत 25-7-81 अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग, इटावा के विरुद्ध लाखों रुपये के घपले की थी ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच की जा रही है ।

88—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सन्दर्भ में उनके द्वारा मांगी गई आख्या में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच की आख्या अपेक्षित है ।

अलीगढ़ नगर में आग्नेयास्त्र लाइसेन्स धारकों को असलहे जमा करने के आदेश

89—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 तथा 1981 में सरकार द्वारा अलीगढ़ नगर में जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस शुदा असलहे हैं उन सभी को सामूहिक रूप से असलहा जमा करने के आदेश कितनी बार दिये गये तथा प्रत्येक बार कुल कितने असलहों में से कितने जमा हुए ? जिन्होंने नहीं जमा किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ नगर में आग्नेयास्त्र लाइसेन्स धारकों को सामूहिक रूप से उक्त वर्ष में दो बार असलहे जमा करने के आदेश दिये गये । कुल 745 लाइसेन्स धारियों में से दोनों बार में हर बार-628 शस्त्र जमा हुए । 117 लाईसेन्स धारकों ने अपने शस्त्र जमा नहीं किये इनमें से 20 शस्त्र बैंक सुरक्षा गार्डों के थे और शेष 97 लाईसेन्स धारक नगर से बाहर अन्यत्र बस गये और इस कारण उनके शस्त्र जमा नहीं कराये जा सकें । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

90—श्री पंचानन राय—

[9 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्रीमती कमला कुमारी सिंह—सहायक अध्यापिका राजकीय दीक्षा विद्यालय गाजीपुर का स्थायीकरण

91—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीमती कमला कुमारी सिंह, सहायक अध्यापिका, राजकीय दीक्षा विद्यालय, गाजीपुर 1 जुलाई,

65 से स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत हैं किन्तु 16 साल से अधिक की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी उन्हें स्थाई नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इनको कब तक स्थाई कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। स्नातक वेतनक्रम का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है। श्रीमती कमला कुमारी सिंह लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित न होने के कारण उनका स्थायीकरण संभव नहीं हो सका। आयोग से चयनित होने के पश्चात् ज्येष्ठता क्रम के अनुसार स्थायी करना सम्भव होगा।

92--श्री पंचानन राय--

[9 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

93--श्री अकबर हुसैन--

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के कतिपय थानों में चोरी एवं डकैती के दर्ज मामले

94--श्री गौरी शंकर भैय्या तथा श्री राम गोविन्द--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जनपद के थाना नरही, गड़वार, थाना फेफना, थाना सुखपुरा के अन्तर्गत कितनी चोरी और डकैती के मामले 1 जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 1982 तक दर्ज किये गये ? प्रत्येक में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी और जिनमें अब तक गिरफ्तारी नहीं की गयी है उसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जनपद बलिया के प्रश्नगत थानों में 103 चोरी के व 8 डकैती के मामले दर्ज किये गये। चोरी के मामलों में 80 और डकैती के मामलों में 45 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही के उपरान्त मफरूरी में चालान किया गया। इसके अतिरिक्त किसी अन्य की गिरफ्तारी शेष नहीं है। थानेवार विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 863 पर)

जी0 आर0 पी0 बलिया थाने में चोरी तथा डकैती के दर्ज मामले

95--श्री राम गोविन्द--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 आर0 पी0 बलिया थाने में एक जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 1982 तक कितनी चोरी और डकैती के मामले दर्ज किये गये ? उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जी0 आर0 पी0 बलिया थाने में 1 जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 1982 तक चोरी के 93 मामले तथा डकैती का एक मामला दर्ज किये गये। इन मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 864 पर)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा श्री बनारसी लाल, लेखाकार जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज महाराजगंज, गोरखपुर के वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में जांच

96—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने माह नवम्बर, 1981 को श्री बनारसी लाल, लेखाकार, जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर के वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में जांच किया है और इस सम्बन्ध में शासन को कोई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की जांच से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है । कतिपय बिन्दुओं पर पुनः जांच की आवश्यकता है ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर कुछ बिन्दुओं पर विस्तार से जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जनपद एटा में पुलिस इनकाउन्टर में मारे गये डकैतों का विवरण

97—श्री राम करन—

क्या सरकार बतायेगी कि एटा जनपद में जनवरी, सन् 1981 से दिसम्बर, सन् 1981 तक कितने व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में मारे गये और मारे गये व्यक्तियों के नाम, वल्दियत और पता क्या है और इनमें कौन-कौन हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-1-1981 से दिनांक 31-12-1981 तक जनपद एटा में पुलिस मुठभेड़ में 126 डकैत मारे गये । मारे गये डकैतों में से 8 डकैतों का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका । शेष डकैतों का विवरण संलग्न है । जातिवार विवरण देना जनहित में नहीं होगा ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 865 पर)

श्री बची राम खाली, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, कर्ण प्रयाग, चमोली की हत्या एवं जांच

98—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 जनवरी, 1982 श्री बचीराम खाली, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, कर्ण प्रयाग,

जिला चमोली जब इस जिले के ग्राम उतरसू जा रहे थे तो जिन हत्यारों ने इनकी हत्या करके इनकी लाश को लापता कर दिया, वे पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

प्राप्त सूचना नुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में थाना कर्ण प्रयाग में मुकदमा अपराध संख्या 5 अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ है । विवेचना से दो अभियुक्त (1) ललिता गुसाई उर्फ लल्ली व (2) लखपत गुसाईं उर्फ लाखू पुत्रगण श्री नारायन गिरी, निवासी ग्राम डिडौली, तहसील व जिला चमोली प्रकाश में आये तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया है । अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

ग्राम समाज, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन पर जांच

99--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इं0 का0, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (ई-10) के अन्तर्गत श्री जनार्दन सिंह का प्रत्यावेदन शासन को वर्ष 1978-79 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं ? और निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । इस प्रकरण पर शिक्षा निदेशालय की जांच आख्या अभी तक अप्राप्त है जिसके लिये स्मरण कराया गया है । उक्त आख्या प्राप्त होने पर मामले का परीक्षण करके निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद मिर्जापुर के कनहर व सतबहनी नदी पर पुल निर्माण की योजना

100--श्री विजय सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर व सतबहनी नदी पर पुल बनाने का इस्टीमेट प्राप्त हो जाने के बाद भी अब तक पुल निर्माण का कार्य शुरू न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उपरोक्त पुलों का निर्माण अब प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

आगणन भारत सरकार द्वारा अभी स्वीकृत नहीं हुआ है ।

जी, नहीं ।

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद धन की उपलब्धता होने पर ही कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

सरकार बनाम रामचन्द्र वैश्य तथा सरकार बनाम हर प्रताप सिंह केस को वापस लेने पर विचार

101--श्री राधेश्याम पटेल, श्री हुकम सिंह, श्री मो0 आजम खां तथा श्री राम धनी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, इलाहाबाद अपराध संख्या 46, सन् 1980 वाद संख्या 1598 सन् 1980 सरकार बनाम रामचन्द्र वैश्य आदि जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने वापस ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्धित क्रासकेस अपराध 46-अ सन् 1980, वाद संख्या 180: सन् 1930 सरकार बनाम हर प्रताप सिंह आदि को भी वापस लिया गया? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? क्या सरकार उसको अब वापस लेने पर विचार करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

शासन को यह ज्ञात नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने अभियोजन अपराध संख्या 46/80 सरकार बनाम राम चन्द्र वैश्य आदि को वापस ले लिया है अथवा नहीं ? किन्तु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उपरोक्त अभियोजन को लोक हित में वापस लेने हेतु लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है । प्रश्न में उल्लिखित दूसरे अभियोजन अपराध 46-अ/80 सरकार बनाम हर प्रताप आदि को श्री राज्यपाल महोदय ने लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की है ।

ग्राम दखिलबल थाना अतरौली, जिला हरदोई में पुलिस तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमा तथा पुलिस कर्मियों का निलम्बन

102--श्री अकबर हुसैन--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 11-1-81 की रात को ग्राम दखिलबल, थाना अतरौली, जिला हरदोई के दुन्ना प्रसाद हरिजन पुत्र जोधा के घर में रात में घुस कर मारपीट करने तथा औरतों को बेइज्जती करने सम्बन्ध में थाना अतरौली के तत्कालीन कर्मचारियों को स्थानान्तरित तथा निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियुक्त तत्कालीन थाना इंचार्ज (श्री राम औतार दीक्षित) को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो उनको अब तक निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-1-81 की रात्रि में ग्राम दखिलबल, थाना अतरौली, जिला हरदोई में पुलिस तथा अन्य के विरुद्ध एक मुकदमा अ0 संख्या 133 धारा 147/452/323/325 भा0 द0 वि0 का कायम हुआ था । विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 218 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत भी आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । तत्कालीन थानाध्यक्ष अतरौली के अतिरिक्त अन्य सभी पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरित करके निलम्बित किया गया है । श्री रामऔतार दीक्षित को निलम्बित न किये जाने के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है ।

103--श्री राम आसरे वर्मा--

[8व शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर का क्षेत्रफल तथा कारखाने स्थापित किये जाने पर विचार

104—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुलतानपुर इंडिस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर का क्षेत्रफल कितना है तथा इनमें कौन-कौन से उद्योग धन्धे एवं कारखाने स्थापित किए जा चुके हैं और भविष्य में कौन-कौन से नये कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

श्री नियाज हसन खां—

ब्योरेवार उत्तर निम्न है :

(क) क्षेत्रफल 1644 एकड़।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) इस समय हाई टेन्शन इन्सलेटर्स को बी० एच० ई० एल० को० कागज, मिलबोर्ड, बी० बी० सी० केबिल्स, दाल व चावल, ह्यूम पाइप्स तथा घड़ी असेम्बली की इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

प्राइमरी पाठशाला, बस्ती रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुलतानपुर के स्थायी भवन का निर्माण

105—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, बस्ती रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुलतानपुर में जो 10 नवम्बर, 1981 से संचालित की गयी है उसका स्थायी भवन कब तक निर्मित हो जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा स्थल के चयनोपरान्त ही सम्भव है । निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

थाना कैसरबाग, लखनऊ के निरीक्षकों के स्थानान्तरण का आधार

106—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि थाना कैसरबाग लखनऊ के कुछ निरीक्षकों का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर 1981 में सतर्कता विभाग में किया गया था, जिसको बाद में निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? उनके विरुद्ध मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे और उनकी जांच रिपोर्ट क्या थी ? क्या शासन उनका स्थानान्तरण अविलम्ब करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1981 में थाना कैसरबाग, लखनऊ के किसी निरीक्षक का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर सतर्कता विभाग को नहीं किया गया था। वर्ष 1981 में थाना कैसरबाग में तैनात श्री बलराम मिश्र, निरीक्षक का स्थानान्तरण सतर्कता अधिष्ठान में 4-7-81 को किया गया था, जो जून 1982 तक स्थगित कर दिया गया है और इस अवधि के पश्चात् ही इन्हें सतकता अधिष्ठान में भेजने के प्रश्न पर विचार होगा।

कन्या पाठशाला अहमदपुर पावन, परगना चायल जिला इलाहाबाद का भवन तथा नियुक्त अध्यापिकाएं

107--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या पाठशाला अहमदपुर पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद कितने वर्षों से स्थापित है ? वहां कितनी अध्यापिकाएं नियुक्त हैं तथा कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ? क्या इस विद्यालय को शासन द्वारा कोई भवन उपलब्ध है यदि नहीं, तो इतने पुराने स्कूल को अभी तक भवन न उपलब्ध कराने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

कन्या पाठशाला अहमदपुर पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद वर्ष 1915 से स्थापित है। विद्यालय में तीन अध्यापिकाएं नियुक्त हैं और 107 छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विद्यालय हेतु परिषदीय भवन उपलब्ध है।

हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट परीक्षा में विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी

108--श्री हरिवंश सहाय, श्री हर गोविन्द वर्मा तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल व इन्टर-मीडिएट परीक्षा में विद्यालय से परीक्षा केन्द्र की दूरी अधिक से अधिक कितने कि0 मी0 होनी चाहिये ? क्या देवरहवा बाबा इन्टर कालेज कसिया, जिला देवरिया के छात्रों को ओ0 के0 इन्टर कालेज लार, जिला देवरिया के परीक्षा केन्द्र पर भेजने में उक्त नियम का पालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सामान्य नियमों के अन्तर्गत दूरी का कोई प्राविधान नहीं है। अस्तु शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

हापुड़-गाजियाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग पर गंगा नहर के पुल का पुनर्निर्माण

109--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हापुड़-गाजियाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग पर गंगा नहर का पुल कब क्षतिग्रस्त हुआ और इस स्थान पर बना हुआ पुल कितनी भार क्षमता का है ? क्या इस स्थान पर कोई नया पुल बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक इस पर कार्य आरम्भ करके इसे पूरा कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

110--श्री राधेश्याम पटेल--

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण हटाया गया ।]

पौड़ी-गढ़वाल के संघटक कालेज, पौड़ी के प्राचार्य के पद पर नियुक्ति

111--श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी-गढ़वाल के संघटक कालेज, पौड़ी के प्राचार्य के पद पर किस आधार पर एक कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ? क्या कार्यवाहक प्राचार्य राजकीय सेवा में स्थायी है ? यदि हां, तो क्या ये विश्वविद्यालय की सेवा में डेपुटेशन पर हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार प्राचार्य के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति की गयी है ।

जी नहीं ।

112--श्री हरिवंश सहाय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

बलिया जनपद में कटहर नाले पर बने पुल तथा बहादुरपुर मार्ग पर बने पुल का पुनर्निर्माण

113--श्री श्याम नारायण तिवारी तथा गौरी शंकर भैया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में बलिया फेफना मार्ग पर ग्राम सभा बहेरी में कटहर नाले पर बने पुल तथा बलिया--सिकन्दरपुर मार्ग पर इसी नाले पर बहादुरपुर मार्ग पर बने पुल की हालत अत्यन्त खराब एवं अत्यन्त जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन के पास इन पुलों को बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन पुलों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्नगत पुल पुनः निर्माण हेतु स्वीकृत है ।

निर्माण कार्य, भूमि परीक्षण तथा परिकल्पना आदि के बाद ही यथाशीघ्र सम्भव होगा ।

झांसी नगर में भारी वाहनों से दुर्घटना तथा बचाव हेतु कार्यवाही

114--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में गत वर्ष भारी वाहनों से दुर्घटना द्वारा कितनी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई ? तथा दुर्घटना के बचाव के लिए शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1981 में झांसी नगर में भारी वाहनों से दुर्घटना में 19 व्यक्तियों की जानें गईं ।

दुर्घटना से बचाव हेतु की गई कार्यवाही में सड़कों की हालत सुधारना, ट्रैफिक संकेत लगाना, घुमावों पर अतिक्रमण हटाना, जनता को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराना, ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाना आदि प्रमुख हैं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कार्यरत पुस्तकालय के काउन्टर सहायकों के वेतनमान में व्यापक विसंगतियों से संबंधित पत्र

115--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुल सचिव ने दिनांक 19-12-81 को उक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत पुस्तकालय के काउन्टर सहायकों के वेतनमान मे व्यापक विसंगतियों को दूर करने से सम्बन्धित पत्र शासन को भेजा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

वर्तमान परगनाधिकारी, कर्ण प्रयाग, जिला चमोली का उसी जनपद/परगने में तहसीलदार के पद पर नियुक्ति तथा जनता द्वारा दिए गए शिकायती-पत्र पर जांच

116--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान एस0 डी0 एम0 कर्ण प्रयाग, जिला चमोली इसी खंड में नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 कब-कब रहे और इन्हे इन तीनों पदों पर इसी तहसील कर्ण प्रयाग में रखे जाने का क्या मुख्य कारण है ? इनके विरुद्ध जनता ने समय-समय पर शिकायत की है, उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वर्तमान परगनाधिकारी, कर्ण प्रयाग, जिला चमोली, जनपद/परगने में तहसीलदार के पद पर 15 जुलाई, 1979 से नियुक्त हुये । चमोली जनपद में डिप्टी कलेक्टरों के कमी के कारण उन्हें 5 फरवरी, 1981 से स्थानीय प्रोन्नति देकर परगनाधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया । यह सही नहीं है कि उक्त

अधिकारी उसी परगने/जनपद में नायब तहसीलदार के पद पर भी कार्यरत थे। उक्त अधिकारी के विरुद्ध जनता से जो शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए थे, वे जांच के पश्चात् निराधार पाये गये।

117—श्री मंजूर अहमद—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

कोतवाली, मेरठ के थाना अध्यक्ष, श्री जयपाल सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

118—श्री मंजूर अहमद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 24-7-81 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कोतवाली, मेरठ के थाना अध्यक्ष, श्री जयपाल सिंह के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक कार्यवाही एवं तुरन्त स्थानान्तरण करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार कार्यवाही सहित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई है।

कार्य अधीक्षक, आवास विकास परिषद्, मेरठ द्वारा आवास विकास की भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें

119—श्री मंजूर अहमद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1980 से लेकर 1 जुलाई, 1981 तक आवास विकास परिषद्, मेरठ के अधिशासी अभियन्ता एवं जू० ई० की ओर से थाना परतापुर व थाना सिविल लाइन, मेरठ में अवैध निर्माण सम्बन्धी कितने मुकदमें दर्ज कराये और किन-किन के विरुद्ध ? उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में कार्य अधीक्षक, आवास विकास परिषद्, मेरठ द्वारा आवास विकास की भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में एक अभियोग अभियुक्तगण सुरेन्द्र शर्मा, निवासी पंचशील तथा कृष्ण चन्द्र, निवासी जयदेवी नगर के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर धारा 448 भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम कराया गया। विवेचना के उपरान्त उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र 5-7-81 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन है।

ग्राम हर्रा, थाना सरुरपुर, जिला मेरठ के श्री अलीशेर नामक व्यक्ति की हत्या की जांच

120—श्री मंजूर अहमद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8-7-81 को ग्राम हर्रा, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ के श्री अलीशेर नामक व्यक्ति को कुछ गुन्डों ने गोली मार

कर हत्या कर दी थी ? यदि हां, तो मुलजिम कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में मुकदमा धारा 147/148/149/324/307/504 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण सकिया, रमजान, मूवअली, इन्तजार तथा शेरा के विरुद्ध दिनांक 8-7-1981 को थाना सरुरपुर में पंजीकृत हुआ । गम्भीर प्रयासों के पश्चात् भी अभियुक्त गिरफ्तार न हो सकने पर पुलिस द्वारा उपर्युक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही यथाशीघ्र करके तथा विवेचना समाप्त करके 20-7-81 को आरोप-पत्र न्यायालय के अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/324/302/506 भा0 दं0 वि0/प्रेषित किया गया ।

रायल होटल, लखनऊ के विधायक निवास के पिछले बरामदे में जाली लगाने में की जा रही घोटाले से सम्बन्धित-पत्र

121--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायल होटल, लखनऊ के विधायक निवास के पिछले बरामदे में जाली लगाने में की जा रही घोटाले से सम्बन्धित कोई शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 11-2-81, 6-3-81 व 10-7-81 को उनकी सेवा में दिया है ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

1--केवल 11-2-81 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ।

2--इस शिकायती-पत्र में रायल होटल स्थित विधायक निवास के पिछले बरामदे में जाली लगाने के सम्बन्ध में यह शिकायतें की गई थी कि तार की जाली लगाने में तकनीकी सूझ-बूझ की कमी रही, लकड़ी निम्नकोटि एवं आवश्यकता से अधिक मोटाई की लगाई गई, बनावट निम्न कोटि की थी एवं अधिक भारी वायरमेश तथा ग्रेटिंग लगाई गई । उक्त शिकायती-पत्र में यह भी कहा गया था कि अनुरक्षण खंड के कार्य फर्जी होते हैं ।

3--शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड 2, सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराई गई और जहां जो कमियां पाई गईं, उन्हें उनके द्वारा दूर कराया गया तथा कार्य में पाये गये दोषों के लिये अवर अभियन्ता को चेतावनी भी दी गई ।

4--जांच से कार्य फर्जी होने की शिकायत सही नहीं पाई गई ।

122-123--श्री पंचानन राय--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़ में जियनपुर महाराजगंज मार्ग के निर्माण हेतु ली गयी भूमि तथा किसानों को प्रतिकर का भुगतान

124--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जियनपुर-महाराज मार्ग के निर्माण को 10 वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु उक्त मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम कसडा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के किसानों को निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इनके प्रमुख कारण क्या हैं और यह मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद आजमगढ़ में जियनपुर-महाराजगंज मार्ग का निर्माण लगभग 10 वर्ष पहले हो चुका है । किन्तु उक्त मार्ग पर ग्राम कसडा नहीं पड़ता है । अतः किसानों को भूमि के प्रतिकर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नगत मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम 'कसडा आयमा' में अध्याप्ति की गई भूमि का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है ।

जनता उ0 मा0, मेहनाजपुर, आजमगढ़ परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान में विलम्ब

125--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनता उ0 मा0, मेहनाजपुर, आजमगढ़ परीक्षा केन्द्र पर वर्ष 1977 से 1980 तक निरीक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त कर लिया गया और अध्यापकों को वितरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं ? और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

हां, किन्तु यह सही नहीं है कि यह भुगतान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त कर लिया गया है । भुगतान न होने का प्रमुख कारण यह है कि प्रश्नगत पारिश्रमिक के देयक माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रधानाचार्य, जनता उ0 मा0 वि0, मेहनाजपुर, आजमगढ़ से विलम्ब से प्राप्त हुये । देयक एक वर्ष से पुराने हो चुके थे, अतः नियमानुसार उन्हें महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को पूर्व जांच हेतु भेजा गया है । महालेखाकार से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर इन देयकों को अतिशीघ्र भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है ।

हरचन्दपुर, रायबरेली में थाना खोलने की स्वीकृति

126--श्री कृष्ण कुमार शुक्ला--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोषणा के बाद हरचन्दपुर, रायबरेली में पुलिस थाना अभी तक क्यों नहीं खुला है ? निकट भविष्य में कब तक खुलने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद रायबरेली में थाना हरचन्दपुर की स्वीकृति दिनांक 11 अगस्त, 1980 को दे दी गई है। इस थाने के कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति भी शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु दिनांक 21 जनवरी, 1982 को जारी कर दी गई है। गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशित होने एवं अन्य सुसंगत प्रबन्ध पूर्ण होते ही यह थाना विधिवत् कार्य करने लगेगा।

विधायक निवास बी ब्लाक में साइकिलों की चोरी

127—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1981 से जून, 1981 के बीच विधायक निवास बी ब्लाक से 3 साइकिलें चोरी में गई हैं ? इस सम्बन्ध थाना हजरतगंज में लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में साइकिलों की चोरी के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पर लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या 17, 127, 260 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किये गये। विवेचना से माल मुल्जिम का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

एलेक्ट्रा फैक्ट्री, परतापुर, मेरठ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमीचन्द्र जैन व आशा जैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित पत्र

128—श्री मंजूर अहमद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-5-81 का कोई शिकायती पत्र एवं प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एलेक्ट्रा फैक्ट्री, परतापुर, मेरठ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमीचन्द्र जैन व आशा जैन के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो जांच किसने की और उस जांच से क्या निष्कर्ष निकला ?

श्री नियाज हसन खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम अहमदपुर, जिला इलाहाबाद की अहमदपुर पावन से मन्दर तक की सड़क को पक्का करने की मांग

129—श्री अकबर हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अहमदपुर पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद की अहमदपुर पावन से मन्दर तक की सड़क कितनी पुरानी है। क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क कब पक्की की गई थी ? यदि नहीं, तो इतनी पुरानी एवं चालू सड़क के पक्की न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

अहमदपुर पावन से मन्दर तक की सड़क जिला परिषद् की कच्ची सड़क है, जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्बन्धित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी क्षेत्रीय विधायक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के पत्र में की गई शिकायत की जांच

130--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब इन्सपेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा श्री बद्री नारायण अग्रवाल की बहन के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 16-12-81 को झांसी क्षेत्रीय विधायक के भेजे गये पत्र संख्या एम0 658 पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री बद्री नारायण अग्रवाल पुत्र श्री मदन गोपाल अग्रवाल, नफाई बाजार, ललितपुर का पत्र अग्रसारित करते हुये माननीय विधायक का एक दिनांक रहित पत्र संख्या 1656/81-82 गृह मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसे गृह मंत्री कार्यालय के संख्या एम0 658, दिनांक 16-12-81 द्वारा गृह सचिव को भेजा गया था ।

उप निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री बद्री नारायण अग्रवाल के बीच दिनांक 30-4-80 को घटित मारपीट की घटना के मामले में जांच से ज्ञात हुआ कि इस मामले में थाना कोतवाली, ललितपुर पर उप निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 452/354/323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की गयी । मामला झूठा पाये जाने पर विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी । इसी घटना के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद अग्रवाल तथा अन्य के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/452/323/342/364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर में विषयों का प्रशिक्षण, छात्र एवं अध्यापकों की कुल संख्या

131--श्री राम नारायण सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर आई0 टी0 आई0 में कितने विषयों की शिक्षा दी जाती है और छात्रों एवं अध्यापकों की कुल कितनी संख्या है ? क्या मंत्री जी पूर्वान्चल के हित में इस संस्था में छात्र संख्या और विषयों को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर में इस समय 7 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों एवं प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों की संख्या क्रमशः 246 तथा 21 है । वन भाव के कारण उक्त संस्थान

में फिलहाल नये व्यवसाय खोलना और चल रहे व्यवसायों की सीटों की संख्या में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति की संस्तुति भी प्राप्त नहीं हुई है।

भभुआ रूदौलिया मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने का निर्णय

132--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के अनुरोध पर भभुआ रूदौलिया मार्ग, जिसका निर्माण गन्ना विभाग द्वारा हुआ है, रख-रखाव के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने का निर्णय विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूरी सूचना क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

गोंडा जनपद में परसपुर-परनका मार्ग पर व्यय

133--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में परसपुर-परनका मार्ग का निर्माण प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य पर कितना व्यय होने का अनुमान है और कार्य कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

इस मार्ग के निर्माण पर लगभग 35.00 लाख रु0 के व्यय होने का अनुमान है। धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर प्रश्नगत मार्ग का पूर्ण निर्माण निर्भर करेगा।

गोंडा जनपद में चचरी-भौरीगंज मार्ग का निर्माण कार्य

134--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में चचरी-भौरीगंज मार्ग में कितने किलो मीटर का निर्माण कार्य हो चुका है और शेष के कब तक होने की योजना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

दस कि0 मी0 लम्बे प्रश्नगत मार्ग में से केवल 3 कि0 मी0 मार्ग मिट्टी तथा पुलिया स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृत है जिसमें से मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पुलियों का कार्य प्रगति पर है। मार्ग का शेष भाग स्वीकृत नहीं है।

135--श्री जर्नादन प्रसाद ओझा तथा श्री अकबर हुसैन--

[10वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

136--श्री शेर बहादुर सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

थाना बेवाना में बरामद की गई बिजली की मोटर का नम्बर

137--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर व अक्तूबर, 1980 में जो बिजली की मोटर थाना बेवाना में बरामद की गई थी उसका नम्बर क्या था ? क्या माह मार्च से माह दिसम्बर, 1982 के बीच अकबरपुर स्थित स्टेट मिल के अधिकारी का पत्र थानाध्यक्ष को प्रतिष्ठान की मोटर चोरी होने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो यह पत्र क्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में बरामद बिजली की मोटर का नम्बर, 9737 था जो पांच हार्स पावर की थी ।

प्रश्नगत अवधि में इस सम्बन्ध मे स्टेट स्पिनिंगल मिल अकबरपुर के किसी अधिकारी का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतः उसे सदन के पटल पर रखने का कोई प्रश्न नहीं है ।

लगड़ी तहसील, जनपद आजमगढ़ में स्थित कांखभार-जोकहरा मार्ग पर पेंटिंग का कार्य

138--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की लगड़ी तहसील में स्थित कांखभार-जोकहरा मार्ग पर गिट्टी का काम 5 वर्ष पूर्व होने के बाद भी इसकी पेंटिंग आज तक नहीं किए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि निर्माण उप मन्त्री ने दिसम्बर, 1981 में इसे पेन्ट किए जाने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो इसका पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ? इस सड़क पर पेंटिंग का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस मार्ग का निर्माण मन्डी परिषद् द्वारा कराया गया था । पेंटिंग का कार्य धन उपलब्ध कराने पर समिति द्वारा कराया गया था । वांछित धनराशि की अनुपलब्धता के कारण पेंटिंग का कार्य नहीं कराया जा सका ।

जी हां ।

वांछित धन उपलब्ध न होने के कारण ।

धन उपलब्ध होने पर ।

महाराणा प्रताप पालिटेकनिक, गोरखपुर में कार्यरत अनुदेशकों की वरिष्ठता सूची तथा सेलेक्शन ग्रेड

139—श्री पंचानन राय—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप पालिटेकनिक, गोरखपुर में कार्यरत अनुदेशकों की कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई है तथा 13 मार्च, 1975 की राजाज्ञा के अनुसार वरिष्ठतम् अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इन्हें सेलेक्शन ग्रेड कब तक दिया जायेगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां, संस्था द्वारा वरिष्ठता सूची बनाई गई है । सेलेक्शन ग्रेड अनुदेशकों की आपसी ज्येष्ठता में विवाद होने के कारण नहीं दिया जा सका है । ज्येष्ठता निश्चित होने पर सेलेक्शन ग्रेड संस्था द्वारा दे दिया जायेगा ।

ग्राम ककवाही से ग्राम हबीबपुर होकर हरदोई–पिहानी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना

140—श्रीमती कमला देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की सदर तहसील में ग्राम ककवाही से ग्राम हबीबपुर होकर हरदोई–पिहानी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जनपद में बलिया—गड़वार मार्ग का निर्माण

141—श्री रामगोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैया—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जनपद में बलिया–गड़वार मार्ग का निर्माण कब से हो रहा है ? तथा इस मार्ग को कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1979 से मार्ग का पूर्ण किया जाना धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद बलिया में गड़वार–रतसड़ मार्ग के आधुनिकीकरण का निर्माण कार्य

142—श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैया—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में गड़वार–रतसड़ मार्ग की हालत अत्यन्त खराब हो गई है ? यदि हां, तो इसे पुनः बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग के आधुनिकीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है ।

जिला चमोली में जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

143--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में जोशीमठ--मलारी मोटर मार्ग निर्माण जो सा0 नि0 विभाग ने 1962 में किया था, मोटर मार्ग निर्माण से जोशीमठ, कैलाशपुर, मलारी, कोषा जेलम ग्रामों की भूमि क्षतिग्रस्त हुई थी उसका मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मुआवजा का भुगतान अब वर्तमान रेटों मे किया जायेगा ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मोटर मार्ग मलारी से नीति गांव तक कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के मण्डलायुक्तों से सम्बद्ध अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) को प्रदान की गई प्रशासनिक सुविधाएं

144---श्री परमाई लाल---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मन्डल मुख्यालय पर नियुक्त अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन को प्रशासनिक कार्य हेतु क्या--क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

प्रदेश के मण्डलायुक्तों से सम्बद्ध अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) को प्रशासनिक कार्य हेतु 100 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन की सुविधा प्रदान की गई है । उनको उनसे सम्बद्ध स्टाफ, टेलीफोन तथा एक डीजल जीप की सुविधा प्रदान किये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

145--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[10 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--81 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रुदौली, जिला हरदोई के निवासियों का डाकुओं से सुरक्षा की मांग से संबंधित पत्र

146--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रुदौली थाना उतरौली, जिला हरदोई के निवासियों की ओर से दिनांक 24-6-81 या उसके आस-पास विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डाकुओं से सुरक्षा की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

146 —श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-7-81 को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में कराई गई जांच से विदित हुआ कि उक्त ग्राम में वर्ष 1976 से अब तक कोई डकैती या संगीन घटना नहीं घटित हुई है। ग्रामवासियों के अनुसार भी गांव में डकैतों का कोई आतंक नहीं है फिर भी स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।

147-148--श्री विजय सिंह--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित।

प्रदेश में हुये साम्प्रदायिक दंगे तथा सम्पत्ति की हानि

149--श्री मोहम्मद आजम खां--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि पिछले एक वर्ष में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये तथा उनमें कितना जान व माल का नुकसान हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में केवल एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ जिसमें 5 व्यक्ति मारे गये तथा सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई।

देवरिया जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय पर बेरोजगार बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग प्राप्त युवकों द्वारा अनशन

150--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय पर बेकार बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग प्राप्त युवकों ने अनिश्चित कालीन अनशन अगस्त, 1981 में किए थे ? यदि हां तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ? क्या यह सही है कि उनके अनशन को तोड़वाने के लिए बेसिक अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश कताई मिल, संडीला, जिला हरदोई में लिपिक व लेबर के पद पर की गई नियुक्तियां तथा उनके नाम व पते

151--श्रीमती कमला देवी--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कताई मिल, संडीला, जिला हरदोई में वर्ष 1981 में कुल कितनी नियुक्तियां लिपिक एवं लेबर के पद पर की गयी हैं ? क्या यह सही है कि चीफ एक्जीक्यूटिव अधिकारियों द्वारा जनपद एवं क्षेत्रीय अभ्यर्थियों को नियुक्त न करके पूर्वी जनपदों के लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

लिपिक के पद पर 6 तथा कुशल श्रमिकों के पद पर 237 नियुक्तियां की गई हैं ।

जी नहीं । उपर्युक्तानुसार कुशल श्रमिकों के पदों पर की गई 237 नियुक्तियों में 122 हरदोई जनपद के हैं तथा शेष 115 प्रदेश के अन्य जनपदों के हैं, जिनकी नियुक्ति स्थानीय सेवायोजन कार्यालय से वांछित योग्यता वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता विषयक प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् की गई है ।

152--श्रीमती कमला देवी--

क्या मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि लिपिक पद पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम एवं पते क्या हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम व पते निम्नवत् हैं :--

1--श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा पुत्र श्री बी० एन० मेहरोत्रा, मतवाना, संडीला, हरदोई ।

2--श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बी० पी० अग्रवाल, व्हाइटगंज, हरदोई ।

3--श्री सेवाराम भास्कर पुत्र श्री दुर्जन प्रसाद भास्कर द्वारा--श्री आर० डी० भास्कर, डी० एम०, हरदोई ।

4--श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र श्री अयोध्यासिंह, ग्राम जनगांव, हरदोई ।

5--श्री नवनीत कुमार अस्थाना पुत्र श्री सुशील प्रसाद अस्थाना, अशरफटोला, संडीला, हरदोई ।

6--श्री उमेश चन्द्र पुत्र श्री उमाशंकर, 260, रामनगर, ऐशबाग, लखनऊ ।

वर्तमान जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा स्वीकृत किए गए नई बन्दूक के लाइसेन्स

153--श्रीमती कमला देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जून, 1980 से 1981 तक वर्तमान जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कितने लाइसेन्स नई बन्दूक की दुकानें खोले जाने हेतु प्रदान किए गए ? क्या यह सही है कि वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा यह लाइसेन्स पिछले 10 वर्षों की अपेक्षाकृत केवल वर्ष 1980 एवं 1981 में सबसे अधिक जारी किए गए हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई में उल्लिखित अवधि में कुल 9 नई बन्दूक की दुकानों के लाइसेन्स स्वीकृत किए गए । पिछले 10 वर्षों में (1970-1979 तक) कुल 10 लाइसेन्स जारी किए गए थे ।

मंडलायुक्त, लखनऊ द्वारा इसकी जांच कराई गई और जांच में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया गया ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरारा (हमीरपुर) के भवन निर्माण हेतु किए गए प्रयास

154—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरारा (हमीरपुर) का भवन निर्माण की दिशा में विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा भूमि प्राप्त की गई है ।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना में विलम्ब

155—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि कुरारा (हमीरपुर) में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किन कारणों से नहीं हो पा रही है ? क्या यह सही है कि ग्राम वासी एक महिला द्वारा 4 लाख रुपए की लागत का प्लाट भवन विद्यालय खोलने के लिए अनुबन्धित किया जा चुका है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जी नहीं ।

हमीरपुर में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सूखा के अन्तर्गत का क्षतिपूर्ति अनुदान

156—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में हमीरपुर जनपद के कितने सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सूखा के अन्तर्गत शिक्षा शुल्क का क्षतिपूर्ति अनुदान दिया गया है ? क्या अब भी कतिपय विद्यालय क्षतिपूर्ति अनुदान पाने को शेष हैं ? यदि हां, तो कब तक देने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

157-158—श्री ऊदल—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जनपद बस्ती, थाना मोहाना की पुलिस के जुल्म के खिलाफ प्रार्थना-पत्र की जांच

159--श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 दिसम्बर, 1981 को श्री नसीबदार बेखुद, उपाध्यक्ष, लोकदल ने जनपद बस्ती के अन्तर्गत थाना मोहाना के पुलिस के जुल्म के खिलाफ सचिव, मुख्य मंत्री (श्री भूरे लाल) एवं गृह सचिव, (श्री राम चन्द्र टकरू) को कोई पत्र संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा दिया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में कुल कितने आराप लगाए गए थे और शासन ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री मो0 नसीब बेखुद के मोहाना (बस्ती) पुलिस के विरुद्ध 2 आवेदन-पत्र दिनांकित 30-12-81 शासन को प्राप्त हुए हैं। पहले आवेदन-पत्र में फर्जी मुठभेड़ का आरोप है। दूसरे में कुल 16 आरोप लगाए गए हैं। पुलिस महा-निरीक्षक को आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जिला बांदा में भवन विहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल तथा उनका निर्माण

160--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिला के अन्तर्गत कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल 30 दिसम्बर, 1980 तक हैं ? कितने विद्यालयों के पास भवन हैं, कितने भवन विहीन तथा कितने निर्माणाधीन व गिरे हुए हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद बांदा में उ0 मा0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 30 दिसम्बर, 1981 तक 1,174 प्राइमरी एवं 181 जूनियर हाई स्कूल हैं। 714 प्राइमरी एवं 132 जूनियर हाई स्कूलों के पास भवन हैं। 218 प्राइमरी एवं 14 जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन हैं। 30 प्राइमरी एवं 12 जूनियर हाई स्कूल निर्माणाधीन हैं व 212 प्राइमरी व 23 जूनियर हाई स्कूलों के भवन गिरे हुए हैं।

161--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 213 द्वारा उत्तरित।]

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में क्रीड़ाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति

162--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या सरकार को जानकारी है कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में क्रीड़ाध्यक्ष का पद दो-तीन साल से रिक्त है ? यदि हां, तो उस पद पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई और कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री वी० एन० पान्डे, कार्मिक अधिकारी, लघु उद्योग निगम को उनके पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित करने के निर्देश

163--योगेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी० एन० पान्डे, कार्मिक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम में विगत दस वर्ष से अधिक डपुटशन (प्रतिनियुक्ति) पर कार्यरत हैं, को उनके पैतृक विभाग उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में शासनादेश के बावजूद पैतृक विभाग में वापस नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासनादेशों के प्रतिकूल अनुचित संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां ।

श्री वी० एन० पान्डे ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम में संविलीन होने से पहले कतिपय शर्तें लगाई थीं और अपना विकल्प साफ-साफ नहीं दिया था। अतः उन्हें उनके पैतृक विभाग का प्रत्यावर्तित करने के निर्देश लघु उद्योग निगम को दे दिये गये हैं ।

अनुचित संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । अतः उसके लिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में जंघई बाजार से गुजरने वाले मार्ग को पक्का कराने की मांग

164--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद में जंघई-दुर्गागंज रोड के जंघई बाजार के बीच से गुजरने वाले एक कि०मी० भाग को सा०नि० विभाग ने पक्का कराने की स्वीकृति 1981-82 में प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में जंघई-वरुणा रोड पर वरुणा नदी पर पुल निर्माण का विचार

165--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जंघई-वरुना रोड पर वरुना नदी पर पुल शीघ्र बना दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं, प्रश्नगत पुल स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निकाला गया आदेश का क्रियान्वयन

166—श्री राम गोविन्द—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा (अर्थ- 4) अनुभाग, इलाहाबाद के पत्रांक अर्थ (4)/2283–2356–दस–सी (5) 81–82, दिनांक 2 जुलाई, 1981 द्वारा कोई आदेश निकाला गया है कि मान्यता प्राप्त तिथि के क्रमानुसार अनुदान नहीं दिया जायगा ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है और किस आधार पर दिया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

167—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद देवरिया में हत्यायें तथा श्री वंश गोपाल तिवारी की हत्या की जांच

168—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद तथा नगर देवरिया में अलग–अलग जुलाई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक कितनी हत्यायें हुयीं क्या यह सत्य है कि श्री बंशगोपाल तिवारी की हत्या के समय वहां पुलिस थी, फिर भी हत्यारे पकड़ में नहीं आये, इस पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में देवरिया जनपद (ग्रामीण क्षेत्र) में 26 तथा नगर क्षेत्र में 2 हत्याएं हुई।

यह जानकारी हुई है कि मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया गया परन्तु अपराधी पकड़ में नहीं आ सके। जांच से घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों को दोषी नहीं पाया गया अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

जनपद बरेली के फरीदपुर–बीसलपुर मार्ग पर ग्राम ठकनी के निकट पक्का पुल बनाये जाने की योजना

169—श्री नन्द राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के फरीदपुर–बीसलपुर मार्ग पर ग्राम ठकनी के निकट पक्का पुल बनाए जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के अन्तर्गत अपराध संख्या 355-ए में गवाह उपलब्ध न होने का उल्लेख

170--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के अन्तर्गत अपराध संख्या 355-ए, सन् 1980 धारा 395 भा0 द0 विधान के अन्तर्गत जांचकर्ता नें धारा 161 जा0 फौ0 के अन्तर्गत साक्षियों श्रीमती सूरज मुखी पत्नी स्व0 गिरराज सिंह एवं श्री गोपाल प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधा मोहन के बयान लिए । यदि हां, तो किस-किस तिथि को तथा उसे किस संख्या की केस डायरी में अंकित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 1980 से 9 जनवरी, 1981 के मध्य 9 बार बयान लेने के लिए गवाहान प्रस्तुत करने हेतु वादी श्री देवेन्द्रपाल सिंह से आग्रह किया गया किन्तु वादी ने न तो गवाहान ही प्रस्तुत किया और न उनसे मिलने का सही पता ही बताया । इसी कारण श्रीमती सूरजमुखी व श्री गोपाल प्रसाद शर्मा के बयान धारा 161 जा0 फौ0 के अन्तर्गत नहीं लिये जा सके । गवाहान उपलब्ध न होने का उल्लेख विवेचक द्वारा केस डायरी संख्या 2 दिनांक 9 सितम्बर, 1980, 3 दिनांक 12 सितम्बर, 1980, 5 दिनांक 17 सितम्बर, 1980, 6 दिनांक 1 अक्तूबर, 1980, 7 दिनांक 3 अक्तूबर, 1980, 8, दिनांक 1 दिसम्बर, 1980, 9 दिनांक 23 दिसम्बर, 1980, 11, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तथा 12 दिनांक 9 जनवरी, 1981 में किया गया ।

171--श्री माधव प्रसाद तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बस्ती, खलीलाबाद में पूर्वांचल के सुयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता

172--श्री राम आसरे पासवान--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती खलीलाबाद में जो रंगाई, छपाई कारखाना खुला है उसमें खलीलाबाद, बस्ती के लोगों को नौकरी देने में प्राथमिकता देंगे ।

श्री नियाज हसन खां--

जी हां ।

तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु खलीलाबाद एवं बस्ती के साथ-साथ पूर्वांचल के समस्त सुयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जायेगी ।

जनपद गोरखपुर, ग्राम बिशुनपुरा निवासी श्री सोबरी को गवाही करने जाने के संदर्भ में मारने-पीटने की दर्ज रिपोर्ट की जांच

173—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के ग्राम बिशुनपुरा निवासी श्री सोबरी अल्पसंख्यक को दिनांक 11 जनवरी, 1982 को एक हरिजन के मामले में स्टेट बनाम मिठाई आदि में गवाही करने जाने के संदर्भ में बुरी तरह पीटा गया जिसकी रपट धारा 323/504 506 में दिनांक 11 जनवरी, 1982 में दर्ज की गई है ? यदि हां, तो क्या इस पूरे मामले की जांच कराई जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस आशय की रिपोर्ट श्री सोबारी ने थाने पर दर्ज करायी । अपराध अहस्तक्षेपीय होने के कारण इसकी विवेचना नहीं की गई और जांच से यह पाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सही तथ्यों को छिपाकर गवाही देने से रोकने के लिये मारने-पीटने का गलत आरोप लगाया गया है । दोनों पक्षों से शांति-भंग का अन्देशा पाने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गई है और दोनों पक्षों के शस्त्रों के लाइसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

लालबाग सोसाइटी द्वारा संचालित लखनऊ में चलाए जा रहे विद्यालय तथा पंजीकरण का नवीनीकरण

174—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लालबाग सोसाइटी द्वारा संचालित कितने विद्यालय, लखनऊ में वर्तमान समय में चलाए जा रहे हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति का पंजीकरण कब और कहां किया गया तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पंजीकरण का नवीनीकरण कब-कब कराया गया ? संस्था द्वारा संचालित कितने विद्यालयों को शासन द्वारा अब तक मान्यता दी गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अनीसुर रहमान शेरवानी, भू0 पू0 मन्त्री के एक्सीडेन्ट पर कृत कार्यवाही

175—श्री लोकमणि शर्मा—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 जून, 1980 में श्री अनीसुर रहमान शेरवानी भू0 पू0 मन्त्री के साथ अलीगढ़ में जो दुर्घटना घटित हुई थी, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2 जून, 1980 को बस संख्या यू0 पी0 टी0 8543 से श्री अनीसुर रहमान शेरवानी का एक्सीडेन्ट हुआ था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना सिविल लाइन में अलीगढ़ में धारा 279/337 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से बस ड्राइवर श्री सगीर खां के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर आरोप-पत्र दिनांक 22 जून, 1980 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है।

प्रवर वर्ग सहायकों के पदों को स्थायी किये जाने की मांग

176--श्री मुन्शी लाल तथा श्री जयदीप सिंह--

क्या कार्मिक मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 प्रवर वर्ग सहायक के 155 विभागीय पदों के विरुद्ध केवल 23 अवर वर्ग सहायकों को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायी किया गया है? यदि हां, तो शेष 132 विभागीय पदों पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा क्या उक्त पदों को विभागीय कर्मचारियों द्वारा भरने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित विषय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में दायर एक रिट याचिका संख्या 669/82 में विवादित है। अतएव जनहित में प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

थाना कैसरबाग, लखनऊ में दर्ज चोरी की घटनाएं

177--श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ नगर के थाना कैसरबाग में माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 में चोरी की कितनी घटनाओं की एफ0आई0आर0 लिखाई गई तथा ऐसी कितनी चोरियां हैं जिनका पुलिस द्वारा अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 में थाना कैसरबाग, लखनऊ पर 56 चोरियों की घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिनमें से 5 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, 4 अभियोग विवेचनाधीन हैं तथा शेष अभियोगों में माल मुल्जिम का पता न लगने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में बाढ़ से प्रभावित प्राइमरी विद्यालयों को आवंटित की गई धनराशि

178--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 जनवरी, 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 227 में उत्तरित विकास खंड सोरांव, मऊआयमा, बहरिया, फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में 1980-81 में बाढ़ तथा प्रभावित प्राइमरी

विद्यालयों की मरम्मत हेतु चुने गये विद्यालयों का नाम क्या है ? जिला शिक्षा समिति, इलाहाबाद ने प्रत्येक को मरम्मत हेतु कितना धन स्वीकृत किया है ? कब तक मरम्मत कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वर्ष 1980-81 में बाढ़ तथा प्रभावित प्राइमरी विद्यालयों की मरम्मत हेतु चुने गये विद्यालयों के नाम विकास खण्ड वार निम्नवत् हैं तथा उनके सम्मुख अंकित धनराशि मरम्मत हेतु अध्यक्ष जिला परिषद्, इलाहाबाद को उपलब्ध कराई गई है । मरम्मत कार्य मई, 1982 तक पूरा होने की सम्भावना है :—

विकास खंड का नाम	विद्यालय का नाम	व्यय हेतु आवंटित धनराशि
		रु0
1—सोरांव	1—प्रा0 पा0, मोरहूं	12,849
	2—प्रा0 पा0, पड़िला	
	3—प्रा0 पा0, सोरांव	
2—मऊआइमा	1—प्रा0 पा0, मऊआइमा	1,00,000
	2—प्रा0 पा0, ददौली	
	3—प्रा0 पा0 (क), मऊआइमा	
3—बहरिया	1—प्रा0 पा0, राजेपुर	57,800
	2—प्रा0 पा0, सिकन्दरा	
	3—प्रा0 पा0, बहरिया	
4—फूलपुर	1—प्रा0 पा0, अरबासी	67,500
	2—प्रा0 पा0, मेलहन	
	3—जू0 हा0 स्कूल, फूलपुर	
	योग ..	2,38,149

179—श्री मोती लाल देहलवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गाजीपुर कन्या महा विद्यालय में छात्राओं की संख्या तथा कला एवं विज्ञान के विषयों की शिक्षा

180—श्री राम नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर कन्या महाविद्यालय में वर्तमान सत्र में विभिन्न कक्षाओं में कितनी छात्रायें हैं तथा कला की किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती हैं तथा कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विज्ञान के विषयों की पढ़ाई का इस महाविद्यालय में व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर में वर्तमान सत्र में विभिन्न कक्षाओं में छात्राओं की संख्या निम्नवत् है :—

बी0 ए0 (प्रथम वर्ष)	152
बी0 ए0 (द्वितीय वर्ष)	194
बी0 एस0–सी0 (प्रथम वर्ष)	3
बी0 एस0–सी0 (द्वितीय वर्ष)	7
एम0 ए0 (प्रथम वर्ष)	47
एम0 ए0 (द्वितीय वर्ष)	7

तथा कला संकाय के निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती है :—

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, दर्शनशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास (मध्य), इतिहास (प्राचीन), राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, मानवशास्त्र, चित्रकला तथा संगीत (गायन व वादन) ।

कला संकाय में इक्कीस अध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

विज्ञान के विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था है ।

181—श्री सत्य पाल सिंह—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

ग्राम सिमरौली, गाजियाबाद में श्री बाल मुकुन्द शर्मा के घर पड़ी डकैती की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

182—श्री दामोदर शर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिमरौली, थाना कस्बा, बाबूगढ़ छावनी, जनपद गाजियाबाद में श्री बाल मुकुन्द शर्मा के यहां दिनांक 29–30 दिसम्बर, 1981 को डकैती पड़ी थी और लूटे गये सन्दूक व कपड़े काली नदी के किनारे पाये गये थे । इस सम्बन्ध में सम्भावित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2–12–81 को श्री बाल मुकुन्द शर्मा, निवासी ग्राम सिमरौली, गाजियाबाद ने थाना बाबूगढ़ पर अपने घर में दिनांक 1/2 दिसम्बर, 1981 की रात्रि में चोरी हो जाने की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लिखाई, जिस पर अभियोग अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना से यह अभियोग धारा 458 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । वादी का एक टीन का बक्सा गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला । इस घटना के सम्बन्ध में मा0 प्रश्नकर्त्ता सदस्य का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें दो संदिग्ध व्यक्तियों के नाम उल्लिखित थे, जिसकी जांच कराई गई । अभी तक की विवेचना से इन संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है । अभी तक कोई अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में नहीं आया है ।

इस मामले में विवेचना अभी प्रचलित है ।

वाराणसी मंडल के जनपदों में पुलिस मुठभेड़ में मृत व्यक्ति

183—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी मंडल के जनपदों में जनवरी, सन् 1981 से लेकर दिसम्बर, सन् 1981 तक कितने व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हैं और इनमें से कौन-कौन अलग-अलग हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में वाराणसी मन्डल के जनपदों में कुल 68 व्यक्ति मुठभेड़ में मारे गये । अन्य विवरण देना जनहित में नहीं है ।

ग्राम छड़ई व ग्राम निगोह, हसनपुर में लूटपाट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग

184—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 29-10-81 को निगोह हसनपुर के एक नाजायज भीड़ ने नगला छड़ई ग्राम, जिला एटा के यादव तथा जाटव लोगों का दिन दहाड़े सर्वस्व लूट लिया है जिसके बाबत उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी ने सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र नवम्बर, 1981 में प्रेषित किया है तथा सम्बन्धित गांव के लोगों ने दिनांक 30-10-81 को ही जिलाधिकारी एटा को अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करने व पीड़ितों की सहायता का प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्रार्थना-पत्रों की जांच से ग्राम हाड़ई व ग्राम निगोह हसनपुर के लोगों में रंजिश का होना पाया गया है । लूटपाट के सम्बन्ध में थाने में धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 का एक अभियोग पंजीकृत कराकर मामले की विवेचना कराई जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह का थाना कैन्ट, फैजाबाद के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

185—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र सिंह का कोई पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-12-81 के साथ कैन्ट, फैजाबाद पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? शिकायती-पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-11-81 के साथ प्राप्त हुआ जिसकी जांच की जा रही है । श्री सिंह के प्रार्थना-पत्र में मुख्यतः निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं:—

(1) थाना कैन्ट के सब इन्सपेक्टर, मोहम्मद असलम व 7–8 अन्य पुलिस कर्मियों ने प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 11–8–81 को इच्छानुसार चाय नाश्ता किया, जिसका पैसा मांगने पर प्रार्थी को गालियां दी, मारा-पीटा और जबरदस्ती पकड़कर थाना ले जाकर बन्द कर दिया ।

(2) प्रार्थी के पिता श्री शिव नारायण सिंह व श्री ओम प्रकाश जब थाने पर जानकारी करने गये तो उन्हें थानाध्यक्ष व सबइंसपेक्टर ने गालियां दी और वहां से भगा दिया तथा प्रार्थी को डन्डों से पुनः मारा और प्रार्थी पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 332/353 के अन्तर्गत एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया ।

(3) पुलिस ने प्रार्थी को न तो जमानत पर छोड़ा न ही उसको आई चोटों की डाक्टरी जांच अथवा उपचार कराया ।

186—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

187–188—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

189—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

श्री जंग बहादुर, निवासी पुलिया नं0 9, मुहल्ला बड़ाकुआं, झांसी नगर की दुकान लूटे जाने सम्बन्धी शिकायती–पत्र

190—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री जंग बहादुर, निवासी पुलिया नं0 9, मुहल्ला बड़ाकुआं, झांसी नगर ने पुलिस अधीक्षक, झांसी को गत 31 जनवरी, 1981 को अपनी दुकान लूटे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार स्थानीय पुलिस की जांच से पाया गया कि फरीकेन के मध्य कुछ पुराना विवाद है, जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय के विचाराधीन है । कथित घटना एवं पुलिस के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता न पाये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

ललितपुर से बेसिक अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र

191—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर से बेसिक अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विधायक झांसी का पत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1981 का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से आख्या मांगी गयी थी और माननीय विधायक को अन्तरिम उत्तर दिनांक 10 नवम्बर, 1981 को भेजा गया था। सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की आख्या के अनुसार माह जुलाई, 1981 में 33 प्राथमिक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को ललितपुर से झांसी स्थानान्तरण किया गया था। उनमें से 7 अध्यापकों को जनपद झांसी में पद रिक्त होने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करा दिया था और शेष 26 अध्यापकों के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ने दिनांक 10 अगस्त, 1981 को सूचित किया कि सहायक अध्यापकों के कोई भी स्थान जनपद झांसी में रिक्त नहीं है। अतः उनकी इस आख्या के आधार पर दिनांक 12 अगस्त, 1981 को ललितपुर से झांसी जनपद को स्थानान्तरित 26 व्यक्तियों के स्थानान्तरण आदेश सचिव, उत्तर प्रदेश बेशिक शिक्षा परिषद् द्वारा निरस्त कर दिये गये।

ग्राम पुंगरी निवासी श्री कामता प्रसाद की हत्या की रिपोर्ट तथा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

192--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थानाध्यक्ष नरैनी एवं दो थानेदार बाबू लाल तथा बिहारी लाल सहित कुछ सिपाहियों के विरुद्ध इसी जनपद के ग्राम पुंगरी निवासी श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री बिन्दा प्रसाद की हत्या से सम्बन्धित रिपोर्ट 25 अगस्त, 1976 को उक्त थाने में दर्ज की गयी थी, जिसकी सी0 आई0 डी0 जांच भी कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्या की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना से सम्बन्धित अभियोग दिनांक 8 सितम्बर, 1976 को अपराध संख्या 56-ए अन्तर्गत धारा 304/394 भा0 दं0 वि0, थाना नरैनी, जनपद बांदा पर पंजीकृत किया गया था। सी0 आई0 डी0 की विवेचना से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया उप-निरीक्षक बाबू लाल द्वारा धारा 304/34/218 भा0 दं0 वि0, कां0 शिव नायक सिंह व कां0 गंगा सहाय द्वारा धारा 304/34 भा0 दं0 विधान तथा साक्षी राम सूरत द्वारा धारा 218/109 भा0 दं0 वि0 का अपराध किया जाना पाया गया। थानाध्यक्ष नरैनी विवेचना से अपराधी नहीं पाये गये।

उक्त पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग में हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन

193--श्री अकबर हुसैन--

क्या यह सही है कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग हिन्दी तथा उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित

करने पर सहमत नहीं हैं ? यदि हां, तो कार्यहित में क्या सरकार नियुक्ति सचिव शाखा के अधिष्ठान कोष्ठक द्वारा अनुवादकों के वर्षों से रिक्त पदों पर कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 18 अप्रैल, 1978 के अनुसार एक वर्ष के लिये विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा तदर्थ नियुक्तियां तत्काल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने पर सहमत है। इसके लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है।

पंचायत उद्योगों से टाट-पट्टी, मेज, कुर्सी, फर्नीचर इत्यादि क्रय करने का निर्णय

194--श्री ईश्वर दयाल त्यागी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मन्त्री सूचना श्री काशीनाथ मिश्र के पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1981 एवं विधायक श्री भोला पांडेय के पत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 में यह शिकायत की गई थी कि पंचायत उद्योग टाट-पट्टी, मेज कुर्सी, फर्नीचर इत्यादि चीजें स्वयं न बनाकर तीन करोड़ रुपये की सामग्री शिक्षा विभाग को बाजार से सस्ते दामों पर खरीद कर (जैसे टाट-पट्टी 14.75 में खरीद कर 25.00 रुपये में) 1976 की राजाज्ञा के अन्तर्गत आपूर्ति करता चला आ रहा है ? क्या यह सही है कि दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 को शिक्षा मन्त्री ने पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों की मीटिंग में इस विषय को रखा था और अधिक रेट के सम्बन्ध में जो शिकायत थी, इस विषय को डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, कानपुर को रेट कान्ट्रैक्ट के लिए भेज दिया था ? क्या रेट कान्ट्रैक्ट का उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी।

दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 की बैठक में प्रश्नगत मामलों को मन्त्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। मन्त्रिपरिषद् ने पंचायत उद्योग से ही टाट पट्टी क्रय करने का निर्णय लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ले0 कर्नल केशरी सिंह की सचिव, निदेशालय, सैनिक कल्याण के पद पर पुनर्नियुक्ति तथा अपने वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में दायर की गई याचिका

195--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या यह सही है कि दिनांक 29 अप्रैल, 1981 से ले0 कर्नल केशरी सिंह को सचिव, निदेशालय, सैनिक कल्याण के पद पर पुनर्नियुक्ति की गई ? यदि

हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की उक्त अधिकारी की पुनर्नियुक्ति किस आधार पर की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

उनकी पुनर्नियुक्ति शासन के निर्णय के आधार पर की गई थी ।

196--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या यह भी सत्य है कि ले0 कर्नल सिंह ने लोक सेवा अधिकरण में शासन के विरुद्ध दावा दायर कर रखा है जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा अधिकरण के फैसले के पूर्व ही इनकी पुनर्नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

ले0 कर्नल केशरी सिंह ने एक याचिका अपने वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण में दायर की है जिसका सम्बन्ध सेवा से नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खंड सा0 नि0 विभाग, लखनऊ में तारकोल की चोरी

197--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्तीय खंड सा0 नि0 विभाग, लखनऊ का करीब एक लाख रुपये लागत का तारकोल 1981 में चोरी गया था ? क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना घटे लगभग तीन मास बाद थाने में लिखाई गई ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

काशी कोल्ड स्टोरेज, थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव में हत्या का पंजीकृत होना

198--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना सफीपुर के सफीपुर में काशी कोल्ड स्टोरेज में दिनांक 2/3 सितम्बर, 1981 की रात में कोई हत्या हुई थी जिसकी एस0 आई0 एस0 विभाग जांच कर रहा है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार काशी कोल्ड स्टोरेज, थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव में दिनांक 2/3 सितम्बर, 1981 की रात में हत्या की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन इस आशय का एक अभियोग दिनांक 26-8-81 की धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा की जा रही है। अब तक की विवेचना से साक्ष्य के अभाव में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। विवेचना प्रचलित है।

भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया, श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोपों की जांच

199--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया (श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव) के विरुद्ध पांच गम्भीर आरोप सिद्ध हो गए हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन सा कदम उठाया जा रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने पर विचार

200--श्री किरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं है ? क्या शासन ग्राम सभा के मध्य में केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी उपर्युक्त ग्राम सभा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है। अभी यह बताना कठिन है कि वहां प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कब तक खोले जा सकेंगे।

201--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

202--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

203--कु0 उर्मिला अग्निहोत्री तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री देवदत्त शर्मा, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, फर्रुखाबाद के स्थानान्तरण को निरस्त करने सम्बन्धी पत्र तथा पुनः मैनपुरी स्थानान्तरण कर दिए जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के आदेशों पर कृत कार्यवाही

204—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिसम्बर, 1981 में श्री देवदत्त शर्मा, प्रवक्ता, राजकीट इंयर कालेज, फर्रुखाबाद के स्थानान्तरण को निरस्त करने सम्बन्धी कोई पत्र श्री शर्मा के दो मेधावी पुत्रों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके महाविद्यालय बद्री विशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद के प्राचार्य डा० महिमाचरण सक्सेना द्वारा प्रेषित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

205—श्री राजन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शर्मा जी का स्थानान्तरण अगस्त, 1981 में फतेहपुर के लिए कर दिया गया था जो जांच के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा सितम्बर, 81 को ही निरस्त कर दिया गया ।

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

206—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या श्री देवदत्त शर्मा को राजनैतिक कारणों से अक्तूबर, 81 में पुनः मैनपुरी स्थानान्तरित कर दिए जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मुख्य मंत्री महोदय को प्रेषित पत्र जिस पर मुख्य मंत्री जी ने आदेश संख्या एम० 70/8, दिनांक 31-12-81 को शिक्षा सचिव को निर्देशित किया प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद जिले के राजकीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पद

207—श्री अकबर हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद जिले में सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-3 में उर्दू अनुवादकों के रिक्त पद

208--श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-3 द्वारा उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों को लगभग तीन वर्षों से न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उर्दू अनुवादकों के पद लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है।

श्री गनपत सिंह, निवासी लोधियान चन्दौसी, जनपद मुरादाबाद के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

209--श्री अकबर हुसैन--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गनपत सिंह पुत्र श्री हरीकिशन, निवासी, मोहल्ला लोधियान चन्दौसी, जनपद मुरादाबाद का शिकायती-पत्र, जो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को दिनांक 26-12-81 को प्रेषित किया था, जिसकी प्रतिलिपि उनको भी प्रेषित की गई है, मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 26-12-81 प्राप्त होना नहीं पाया गया।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, जिला पीलीभीत के प्रवक्ता अध्यापिकाओं की दक्षता-रोक पार करने की कार्यवाही

210--श्रीमती कमला साहनी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, जिला पीलीभीत के प्रवक्ता अध्यापिकाओं की गत 8 वर्षों से दक्षता रोक पार नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? कब तक उसे पार करा दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

211--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद मेरठ के गंगहट से तारकोल की चोरी

212--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1980 में सरधना, जनपद मेरठ के गंगहट से दिन के 1-30 बजे 160 ड्रम तारकोल चोरी हुआ है ? जिसकी रपट स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिसम्बर, 1980 में सरधना, जनपद मेरठ में गंगहट से कोई मैक्सफाल्ट ड्रम की चोरी नहीं हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय में टंककों का स्थायीकरण तथा माननीय विधायक द्वारा शासन को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

213-214--श्री विश्राम दास--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्ष 1972 में प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा नियुक्त किये गये टंककों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन अर्से से है और उस पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका ?

क्या इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरकर्ता का कोई पत्र दिनांकित 21 जनवरी, 1982 मुख्य मंत्री एवं राज्य गृह एवं सामान्य प्रशासन मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अन्तिम निर्णय क्या लिया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सचिवालय में, वर्ष 1970 में नियुक्त किए गए अधिकांश टंककों का स्थायीकरण किया जा चुका है । वर्ष 1972 में नियुक्त टंककों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय का पत्र दिनांक 21 जनवरी, 1982 शासन को प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र का उत्तर, स्थिति का उल्लेख करते हुए, उनको दिनांक 26 फरवरी, 1982 को दिया जा चुका है ।

श्री चन्दू लाल कनौजिया, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, पसियापारा के प्रोन्नति के सम्बन्ध में आदेशों पर कृत कार्यवाही

215--श्री राम लाल तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1981 को श्री चन्दूलाल कनौजिया, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला पसियापारा, शिक्षा क्षेत्र बरियांवा, जिला फैजाबाद के प्रोन्नति के सम्बन्ध में कोई आदेश शासन द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को पारित हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

किन्तु श्री चन्दू राम कनौजिया, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, पसियापारा को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के निर्देश दिये गये थे । नियमानुसार श्री कनौजिया को पदोन्नति नहीं दी जा सकती ।

प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति

216--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग के पत्रांक संख्या 2420/ब्यूरो 77-31 (3)-74 लखनऊ, दिनांक 15 जून, 1977 ई0 द्वारा रु0 2500-125-2750 के वेतनक्रम में महानिदेशक का पद सृजित होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं भरा गया और न भरने के बाद भी प्रतिवर्ष बजट में उक्त पद पर होने वाले व्यय का प्राविधान क्यों किया जाता है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वर्ष 1977 से अधिकांशतः प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग के सचिव ही महानिदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं और यह खाली नहीं रहा है । सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के अन्य पदों के साथ बजट में प्राविधान सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता रहा है ।

श्री विष्णु शर्मा मिश्र, अध्यापक श्री श्रीनारायण वोकेशनल डिग्री कालेज की फर्जी जन्म तिथि हेतु आवश्यक जांच

217--श्री कृष्ण मगन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री विष्णु शर्मा मिश्र, अध्यापक श्री श्रीनारायण वोकेशनल डिग्री कालेज की जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार 2-9-20 है, जिसे उन्होंने 2-9-1926 कर लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास मिश्र, ग्राम व पोस्ट गाजापुर, बाराबंकी ने मुख्य मंत्री को 7 अगस्त, 1981 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या शासन दोषी व्यक्ति को दंडित करेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

शासन ने शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को तुरन्त आवश्यक जांच कर अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु 30 सितम्बर, 1981 को निर्देश दे दिये हैं ।

जिला नैनीताल में सितारगंज, पीलीभीत रोड पर निर्माणाधीन शुगर फैक्ट्री सरकण्डा तक सड़क का निर्माण कार्य

217--श्री बिहारी लाल--

(क) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला नैनीताल में सितारगंज, पीलीभीत रोड पर निर्माणाधीन शुगर फैक्ट्री, सरकण्डा तक सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो यह किस आधार पर रोका गया है तथा अब तक से उक्त निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग पर मरम्मत का कार्य प्रगति पर है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापकों की एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति

218--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापकों को पांच वर्ष से अधिक समय तक सेवारत रहने पर भी एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति नहीं दी गयी ? क्या सरकार नियमानुसार ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतनक्रम में पदोन्नत करके उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

दिनांक 30 जून, 1972 तक के कार्यरत सी0 टी0 वेतनक्रम में अर्ह अध्यापकों को उनके ज्येष्ठताक्रम में पदोन्नति दी जा चुकी है । उसके बाद के अध्यापकों को प्रदेशीय स्तर पर सी0 टी0 ग्रेड की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची के पूर्ण होने पर ज्येष्ठतानुसार योग्यताधारी अध्यापकों को उपलब्ध रिक्तियों के प्रति पदोन्नतियां देना सम्भव होगा । ज्येष्ठता सूची तैयार कराने के लिए प्रयत्न जारी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के अन्तर्गत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखों में गड़बड़ी

219--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे यह कि बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर के भविष्य निधि के हिसाब में भारी घपला है और विभागीय जांच में भी यह तथ्य प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है एवं समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का भविष्य निधि सम्बन्धी हिसाब एवं पास-बुकों को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । विभागीय जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर (ग्रामीण क्षेत्र) के अन्तर्गत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखों में गड़बड़ी है । तीन लिपिकों, जिन पर गड़बड़ी करने का प्रथम दृष्टया आरोप प्रकाश में आया है, उन्हें सेवा से निलम्बित कर दिया गया है । शिक्षा निदेशालय से लेखों का विशेष आडिट कराने की कार्यवाही विचाराधीन है । यह

आडिट होने पर ही वास्तविक अनियमितताओं और उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का सही ज्ञान हो सकेगा तथा तब ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सिद्ध आरोपों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । भविष्य निधि सम्बन्धी हिसाब एवं पास-बुकों को ठीक अद्यावधिक किया जा सकेगा ।

श्री महीपाल सिंह, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल का स्थानान्तरण

220--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर विकास खंड कोट, जिला पौड़ी गढ़वाल का स्थानान्तरण स्थानीय जनता तथा क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर वर्ष 1981 को किस तिथि को हुआ था और किन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण पुनः जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर जिला पौड़ी गढ़वाल कितने समय पश्चात् कर दिया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री महीपाल सिंह, प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण जूनियर हाई स्कूल, बसन्तपुर, विकास क्षेत्र कोट, से जूनियर हाई स्कूल ओजली (पौड़ी) के लिए दिनांक 30-7-81 को हुआ था किन्तु उनकी विशेष घरेलू परिस्थितियों के कारण उनका स्थानान्तरण दिनांक 31-8-81 को अस्थाई रूप से स्थगित किया गया था । अब उक्त स्थगन आदेश जिला चयन समिति के निर्णय के अनुसार निरस्त कर दिया गया है और श्री महीपाल सिंह, प्रधानाध्यापक को जूनियर हाई स्कूल ओजली में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

किसान मजदूर इन्टर कालेज, औरा, आजमगढ़ का इन्टर में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता से सम्बन्धित आवेदन-पत्र

221--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में किसान मजदूर इन्टर कालेज, औरा आजमगढ़ का इन्टर में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता से सम्बन्धित आवेदन-पत्र 450 रु० ट्रेजरी के साथ शासन के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

ऐसा कोई आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमाशंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें

222--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाशंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें शासन को 1 अप्रैल, 81 से 31 अगस्त, 81 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से कराई गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ? क्या जांच के समय शिकायतकर्ताओं को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांधी स्मारक सुन्दर लाल इन्टर कालेज, बिलसण्डा जनपद पीलीभीत में प्रधानाचार्य पद का विज्ञापन तथा चयन

223--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक सुन्दर लाल इन्टर कालेज, बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत में प्रधानाचार्य पद का विज्ञापन कब-कब निकाला गया ? विज्ञापन का प्रारूप जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत की स्वीकृति से निकाला गया, कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और कब चयन हुआ. यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद के विज्ञापन हेतु विद्यालय समिति ने कब-कब क्या प्रस्ताव पारित किए ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रधानाचार्य पद का विज्ञापन सितम्बर, 1976 में तथा पुनः 17-2-77 एवं 19-2-77 को प्रकाशित कराया गया ।

सितम्बर, 1976 के विज्ञापन का प्रारूप विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदित नहीं कराया गया था । दिनांक 17-2-77 एवं 19-2-77 का विज्ञापन स्थानीय विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित था ।

32 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ।

सीधी भर्ती से चयन नहीं हुआ । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रधानाचार्य पद को शिक्षा अधिनियम के अध्याय दो के विनियम 2(2) (क) के अन्तर्गत पदोन्नित द्वारा भरा गया ।

दिनांक 12 जनवरी, 1976 तथा 27-12-76 को उक्त पद के विज्ञापन हेतु विद्यालय की समिति ने सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव पारित किये ।

जिला गाजीपुर में गंगा सेतु पहुंच मार्ग हेतु कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

224--श्री राम नारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर गंगा सेतु एवं गंगा सेतु पहुंच मार्ग हेतु किन-किन ग्रामों के किन-किन कृषकों की भूमि अध्याप्त की गयी तथा किस दर से मुआवजा की धनराशि उन्हें दी गयी और अब तक कितने कृषकों को मुआवजा देना बाकी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला गाजीपुर में गंगा सेतु पहुंच मार्ग हेतु 17 ग्रामों (गंगा सेतु पहुंच मार्ग-सिटी साइड सिटी लिंक साइड तथा ताड़ीघाट साइड) की 67·007 एकड़ भूमि 429 कृषकों की भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गयी थी । 410 कृषकों को 9,18,162 रु0 (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि का वितरण कर दिया गया है तथा शेष 19 कृषकों को प्रतिकर का भुगतान किया जाना अवशेष है ।

जिला गाजीपुर में उक्त मार्ग के लिए (गंगा पुल पहुंच मार्ग, सिटी साइड तथा ताड़ीघाट साइड) को 3·639 एकड़ भूमि 14 कृषकों को आपसी बातचीत के आधार पर ली गयी थी और सभी कृषकों को उनकी भूमि का मूल्य 70,855 रु0 (राउन्ड) दे दिया गया है ।

ग्रामों के नाम, भूमि के मुआवजे एवं मूल्य की दर तथा ग्रामवार कृषकों के नामों की सूची, जिनकी भूमि ली गयी है, बड़ी एवं विस्तृत है । अतएव माननीय सदस्य चाहें तो उसे विभाग में देख सकते हैं ।

225—श्री मसरूर जाफरी—

[10वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विभिन्न निगमों में अध्यक्ष और निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति

226—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न निगमों के अध्यक्ष और निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर वर्ष 1980 व 1981 में अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की गयी, नियुक्ति होने की तारीख को इनकी क्या उम्र थी ? इनकी नियुक्ति किसी नीति के अनुसार हुई अथवा किसी अन्य ढंग से हुई ? इनकी नियुक्ति पर क्या केन्द्र सरकार ने गम्भीर नाराजगी व्यक्त की है ? यदि हां, तब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जी हां जिन निगमों में अध्यक्ष और निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर वर्ष 1980 व 1981 में अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है उनका विवरण संलग्नक में अंकित है ।

उपर्युक्त पदों पर नियुक्तियां उपयुक्तता के आधार पर की गईं । इनके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की नाराजगी की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है । अतएव, मामले में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 870 पर ।)

यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन का बैलेंस शीट तथा केन्द्र से प्राप्त रिबेट और सब्सिडी का उपयोग

227—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन की गत तीन वर्ष की बैलेंस शीट तैयार नहीं की गयी और कम्पनी रजिस्ट्रार को नहीं भेजी गयी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी तो क्यों ? इन वर्षों में इन्टरटेनमेंट पर कितना-कितना और किस स्थान पर खर्च किया गया है, किताबों में यह खर्चा किस हेड में दिखाया गया है ? इस अवधि में कितने गिफ्ट पैकेट तैयार

किए गये ? 71 सेल डिपो के माध्यम से कितने गिफ्ट पैकेट ग्राहकों को दिये गये और कितने बीवर सोसाइटीज को दिये गये ? तथा केन्द्र से इन वर्षों में कितने रिबेट और कितनी सब्सीडी मिली ? उनका उपयोग कैसे और किस प्रकार किया गया ?

श्री नियाज हसन खां—

निगम की वर्ष 1977–78 की बैलेन्स शीट बन चुकी है तथा उसका अंकेक्षण भी हो चुका है। वर्ष 1978–79 की बैलेन्स शीट बन गई है तथा अब उसका संवैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जा रहा है। निगम की वर्ष 1979–80 की भी बैलेन्स शीट बन गई है। वर्ष 1979–80 के लिए संवैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। संवैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा चुकी है। अंकेक्षकों की नियुक्ति होते ही 1979–80 का अंकेक्षण प्रारम्भ हो जायेगा। निगम की वर्ष 1980–81 की बैलेन्स शीट पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा ऐसी आशा है कि यह निकट भविष्य में ही पूर्ण हो जायेगी। इस प्रकार से निगम की बैलेन्स शीट अब केवल एक वर्ष की बननी रह गई है, जिसकी भी निकट भविष्य में पूर्ण हो जाने की आशा है।

बैलेन्सशीट पिछड़ने का मुख्य कारण यह है कि निगम के शोरूम तथा उत्पादन केन्द्र देश भर में तथा प्रदेश में बिखरे हुए हैं तथा प्रत्येक का एकाउन्ट एक दूसरे से मिलान करने में देरी स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष उत्पादन केन्द्रों तथा बिक्री केन्द्रों की संख्या भी बढ़ती जाती है। निगम का व्यापार पिछले चार–पांच वर्षों में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ा है तथा इसका टर्न–ओवर वर्ष 1977–78 में रु0 6.00 करोड़ के स्तर से बढ़कर वर्ष 1980–81 में 40 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। इसी अनुपात में स्टाफ की वृद्धि करने में कठिनाई होती है, क्योंकि एकाउन्ट्स के लिए सुयोग्य उम्मीदवार कम मिलते हैं और अधिक वेतन की मांग करते हैं फिर भी अब ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में बैलेन्स शीट का सारा कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

यह सूचना निगम की विभिन्न परियोजनाओं, बिक्री–केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों आदि से एकत्र की जा रही है। ये केन्द्र दूर–दूर फैले हैं। अतः सूचना एकत्र करने में तीन-चार सप्ताह के समय लगने की सम्भावना है। इन्टरटेनमेन्ट के व्यय को उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम के विविध व्यय के हेड में दिखाया जाता है।

गत तीन वर्षों में केन्द्र से निम्नलिखित रिबेट प्राप्त हुआ :—

वर्ष	रिबेट	प्रदर्शनी रिबेट
	रु0	रु0
1978–79	17,23,069.03	8,475.35
1979–80	16,85,730.68	2,71,663.44
1980–81	22,03,071.12	8,10,655.29
योग ..	56,11 870.83	10,90,794.08

गत तीन वर्षों में केन्द्र से निम्नांकित सब्सिडी प्राप्त हुई ।

	रुपया
1978–79	3,22,61,428.00
1979–80	7,88,43,194.47
1980–81	10,54,29,658.20

उपरोक्त सब्सिडी का उपयोग दुर्बल वर्ग के उपभोक्ताओं को धोतियों तथा साड़ियों के मूल्य में छूट देने, वस्त्रों को कैलेन्डरिंग कराने, बिक्री एजेन्सियों को बिक्री पर कमीशन देने तथा ओवर–हेड खर्चों, जिनमें उत्पादन के खर्चे, विपणन के खर्चे, ट्रान्सपोर्टेशन के खर्चे, भन्डारण के खर्चे आदि शामिल हैं, पर किया गया है ।

कौड़ीराम–गजपुर व जैतपुर–बोक्टा मार्ग पर गोरखपुर के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार

228––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कौड़ीराम गजपुर व जैतपुर–बोक्टा मार्ग गोरखपुर को निर्मित न करने का कारण क्या है ? क्या यह सच है कि वर्ष 80 व 81 में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड गोरखपुर ने संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र वाराणसी को इन मार्गों की महत्ता व आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्मित कराने के लिए अनुमति व धनराशि आवंटित करने की मांग एक पत्र के माध्यम से किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों के निर्माण की अनुमति धनराशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी––

प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जहानगंज जूनियर हाई स्कूल, फर्रुखाबाद में स्वतन्त्रता दिवस को राष्ट्रीय ध्वज रोहण का समय

229––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्याम चरन द्विवेदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 1981 को जहानगंज जूनियर हाई स्कूल पर राष्ट्रीय ध्वज रोहण 12·00 बजे दिन में उप विद्यालय निरीक्षक, प्रेमनाथ जलोटा द्वारा करने के सम्बन्ध में एक शिकायती–पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1981 को रजिस्ट्री द्वारा भेजा है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्य–वाही हो रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नन्दा देवी सेंचुअरी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली में नियुक्त तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जिलों का विवरण

230--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या बन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के नन्दादेवी सेंचुअरी राष्ट्रीय बन उद्यान में नियमानुसार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जिला चमोली के कितने निवासी नियुक्त किए गए हैं और कितने पदों पर जिला चमोली के अतिरिक्त अन्य जिलों के निवासियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है तथा वे किन-किन जिलों के निवासी हैं ? क्या सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

चमोली जिले के नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जिला चमोली के तृतीय श्रेणी का एक तथा चतुर्थ श्रेणी के 18 पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां की गई हैं । अन्य पर्वतीय जिलों के जैसे गढ़वाल के तृतीय श्रेणी के 3, पोड़ी गढ़वाल के तृतीय श्रेणी के 2 व चतुर्थ श्रेणी के 4, अल्मोड़ा के चतुर्थ श्रेणी के 2 तथा देहरादून के चतुर्थ श्रेणी के एक अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई । अभी कुछ पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं । उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के कतिपय इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त पद तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्यों का नियमितीकरण

231--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, के कितने इन्टर कालेजों में गत दो वर्षों से अधिक समय से प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं और नियमित प्रधानाचार्य न नियुक्त होने के कारण कार्यवाहक प्रधानाचार्य ही स्थायी रूप से कार्यरत हैं ? क्या इन विद्यालयों में शीघ्र प्रधानाचार्य का चयन किया जायेगा ? क्या शासन प्रधानाचार्य पद की योग्यता रखने वाले उन शिक्षकों को पांच वर्षों से निरन्तर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं, नियमित नियुक्ति मानकर स्थायी करेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

केवल 6 इन्टर कालेजों में । अब वर्तमान नियमों के अन्तर्गत चयन आदि की समस्त कार्यवाही शिक्षा सेवा आयोग द्वारा की जायगी । विभाग द्वारा अपने आप कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती शकुन्तला शर्मा, अध्यापिका जानकी बाई कन्या इन्टर कालेज, मथुरा के अवशेष वेतन का भुगतान तथा वेतन निर्धारण

232--श्री पूरन चन्द्र --

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती शकुन्तला शर्मा, अध्यापिका जानकी बाई कन्या इन्टर कालेज, मथुरा का गत 6 वर्षों का वेतन भुगतान

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद के आदेशों के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सच है कि श्रीमती शर्मा का वेतन निर्धारण भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

अध्यापिका ने संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-10-80 के पश्चात् 27-4-81 को कार्यभार ग्रहण किया । अतः उक्त तिथि से उनके वेतन का नियमित भुगतान हो रहा है । 27-4-81 से पूर्व के अवशेष वेतन के सम्बन्ध में निदेशालय से स्वीकृति मांगी गई है ।

श्रीमती शर्मा के वेतन निर्धारण के कागजात मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को प्रस्तुत कर उनका वेतन निर्धारण कराने हेतु लिखा गया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, विज्ञान अध्यापक, श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज हापुड़ की वरीयता सम्बन्धी अपील पर विचार

233--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, विज्ञान अध्यापक, श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ ने विद्यालय में एल0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों की वरीयता सूची के विरुद्ध अपनी अपील तथा प्रत्यावेदन दिनांक 18-5-78, 20-5-78, 13-6-78, 20-9-79 5-7-80, 3-9-80 तथा 21-7-81 विद्यालय के प्रबन्धक जिला विद्यालय के प्रबन्धक, जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद तथा अन्य अधिकारियों को प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय से इस प्रकरण पर निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, केवल दो पत्र, दिनांक 3-9-80 व 21-7-81 जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुये हैं ।

अपील कालातीत होने के कारण शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस आशय का निर्णय दिलाने को कार्यवाही करें ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के कार्यालय में हुयी अवैध नियुक्तियों की जांच पर कृत कार्यवाही

234--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के कार्यालय में अवैध नियुक्ति सम्बन्धी शिकायतों की जांच उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा सन् 1980 में करायी गयी ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, संदर्भगत जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अवैध नियुक्तियों की शिकायतों के सम्बन्ध में की गयी थी न कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के कार्यालय के विरुद्ध । जांच में आरोप सिद्ध पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को वर्ष 1979-80 में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा उन्हें सचेत किया गया ।

ललितपुर से झांसी को स्थानान्तरित प्राथमिक अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश का निरस्तीकरण

235—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, अगस्त, 81 को 35 प्राथमिक अध्यापकों को ललितपुर से झांसी को स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण क्यों रोक दिये गये ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी जो दिनांक 30-6-81 को सेवा निवृत्त हो गये, को संस्तुतियों के आधार पर सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् ने एक जुलाई, 1981 में 33 प्राथमिक सहायक/प्रधान अध्यापकों को ललितपुर से झांसी स्थानान्तरित किया था उनमें से 7 अध्यापकों को जनपद झांसी में पद रिक्त होने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करा दिया गया था और शेष 26 के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी से दिनांक 10-8-81 को उन्हें सूचित किया कि सहायक अध्यापकों के कोई भी स्थान जनपद झांसी में रिक्त नहीं हैं। अतः उनकी इस आख्या के आधार पर, दिनांक 12-8-81 को ललितपुर से झांसी जनपद को स्थानान्तरित 26 व्यक्तियों के स्थानान्तरण आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निरस्त कर दिये गये।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालयों में रिक्त पद

236—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालयों मे पिछले सत्र से विभिन्न पद रिक्त हैं जिससे पठन-पाठन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल तदनियुक्ति कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। शासन द्वारा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को यह निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि रिक्त पदों को तत्काल नियमानुसार भरा जाय। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मुन्नर प्रसाद इन्टर कालेज, बरगदवा, गोरखपुर में किए गए अवैध भुगतान की जांच और कृत कार्यवाही

237—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्नर प्रसाद इन्टर कालेज, बरगदवा, जनपद गोरखपुर के प्रधानाचार्य तथा कतिपय अन्य अध्यापकों का अनियमित वेतन निर्धारण करके लगभग पचास हजार रुपए का अवैध भुगतान किया गया है और इसकी शिकायत संस्था के शिक्षकों द्वारा वर्ष 1980-81 में शासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को की गयी है ? यदि हां, तो क्या उन शकायतों की जांच कराई गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में 1980-81 में प्राप्त शिकायतों की जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वापसी का आदेश दिया गया है ।

आई० ए० एस० अधिकारियों को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण

238--श्रीमती धनेश्वरी देवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में कितने ऐसे आई० ए० एस० अधिकारियों को भवन निर्माण के लोन (कर्ज) दिया गया था जिनके पास भूमि जमीन नहीं थी ? क्या मंत्री जी अलग-अलग नाम की स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पिछले 10 वर्षों में (1971-72 से 1980-81) में 87 अधिकारियों को भवन निर्माण हेतु कर्ज दिये गये थे इनमें 7 अधिकारी ऐसे थे जिनके पास पहले से भूमि नहीं थी पर उन्होंने नियमानुसार भूमि इंगित कर दी थी व तब शासन द्वारा नियमानुसार प्रथम किस्त स्वीकृत की गयी थी :

1-- श्री शिरोमणि शर्मा

2-- ,, बी० बी० झिल्डियाल

3-- ,, देशराज सिंह

4-- ,, वृजेन्द्र

5-- ,, कर्नेल सिंह

6-- ,, ए० बी० मलिक

7-- ,, खन्जन लाल

शेष सभी अधिकारियों के पास या तो भूमि पहले से ही उपलब्ध थी या उन्हें भूमि सहित निर्मित भवन क्रय करना था ।

एस० के० पी० इन्टर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों को अनियमित भुगतान की शिकायत की जांच

239--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों का शिक्षा निदेशक के लखनऊ कार्यालय पर धरना के सम्बन्ध में जिला मंत्री उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ का पत्र

240—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों ने 25 जुलाई, 1981 से शिक्षा निदेशक के लखनऊ स्थित कार्यालय पर धरना दिया था तथा इससे सम्बन्धित शिक्षा निदेशक को सम्बोधित श्री राम जन्म सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ का पत्र दिनांक 1-5-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और उनके समाधान के सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

गांधी स्मारक उ0 मा0 विद्यालय, कोडिया, आजमगढ़ में अनियमितता सम्बन्धी पत्र

241—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक उ0 मा0 विद्यालय, कोडिया, आजमगढ़ की अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 17-10-80 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी और इसके क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़ को शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में पत्र

242—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-10-81 के साथ प्रबन्धक, राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़ को सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षति पूर्ति किए जाने से सम्बन्धित पत्र शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ को पत्र

243--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 25-8-80 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 11-9-80 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई है ? तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

बिलग्राम, हरदोई के श्री तनवीरूल हसन जैदी द्वारा सड़कों तथा पुल निर्माण के सम्बन्ध में दिया गया ज्ञापन

244--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम के जिला कांग्रेस (जे0) के महामन्त्री तनवीरुल हसन जैदी द्वारा कोई ज्ञापन (सड़कों के निर्माण, पुल निर्माण आदि) दिनांक 13-10-81 को मा0 राज्य श्रम मन्त्री (श्री राम नारायन पाठक) को मल्लावां, जनपद हरदोई के आगमन पर दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों पर ईंट सीलिंग कार्य हेतु टेन्डर

245--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में बरही से बोहाबार, नई बाजार से इटावा होते गजपुर, महराजगंज चौक, नई बाजार से ब्रह्मपुर होते बोहाबार मार्ग पर ईंट सीलिंग हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी बार टेंडर किया गया है । टेंडर करके अब तक कार्य न प्रारम्भ कराने के कौन-कौन से कारण हैं, कार्य कब प्रारम्भ करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

तीन बार ।

टेन्टर नियमानुकूल न होने के कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके ।

टेन्डरों की स्वीकृति के पश्चात् यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा ।

किराए के भवनों में चल रहे जनपद शाहजहांपुर के प्राइमरी और सीनियर बेशिक प्राइमरी पाठशालाएं

246—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में प्राइमरी पाठशालाओं और सीनियर बेसिक पाठशालाओं के कितने ऐसे स्कूल हैं, जिनके पास अपने भवन नहीं हैं और वह किराए के भवनों में चल रहे हैं, उनमें पढ़ाई हेतु कमरों, शौचालयों एवं पीने के पानी के पानी की स्थिति क्या है ? इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद् क्या प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में नगर क्षेत्र शाहजहांपुर के 60 बेसिक विद्यालयों में से 36 प्राइमरी पाठशालाओं व 1 सीनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला तथा नगर क्षेत्र तिलहर के 18 विद्यालयों में से 12 प्राइमरी पाठशालाओं के अपने भवन नहीं हैं और वे किराये के भवनों में चल रहे हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विद्यालय किराये के भवन में नहीं चल रहा है। नगर क्षेत्र शाहजहांपुर के तीन विद्यालयों में कमरों की व्यवस्था नहीं है क्योंकि उनके भवन जीर्ण होने के कारण गिर गये हैं। इन स्कूलों की कक्षायें खुले स्थान पर लगायी जा रही हैं। नगर क्षेत्र शाहजहांपुर के 7 विद्यालयों में शौचाल एवं 28 विद्यालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है। किराये पर चल रहे स्कूल भवनों में विभाग की ओर से आवश्यक कक्षों एवं शौचालयों की विधिक दृष्टि से निर्माण सम्भव नहीं है।

भोला राम मसकरा इन्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक का पत्र

247—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे के भोलाराम मसकरा इन्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने 1 सितम्बर, 81 से 10 नवम्बर, 1981 के बीच शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां।

पत्र गोपनीय है।

प्रश्न नहीं उठता है।

मधुकर कागज उद्योग, अल्मोड़ा द्वारा आयातित कागज तथा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

348—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताड़ीखेत, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में "मधुकर कागज उद्योग" नाम का कोई उद्योग चल

रहा है ? उक्त उद्योग को वार्षिक किस दर पर किस किस्म का कितना कागज आवंटित होता है ? उक्त उद्योग में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां 4 वर्ष 1979-80 तथा उसके पश्चात् इकाई का उत्पादन नगण्य रहा है । इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है । वर्ष 1977 में इकाई को लगभग रु0 1,59,000 का कागज आयात करने का लाइसेन्स प्राप्त हुआ था । जिसके विरुद्ध 4967 किलो साफ्ट एण्ड एब्सोर्वेन्ट टिशू पेपर तथा 4134 किलो वेजीटेबुल पार्चमेन्ट पेपर आयात किया था । वर्ष 77-78 एवं 78-79 में उत्पादन के समय इकाई में 5 व्यक्ति कार्यरत थे ।

जिला बुलन्दशहर में नियुक्त डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल द्वारा कार्यभार

249—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में गत जून, जुलाई, 1981 में एक डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल की नियुक्ति की गई थी ? क्या अभी तक डी0 आई0 एस0 ने चार्ज नहीं लिया है, जिसके कारण जिले में शिक्षा कार्य अवरुद्ध पड़े हैं ? यदि हां तो आगे क्या व्यवस्था की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां, अगस्त, 1980 में नियुक्ति की गई थी । दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 को सम्बन्धित अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण-कर लिया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

काकोरी शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मीरनपुर कटरा, शाहजहांपुर के कला अध्यापक श्री राम बहादुर शर्मा की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही

250—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के काकोरी शहीद उ0 मा0 विद्यालय, मीरनपुर कटरा में श्री राम बहादुर शर्मा, कला अध्यापक, की नियुक्ति 8-7-72 को 2/3 जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में स्थायी रूप से की गई थी परन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हाई स्कूल में कला विषय पढ़ाने के लिए वांछित योग्यताएं न होते हुए भी श्री शर्मा का उच्चीकरण 1-5-78 को राजाज्ञा सं0 5583/पन्द्रह-8-3100/1973, दिनांक 3-10-74 तथा शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक अर्थ (1)/2359, दि0 30-4-75 के विपरीत किस आधार पर कर दिया गया ? क्या इस अनियमितता के दोषी व्यक्ति के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री राम बहादुर शर्मा के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई (10) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सक्षम अधिकारी कर रहे हैं । इसके बाद अन्य कार्यवाही की जायेगी ।

बी0 के0 हायर सेकेन्ड्री स्कूल, कानपुर के हरिजन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा समिति के सम्बन्ध में पत्र

251--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर के बी0 के0 हायर सेकेन्ड्री स्कूल के हरिजन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल, दिवाकर आदि की सेवाएं अवैधानिक रूप से समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1981 को, जो पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवेदन-पत्र संलग्न कर शिक्षा राज्य मन्त्री को दिया गया, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का लेखा-जोखा अद्यावधिक न रखे जाने की जांच

252--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1971 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस मामले में देरी के लिए जिला परिषद् के दो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सम्बन्ध में तथ्यों के विधेयक से ज्ञात हुआ कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण क्षेत्र के भविष्य निधि के जो अभिलेख उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त 1 अगस्त, 1972 को जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् फर्रुखाबाद को हस्तान्तरित हुये वे केवल अगस्त, 1967 तक ही पूर्ण थे । अतः जिला परिषद् फर्रुखाबाद के अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य को अद्यावधिक न रखने के लिये उत्तरदायी हैं । वर्ष 1972 के उक्त अभिलेखों के हस्तान्तरण के उपरान्त उनके 1-11-1980 तक अद्यावधिक न किये जाने के लिये जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, फर्रुखाबाद के अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं । उक्त कार्य के अद्यावधिक न रखने के लिये जिला परिषद् व बेसिक शिक्षा परिषद्, फर्रुखाबाद के कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं इसकी जांच की जा रही है । ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा के स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण

253--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 1981 से 30 अक्तूबर, 1981 के बीच बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा के कितने अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गये और इनमें से कितने निरस्त किए गये ? उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण करने तथा निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिल्सी, बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री केशव राम, विधायक का पत्र

254--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्सी जनपद बदायूं में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्थानीय विधायक केशव राम द्वारा दिनांक 31-3-1981 को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या लगाए गये आरोपों की जांच करायी गयी तथा जांच के दौरान कितने आरोप सही पाए गए तथा क्या कोई कर्मचारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

इसलामिया स्कूल, अकबरपुर, फैजाबाद को आर्थिक सहायता

255--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस्लामिया स्कूल, अकबरपुर, फैजाबाद जो 1967 से चल रहा है तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त इस्लामियां स्कूल को सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय क्वींस इन्टर कालेज, वाराणसी में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत

256--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्वींस इन्टर कालेज, वाराणसी में अनियमितताओं की शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को एक जुलाई, 1981 से 31 जुलाई, 1981 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद से बसोहरी बाजार (भीटी ब्लाक) में कन्या विद्यालय खोलने पर विचार

257--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फैजाबाद के बसोहरी बाजार (भीटी ब्लाक) में कन्या विद्यालय खोलने हेतु ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना-पत्र

उप मन्त्री युवा कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1981 को दिया गया पत्र प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कब तक विद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

बसोहरी बाजार भीटी ब्लाक में प्राइमरी विद्यालय व बसोहरी बाजार से 2 कि0 मी0 पर शान्ति देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय चल रहा है जिससे यहां की आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं इसलिए सम्प्रति विद्यालय नहीं खोला जा रहा है ।

कृषक इन्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, देवरिया में लिपिक की नियुक्ति में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री कुबेर भण्डारी, विधायक का पत्र

258--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि लिपिक की नियुक्ति हेतु कृषक इन्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा किये गये अनियमितता की शिकायत विधायक (श्री कुबेर भण्डारी) द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 1981 को शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संलग्न सहित प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा फर्जी चेक बुकों से चेक जारी कर धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

259--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 से 25 फरवरी, 1980 तक के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा चेक बुक संख्या 3870 से बहुत चेक काट करके लाखों रुपये फर्जी तरीके से अध्यापिकाओं का प्राविडेन्ट फंड तथा बिल्डिंग का रुपया एवं दूसरे मदों का निकाल कर दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इस चेक बुक के पहले की कटी हुई चेक बुकों की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी और इस बात की भी जांच करायेगी कि जो चेक बुक ट्रेजरी से दिया गया था उसकी जगह फर्जी चेक बुकें कहां से और कैसे बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राप्त की हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की सम्पति की जांच की मांग

260--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच करायेगी जो इन लोगों ने क्रमशः सोनियां व जिला कारागार के सामने आलीशान मकान वाराणसी में खड़ा किया है । यह धन कहां से आया है ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, क्वीन्स कालेज, वाराणसी के अवशेष वेतन का भुगतान

261--श्री मो0 शफीउर्रहमान अन्सारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प), क्वीन्स कालेज, वाराणसी के सन् 1965 से चले आ रहे अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले मुकदमा नं0 149 (1) 1977, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 एवं रिवाइज एप्लीकेसन के फैसले दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के बावजूद भी अभी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जावेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प) को आंशिक भुगतान किया जा चुका है । शेष भुगतान हेतु बिल प्रीआडिट हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे गये हैं । प्रीआडिट के पश्चात् अवशेष का भुगतान करना सम्भव होगा ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भदुसुआ, ईसापुर, सहारनपुर से सेवानिवृत्त श्री जटाशंकर त्रिपाठी की पेंशन तथा अवशेष वेतन

262--श्री जगदीश सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भदुसुआ, ईसापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 19 अक्तूबर, 1968 को श्री जटा शंकर त्रिपाठी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवा निवृत्त किये गये और उनको अभी तक न पेंशन दी गई और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महानगर ब्वायज हाई स्कूल, लखनऊ के मृत अध्यापक श्री जनार्दन पन्त के आश्रितों को त्रिलाभ योजना के अन्तर्गत लाभ

263--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जबकि राजाज्ञा संख्या 5310/15/8-3004-2-1974, दिनांक 1 मार्च, 1978 द्वारा शिक्षकों को लाभत्रयी योजना लागू की गई है, क्या यह सही है कि इस संस्था में इस योजना को विलम्ब से लागू करने के कारण श्री जनार्दन पन्त, जिनकी मृत्यु 26 मार्च, 1979 को हो गई के आश्रितों को शासन के आदेश के बावजूद इस लाभ से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश की तिथि से ही उक्त स्व0 शिक्षक के परिवार को त्रिलाभ योजना के अन्तर्गत लाभ दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सन्दर्भित राजाज्ञा द्वारा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा निवृत्ति लाभ में परिवर्तन उन्हें राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई थी । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में द्विभाषी टंकण का कार्य करने वाले अवर वर्ग सहायकों को प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार

264--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त (सामान्य) अनुभाग के राजाज्ञा संख्या जी-1-2380/दस-211/81, दिनांक 4 जनवरी, 1982 के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषीय आशुलिपिकों, वैकल्पिक सहायकों को प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने का प्राविधान किया गया है, के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायक जो द्विभाषी टंकक का कार्य कर देते हैं, जिनसे टंकक का कार्य लिया जाता है, को उक्त प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने हेतु विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायक, टंककों की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए उन्हे उल्लिखित शासनादेश में द्विभाषी टंककों को स्वीकृत प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 2-2-82 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का संशोधित उत्तर

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री रियासत हुसैन के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का दिनांक 2-2-82 को दिए गए उत्तर का संशोधन ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1982 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित श्री रियासत हुसैन के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का दिनांक 2-2-82 को दिए गए उत्तर का संशोधित उत्तर।

प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
4--क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-7-1981 को ग्राम बसंतनगर, थाना उझानी, जनपद बदायूं में जो दिन दहाड़े कृष्णपाल सिंह की हत्या पुलिसजनों द्वारा की गई, जिसकी जांच हाकिम परगना द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो जांच आधार पर उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?	4--दिनांक 22-7-1981 को धारा 392/397/307 भा0 दं0 वि0 के अपराध की जांच हेतु थाना उझानी की पुलिस ग्राम बसंतनगर पहुंचने ही वाली थी कि खबर पाकर अभियुक्त कृष्णपाल सिंह गांव के पश्चिम ओर भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त और पुलिस दल के बीच गोली का आदान-प्रदान हुआ जिसमें अभियुक्त कृष्णपाल सिंह मारा गया। इस घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा की जा रही है।	4--प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-7-1981 को धारा 392/397/307 भा0 दं0 वि0 के अपराध की जांच हेतु थाना उझानी की पुलिस ग्राम बसंतनगर पहुंचने ही वाली थी कि खबर पाकर अभियुक्त कृष्णपाल सिंह गांव के पश्चिम की ओर भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त और पुलिस दल के बीच गोली का आदान-प्रदान हुआ, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त कृष्णपाल सिंह मारा गया। इस घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा की जा रही है। स्वरूप कुमारी बख्शी, गृह मन्त्री।

आज की कार्य सूची के कतिपय प्रश्नों के उत्तर स्थगित कराये जाने पर आपत्ति

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, नियमावली में है कि कोई सवाल जिसकी सूचना 1 माह पहले दी गयी हो, वह स्थगित नहीं किया जायगा। आज के ही एजेन्डे में आप प्रश्न संख्या 90 देखें। इसे तीसरी बार स्थगित किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 और सवाल थे जो क्रम संख्या 222, 239, 240, 241, 242, 243 और 256, इनमें से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले सत्र से चले आ रहे हैं। तो अगर यह निश्चय हो जाये कि सरकार प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहती है....

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दें ?

श्री पंचानन राय--

आप कृपया एक मिनट सुन तो लें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस समय निर्णय नहीं दे सकता हूं ।

श्री पंचानन राय--

तो मान्यवर, सवाल इस तरह से स्थगित नहीं होने चाहिये ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री प्रयाग ध्वज सिंह के निधन की सूचना प्राप्त न होने पर आपत्ति

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, अभी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

मान्यवर, यह कितना गम्भीर मामला है । ये कितनी बचकानी बात पर आ गए। इस पर किसी मन्त्री को तुरन्त खड़ा होना चाहिए था । हम अपने भूतपूर्व सदस्यों के दिवंगत होने पर उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर सकते हैं ?

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, विधान मंडल के जो पुराने सदस्य दिवंगत हो जाते हैं, उनके बारे में स्टैन्डिंग आर्डर्स हैं कि जिलाधिकारी उनकी मृत्यु की सूचना तत्काल इस सदन तक आपके माध्यम से पहुंचायेंगे । मैं स्वर्गीय प्रयाग ध्वज सिंह की मृत्यु के दूसरे दिन उनके परिवार में गया था और फिर 17 फरवरी को गया, तब तक भी यहां पर कोई सूचना नहीं थी । मैंने यहां आकर आपके सचिवालय के पुस्तकालय में सूचना दी । आपके यहां से टेलीफोन गया, टेलीग्राम गया, फिर रिमाइंडर भी 16 मार्च को गया और यदि आपकी ओर से रिमाइंडर न जाता तो सम्मानित दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की हमको सूचना न मिलती । इस प्रकार से हमारे पूर्वज दिवंगत हो जाते हैं और श्रद्धानत होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते हैं । दूसरे आपने शासन को निर्देश दिया, लेकिन कोई मंत्री खड़ा नहीं हुआ । तो आपकी ओर से यह स्पष्ट हो जाये कि जो माननीय सदस्य दिवंगत हो जाते हैं, उनके बारे में जिलाधिकारियों की ओर से प्रखंड स्तरों पर आदेश चला जाये कि जो माननीय सदस्य दिवंगत हो जाते हैं, उनके बारे में सूचना एक हफ्ते के अन्दर यहां पर आ जाये । और लापरवाही का यह एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है और अगर हम लोग प्रयास न करते तो यह आपके सामने सूचना आ भी न पाती ।

श्री शंकर सिंह--

एक मिनट कृपया मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । माननीय मोहन सिंह जी ने जिस सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकृष्ट किया और माननीय शंकर सिंह जी भी कहना चाहते थे, इस तरह के निर्देश तो पहले भी हो चुके हैं कि ऐसी सूचना तत्काल दी जाया करे, लेकिन आज जो बात सदन में आई, उससे स्पष्ट है कि तत्काल सूचना नहीं आई और उसमें देरी हुई । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री, नेता सदन से फिर कहूंगा कि वे ऐसे निर्देश जारी करें हर जिलाधिकारी को कि वे ऐसी सूचनाएं तात्कालिक प्रभाव से तुरन्त भेजा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खाद्यान्न एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)--

मान्यवर, आपने जो अभी निर्देश दिया है और माननीय मोहन सिंह जी ने जो बात कही है, वह उचित ही है और हम निश्चय ही यह यत्न करेंगे कि भविष्य में, हमारे जो साथी दिवंगत हों, उनके निधन की सूचना अविलम्ब भेजा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री प्रयाग ध्वज सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)---

मान्यवर, स्वर्गीय श्री प्रयागध्वज सिंह के निधन पर हम सब को बहुत दुख है। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और गांधी जी के साथ स्वाधीनता संग्राम में, सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था तथा अपना योगदान करते हुये, स्वाधीनता के अर्जन में, जो भूमिका अदा की थी वह सदा सराहनीय रही है और सदा स्मरणीय रहेगी । वे इस सम्मानित सदन में 1937 में विधायक चुन कर आये थे । स्थानीय समस्याओं में भी उनकी अटूट रुचि थी। वे कई वर्षों तक जिला परिषद् के सदस्य रहे और अध्यक्ष भी रहे । कई शिक्षा संस्थाओं से भी उनका सम्बन्ध रहा । उनके उठ जाने से निश्चय ही इस प्रदेश की महान क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना असम्भव है । उन्होंने अपने त्याग और बलिदान से जो देश की सेवा की वह भुलायी नहीं जा सकती । आज उनके न रहने से सामाजिक जीवन में जो रिक्तता आ गयी है उसके लिये हम सभी बहुत दुखी हैं और उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की अनुकम्पा करें ।

*श्री मोहन सिंह---

स्वर्गीय श्री प्रयाग ध्वज सिंह के सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री सिंह के दिवंगत होने से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महान विद्वान, ईमानदार और सामाजिक कार्यकर्त्ता उठ गया है, शिक्षा जगत का एक प्रतिष्ठित सेवक उठ गया और उनके रिक्त स्थान की पूर्ति होना सम्भव नहीं है । मेरा उनके साथ निकट का सम्बन्ध रहा है । सन् 1921 में, उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में सविज्ञा आन्दोलन में भाग लिया । उस समय देवरिया जिला भी नहीं था, उन्होंने सबसे पहले बाबा राघवदास जी के साथ सत्याग्रह में भाग लिया । उन्होंने बाद में म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद से बी0 ए0 तथा एल0 एल0 बी0 पास किया। वकालत उन्होंने एक दिन भी नहीं की और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते रहे । जनता के हितों की वकालत करते रहे और स्वतन्त्रता प्राप्त करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया । 1930 में जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ था, उसमें ठाकुर साहब सत्याग्रही थे । बाबा राघवदास के सहयोग से आपने सत्याग्रह आन्दोलन में प्रशंसनीय कार्य किया । 1935 का ऐक्ट आने के बाद जो विधान सभा का निर्वाचन हुआ था, उसमें बाबा राघवदास का पर्चा खारिज हो गया था और इस हैसियत से ठाकुर साहब को इस विधान सभा में आने का अवसर मिला था । 1942 की जो क्रांति हुई थी, उस संघर्ष के चलाने में इन्हीं योग्य लोगों का योगदान था। उस जमाने में गोरखपुर जिले की तहसील देवरिया थी । श्री रघुपति सहाय फिराक, डा0 राजबली पाण्डेय, श्री शिब्बन लाल सक्सेना, बाबा राघवदास के नेतृत्व में 4-5 ऐसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम हैं, जो आसानी से लिये जा सकते हैं। जब जिला परिषद् का गठन हुआ, उसमें वह जीतकर हमारे जिले में जिला परिषद् के अध्यक्ष हुए। अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति, बहुत बड़े परिवार के रहते हुए भी, जो पारिवारिक बहुत सम्पत्ति उनके पास थी, वह गरीब, पिछड़े, हरिजनों की सेवा के लिए उन्होंने अर्पित किया, ऐसे जमाने में जब कि सामन्त परिवार में पैदा होने के बावजूद भी सम्पत्ति का संचय नहीं किया। ऐसे समय में राष्ट्रीय आन्दोलन का झंडा उठाया।

स्वर्गीय डा० सीताराम, जो इस आदरणीय सदन में बहुत दिनों तक सदस्य रहे और मंत्री पद पर भी रहे, जो गरीब परिवार में थे, ठाकुर साहब ने अपनी दौलत लगाकर, को न कि इस देश में बल्कि विदेश में भेजकर पढ़ने का अवसर दिया। वह विद्वान थे, उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचनाएं की। उन्होंने इन ग्रन्थों की रचना काव्य और इतिहास के रूप में लिखा है। डा० राजबली पाण्डेय जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने उनके इन ग्रन्थों से प्रेरणा लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा है। ऐसे व्यक्ति के निधन से सामाजिक क्षेत्र में एवं शैक्षिक क्षेत्र जगत में रिक्तता आई है। उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं, लेकिन उनके आदर्श और त्यागमय जीवन का स्मरण करके, उनका मनन और नमन करके मार्ग दर्शन ले सकते हैं और प्रेरणा के रूप में स्मरण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी यह संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

स्वर्गीय प्रयागध्वज सिंह के निधन पर जो इजहार शासन की ओर से माननीय खाद्य मंत्री और लोक दल की ओर से माननीय मोहन सिंह ने किया है मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, एक-एक करके आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमसे बिछुड़ते चले जा रहे हैं। स्वर्गीय प्रयागध्वज ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। 1937 में एम० एल० ए० एलेक्ट हुए। ऐसे लोग बहुत कम रह गये हैं, जिन्होंने 1937 के ऐक्ट आने के बाद जो पहला एलेक्शन हुआ 1937 का, उसमें वह जीत कर आये हों, जब अंग्रेज का शासन था, उस समय ये इस सदन में आकर बैठे हों और उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो। 1937 में ऐसे साथी एलेक्ट होकर आये थे। वह लड़ाई लड़कर आये थे। उन्होंने वह लड़ाई लड़ी थी कि ऐसी लड़ाई बहुत कम लड़ी जा सकती थी। श्री प्रयाग ध्वज सिंह जब 1948 में पहली बार उत्तर प्रदेश में जिला परिषद् के एलेक्शन हुए, तो वह जिला देवरिया में जिला परिषद् के अध्यक्ष चुने गये, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग हुई थी और उस डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग में जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और वह उस चुनाव को जीते थे। पब्लिक उनको कितनी अच्छी नजर से देखती थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद जिस तरह से देश की उन्होंने खिदमत किया न केवल अपने जिले के बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया है। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि मेरी व मेरे दल की भावना को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री प्रयागध्वज सिंह के निधन पर जो विचार शासन की ओर से माननीय खाद्य मंत्री, लोकदल के मुख्य सचेतक श्री मोहन सिंह और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आजादी की लड़ाई में, सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उच्च स्तर का रहा है। उन्होंने जो सेवा उत्तर प्रदेश की की है और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वह आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उन्होंने निर्बल वर्ग की सहायता की जब कि जैसा मोहन सिंह जी ने कहा वह ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनकी परम्परा दूसरी थी। आजादी की लड़ाई की प्रेरणा पाकर उन्होंने अपना सब कुछ समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। यह उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। मैं अपने दल और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी भावना को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री अकबाल हुसैन--

स्वर्गीय प्रयागध्वज सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके बारे में जो विचार, नेता सदन की ओर से माननीय खाद्य मंत्री ने विरोधी पक्ष से लोकदल के मोहन सिंह और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किया है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री सिंह एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और बहुत पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तब इस सदन में एक सदस्य के रूप में जो सेवा इस प्रदेश की किया वह सराहनीय है। श्री सिंह ने पिछड़े और दबे हुए को उठाने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में समाज के उद्धार के लिए, जो काम किया, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो काम किया, वह हमारे प्रदेश व देवरिया जनपद के लिए जो सेवा की वह सराहनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी व मेरे दल की भावना को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष, माननीय खाद्य मंत्री, लोकदल के श्री मोहन सिंह और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार स्वर्गीय प्रयाग ध्वज सिंह के निधन के सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, श्री सिंह देवरिया जनपद के थे लेकिन उन्होंने केवल देवरिया जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेश के नौजवानों को प्रेरणा दिया। चौरीचौरा की परम्परा को आगे बढ़ाने वाले श्री सिंह का काशी विश्वविद्यालय में बहुत नाम था। मुझे काशी विश्वविद्यालय का छात्र रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। जैसा श्री मोहन सिंह ने बताया कि डा० राजबली पाण्डेय उनके प्रशंसकों में थे, वह इतिहासकार थे और उन्होंने स्वर्गीय सिंह के बारे में जो लिखा है स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि हमारे दल की शोक संवेदनायें श्री सिंह के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं स्वर्गीय सिंह के सम्बन्ध में जो आदरणीय खाद्य मंत्री, लोकदल के नेता श्री मोहन सिंह तथा अन्य दलों के नेताओं ने विचार व्यक्त किए हैं, उससे मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, मैं यह महसूस करता हूं कि श्री सिंह इस प्रदेश के पूर्वांचल के एक बहुत बड़े नेताओं में थे जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से यह साबित किया कि दुनिया या जीवन में सत्ता ही सब कुछ नहीं है बल्कि सेवा भी उससे ऊंची होती है । इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि उनके दुखी परिवार को हमारी संवेदनाएं मान्यवर, आप पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय खाद्य मंत्री, श्री मोहन सिंह तथा अन्य दलों के नेताओं द्वारा जो विचार स्वर्गीय प्रयागध्वज सिंह के बारे में व्यक्त किए गए हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । वह जिस परिवार में पैदा हुए और जिस सन्दर्भ में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया उसमें से निकलकर स्वतन्त्रता की लड़ाई मे भाग लेना और उस परिवार से निकलकर गरीबों के प्रति सद्भाव रखना और उनकी मदद करना उस जमाने में, आज तो इस तरह का सद्भाव व्यक्त करना एक आम बात हो गयी है, लेकिन उस समय, ऐसी बात की अभिव्यक्ति और कर्तव्यपरायण होना अनोखी बात थी। उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और पूर्वांचल में सामन्तशाही परिवारों मे स्वतन्त्रता संग्राम में आने वाले, पिछड़े एवं गरीब वर्ग के प्रति समर्थक एवं उनकी भावनाओं और कष्टों को जानने वाले ऐसे व्यक्ति, जिसका हर काम एक आदर्श का काम था, वह आज हम लोगों के लिए एक अनुकरणीय वस्तु है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं और आप सब की अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचाऊंगा ।

अब हम 2 मिनट के लिए मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

आज की कार्य-सूची के कतिपय प्रश्नों को स्थगित कराये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल मैं करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो कार्य शुरू नहीं हुआ है तो व्यवस्था का प्रश्न कहां आ गया । आप बैठ जायं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है और आपके नियमों का उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके जो प्रश्न अनुत्तरित हैं या जो शिकायत है उसको लिखकर दे दें जिसको देखने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायगी और फिर कोई शंका होगी तो सदन में यहां उठाना चाहें तो उठा लेंगे । इसलिये आप लिखकर दे दें ।

निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर, जनपद इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, 279 मंझनपुर क्षेत्र, जनपद इलाहाबाद में विकास खंड कनैली तथा सरसवां में भारी पत्थर व ओला गिरने से अनेकों गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जानवर मरे हैं। किसानों की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। भारी पत्थर से कच्चे खपरैल के मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं। किसानों के पास खाने-पीने को कुछ भी नहीं रह गया है। जानवरों में श्री अंसार अहमद की दो पड़िया (भैंस) जो भकन्दा गांव के निवासी हैं मरने की सूचना तथा उक्त सभी सूचनायें जिलाधीश तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को दी गयी हैं, परन्तु अभी तक कोई तात्कालिक सहायता नहीं दी गयी।

मान्यवर, जनपद में मंझनपुर क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है, शहर से 60 कि0 मी0 जमुना के किनारे बांदा के बार्डर पर है, इस दशा में जहां फसल शत-प्रतिशत नष्ट हो गयी है, किसान, कमजोर वर्ग के लोग दाने-दाने के मुहताज हैं व अपनी भूख मिटाने के लिये शहर की ओर भी नहीं जा सकते हैं। गरीब व खेतिहर मजदूर ऐसी दशा में भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में तुरन्त राहत कार्य शुरू किया जाय। लगान पूरी तरह से माफ किया जाय। जानवरों के मरने वाले किसानों को अनुदान दिया जाय तथा गरीब खेतिहर मजदूरों को तुरन्त काम दिया जाय।

उन गांवों की सूची जो शत प्रतिशत फसल नष्ट हुए और जिनके जानवर मरे हैं :—

ब्लाक कनैली—

1—बैरोचा
2—सोनवारा
3—महिला
4—धाना
5—ऐगवां
6—छेकवा
7—दिया
8—भकन्दा
9—जलालपुर
10—लोहकट
11—कैलाशपुर प्रभावर
12—झड़िया
13—लाला का पुरवा
14—चुन्नी का पुरवा
15—धर्मपुर
16—कोल्हुवा
17—लाला का पुरवा

ब्लाक सरसवां—

18—शाहपुर
19—महेवा
20—कटरी डेढ़वाल
21—चांदे राई
22—पबोसा आदि

सीतापुर की जेल अधीक्षिका द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में पिपरावां संघर्ष समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं ।

सीतापुर जिले में घनश्याम वर्मा, निवासी पिपरावां संघर्ष समिति, सीतापुर के तत्वावधान में 5 व्यक्ति अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर घनश्याम वर्मा, चेतराम, सुन्दर लाल, छंगा लाल, गजोधर लाल, कल 11 बजे से जेल गेट पर बैठ गये । सरकार से इनकी मांग है कि सीतापुर जेल अधीक्षिका ने अपने कार्यकाल में अत्यधिक भ्रष्टाचार किया है । उन लोगों ने कुछ प्रमाण पर्चा बांटकर जनता और सरकार के सामने रखे हैं। उपरोक्त साथियों का कहना है कि लोकदल द्वारा जेल भरो आंदोलन में जो सत्याग्रही लगभग 2,200 जेल गये उनके रखरखाव पर केवल टेन्ट और दरी का किराया 42,000 रुपये दिया गया तथा 15 सितम्बर, 1981 को लहरपुर क्षेत्र के सत्याग्रही सत्याग्रह करके आये जेल में स्थान न होने के कारण धर्मशाले को जेल बनाया गया। उस रात्रि के भोजन पर 4,000 रुपये ठेकेदार को दिया गया । जेल कर्मियों द्वारा आंदोलन करने पर जेल में बंदी विचाराधीन बंदियों की जांच के समय बंदियों से अधीक्षिका महोदया ने कहा कि जेल के अन्दर जिन बंदियों के पास रुपया हो वह स्वतः जमा कर दें और छूटने पर उन्हें वापस मिल जायेगा। लोगों ने पैसा जमा किया और वापस नहीं दिया गया। उदाहरण के तौर पर कन्हैया लाल से 68 रुपये जमा कराया गया। छूटने पर वापस नहीं दिया गया। जिन बंदियों ने छूटने पर अपना पैसा मांगा उनको जेल कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन के समय जेल में लगी आग के द्वारा नष्ट हुई वस्तुओं के विरोध में बंदियों का नाम आगजनी में दर्ज कराकर मुल्जिम बनाया। इसी प्रकार जेल अधीक्षिका ने अपने कार्यकाल में कुछ कैदियों को सजा काटने के पहले ही भ्रष्टाचार करके छोड़ने का काम किया है। इस प्रकार जेल अधीक्षिका ने जेल को भ्रष्टाचार से ओतप्रोत कर दिया है। सीतापुर जिला यों ही अधिकारियों के लिए चरागाह बना हुआ है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि तुरन्त जेल अधीक्षिका की जांच के आदेश करके भूख हड़तालियों की भूख हड़ताल समाप्त कराने की व्यवस्था की जाय ।

जे0 के0 जूट मिल्स के मजदूरों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खैरुल बशर—

जे0 के0 जूट मिल्स, कानपुर के 3,800 मजदूर जे0 के0 जूट मिल पंचायत, सी0 आई0 टी0 यू0 तथा जे0 के0 जूट मिल्स कांग्रेस के आह्वान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खैरुल बशर--]

पर अपनी न्यायसंगत मांग को लेकर 13 फरवरी, 1982 से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर हैं। जे0 के0 जूट मिल देश के बड़े इजारेदार घरानों में तीसरे नम्बर पर हैं। जे0 के0 ग्रुप सिंहानिया की अकूत मुनाफा वाली इकाई है। परन्तु प्रबन्धकों की मजदूर विरोधी एवं हठवादी नीतियों तथा सरकार और उसके श्रम विभाग की प्रबन्धकों के प्रति नर्मी की नीति के चलते इस हड़ताल को एक महीना पूरा हो गया है। इससे पूर्व 11 दिसम्बर, सन् 1981 को एक दिन की शत प्रतिशत सफल हड़ताल करके प्रबन्धकों को मजदूर चेतावनी भी दे चुके थे कि यदि मालिकों का रवैया न्यायोचित न हुआ तो वो अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धकों की होगी। परन्तु जे0 के0 ग्रुप सिंहानिया अपनी मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीति पर अड़ा हुआ है उत्पादन वर्ष का साल होते हुए भी श्रम विभाग कान में तेल डाले बैठा है और प्रबन्धकों पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, उल्टे मजदूरों को आतंकित करने के लिए 27 ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को मनमाने आरोप लगाकर निलम्बित कर दिया गया है।

सिंघानिया ग्रुप जो इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन का सदस्य होते हुए भी रुपया 1·30 पैसा प्रति अंग मंहगाई-भत्ते के अनुसार इस नियम को जो बंगाल में लागू है, यहां लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इस हड़ताल से मजदूरों की न्यायोचित मांगें ठुकराई जा रही हैं। उत्पादन रुका पड़ा है और हजारों आदमी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण गम्भीर राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया है। लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना को सरकार के संज्ञान में लाकर समस्या का समाधान चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री श्री मुहम्मद अमीन के वाराणसी आगमन पर उनका स्वागत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह लाकर निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विगत 14 मार्च, 1982 को पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री श्री मुहम्मद अमीन के वाराणसी पहुंचने पर न तो उनके ठहरने की कोई व्यवस्था ही की गई और न प्रोटोकोल नियम के अनुसार कोई अधिकारी ही उनके स्वागतार्थ स्टेशन गये।

परिवहन मंत्री श्री अमीन वाराणसी की कई संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वाराणसी आये थे और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा इसकी सूचना बहुत पहले उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परम्परा का उल्लंघन करके एक दूसरे प्रदेश के मंत्री की उपेक्षा किए जाने से उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है, साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार का अपमान भी हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त घटना से एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिर एक दूसरे प्रदेश के मंत्री की उपेक्षा राजनैतिक कारणों से की गई है अथवा अधिकारियों की लापरवाही से प्रदेश की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई गई है। प्रदेश की जनता इस प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषी है।

प्रदेश के पूर्वांचल में बस कमेरा जातियों के समक्ष जीवन-यापन की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, प्रदेश के पूर्वांचल में इस समय समाज के निर्बल वर्ग कमेरा जातियों के समक्ष जीवनयापन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्ष का यही समय होता है जबकि बड़े खेतिहर कृषकों के खेत खलिहान में भी कोई काम नहीं रह जाता। इसलिए समाज के गरीब वर्ग भूमिहीन, खेतिहर मजदूर बिना काम का हो जाता है तथा उसके समक्ष परिवार के प्राण-रक्षा की समस्या खड़ी हो जाती है।

गत वर्षों में इसी समय जब कि ऐसे भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता था तो शासन द्वारा चलाये गये काम के बदले अनाज योजना में खटकर अपना पेट पाल लेता था। परन्तु उस कार्यक्रम को भी बन्द कर दिया गया है जिसके कारण लोग तबाह हो रहे हैं। जाड़े की ठिठुरन में बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जिनको आलू तथा रस पर दिन रात गुजारना पड़ रहा है। पूर्वांचल के जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, मिर्जापुर में विशेष रूप से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा कमेरा जातियों के लोगों के समक्ष तबाही की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इन जनपदों में बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो मजदूर हो कर इन दिनों में बाल-बच्चों के साथ शहरों में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं तथा वहां ईंटा, गारा तथा रोज की दिहाड़ी का काम करके प्राणरक्षा करते हैं। वे वापस तब लौटते हैं जबकि समाज के बड़े खेतिहर किसानों के घर में तथा खेत में काम करने की जरूरत पड़ती है।

समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब मजदूर, भूमिहीन, निर्बल वर्ग प्रत्येक वर्ष इन्हीं महीनों में तबाही का विशेष रूप से शिकार होता है, जो एक चिन्तनीय विषय है। इस वर्ग के लोगों को आत्म निर्भर बनाये जाने की विशेष योजना बनायी जानी चाहिए।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए तत्काल कोई काम के बदले अनाज जैसी योजना चलाकर उनकी प्राणरक्षा की जाय तथा विशेष योजना चलाकर लघु तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से इनकी समस्याओं का स्थायी हल निकाला जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 का पंचम प्रतिवेदन†

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 का पंचम प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार करने, लेखों की लेखा परीक्षा कराने तथा शासन द्वारा उनके वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा बजट विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना आपके समक्ष दी जानी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपना दिनांक 15 मार्च, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के दिनांक 30 मार्च 1982 के उपवेशन में जो विधेयक विचार एवं पारण हेतु निर्धारित हैं उनके अतिरिक्त उसी दिन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में निम्नांकित समय निर्धारित किया जाय:

(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार--आधा घंटा।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण--एक घंटा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना सदन में आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज इस सदन में दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यअ--

कार्य-स्थगन की नौ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें से--

पहली सूचना-- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नन्दराम तथा श्री जटाशंकर सिंह की--सेना के अधिकारी लाइसेन्सशुदा असलहा विक्रेताओं द्वारा डाकुओं को हथियार दिए जाने के सम्बन्ध में है।

---

†छापा नहीं गया।

दूसरी सूचना--श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री मसरूर जाफरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा श्री खैरुल बशर की बाराबंकी जिले में सफदरगंज थानान्तर्गत दो सगे भाइयों की हत्या के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिए जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना--श्री बलवीर सिंह की काशीपुर शुगर मिल, जिला नैनीताल के श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना--श्री शंकर सिंह की है, प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री भारत सिंह चौहान की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में तथा श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री रियासत हुसैन, श्री रामगोविन्द चौधरी की भी इसी सम्बन्ध में है।

आठवीं--है श्री माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती जनपद में निरन्तर हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में और 9वीं है श्री किरन पाल सिंह की उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा प्रदेश की सीमा विवाद से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में। ये सारी सूचनायें जो हैं....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सुन लें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बैठ जायें आप लोग पहले। राजेन्द्र कुमार जी, आप का कार्य-स्थगन के रूप में एक दिन और आया था और अस्वीकृत हो चुकी है। आप जानते हैं कि जो अस्वीकृत हो चुकी है उसको पुनः नहीं लाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पृष्ठभूमि बदली हुई है, मान्यवर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाराबंकी के सम्बन्ध में कई सूचनायें नियम 51 में आयी हैं उन पर हमने विचार किया है और कार्य-स्थगन की सब सूचनायें अस्वीकृत की गई हैं....

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

बैठ जायें । बैठ जायें । आप सब लोग बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कुख्यात दस्यु सरगना छबिराम मारा गया और उसका एक साथी मथुरा सिंह गिरफ्तार हुआ उसने कहा है कि सेना के अधिकारी से हथियार मिलते थे और पुलिस से हमको सूचना मिलती थी । लाइसेन्स शुदा असलहे विक्रेताओं के नाम दिए हैं । राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ कौन-कौन लोग उसको संरक्षण दिया करते थे, बताया है तो मान्यवर, सेना पर, पुलिस पर एक अविश्वास और अनास्था प्रकट हो रही है । इसलिए यह आवश्यक है कि वस्तुस्थिति से सदन को...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सामान्य प्रशासन का बजट आ रहा है । उसमें आप बहस करें ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, इतना मारा, इतना मारा कि वह मर गया और उसकी लाश को सड़क पर डाल दिया तथा ट्रक वालों से कहा कि इसको कुचल दो ....

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें । अपने मन से न कहें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मेरे जिले में साढ़ूपुर और देवली के हत्याकांड के बाद छात्रों ने सत्याग्रह किया है....

(व्यवधान)

परीक्षायें शुरू हो गई हैं और वे जेल में हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री दीना नाथ--

कोई सत्याग्रह नहीं हुआ है बस्ती जिले में,

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भारत सिंह चौहान की संदिग्ध मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह लखनऊ की घटना है, बहुत गम्भीर घटना है। भूतपूर्व मंत्री, श्री भारत सिंह चौहान यहीं होटल में ठहरे हुए थे और उनका ऐसी परिस्थितियों में निधन हुआ है जिससे सन्देह होता है कि उनको जहर दिया गया है। माननीय मोहन सिंह वहां गए लेकिन उनको लाश नहीं दिखाई गई। वे चार-बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है जिसके वह शिकार हुए।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। स्वर्गीय भारत सिंह चौहान चार बार इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आये थे और शासन में भी वह रहे उनको एक विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी मौत जिन हालात में हुई है वह अजीबोगरीब हो गई और उस पर पर्दा डालने की पूरी-पूरी कोशिश शासन की तरफ से की जा रही है। चूंकि उनकी मौत के कुछ राजनीतिक कारण सामने आ रहे हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और चूंकि लखनऊ में इतनी बड़ी घटना का हो जाना एक बहुत बड़ी बात है और इसका बड़ी महत्ता हो गई इसलिए आप इस पर किसी भी सूरत में चाहे सदन के उठने से पहले स्टेटमेन्ट दिलवा दें या किसी न किसी तरह की कोई व्यवस्था जरूर करें।

*श्रीमती महारानी दोहरे--

स्वर्गीय भारत सिंह चौहान से मेरे परिवार का और मेरा उनसे बहुत ही नजदीकी का सम्बन्ध था और मैं यह बताना चाहती हूं कि कल सबेरे प्रेमनाथ दीक्षित, जो उनके बहुत नजदीकी थे, मेरे कमरे पर आये, उस समय मैं स्नान कर रही थी उन्होंने कहा कि आप किसी तरीके से किसी मंत्री के यहां से इटावा इन्फार्म कर दीजिए कि भारत सिंह चौहान का निधन हो गया है। मैं तुरन्त ही कपड़े पहन कर बाहर आई और ग्राम्य विकास मंत्री के यहां से डी० एम० को फोन किया और उसके बाद यहां हस्ताक्षर करके मैं अस्पताल पहुंची लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे भाई मोहन सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं। वह एक सम्मानित व्यक्ति थे जिनकी डेड बाडी को हम लोगों को मानवता के आधार पर फूल-मालाओं से सजा कर उनका अन्तिम संस्कार करना चाहिए था लेकिन उनके परिवार का एक भी व्यक्ति वहां नहीं था। जब दुबारा शाम को हम लोग फिर वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनकी डेड बाडी को मेडिकल कालेज भेज दिया गया और जिस तरह से उनका दाह संस्कार करना चाहिए था, वह नहीं हुआ और मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी मृत्यु हुई है। उनका लड़का मुझसे मिला और उनसे मेरी बात हुई है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, बाराबंकी में सफदरगंज की पुलिस ने दो सगे भाइयों को उनके घर से बुलाया और रास्ते में उनको इतना मारा कि उनकी मौत हो गई उसके बाद उन पर गोली चला दी और जब वह मर गए तो एक ट्रक वाले को लाए और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी—]

उससे कहा कि इनके ऊपर ट्रक चढ़ा दो लेकिन जब ट्रक वाले ने मना कर दिया तो एक फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़ी गई, बिल्कुल फर्जी। मान्यवर, यह दोनों सगे भाई थे एक का नाम पृथ्वीपाल था और एक का जग प्रसाद। मान्यवर, इनका कोई रिकार्ड भी खराब नहीं है। उन लोगों को उनके घर से ले जाया गया। अब मैं दो शब्द भारत सिंह चौहान के बारे में भी कहना चाहूंगा। कल जब यह खबर मिली तो हमारे दल के माननीय मोहन सिंह जी वहां गए, उनको लाश नहीं दिखाई गई। मान्यवर, क्या कारण और क्या रहस्य था कि एक भूतपूर्व विधायक की मृत्यु हुई थी और एक विधायक के कहने पर उसको लाश न दिखाई जाय।

श्रीमती महारानी दोहरे—

यह बात बिल्कुल गलत है। लाश बरफ की थैली के ऊपर रखी हुई थी, मैं झांककर देख आई थी।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह झांककर देख आई थीं लेकिन माननीय मोहन सिंह के कहने पर उनको लाश नहीं दिखाई गई थी। मान्यवर, यह मौत रहस्यमय है और इसमें शासन को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विधिवत् उसका पोस्टमार्टम कराकर उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जब मुझे यह दुखद समाचार मिला तो मैं वहां पहुंचा। मेरा भी उनसे पारिवारिक सम्बन्ध रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो डाक्टर सक्सेना से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि लाश किसको मिलेगी, उनके परिवार का कोई नहीं है, तो मैंने कहा कि हमको लाश दे दीजिए। हम अपने यहां ले जाकर रखेंगे। डाक्टर सक्सेना ने कहा कि लाश पुलिस कस्टडी में है आप वजीरगंज थाने से सम्पर्क करिए और मैंने जब वजीरगंज थाने में फोन किया तो जवाब मिला कि लाश का पोस्टमार्टम होगा आपको नहीं दिखाई जायेगी तब मैंने यहां भी कुछ चर्चा कर दी और यह मेरी निश्चित जानकारी है कि वे 3-4 दिन से यहां थे और यात्रिक होटल चारबाग में ठहरे थे, मैं जब अपने घर जा रहा था तो हुसैनगंज में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। किसी तरह की उनको कोई बीमारी नहीं थी। डाक्टर सक्सेना ने एक बात और कहा कि सुबह चार बजे जब बलरामपुर अस्पताल लाये गये तो उनका पूरा शरीर ठंडा था क्योंकि मरने के दो घंटे बाद तक तो थोड़ी बहुत गर्मी शरीर में रहती है। वह बहुत पहले मरे थे और उनका काज आफ डेथ हम नहीं लिख सकते। यदि बलरामपुर के डाक्टर काज आफ डेथ लिख देते तो उनकी डेड बाडी को मेडिकल कालेज न ले जाना पड़ता। मान्यवर, एक संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई, उस पर तमाम रहस्य हैं इसलिये इसपर वक्तव्य आ जाना चाहिए। रात को डेढ़ बजे उनके लड़के आये और डेढ़ बजे रात को मैंने लाश को लदवाया और फूल मालाओं से लादकर ही वह लाश इटावा गई है और सुबह तक पहुंच गई होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, स्वर्गीय भारत सिंह चौहान की मृत्यु से सभी दुखी हैं लेकिन मृत्यु के बाद कोई राजनैतिक प्रकरण बनाना या सरकार पर या किसी पर कोई सन्देह व्यक्त करना या जो माननीय सदस्यों द्वारा सन्देह व्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में कल सायंकाल जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो एक सज्जन बहुत ही गुस्से में आये और कहने लगे कि जो लोग उनके जिन्दा रहने पर उनसे बदला नहीं ले सके वह अब उनकी मृत्यु के बाद इस तरह की बातें विधान सभा में और बाहर उड़ा रहे हैं, इसको आप रुकवाइये तो हमने कहा कि यह क्या बात हो गई है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

कौन सी बात विधान सभा में आयी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

माननीय मोहन सिंह के पास यही काम रह गया है, उनके पास दूसरा कोई धंधा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का कार्य स्थगन प्रस्ताव कल अस्वीकृत हुआ था और आज भी अस्वीकृत हुआ है और सभी अस्वीकृत हैं।

आपने अभी जिस विषय के ऊपर, भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री भारत सिंह चौहान के विषय में कहा आप में से बहुत से लोग उनसे परिचित हैं, मैं भी उनसे परिचित हूं। मैं उनके साथ काम कर चुका हूं और संयोग से साधारण परिचय के अलावा भी बहुत अवसर में उनके साथ रहा हूं। स्वतः मुझे उनकी मृत्यु से बड़ा आश्चर्य और दुःख है और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं चाहूंगा कि उनकी मृत्यु के विषय में कि कैसे, किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, स्वाभाविक मृत्यु हुई या किस कारण से, किस ढंग से मृत्यु हुई, इसकी सही जानकारी करने में, कि सही बात क्या है वास्तविक बात क्या है, इस सम्बन्ध में सबको दिलचस्पी होनी चाहिये और वास्तविक बात सामने आनी चाहिये और अगर प्राकृतिक मृत्यु के अतिरिक्त कोई बात हुई तो उस सम्बन्ध में तत्काल जानकारी प्राप्त करके उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। इसलिये मैं शासन पक्ष को निर्देशित करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य जानकारी हासिल करके दें। इस पर कब तक आप वक्तव्य दे सकेंगे ?

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष—]

आप दूसरी तरह से उठाइये इसको, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह नहीं आ सकता ।

(व्यवधान)

आप दूसरे रूप में उठाइये ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आपको कोई सुनता तो है नहीं । आखिर सरकार इस पर कब तक वक्तव्य देगी ? यह तो मालूम हो जाना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

18 या 19 की शाम को, जब भी आप चाहें ।

श्री अध्यक्ष—

तो 18 तारीख को इस पर वक्तव्य होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, कल और परसों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व गृह विभाग के बजट पर चर्चा है और माननीय भारत सिंह चौहान की जो यह घटना हुई है, बड़ी गम्भीर घटना है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी तो मैं यह चाहता था कि कल और परसों से पहले ही इस सम्बन्ध में सरकार से सूचना मिल जाय तो कल और परसों उसका सदन में उपयोग हो सकेगा ।

श्री अध्यक्ष —

(राज्य गृह मंत्री से) कल आप दे सकें तो दे दें ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, जब आपने एक निर्णय दे दिया तो फिर उसके बाद इस तरह से समय का दुरुपयोग करना उचित नहीं है । इसलिये आप आगे की कार्यवाही लें ।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरी तरह से इस प्रश्न को उठाइये । यह कार्य स्थगन के रूप में नहीं आ सकता ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, गृह राज्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य देते हुए सदन को धमकाने की प्रवृत्ति जाहिर की है। इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहा कि लोकदल के माननीय सदस्य श्री भारत सिंह चौहान के बारे में प्रश्न उठाना चाहते हैं, उसे आप रुकवाइये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस माननीय सदन का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को धमकी दे सकता है?

श्री अध्यक्ष--

कोई धमकी नहीं दे सकता है। आप बैठिये।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे)

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

शान्त हो जाइये.. बैठ जाइये..इसे अन्य प्रकार से उठायें।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर,, बुलन्दशहर जिले के सिकन्दराबाद..

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये, अन्य प्रकार से उठायें, कार्य-स्थगन में नहीं आ सकता।

श्री किरनपाल सिंह--

इसकी सीमा हरियाणा से मिलती है, हरियाणा के लोग बुलन्दशहर..

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, माननीय दलगंजन सिंह बैठें..

श्री किरनपाल सिंह--

दो लोग गोली से मार दिये गये हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कार्य-स्थगन में अस्वीकृत हो गया, अन्य प्रकार से उठाने की कोशिश कीजिए, इसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं..

(श्री किरनपाल सदन से उठ कर चले गये)

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 74--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

[1 बजकर 16 मिनट]

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश तथा आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 74--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,19,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75 . . . .

(व्यवधान)

श्री राम सागर--

[× × ×]।

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायगा।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,46,00,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(व्यवधान)

(श्री राम सागर सदन त्याग कर चले गये)

श्री जमुना प्रसाद--

दो सगे भाइयों को पुलिस ने मार दिया है। इस पर चर्चा करा दें बहुत महत्वपूर्ण है. . . .

श्री अध्यक्ष--

अगला विषय लिया जा रहा है. .

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस प्रदेश की. . . .

(व्यवधान)

(श्री जमुना प्रसाद सदन त्याग कर चले गये।)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री दलगंजन सिंह--

हरिजनों को हत्या के बारे में नहीं सुनते, इन लोगों के साथ में भी सदन का त्याग करता हूं..

(श्री दलगंजन सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री वीर बहादुर सिंह--

हमें गांवों को मजबूत करना पड़ेगा। गांवों में कृषकों का मुख्य धन्धा कृषि है। कृषि को पानी देकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमारे प्रदेश में 174 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। उसमें से 81-82 तक 95.19 लाख भूमि को हम सिंचाई व्यवस्था कर पाये हैं जो 36 प्रतिशत आता है। अभी बहुत सी भूमि ऐसी है जिसे सिंचाई सुविधा प्रदान करनी है। हम उत्तर प्रदेश की सिंचन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। पूरे देश का 25 प्रतिशत हम कर रहे हैं। यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष में 25 प्रतिशत कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम हमारे प्रदेश के लिए हो रहा है। आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जमीन इतनी उपजाऊ है कि पूरे प्रदेश की जमीन के लिए अगर हम पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो हम प्रदेश को मजबूत बना सकते हैं प्रदेश की गरीबी दूर कर सकते हैं, लोगों को खाना, कपड़ा, मकान दे सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। मुझे खुशी है जिस तरह से प्राइरिटी सेक्टर में रख कर सिंचाई विभाग को महत्व बढ़ा है। इससे हमारे प्रदेश का बहुत फायदा हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे सीमित साधन हैं, जो हमारे रिसोरसेज हैं उनका सही और ज्यादा उपयोग कैसे करें। हमारे प्रदेश की जो सिंचाई की कास्ट है वह सारे देश की कास्ट की 60 प्रतिशत होती है और लगभग आधी कास्ट में हम ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं और इस तरह से हम सबसे कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं।

यह खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं जिनसे हमें बराबर पानी मिलता रहता है। लगभग सारी नदियां टेम कर दी गई हैं चाहे वह गंगा नदी हो, जमुना हो, शारदा हो या घाघरा हो, इन सब नदियों से हमें बराबर पानी मिलता रहता है। राप्ती में भी हम बैराज बना रहे हैं। इसी तरह से गन्डक को भी टेम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि इन नदियों में जितना भी पानी है, उसका सर्वे कराकर जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां उसका इस्तेमाल किया जाय ताकि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो भी प्रयास हम कर सकें, करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पास अन्डर ग्राउन्ड वाटर है, जो पानी वहां प्राप्त है, हमें इस बात की खुशी है कि वह किसी और को प्राप्त नहीं है। इस वक्त वर्तमान जो हमारी अन्डर ग्राउन्ड वाटर की क्षमता है वह 65 मिलियन हेक्टेयर फिट है और इसमें से 35 मिलियन हेक्टेयर फिट को इस्तेमाल कर सके हैं। 18 हजार नलकूप लगा पाये हैं। इस तरह से जो हमारा अन्डर ग्राउन्ड पानी है उसका उपयोग करके हम 50 हजार नलकूप लगा सकते हैं। यह हमारी क्षमता है। इस प्रकार जब हमें नदी का

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

पानी और अन्डर ग्राउन्ड वाटर मिल जायेगा तो हम अपने यहां दो-फसली पैदावार कर सकते हैं और हर खेत को दो पानी दे सकते हैं और सघन खेती कर सकते हैं। यह भी सही है कि जिस दिशा से हम चल रहे हैं उसकी रफ्तार काफी अच्छी है। जो हमारी योजनायें चल रही हैं, जो 6ठीं पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके अनुसार हम 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई कर सकेंगे।

मान्यवर, इस वर्ष को हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्पादन वर्ष घोषित किया है इसका फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम अपनी पैदावार को बढ़ायें, सिंचन क्षमता को बढ़ायें। इस तरह से जो सिंचाई की छोटी-छोटी स्कीम्स हैं, माइनर इरीगेशन है, बन्धियां बनाने की स्कीम्स हैं, जो कि कम समय में यानी 2/3 साल में पूरी हो जायं जिससे हम जल्दी ही खेतों को पानी दे सकें। मान्यवर, वर्ल्ड बैंक से हमें 500 ट्यूबवेल मिले थे जिनमें छिद्रण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। हमारे कुछ पश्चिमी जिले जैसे शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली और कुछ जिले ऐसे हैं जैसे जौनपुर, मथुरा, आगरा जहां हम पानी ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। इधर गोंडा, बहराइच, बस्ती ऐसे जिले हैं जहां पानी की बहुत कमी है जहां हम सिंचाई की सुविधा नहीं दे पाये हैं। बस्ती, गोंडा, बहराइच में तो 6/7 प्रतिशत ही हम व्यवस्था कर पाये हैं। बुन्देलखंड है, जो कि बहुत सूखा है, वहां पर बहुत काम करना है। जहां हमने इस वर्ष 1,400 ट्यूबवेल लगाने थे वहां अब हमने इस वर्ष 2 हजार ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खेतों को पानी दे सकें। हम 1,500 ट्यूबवेलों का उर्जीकरण भी करेंगे। जो शिकायतें होती थीं, नलकूप का छिद्रण तो हो जाता था लेकिन पानी दो साल बाद मिलता था, और इस तरह से वह वेस्टेज में जाता है उसके लिये हमने यह व्यवस्था की है कि हम वहां पर 6 महीने के अन्दर पानी पहुंचा देंगे। उर्जीकरण करके और नाली आदि बनाकर 6 महीने के अन्दर खेतों को पानी पहुंचा देना है। तभी हम इसका सही ढंग से उपयोग कर पायेंगे।

दूसरी बात यह है कि जितनी हमारी नहरें बन गई हैं लेकिन उन पर गूल नहीं बनी हैं, उसके लिये प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द जो हमारी क्षमता है उसका हम कैसे उपयोग करें।

मान्यवर, हमने यह भी प्रयास किया है कि जो जिले बहुत सूखे थे जहां पानी की सुविधा नहीं थी उनके लिए योजना बनाई है। हमने जैसा कहा कि गोंडा, बहराइच, बस्ती और कुछ हिस्सा गोरखपुर का, जहां हम पानी नहीं पहुंचा पाये हैं उसके लिए सरयू सहायक योजना जो करीब तीन सौ करोड़ की है बनाई है इससे हम लगभग 14.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर सकेंगे। यह तराई का बेल्ट जो बहुत सूखा है और बहुत उपजाऊ भी है उसको हम सिंचाई की सुविधा दे सकेंगे यह हमारा प्रयास है और जल्दी से जल्दी उसमें हमारा प्रयास है कि काम शुरू करें। इसमें 3, 5 या 7 साल लग सकते हैं, लेकिन उसमें जो काम पहले हो सकता है जहां लिफ्ट लग सकती है वह लगाई जा रही है। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि जो बाद में कैनाल बनने से सीपेज होता है, उसे दूर करने के लिए नालियों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय ताकि नहरों से प्राप्त पानी का पूरा उपयोग हो जाय।

इसी तरह से मुरादाबाद, बिजनौर और बदायूं के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वहां के लिए गंगा नहर के पानी को पहुंचाने की बात है। तो इस तरह से कई स्कीमें हमने बनाई हैं जो सूखे एरियाज हैं उनमें पानी पहुंचाने के लिए योजना बनाई हैं। बहुत सी जगहों का नाम नहीं लिया इसके माने यह नहीं हैं कि वह छूट गये हैं। जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन सबको हम देख रहे हैं। जिले का जो प्लान बनाया गया है उसमें ट्यूबवेल भेज रहे हैं। जिन ब्लाकों में पानी की कमी है और साधन कम हैं उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उससे भी फायदा होगा।

हमने बड़ी-बड़ी स्कीम बनाई जैसे टिहरी परियोजना, इससे बिजली पैदा होगी। दो चरणों में काम होगा, पहले चरण में एक हजार मेगावाट बिजली मिलेगी और दूसरे चरण में एक हजार मेगावाट मिलेगी। इससे 2.70 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। इसी तरह लकवाड़ बांध की योजना है जो 251 करोड़ रु0 की है। इससे भी चार सौ बीस मेगावाट बिजली की व्यवस्था है और सिंचाई का भी व्यवस्था है। हमारी पूर्वी यमुना नहर में, जहां पानी की कमी रह जाती है तो इससे 49, 570 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से किशाऊ बांध बना रहे हैं उससे भी हमें बिजली मिलेगी और पश्चिमी जिलों की नहरों की क्षमता बढ़ाई जायेगी।

शारदा सहायक योजना हमारी बन गयी है इसमें जो जिले आये हैं उनको काफी फायदा हुआ है। लेकिन अभी बहुत से माइनर बनने हैं उसमें कहीं पर जो जमीन मिलनी थी उसमें स्टे हो गया है जिसको काफी समय हो गया है। हमारा प्रयास है कि उसे जल्दी से जल्दी साल दो साल के अन्दर निपटाया जाय ताकि शारदा सहायक से जितना फायदा हो सकता है वह लोगों को मिल सके।

इसी प्रकार सरयू और मध्य गंगा नहर बनाकर हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। बुन्देलखंड में पोथा बांध है। तथा नेपाल से जो हमारी नदियां आती हैं जैसे सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक आदि इनसे पूर्वांचल के तराई बेल्ट में बहुत बाढ़ आ जाती है। वहां से इतना पानी आता है कि जहां हम उस क्षेत्र में बांध बांधने का प्रयास करते हैं और इस साल हमने जो बांध बनाये थे वह टूट गये। बन्धे इसलिए टूट गये कि जिस रिकार्ड पर हमने बन्धे बनाए थे वह रिकार्ड ही टूट गया। इसके कारण आज फिर हम उसको ऊंचा करने जा रहे हैं। तो इसका सही समाधान तभी हो सकता है जब हम इन नदियों पर रिजरवायर बनावें और इस तरह पानी को रोकें, उससे बिजली की व्यवस्था करें और उसे बाढ़ से बचा सकें, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। इस विषय में नेपाल सरकार से बात हो रही है कि हमें इजाजत दे दी जाए बांध बनाने की, लेकिन जब तक नेपाल से समझौता नहीं हो जाता, हमारे वश में नहीं है कि हम कुछ कर सकें। परन्तु भारत सरकार भी इस दिशा में हमारे लिए प्रयास कर रही है। बुन्देलखंड में जो बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई हैं, जैसे राजघाट बांध, जिससे हम सिंचाई करेंगे। हम चाहते हैं कि उसका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। बेतवा रिवर बोर्ड द्वारा वह निर्माण कराया जा रहा है, दोनों यह प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह हो जाए। इसके निर्माण में

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों का बराबर बराबर हिस्सा रहेगा। राजघाट बांध से 1.42 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई होगी। इसी प्रकार बान-सागर बन रहा है, जिससे इलाहाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी जनपदों की करीब 2.5 लाख एकड़ भूमि की आसानी से सिंचाई हो सकेगा। साथ ही मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के साथ हमारा जो कनहर नदी का झगड़ा पड़ा हुआ था, वह तय हो गया है। अभी कुछ दिन पहले इस बारे में मध्य प्रदेश, बिहार व हमारे प्रदेश के बीच समझौता हो गया है। इससे अब यह काम भी तेजी से चलेगा। इसके साथ ही ग्रेटर गंगऊ बांध है, उस परेशानी को भी हम दूर करेंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार से बात कर रहे हैं, ताकि उनमें पानी बहे और अतिरिक्त सिंचाई हम कर सकें। छोटे-मोटे और रिजरवायर बनाकर हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारा बुन्देलखंड का क्षेत्र हरा-भरा हो जाए। इसके लिए इसके साथ ही हम बुन्देलखंड में ज्यादा से ज्यादा नलकूपों की व्यवस्था कर रहे हैं।

पिछले बहुत समय से यहां पर सदन में और बाहर आये दिन पंचनद के बारे में चर्चा हुआ करती थी। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ था। अब इस पर डिटेल सर्वे हो रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि पंचनद बन जाए और जिससे सिंचाई आदि की व्यवस्था के साथ-साथ डाकू उन्मूलन का काम भी हो सके। इसके द्वारा फतेहपुर, मैनपुरी व इटवा आदि के जो जिले हैं उनको पानी मिलेगा और बहुत सी जमीन हम रिक्लेम कर लेंगे। यह बहुत बड़ा काम हो रहा है। यह मथुरा और आगरा जिला खारा पानी वाला एरिया है। हम वहां पर आवश्यक मात्रा में पानी नहीं दे पाते हैं। मथुरा और आगरा जिलों में तो लाखों टूरिस्ट्स भी बाहर से आते हैं, उनको अच्छा-मीठा पानी पीने को नहीं मिल पाता है, इसलिए अब मथुरा में एक बैराज बनाया जायेगा, और पम्प कैनाल बनवाने के लिए भी हम वहां पर सर्वे करा रहे हैं, ताकि वहां पर जलाशय बन सके, पीने के पानी की सुविधा हो सके और दूसरे प्रकार की सुविधाएं हो सकें और सिंचाई की सुविधा हो सके। हमने यह भी किया है कि जहां पर खारा पानी है, उसके लिए अब सर्वे कर रहे हैं कि वहां पर कितनी गहराई तक खारा पानी है और उसके कितने नीचे मीठा पानी उपलब्ध है। यदि वहां मीठा पानी मिलता है तो वहां भी हम कोशिश करेंगे कि मीठा पानी निकालकर लोगों को देने की व्यवस्था करें। हम अलग से यह स्कीम बना रहे हैं जिससे खारा पानी का दुख दूर कर सके।

सीपेज के बारे में बार-बार शिकायत आती है, उससे बहुत नुकसान होता है। जो हमारी गंडक की नहरें, पुरानी नहरें और शारदा सहायक की नहरें हैं, उनसे जो सीपेज होता है, वाटर लेवेल ऊंचा हो जाता है। इसके लिए मान्यवर, हम सीपेज ड्रेन बनवा रहे हैं। साथ ही साथ हम आगमेन्टेशन नलकूप भी लगवा रहे हैं ताकि इससे सीपेज रुके। साथ ही हम नहरों के पानी को बढ़ा रहे हैं ताकि हम ज्यादा खेतों को पानी दे सकें। इस तरह से हमने प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए तमाम स्कीमें बनायी हैं।

जहां तक हमारे पर्वतीय क्षेत्र की बात है उसकी ओर हमारा विशेष ध्यान गया है क्योंकि वहां पर छोटे-छोटे खेत होते हैं और उनमें पानी न मिलने पर फसल सूख जाती है। अभी तक जो हमने पर्वतीय क्षेत्र में कार्य किये

हैं वे इस प्रकार हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित नैनीताल में 138 किलोमीटर नहरें हैं, अल्मोड़ा में 185 किलोमीटर, पिथौरागढ़ में 200 किलोमीटर, पौड़ी में 200 किलोमीटर, चमोली म 100 किलोमीटर, देहरादून में 245 किलोमीटर, टेहरी में 292 किलोमीटर, और उत्तरकाशी में 128 किलोमीटर नहरें हैं और इनकी सिंचन क्षमता नैनीताल में 32,320, अल्मोड़ा में 2,080, पिथौरागढ़ में 2 090, पौड़ी में 2,865, चमोली में 1,415, देहरादून में 13,325, टेहरी में 3,488 और उत्तरकाशी में यह 1,547 हेक्टेयर होगी, तो यहां पर भी जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं, उनमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम और काम कर सकेंगे।

बाढ़ का जहां तक सम्बन्ध है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि न आये। जो नदियां नेपाल से आती हैं, वे तराई के इलाके में जैसे बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया ऐसे जिले हैं जिनमें घाघरा, गन्डक और राप्ती नदियों के किनारे जो जिले हैं वे तबाह होते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी इलाके में जो यमुना नदी के किनारे पर कटान हो जाता है। वहां भी बाढ़ के सम्बन्ध में हम जितना काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। इस काम के लिए 22 1/2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था लेकिन वहां पर 25 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं की कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। हर महीने हम उनकी प्रगति को देखते हैं कि कितना काम हुआ है और कहीं पर कोई कमी तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं। इसके लिए हमने विभाग का पुनर्गठन किया है। सुपरवाइजर्स, असिस्टेन्ट इंजीनियर्स की जिम्मेदारी ठहरायी है। इसी प्रकार यू विभाग में जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर्स हैं या चीफ इंजीनियर हैं उनकी भी जिम्मेदारी ठहरायी है कि उन्होंने सुपरविजन क्यों नहीं किया। साथ ही साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक सिंचाई के क्षेत्र में हम उन्नति कर सकें। जब तक नैपाल सरकार से बातचीत के बाद समझौता नहीं हो पाता है तब तक हम तराई क्षेत्रों में, जैसे बहराइच, गोंडा, गोरखपुर आदि में रिजरवायर बनवा दें ताकि बरसात का पानी रुक सके।

सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यह है कि 24 घंटे हमारे ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिल पाती है और जितनी क्षमता हम क्रिएट करते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस कार्य के लिए हम कैप्टिव प्लान्ट लगवा रहे हैं ताकि हम इन ट्यूबवेल्स को अबाध बिजली दे सकें।

(व्यवधान)

दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम हम करने जा रहे हैं, वह यह है कि जो हमारी बड़ी बड़ी मल्टी परपज के लिए स्कीमें बनती हैं उसके लिये जो बड़े बड़े कान्ट्रेक्टर्स आते थे उन्होंने अपनी एक मोनोपोली सी बना रखी थी और जैसा वे चाहते थे करते थे। इसके लिये अब हमने अपने यहां एक बहुउद्देशीय एवं जल विद्युत प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। यहां हम अच्छी-अच्छी मशीनें रखेंगे और इसके लिए लोगों को ट्रेन्ड करेंगे ताकि यह लोग अपने प्रदेश में जो काम हो उसको तो करें ही, दूसरी जगह भी काम कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, आपने मुझे

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

सिंचाई विभाग के अनुदान पेश करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा करें ताकि आने वाले समय में सिंचाई क्षमता को और बढ़ाया जा सके, कमियों को दूर किया जा सके ।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियाहत हुसैन--

माननीय मंत्री जी कृपया इतना और बतला दें कि प्रति नलकूप लास कितना आ रहा है, एवरेज लास जो आ रहा हो कृपया उसे बता दे ताकि डिबेट में आसानी हो ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अधीन, मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं अपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा बजट माननीय सिंचाई मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ कल्पनायें और कुछ सपने आगे आने वाले वर्षों के लिए दिखाये हैं । पिछले 32 सालों से कितने ही सपने हम देखते आ रहे हैं जो पूरे नहीं हो सके और फिर भी इनकी तबियत उनसे नहीं भरी और आज भी यह सपनों के आधार पर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, कब तक आखिर जनता इन सपनों पर विश्वास करती रहेगी ? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का भी जिक्र हुआ । यह खुशी है कि उसमें एक सूत्र सिंचाई से भी संबंधित है । मुझे पुराना 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी याद है जिसके कारण 20 महीने बाद ही यह सरकार चली गयी, अब दोबारा फिर यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया है, अब पता नहीं कितने दिन बाद यह सरकार जायेगी ।

(व्यवधान)

उसके शिकार आपके साथ साथ हम भी हो गये । (व्यवधान)

मान्यवर, जो बातें माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बतायीं उसमें यह नहीं मालूम हो सका कि आखिर सरकार की सिंचाई नीति है क्या ? यह सरकार किस प्रकार से सिंचाई क्षमता को बढ़ाना चाहती है ? यह सही है कि कृषि के लिये और उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिये पानी का बहुत महत्व है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि अगर किसी वर्ष मानसून फेल हो जाये तो आप पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर पायेंगे ? अगर मानसून फल न भी हो, वर्षा कम हो तो क्या आप पानी पूरा दे पायेंगे, आप इस स्थिति में क्या हैं ? आपके सिंचित साधनों ।

से प्रदेश को केवल 23 प्रतिशत भूमि ही सिंचित हो पाती है। 23 प्रतिशत में भी आप इस स्थिति में नहीं हैं कि अगर वर्षा न हो तो आप पानी का प्रबन्ध कर सकें। यदि इस स्थिति में आप नहीं हैं तो यह 4 अरब रुपये का बजट आप किसलिये मांग रहे हैं। यह लेकर आप आगे आने वाले वर्षों में क्या करेंगे ?

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

आगे आने वाले 10 साल में आप क्या करेंगे ? आप इस स्थिति में नहीं आये कि 23 परसेंट कृषि योग्य भूमि को आप इतनी सिंचाई दे सकें कि बिना वर्षा के वहां पर खेती हो सके।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, इनका कुनवा तो डूब गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप संनियंत्रित हों। आपस में बात करना उचित नहीं गंगवार जी को छूट है। वे परम्परा से अलग हैं।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आपके माध्यम से कहता हूं कि इनका कुनवा डूब गया।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

आप बैठे-बैठे कहते हैं ? आपका कुनवा तो डूब गया, तभी तो आप उधर जाकर बैठ गये। मान्यवर, अगर सदस्य यह पढ़ लिये होते तो यह स्थित न पैदा होती आपने पढ़ा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हुकम सिंह आपके पढ़ने में और आपकी जिद्दता में कोई शक नहीं है। समय कम है बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री हुकम सिंह--

एक तो आपकी जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, उनके बारे में जो आपने कहा, जो आपकी मध्यम योजनाए और लघु योजनाएं हैं, उनके बारे में भी आपने बात कही। क्या अभी तक जब से आपने या आपकी पार्टी ने सत्ता सम्भाली है, 1977 के पहले भी जो आपकी बहुउद्देशीय योजनाएं थीं और स बार जब से आपकी पार्टी ने सत्ता सम्भाली, क्या उनमें से एक योजना को भी आप गिना सकते हैं, जो अब तक आपने पूर्ण की हो। आप देखें, सबसे पहले जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना शुरू की गयी थीं, वह थी राम गंगा। 1961 में वह शुरू की गयी थी उसके ऊपर जो प्राक्कलन किया गया था, वह 67 करोड़ 98 लाख का था। आज 170 करोड़, 82 लाख उस पर आप खर्च कर चुके हैं

[श्री हुकम सिंह--]

जिस योजना को मुकम्मल करना था 67 करोड़ 98 लाख में, आज आप 170 करोड़ 82 लाख खर्च करने के बाद, अभी भी आप कुछ न कुछ बजट इस के लिए मांग रहे हैं। आपने 1961 में शुरू किया, मुकम्मल नहीं किया। गंडक नहर परियोजना गोरखपुर की महराजगंज सदर तहसील एवं देवरिया की, सलेमपुर और पडरौना की, सिंचाई की योजना है, इसमें 1960-61 में काम शुरू हुआ, 50 करोड़ 38 लाख का प्राक्कलन था, लेकिन आज 85 करोड़, 55 लाख खर्च करने के बाद भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। टेहरी बांध की योजना कब से चल रही है ? क्या आगे आने वाले 10-20-30 साल में ऐसा आश्वासन आप इस सदन में दे सकते हैं कि गरीब प्रान्त के गरीब खजाने का कितना धन, रूपया खर्च कर मुकम्मल काम कर लेंगे। कभी-कभी यह बताया जाता है कि कभी-कभी भूमि अधिग्रहण करने में दिक्कत आती है, मान्यवर, यह तो एक बहाना है, असलियत यह है कि आपके जो मल प्राक्कलन होते हैं, वह उसी तरह के होते हैं, जो किसी मकान वाले को लोभ देकर मिस्त्री काम की शुरूवात तो करा देता है, लेकिन धीरे-धीरे गुरूवत् में जब दुगुना-तिगुना एस्टीमेट बनता है, तो योजना छोड़नी पड़ती है। करीब-करीब वही स्थिति इस सरकार की है। यहां पर योजनाएं सर्वे से नहीं बनती। यहां पर योजनाएं चुनाव घोषणाओं से बनती हैं। यहां पर योजनाएं इस पर बनती हैं कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से खड़ा हो रहा है और उसी समय में योजना की घोषणा कर दी जाती है इस बात की जानकारी किये बगैर के कितना खर्च आयेगा कितना उसका उपयोग होगा जैसे आपने दिखाये ऐसे ही अपने क्षेत्र की जनता को दिखाकर उनको आप लोभ देते हैं। यदि यह परियोजनायें आकलन के बाद में, सर्वे के बाद में, बनाई जायं, अपने संसाधन देखने के बाद बनाई जायं तो यह विडम्बना न पैदा हो।

मान्यवर, मैं दूसरी कठिनाई की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब परियोजना बनाई गई, भले ही आपके पास पैसा न हो लेकिन परियोजना में कितने अधिशासी अभियन्ता, कितने अधीक्षण अभियन्ता, कितने मुख्य अभियन्ता चाहिये और कितना स्टाफ चाहिये, तुरन्त इनका सृजन कर लिया जाता है और उनको वेतन दिया जाना शुरू कर दिया जाता है और लाखों रूपया महीना खर्च करके 2 साल के बाद आपके पास बजट में पैसा नहीं रहता और वह योजनायें बन्द करनी पड़ती हैं लेकिन वह पद चलते रहते हैं और उनको तनख्वाह मिलती रहती है। आपने उन परियोजनाओं के पदों की संख्या दी है। ऐसी भी परियोजना दी है जो बन्द कर दी गई और पद ज्यों के त्यों चल रहे हैं। मैंने पहले भी जानकारी चाही थी एक प्रश्न भी किया था। हमारे ही जनपद का मामला है। सौभाग्य से वहां के विधायक भी आपके पीछे बैठे हैं और मैं भी वहीं से आता हूं अपने विवेकहीन तरीकों से वहां पर हजारों निजी नलकूप लगा दिये गये कृष्ण हिंडन का अंचल उसके बाद आपके विभाग ने सर्वे किया और कहा कि यदि इसका शीघ्र उपचार न किया गया तो यह मरुस्थल बन जायेगा।

मान्यवर, यह 5 करोड़ की योजना थी पदों का सृजन कर दिया गया, अधिकारी वहां भेज दिये गये और 50 लाख रुपये खर्च करने के बाद यह सपना आया कि वहां की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये, वह परियोजना बन्द कर दी जाये। क्या ऐसी स्थानीय परिस्थितियां हैं। आपने वहां की परिस्थति को क्या देखा जिसके कारण आपको वह योजना रोकनी पड़ी। क्या स्थानीय परिस्थितियां यही हैं कि इस प्रदेश का 50 लाख रूपया खर्चा होने के बाद आप की कैबिनेट का एक मंत्री आपको पत्र लिख दे कि यह योजन

नहीं होनी चाहिये । क्या यही आधार है किसी रिश्तेदार की जमीन उसमें जा रही है इसलिये इस प्रकार की प्रस्तावनाओं पर 50 लाख रुपया खर्च करके, उसको बन्द करने हेतु जागृति है । इस प्रकार के आप काम करें और उसके बाद 4 अरब रुपया आप हमसे मांगने आये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा अपने कुछ और क्रियाकलाप बतायें है । जो मुख्य उद्देश्य आपका है । एक तो सिंचित क्षमता का सृजन करके सिंचाई देना और बाढ़ वाले साम, जब अधिक वर्षा हो गई और नदियों में अधिक पानी के कारण जन जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है । उससे जन जीवन की रक्षा करना ।

मैं आपसे जानना चाहता हूं आज तक 30 वर्षों में जब अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आई है आपके विभाग कहीं बाढ़ को रोकने मी सक्षम रहा । नहीं रहा क्यों नहीं रहा है, मैं माननीय मंत्री जी बताता हुं । हमने पूज्य बापू के चरणों में बैठकर भी अपने राष्ट्रीय चरित्र को नही बनाया झूठ बोलना सरकारी तौर से भी शुरू कर दिया । मान्यवर फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड दिल्ली में है । अगर दो राज्यों के बीच की बात आ जाती है तो काफी समय उससे स्वीकृति लेने में लग जाती है । श्रीमन् आज दो राज्यों के बीच में यह होड़ लगी हुई कि झूठ बोल कर किस तरह से यहां की जनता का पैसा लूट सके और बाढ़ की संज्ञा उसको दे दें ।

हरियाणा और उ0 प्र0 के बीच में जमुना नदी बहती है । वह ठोकर बना रहे हैं लेकिन बांध का नाम नहीं देंगे और कह रहे हैं कि सड़क बना रहे हैं । उत्तर प्रदेश को पता लगेगा कि हरियाणा में सड़क या बांध बन गया तो जमुना इधर आ सकती है, इसलिए आपका उस समय विभाग दौड़ेगा और सड़क का नाम देकर बांध पर करोड़ों रुपये खर्च कर देंगे। इस तरह से इस प्रदेश का और हरियाणा का करोड़ों रुपये खर्च हो चुका है और जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने का काम किया गया है । इन्होंने यह नहीं सोचा है कि जो हम विवेकहीन काम कर रहे हैं उससे बाढ़ कभी रुकेगी नहीं । इसलिए दिल्ली में जमुना का प्रकोप हुआ । इसलिए कम से कम इतनी मजबूती होनी चाहिये कि आफीशियल फाइल पर यह न करें क्योंकि आपने झूठ बोलकर अपने को ही धोखा दिया है और यह देश को धोखा देने का काम हो रहा है ।

मान्यवर, नहरों के आधुनिकीकरण की बात मंत्री जी ने कही है और जिससे सिंचन क्षमता बढ़ रही है । मान्यवर, सबसे पुरानी नहर इस प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर कही जाती है । पहले मंत्री जी ने कहा कि 1976-77 में एक हजार क्यूसेक पानी को बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर 9,31,00,000 रुपये की योजना थी, ताजेवाला बांध उसमें आता है । वर्ष 1972 से इस प्रदेश में हर सिंचाई मंत्री का बयान आया है कि मैं पहला सिंचाई मंत्री हूं जो हरियाणा से मिलकर उस बांध की समस्या को हल करेंगे । लेकिन वह समस्या हल नहीं हुई और हो रहा है कि बांध वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और लगभग समाप्त हो चुका है, उससे कोई पानी नहीं मिलता है, यदि पानी मिलता है तो नहर ठीक नहीं है ।

मान्यवर, जो पुस्तिका दी गई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वर्ष 1977-78 में यह योजना शुरू की 9,31,00,000 रुपये लागत के अनुमान से । वर्ष 1981-82 में कहा था कि पूरी हो जायेगी । आपने लक्ष्य 84-85 के लिए रखा है और इस वर्ष 90 लाख रुपये इसके लिए मांग रहे हैं । इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसका

[श्री हुकम सिंह--]

9 करोड़ 31 लाख इस्टीमेट आपका हो और 90 लाख रुपये लगाने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से 84-85 में उसको आप पूरा करायेंगे । इसलिए यह सपने की बात है । इस वर्ष जितने संसाधन हैं आगामी वर्षों से कोई आमूलचूल परिवर्तन इतना नहीं होगा कि प्रगति 100 फीसदी बढ़ जायेगी, इसलिये जितनी योजनायें आपने रखी हैं उसमें आंशिक पूंजी आप लगाने जा रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य जो चल रहा है वह टोकेन स्वरूप चलता रहेगा और मेजर काम नहीं होगा।

मान्यवर, मिर्जापुर में कनहर योजना 1978 में शुरू किया और 1982 में पूरा करने का लक्ष्य रखा था जिसका 27 करोड़ रुपये का एस्टीमेस्ट था । लेकिन रिवाइज्ड इस्टीमेट 90 करोड़ रुपये आपका हो चुका है । आपके विभाग को श्रेय हासिल है कि वह तीन प्रकार के आंकड़े पेश करते हैं--मूल आंकड़े, पुनरीक्षित आंकड़े और प्रत्याशित आंकड़ें । मूल आंकड़े कुछ होंगे, पुनरीक्षित कुछ और प्रत्याशित आंकड़े कुछ होंगे । आपके विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं कि मूल इस्टीमेट 1/3, 1/4, 1/5 बनाया जाता है और कोई भाग पूरा नहीं होता है, तो उसका क्या महत्व रह गया है । अब आप 1985 में उसको कम्पलीट करने जा रहे हैं । 3 करोड़ 15 लाख रुपये का इसके लिए प्राविधान है इस बजट में । यह योजना 90 करोड़ रुपये की है और 1985 में कम्पलीट होनी है तो आप कैसे इसको कम्पलीट कर पायेंगे । क्या कोई वर्ल्ड बैंक से टीम आने वाली है क्या उनका आश्वासन मिल गया है या वाशिंगटन या न्यूयार्क में बैठे हुए आपके कोई पोषक इसके लिए अरबी डालर की सहायता देने जा रहे हैं ? आपके जो संसाधन हैं उनको देखते हुये इन परियोजनाओं को कभी कम्पलीट नहीं किया जा सकता है, आप इन परियोजनाओं को कम्पलीट करने में सक्षम नहीं होंगे। मान्यवर, इसी प्रकार से आगरा नहर 1976 में बनना शुरू हुई थी । आपका कहना है कि यह 1982 में कम्पलीट हो जायेगी । साढ़े चार करोड़ रुपये का काम होना था लेकिन उसका पुनरीक्षण किया गया और योजना 14 करोड़ की हो गई और अब इसके आंकड़े 17 करोड़ रुपये के आ गये हैं । अभी तक इस योजना के ऊपर आपने केवल 6 करोड़ 84 लाख रुपया खर्च किया है और योजना 17 करोड़ रुपये की है । 90 लाख रुपया इस बार मांगा है। अगर 90 लाख रुपया आप खर्च करेंगे तो कब तक यह योजना आप पूरी कर पायेंगे । विशेष रूप से इस बैकग्राउन्ड में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम योजनाओं के लिये बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों की फौज खड़ी हो गई है । काम उनका धीमी गति से चल रहा है तो बजाय निर्माण कार्यों के अधिकारियों के वेतन पर इस गरीब प्रदेश का खजाना जा रहा है । या तो सरकार इस विभाग को इम्पलायमट विभाग की संज्ञा दे दे तो मैं नाम लूंगा, जैसे रोजगार योजना चालू की गयी है उसी प्रकार से सिंचाई विभाग चल रहा है । तो यह जो योजनायें हैं, आपकी यह योजनायें कभी पूरी होने वाली नहीं हैं । बुन्देलखंड के बारे में आपने कहा है और कुछ आंसू भी बहाये हैं । यह भी आपने कहा है कि यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है । मैं बुन्देलखंड की दो, तीन योजनाओं के ऊपर में ध्यान दिलाना चाहता हूं । सिसबार बांध परियोजना को 1980-81 में पूरा होना था और पूरी होगी 1982-83 में । झांसी की पथराई लखेरी योजना है । पथराई योजना में 3 करोड़ 19 लाख का आपने अनुमान लगाया है । जिस बुन्देलखंड को यह फख्र हासिल हुआ कि वहां से यहां के मुख्य मंत्री चुनाव लड़े और जीत गये उस बुन्देलखंड को आप क्या देने जा रहे हैं ?

मैं आपके लिटरेचर से ही आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। वहां के लोग अगर इन योजनाओं के लिए विश्वास कर लें तो बहुत दिनों तक वह खुश नहीं रहेंगे। आप इस वर्ष पथरई बांध के लिए 5 लाख रुपये खर्च करेंगे। यदि प्रति वर्ष 5 लाख रुपये खर्च करेंगे तो काम कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। हम और आप संसार में नहीं रह जायेंगे तब भी यह बांध कम्पलीट नहीं हो पायेगा। लखेरी योजना 3 करोड़ 47 लाख रुपये की थी इसके लिए 5 लाख रुपये का प्राविधान किया है। अगर इस तरीके से आप कार्य करेंगे तो समय से योजनायें पूरी नहीं हो सकतीं। यह मैंने प्रदेश के हर अंचल, पूर्वी, पश्चिमी और बुन्देलखंड से कुछ योजनायें आपको बताई हैं बाकी जो योजनायें हैं उनका भी यही हाल है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप एक भी ऐसी परियोजना गिना दें जो कि समय से कम्पलीट हो गई हो। आपके अधिकारियों के अनुमान से दुगुनी और चौगुनी लागत लगने के बाद भी कोई ऐसी योजना नहीं है जो कि समय से पूरी हुई हो।

दूसरी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि सिंचाई के जो संसाधन आपके प्रदेश में हैं नहरों के रूप में रजबहों के रूप में या नाली बना कर, वे साधन ऐसे हैं जिनमें कि आपके द्वारा निर्धारित नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। यह गौरव की बात है कि उस ओर बैठने वाले सदस्यों में से अधिकांश और इधर के बैठने वाले सदस्यों में से भी अधिकतर ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो क्षेत्र खेती से सम्बन्धित हैं। तो सिंचाई के लिए आपके जो नलकूप लगे हुए हैं उनकी क्या हालत है? आपने इसके लिए 18 हजार और 19 हजार की संख्या बतला दी है। परन्तु जो आपके पहिले के नलकूप लगे हुए हैं, वे कहां तक सफल हैं? मैं मानता हूं कि बिजली की बात एक विषम समस्या रही है और वह आपके अधिकार की बात नहीं है परन्तु उसके अलावा और क्या कारण हैं कि आपके नलकूप नहीं चल पाते हैं।

(अनेक सदस्यों के बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप लोग आपस में बातें न करें।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि अभी जब सभी सदस्य इस पर बोलेंगे तो वे अपने-अपने क्षेत्र की बातों को, समस्याओं को रखें जिससे कि शासन को अपनी परफारमेन्स के बारे में पता तो चले। यह कोई विरोध की बात नहीं है। यहां पर जब हम विवेचना करेंगे, इस कटौती के प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य ही यह होता है कि जहां हम अरबों रुपया खर्च करने जा रहे हैं, उस योजना के अन्तर्गत शासन की जो नीतियां हैं उनकी हम विवेचना कर सकें, शासन की परफारमेन्स क्या है, इसकी विवेचना करें और माननीय मंत्री जी को इसके माध्यम से पूरी जानकारी दे सकें।

मान्यवर, मैं नलकूपों के बारे में जानकारी दे रहा था कि जो स्टाफ आपने नलकूप चालकों के रूप में दिया हुआ है उसकी क्या हाल है? मान्यवर, मेरी

[श्री हुकम सिंह—]

सुनिश्चित जानकारी है और उसी के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं कि जो आपने अपने स्टाफ की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली है, वह कोई काम नहीं करता है और आपका कोई नियंत्रण भी उस पर नहीं है। आज फैशन हो गया है कि हम आपरेटर की बात करेंगे। नलकूप चालकों पर अधिशासी अभियन्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तविकता तो यह है माननीय कि नलकूप चालक चाभी लेकर अपने गांव में घूमा करता है। पहिले यह था कि नलकूप चालक 30 किलो मीटर की दूरी से अधिक ही अपने गांव से रखा जाता था परन्तु अब सरकार ने नई नीति बनाई है कि वे 20 किलो मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेंगे। वह चाभी लेकर घूमा करता है और लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। हमारे जनपद के एक अधिशासी अभियंता ने इस पर कुछ कार्यवाही की तो नतीजा यह हुआ कि उसके घर में घुस कर उसकी पिटाई कर दी गई। स्थानान्तरण की समस्त सूचियों को निरस्त करा लिया। एक बार मैंने पूछा कि सिंचाई के बारे में मुझे कुछ सुझाव दीजिए। तो उपरोक्त जानकारी मिली हमें बड़ी लज्जा इस बात को सुन कर आयी कि कोई नियंत्रण आपका अपने स्टाफ पर नहीं है।

अभी कुछ दिनों पहिले हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा था उन्होंने उसमें कहा था कि कुछ मैकेनिक्स की नई फौज बनाने की बात वे कर रहे थे जिससे कि मेन्टेनेन्स ठीक से हो सके। तो दो-ढाई हजार नये पद सृजित करके आप इस फौज को बनाने जा रहे हैं, पर काम क्या होगा यह तो आगे पता लगेगा। तो इस तरह से प्रदेश की जनता का लाखों रुपया आप उनकी जेब में डालने जा रहे हैं। अतः इस दिशा में आप एक सुनिश्चित नीति बनायें कि इतने फासले के अन्दर कोई नलकूप चालक नहीं रहेगा और अगर रहेगा तो उसकी जवाबदेही वहां के स्थानीय अभियंता की होगी।

नलकूपों के मेन्टेनेन्स के बारे में कहना चाहता हूं। कितने नलकूप ऐसे हैं जो घण्टे दिये हैं आपने पुस्तिका में, बजट भाषण में तालियां बजवायी थीं कि अब की बार घण्टे कुछ ज्यादा हैं, अगर वही औसत आया होता तो हम को शिकायत न मिली होती।

नलकूपों की मोटर की स्थिति, स्टार्टर की स्थिति, स्टेनर की स्थिति, पम्प की स्थिति, 10 प्रतिशत ऐसे हैं जो सामान्य हैं वरना स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इसकी विवेचना जब तक जिला स्तर से नहीं करायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

नहर बना देना एक बात है लेकिन उसे सिंचाई के लायक बनाये रखना दूसरी बात है। कितनी नहरें, नालियां ऐसी हैं जिनकी सफाई टाइम पर हो जाती है, जिनका रख रखाव ऐसा है कि पर्याप्त पानी के बहाव साफ हों। माननीय सदस्य जब इस बात पर कहेंगे तो इसके लिए मेरे लिए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है कि क्या स्थिति मौके पर है और सार्टिफिकेट आप को मंत्री जी, नहीं चाहिये क्योंकि अभी विकास परिषद् की मीटिंग हो रही थी दिल्ली में। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कह दिया, खेद व्यक्त किया कि सिंचाई विभाग के कामों से वे संतुष्ट नहीं हैं। यही काफी हो जाना चाहिये। इतना इशारा हो जाना काफी होना चाहिये कि आपके विभाग में कुछ और कह देतीं तो शायद आप यहां पर न रह जाते इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक सजग हों और मौके पर जा कर वहां की बात समझ कर, सुधार कराने की कोशिश करें।

कभी-कभी ऐसा लगता है, जैसा मैंने बाढ़ के बारे में निवेदन किया था कि तथ्यों से भागने की हमारी आदत हो गई है, बजट भाषण जब वित्त मन्त्री जी ने पढ़ा तो उसमें उन्होंने ओगासी पम्प नहर है, पेज 16 पर, उन्होंने कहा कि चालू कर दी गई है, जब मैं आपके विभाग द्वारा दिया गया कार्यपूर्ति दिग्दर्शक देख रहा था इसमें इस वर्ष भी आपने इस पम्प नहर को बनाने के लिए 25 लाख रुपयों की मांग की गई। जो नहर चल चुकी है, कम्पलीट हो चुकी है आपके कागजों के अनुसार, वित्त मन्त्री के बजट भाषण के अनुसार, उस के लिए आप रुपया मांग रहे हैं। तो अगर इस तरह की परफारमेंस आप की है, टेक्नोक्रेट्स की सेना बैठा दी, इन लोगों को भी आवश्यकता पड़ जाये कि नहर बने या न बने, विधान सभा में इस बात की घोषणा जरूर करा दी जाये कि नहर बन चुकी है तो यह छोटे-छोटे बिन्दु हैं जो रोजाना की सिंचाई के बारे में किसानों की कठिनाई के बारे में हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में तालमेल रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हुकम सिंह जी, आप करीब-करीब 30 मिनट टाइम ले चुके हैं और यह सिंचाई का बजट है। मैं समझता हूं कि हर कोने से लोग इस पर बोलना चाहेंगे तो समय तो मैं निश्चित करूंगा, लेकिन आप कितना समय लेंगे ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, समय तो दो दिन का चाहिये था, लेकिन उसमें तो पहले ही कटौती हो गई। अब आप जब लाल बत्ती जला देंगे तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि मैं इससे सहमत हूं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपने विचार रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

बात यह है कि यह क्षेत्रीय समस्या है इसलिए हर आदमी अपने क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहेगा।

(2 बज कर 16 मिनट)

श्री हुकम सिंह--

सही है मान्यवर। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने 50 हजार नलकूपों की बात कही लेकिन क्या आपका कोई नियंत्रण है उस पर। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नीति को स्पष्ट करें क्योंकि जहां पर नहर है, जहां पर पानी का दबाव ज्यादा था वहां पर खतरा पैदा हो गया और अगर इस तरह से आप छूट देंगे तो खतरा पैदा होता चला जायेगा। मान्यवर, आपने रोक लगा दी। अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पर तो बोलने के बाद रोक लगाई गई। कई बिचारे तो ऐसे रह जायेंगे जिनके बोलने पर ही रोक लग जायेगी।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसी प्रकार से गूलों के निर्माण का 3 करोड़ 24 लाख रु० का अनुमान लगाया गया है और जिससे आप प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुलों का निर्माण

[श्री हुकम सिंह--]

करेंगे और इसी तरह से 1,000 कुलाबों का निर्माण आपने बताया और 100 मीटर प्रति कुलाबें पक्की बनाने की बात कही। मैं चाहता था कि आप जब बोल रहे थे, अगर आप यह सोचें कि आपने एक कोठरी बना ली और जो नई योजना आपने की है, वह उसी कोठरी तक सीमित रहे तो यह कोई अच्छी नीति नहीं है। उन क्षेत्रों की घोषणा सदन में होनी चाहिये थी लेकिन आपने नहीं की।

इसी प्रकार मान्यवर, बहुत से निगमों का समूह पहले से ही प्रदेश में है। आज एक नये निगम साहब की घोषणा की गई। पांच करोड़ की पूंजी से एक नये निगम साहब सिंचाई विभाग में प्रकट हो गए और वह क्या करेंगे? जो निर्माण कार्य आपको कराना है उसके लिए इस निगम की स्थापना की गई है। इसके लिए राजकीय निर्माण निगम तो था ही। अब क्या स्पेशलाइज्ड वर्किंग है जो आप निर्माण निगम से नहीं करवा सकते थे लेकिन क्योंकि यह एक फैशन हो गया है कि निगमों का निर्माण करें और इस तरह से आप निगमों के निर्माण में धन खर्च कर रहे हैं और प्रदेश के गरीब खजाने के लिए अत्याचार कर रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि जो मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार के बारे में और मैंने इसलिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है क्योंकि भ्रष्टाचार आज जीवन का एक अंग बन गया है और मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ सुझाव रखे हैं और जो अपेक्षा की है उस पर आप ध्यान देंगे। मेरा तो यह विश्वास है कि किसी प्रकार से यह रुपया आप किसानों को दे देते तो किसानों का ज्यादा भला हो जाता और इसीलिए मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है।

(धन्यवाद)

श्री लोकमणि शर्मा--

मान्यवर, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे मैं आपका आभार प्रकट करूं। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष--

जो अभी होली बीती है और आप मथुरा से आते हैं इसलिए आपको पहले मौका दिया।

श्री लोकमणि शर्मा--

श्रीमन्, वैसे तो हमारे माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत विस्तारपूर्वक सारी चीजों का वर्णन किया है।

जिससे हमारे प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ी है और भावी वर्ष के लिए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे इस दिशा में और भी प्रगति हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि वे केवल अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में ही बातें सदन के सामने रखें क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा समय मैं नहीं दे सकूंगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिले।

श्री लोकमणि शर्मा--

मान्यवर मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके आदेशानुसार मैं कोई विशेष बात नहीं कहूंगा। सन् 47 में जबकि हमारा देश आजाद हुआ उस समय केवल 27.4 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता थी और आज हमारा प्रयास है कि सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 111.53 लाख हेक्टर तक पहुंचा दें जिससे हमारे प्रदेश को सिंचाई क्षमता के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा मथुरा में जो आपने एक जलाशय के निर्माण करने के विषय में अपने भाषण में बतलाया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई का पात्र मानता हूं। जिस जनपद में खारी पानी हो वहां ऐसे जलाशयों की स्थापना की जाय जिससे वहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो जाय तो इसके लिए भी हमारे माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे माननीय विरोधी सदस्यों की एक परम्परा बन गई है कि प्रत्येक बजट अनुदान के ऊपर एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रख दिया करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो हमारे माननीय सदस्य प्रदेश का विकास चाहते हैं और दूसरी तरफ एक रुपया कर देने का कटौती प्रस्ताव रखते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि इसमें कौन सी बात सत्य है। "दोऊ न होहिं एक संग भुवलू हंसब ठठाई फुलाइब गालू।" दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती विकास और विनाश एक ही चीज हो सकती है। हमारे माननीय सदस्य रियासत हुसैन साहब ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि हमारे हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिए कि जब देवली में डकैत पहुंचे तो उन्होंने यही पूछा था कि चमरियाना कहां है, यह नहीं पूछा था कि जाटवों का मुहल्ला कहां है।

माननीय मंत्री जी आप इस परम्परा को नहीं बदल सकते। माननीय रियासत भाई का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि पूज्य गांधी जी की जिन विशुद्ध नीतियों के नेतृत्व में समाज और शासन के दोषों का उन्मूलन है, आजादी ली गई थी। उन लक्ष्यों पर पहुंचने में माननीय विरोधी दल के सदस्यों में निराशा आ गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं यहां बतला दूं कि हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में ही आजादी हासिल कर आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। मालूम होता है कि इसे देख कर माननीय सदस्यों को निराशा हो गयी। आप भी जब गांधी जी के चरण चिह्नों पर ही चलने की बात करते हैं तो आपको भी तीन वर्ष तक शासन करने का मौका मिला था आपने क्यों नहीं टेहरी बांध योजना को अपने कार्यकाल में पूरा कर दिखलाया और प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिखाया? एक विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने ही पूछा था कि टेहरी बांध योजना कब चालू हुई और अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह बात आपको अपने समय में सोचनी चाहिए थी। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'। आपके समय की बहुत सी योजनायें अधूरी पड़ी हैं। अगर वे पूरी हो गयी होती तो इस तरह से धन का दुरुपयोग न होता। मेरे गांव के पास ही एक पुल पचहरा ड्रेन का आपके शासन काल में सन् 1979 में बना जो एक साल बाद ही सन् 1980 में वह ध्वस्त हो गया यह आपके शासन का धन का सदुपयोग है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की व्यर्थ आलोचना करने से क्या लाभ होता है। हमने तो गांधी

[श्री लोक मणि शर्मा—]

जी के चरणों में बैठकर उनके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को बदला, सारे राजाओं महाराजाओं को बदला, जमींदार को बदला, यहां की भूमि को बदला और मान्यवर इसके सम्बन्ध में संकेत किया है रियासत साहब ने । मुझे याद है चालीस साल पहले । अछूत के नाम से सम्बोधित किया जाता था एक लकड़ी लेकर चलता था कि हटना राजा छाह न पड़ जाय उनको हमने कितना बदला है, अपने समान स्तर पर बैठाया है, सुविधा दी जा रही है ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि हम आपको भी बदलना चाहते है कि प्रथम तो आप नैतिक शिक्षा को ग्रहण कीजिए। तीन साल पहले मुझे याद आ गया मेरे साथी ने 78 में एक बात कही थी । एक नाव जा रही थी । उस नाव में एक काना बैठा था, एक बन्दर बैठा था, एक ऊंट बैठा था और लड़का भी बैठना चाहते थे जब लड़का नाव में बैठने आया तो महात्मा ने कहा बेटा यह नाव डूब जायगी, इस पर मत बैठो । उसने पूछा क्यों, महात्मा जी, क्यों नाव डूबेगी । महात्मा जी ने कहा कि इसमें 1 काना 1 बन्दर और एक ऊंट बैठा है । काना मानेगा नहीं बन्दर में लकड़ी किए बगैर, बन्दर मानेगा नहीं ऊंट को टाठ पर बैठे बगैर और ऊंट मानेगा नहीं लोरा लिए बगैर । यह बात 1978 में हमारे साथी ने कही थी कि माननीय जार्ज फर्नांडिस अंधे, काने और श्री राज नारायण बतये बन्दर, माननीय चौधरी साहब को बताया ऊंट लोरा लिए बगैर नहीं मानेंगे । ऐसा ही हुआ और जनता पार्टी की नाव डूब ही गई । अगर आप नहीं बदले । ऐसा ही होना है । फिर उछलने का प्रश्न ही नहीं है मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है उधर के विपक्ष के भाइयों से कि वास्तविक काम को करना सीखें । संवैधानिक विरोध करना सीख-कर, रचनात्मक सही सुझाव देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करके अपने को बदलें ।

मान्यवर, एक बात अपने क्षेत्र की ओर करना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र मांट एक अभागा क्षेत्र है । यमुना के किनारे दोनों ओर 55 कि0 मी0 बसा है वहां पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है । माननीय मन्त्री जी को लिखते-लिखते थक गया हूं । वहां पर यमुना के किनारे पानी मीठा है । 15 गांवों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिजली के आदेश कर दिए हैं बिजली लगने वाली है नलकूप प्रत्येक गांव में एक विश्व बैंक योजना के आधार पर आवंटित करने की कृपा करें ताकि किसानों को राहत मिले और वहां पानी उपलब्ध होकर उत्पादन बढ़े और इस उत्पादक वर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम सफल बनें ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री मेंहदी असगर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया ।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं उसका नाम है मोरना जहां 90 प्रतिशत लोग जो खादर में रहते हैं बैकवर्ड हैं या हरिजन हैं । मैं पूछना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी जब बोलेंगे तो आशा है मुझे इसका जवाब देंगे, कि वहां कोई सड़क बनी । 50,60 हजार के करीब वोटर हैं ।

कोई वहां सड़क बनी, कोई पुल बना, कोई सुविधा वहां हुई। हर साल बाढ़ आ जाती है। करोड़ों रुपया अनुदान के रूप में बांटा जाता है। फसल का नुकसान होता है। 1978 में, मान्यवर, 1,85,14,467, 1980 में 97 लाख, 1981 में 79 लाख 54 हजार 1 5 रुपये की फसल का नुकसान हुआ। कब तक इसी तरह लोग इस अनुदान को लेते रहेंगे, भीख के रूप में वसूल करते रहेंगे। इसका ऐसा समाधान होना चाहिए कि वहां के लोगों को कुछ राहत मिले। मान्यवर, अनेक गांव मेरे क्षेत्र में ऐसे हैं कि बिल्कुल नक्शे पर से मिट गए हैं। मिसाल के तौर पर धारी वाला, गाधावाली, बहुत से गांव का नक्शे में कोई जिक्र नहीं रहा। गंगा जी ने अपनी चपेट में ले लिए हैं। तेजी के साथ गंगा मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ रही है और गांवों को काट रही है। मैं यकीन के साथ कहता हूं मंत्री जी कभी उधर दौरे में आयें और वहां के लोगों की हालत देखें। मैं जब अपने क्षेत्र को जाता हूं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे रुड़की, हरिद्वार से अपने क्षेत्र को जाना पड़ता है। दोमनपुरी आदि गांव में होकर चार नदियां पार करके तब पहुंच पाते हैं।

मान्यवर, जो इस वक्त वहां की हालत है वह इतनी दर्दनाक है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वहां का दौरा करें, वहां के लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करें। मैंने वहां के बारे में नियम 301 के अन्तर्गत आपसे निवेदन किया था। मान्यवर, मेरे क्षेत्र का 2/3 हिस्सा ऐसा है जहां नाले हैं, झील हैं नदियां हैं, और वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के नलकूपों के बारे में मैं आपको बता दूं। वहां पर जितने खोले हैं उनमें पानी बहुत गहरा है और कोई भी साधारण किसान किसी भी हालत में अपनी क्षमता से उन पर नलकूप नहीं लगा सकता है और इसी से मेरे क्षेत्र में खोले पर कोई साधारण आदमी एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा सका है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी मौरना के खोल का सर्वे करालें और वहां पर ट्यूबवेल लगा दें।

श्रीमन्, जैसा कि अन्य सदस्यों ने बताया गांवों में ज्यादा से ज्यादा 4/5 घन्टे ही बिजली आती है और जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उन पर भी 4/5 घन्टे ही बिजली आती है। चार-पांच घन्टे के अन्दर कहीं पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सिंचाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। करोड़ों रुपया आप ट्यूबवेल पर खर्च कर रहे हैं, नये ट्यूबवेल लगा रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके पहले के ट्यूबवेल हैं उन्हीं को चलाने का इन्तजाम कीजिए चाहे डीजल इंजन से हो ताकि किसान पानी ले सकें। जहां किसान आसानी से ट्यूबवेल लगा सकते हैं वहां पर उस तरह की व्यवस्था करें और जहां नहीं लगा सकते हैं वहां कुछ न कुछ प्रबन्ध करें। मान्यवर, एक नहर निकाली गई है मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में जहां पर कि बैराज बन रहा है उससे लोगों में बेचैनी फैली हुई है। जब बैराज बनेगा तो उसका पानी का स्तर ऊंचा होगा, चौथा आयेगा इससे लोग परेशान हैं। पहले लोग वहां चोये से डूबे हुए हैं, गरीब हैं, मर रहे हैं। यह एक सोचने की बात है, कोई दूसरा प्रबन्ध भी नहीं है। वहां पर लोगों को यह बताया कि तुम्हारे लिए जमीन एलाट की जा रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूं कि अपने कटौती पर बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उस इलाके की हालत को देखें, वहां जाकर दौरा

[श्री मेंहदी असगर--]

करें । आप वहां जाकर यकीन करेंगे कि वह इलाका कितना पिछड़ा हुआ है । महिलाओं के पास एक कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो पहन सकें बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी चला रहे हैं । इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर दिया है । साथ ही माननीय मंत्री जी का भी आभारी हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसलिए आपको समय दिया है कि आप पहाड़ से आते हैं और पहाड़ की समस्याओं पर ही बोलेंगे ।

श्री बिहारी लाल--

धन्यवाद । मैं पर्वतीय क्षेत्र में जमरानी बांध जो हल्द्वानी में रानीबाग में बनाया जा रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, यह बांध 1976 में श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा जो कि तत्कालीन इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उद्घाटन किया गया था । इस बांध पर 68 करोड़ रुपया व्यय होना है । यह 68 करोड़ रुपये की योजना थी और इस पर 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । अब मेरी समझ में यह बात नहीं आती है यह योजना जो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के जिले की है उसको इस तरह से मुलतवी क्यों किया गया इसके पीछे क्या कारण हैं यह समझ में नहीं आया । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह 68 करोड़ की योजना थी और इस तरह से निरन्तर समय बढ़ता गया तो यह निश्चित है कि उसकी कीमत दुगुनी या तिगुनी हो जायेगी 120 या 150 करोड़ हो जायेगी । तो इसमें इस तरह से क्यों लापरवाही बर्ती जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर अधिकारी तैनात किये गये हैं उनकी हालत यह है कि वह गाड़ियों से नीचे नहीं उतरना चाहते हैं । वह पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए आते हैं कि मई और जून के महीने में नैनीताल रह सकें और सर्दियों में हल्द्वानी आ जायं जैसे एक टूरिस्ट होता है वैसे रहते हैं । टूरिस्ट जाता है तो वह अपने पल्ले से पैसा खर्च करता है लेकिन यह लोग वहां से पैसा कमाते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो पीस वर्क और वर्क आर्डर है उसमें 31 मार्च को एक तरह से कत्ले आम होता है जैसे मुरादाबाद या दिल्ली में हो गया था इसी तरह से 31 मार्च को चेक कटते हैं और करोड़ों रुपया व्यय हो जाता है । यह मेरी निश्चित जानकारी है कि इस तरह से पैसे की बरबादी होती है । मेरा क्षेत्र आधा पर्वतीय है और आधा मैदानी है । वहां लोगों के खलिहान सूखे पड़े हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी योजना है लेकिन वह इस तरह से पीछे की जा रही है । हमारा इलाका बहुत गरीब है बहुत पिछड़ा है और मैं भी पिछड़ा हूं तो फिर क्यों उसे नहीं लिया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे एक अधिकारी का हाथ है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं उसकी हरकतों से यह सब हो रहा है । मुझे मजबूर होकर उसका नाम लेना पड़ेगा ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

इसमें माननीय मंत्री जी का भी हाथ है ।

श्री बिहारी लाल—

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। एक और कमाल की बात है सितारगंज में एक बेगुल नदी है उसमें पुल बनाने के लिए 5 लाख रु0 स्वीकृत हुए जिससे उसमें पुल बनना था। लेकिन पता नहीं इनके कैसे इंजीनियर हैं क्या वह अंगूठाछाप हैं या किसी का डिप्लोमा चुराकर ले आये हैं अब वह कहते हैं कि वह डिजाइन गलत हो गया। तो इसमें सरकार का क्या दोष है यह तो नक्शा बनाने वाले का दोष है उससे रिकवरी होनी चाहिये जिसने यह गलती की। मान्यवर, मैं दो मिनट और चाहता हूं। बेगुल नदी में बने पिलरों को यह मोटी-मोटी जंजीर ले जाकर खींचते हैं लेकिन वह पुल रुका हुआ है। बेगुल नदी में वह पुल नहीं बना है तो भविष्य में लाखों के राजस्व का नुकसान हो सकता है। नानक सागर में डैम का, मत्स्य का ठेका न देने से पांच लाख रुपये का वहां पर नुकसान हुआ है। वहां पर मछली का जो ठेका होता था, उसे वहां का अधिकारी एक व्यक्ति विशेष ठेकेदार को देना चाहता था, लेकिन जब उसको नहीं मिला, तो उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसे रोकें। अगर आप इन अफसरों के साथ थोड़ा सख्ती से काम लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आजकल जो इनके कारण बदनामी उठा रही है, नहीं उठाने पाएगी। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। आखिर में आपसे यही निवेदन है कि आप जमनिया बांध को न भूलें, उसे तुरन्त बनवाने का कष्ट करें और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से आया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

*श्री बदन सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने यहां पर कुछ योजनाओं को चालू किया है, उन्होंने बताया कि वह सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो राजकीय नलकूप लगाने की योजना बनाई है, वह मंत्री वाईज या कांग्रेस आई के विधायकों की दृष्टि से बनाई गई है और क्षेत्र की अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखते हुए इस योजना में नलकूपों का एलाटमेन्ट नहीं किया गया है। इनकी जो सिंचाई पर पुस्तक प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार छोटे-छोटे जिलों में ज्यादा ट्यूब वेल दिये गये हैं और जो बड़े-बड़े जिले हैं, वहां कम दिये गये हैं। आगरा बहुत बड़ा जिला है, वहां पर 2 हजार हेक्टर भूमि इस प्रकार की है, जिस पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहां पर केवल 18 ट्यूबवेल दिये गये हैं और उसमें भी हमारे क्षेत्र में जहां पर एक लाख एकड़ भूमि पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, घोर उपेक्षा की गई है। जिससे वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश शासन को धिक्कार रहा है और राजस्थान के शासन को मुबारकबाद दे रहा है। क्योंकि वहां पर राजस्थान से जो पानी मिलता है, उससे वहां पर खेती होती है। वह अजान बांध से पानी लेते हैं, जिससे सैलाब हो जाता था, उससे पानी लेकर सिंचाई करते हैं। अब तक यह बहाना लगता रहा है कि उस क्षेत्र में राजकीय नलकूप सफल नहीं होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर अभी इस प्रकार के दो-एक ट्यूबवेल सफल हो गये हैं, जो आर्टिजन वेल निकले हैं। फिर भी उसकी उपेक्षा की जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह—]

माननीय सिंचाई मंत्री ने एक बात कही कि हम खारा पानी का सर्वेक्षण करायेंगे। मैं मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार का सर्वे वहां पर सन् 78 में ही सेन्ट्रल वाटर कमीशन द्वारा हो चुका है और जो उसकी रिपोर्ट है उसको स्वीकार करके आपकी सरकार ने उसका कोई फायदा नहीं उठाया है। उसके विपरीत ट्यूबवेल वहां पर लगाए गये हैं जहां लगाने के वह पक्ष में नहीं था। जैसे कि गोठरां, सिरोली, जोहताना व जहानपुर में जो चार ट्यूब-वेल लगाये गये थे, वह सब के सब फेल हो गए। इसलिए फेल हो गये कि सर्वेक्षण के अनुसार उचित स्थानों पर वह नहीं लगाये गये थे। यदि यह सरकार उसकी रिपोर्ट के अनुसार चलती तो लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान न होता। तो यह योजना जो बनाई जा रही है, वह क्षेत्र की अनुकूलता-प्रतिकूलता के हिसाब से नहीं बनाई जा रही है। यह वह क्षेत्र है जहां पर अकबर ने राज किया था। सेहनपुर में उसने बांध बनवाया था, जिससे 4-5 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। लेकिन समय की गति के हिसाब से सेहनपुर का बांध वहां से खत्म हो गया। अब भी उसके ब की अवशेष बने हुये हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस बांध को पुनः बनवा दें जिससे उस क्षेत्र की जनता पानी का लाभ उठा सके। अगर यह बांध बन जायेगा तो 4 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

इसी प्रकार से अकबर के जमाने में मंडी मिर्जा खां पर होकर एक नहर निकाली जाती थी, सिंचाई के साधन बने हुए थे, अब भी वहां पर उसके निशान दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उसमें पानी खत्म कर दिया गया है। तो मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान के अनजान बांध से जो पानी आता है उसे सहनपुर बांध द्वारा रोका जाय जिससे न्याय पंचायत सामरा, रसूलपुर, मंडी मिर्जा खां और लगभग 60 गांव में सिंचाई के साधन हो सकें और ये न्याय पंचायत और गांव फायदा उठा सकें। सिंचाई विभाग द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐशोआराम पर खर्च किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में नालों और नहरों की पटरियों को मोटरेबिल करने के लिये पैसा खर्च किया जा रहा है जो व्यर्थ में खर्च हो जायेगा क्योंकि कभी भी उन पर जीप और मोटरें नहीं चलेगी। अगर इस पैसे को नालों और नहरों को चौड़ा करने और गहरा करने में लगा दिया जाय तो हमारा क्षेत्र बाढ़ और गरकी से बच सकता है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक सिकन्दरा रजबहा है। वह आगरा से लगे हुये गांवों की सिंचाई करता था लेकिन अब उस जमीन पर नगर की कोलोनियां बन गयी हैं और साढ़े 6 किलोमीटर यह रजबहा नहर खारजा के रूप में खत्म हो गया लेकिन इसका पानी अब भी नगर में आ जाता है और औद्योगिक नगर आगरा में भर जाता है जहां पर अधिकारियों को उस पानी को निकालने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और एक समस्या के रूप में बन जाती है। यह जो पानी बचता है इससे एक 7 क्युसेक की माइनर बन सकती है और हमारे खाकी क्षेत्र रुनकता, सागरौल गूजर, अकबरा, अटूच तनवारी और सीगना गांवों के खारी रकबे के सींचने में काम दे सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि यदि वे अपने इस सिंचाई के बजट को पास करवाना चाहते हैं तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करायें और उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर अभी तक भी सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, सिंचन की व्यवस्था करें।

* श्री भोला पांडेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं इस विभाग के बारे में कुछ कहूं मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

भारत के आदमी गांवों में बसते हैं और गांवों में किसान बसते हैं और जब तक इन किसानों का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, मौजूदा सिंचाई विभाग का जो बजट रखा गया है, उसे मैं एक प्रगतिशील बजट की संज्ञा देने में तनिक भी संकोच नहीं करता हूं। इस पुस्तिका को देखने से विदित होता है कि वह किसानों के लिये एक क्रान्तिकारी बजट है। इस विभाग के मुख्य रूप से 2 काम हैं, एक वह कि खेती योग्य जो जमीन है, उसकी सिंचाई करना और सबसे बड़ी जो इसकी भूमिका है वह यह है कि अभी तक लगभग 56 प्रतिशत एरिया में सिंचाई की व्यवस्था आपके विभाग द्वारा हुयी है और यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उससे आगे आने वाले दिनों में यह लगभग 75 प्रतिशत हो जायेगा जिसमें सिंचाई की सुविधा हो जायेगी। सिंचाई के मामले में सबसे बड़ी जो नहर है वह हमारी शारदा सहायक नहर है उसका काम तो आपके विभाग द्वारा होता है। लेकिन उसका जो कमान्ड एरिया है वह ग्राम्य विभाग द्वारा होता है जिससे आपस में समन्वय नहीं हो पाता है। इससे सिंचाई की क्षमता घटती जा रही है।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि नलकूपों की जब आप योजना बनायें तो यह ध्यान में रखें कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आज ही यह रहा है कि हर विधान सभाई क्षेत्र में, जिसको खुश करना होता है, अधिकारीगण वहां नलकूप लगा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा वहां लग जाते हैं, जब कि होना यह चाहिये कि जो क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा हुआ हो, जहां सिंचाई के साधन कम हों या बिल्कुल न हों, वहां पर सबसे ज्यादा नलकूप लगाये जाने चाहिये।

हमारे प्रदेश में हर साल बाढ़ और दैवी आपदायें आया करती हैं और उनसे प्रदेश को हानि होती है। माननीय मंत्री जी ने ऊर्जा पैदा करने की जो बात कही है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके लिये भी और बाढ़ को रोकने के लिये भी यह आवश्यक है कि नदियों को बांधा जाये, उनके पानी को रोका जाये। जब तक यह काम आप नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे। बिना इसको किये न तो विद्युत् उत्पादन हो पायेगा न बाढ़ को ही रोका जा सकेगा। हमारे यहां की जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, घाघरा और सरयू आदि इनको बांधने की जरूरत है।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आप एश्योर्ड इरीगेशन की व्यवस्था करायें। जो भी नलकूप आप लगायें उससे इतना एश्योर्ड कर दें आप कि इतनी भूमि में इससे सिंचाई होगी। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक सिंचाई आपकी केवल फाइलों में ही रखी रह जायेगी, वास्तव में होगी नहीं।

एक सुझाव और यह देना चाहता हूं कि जो नहरों के किनारे की भूमि है, जहां सड़कें हैं, उनके लिये आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी पैसा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पांडेय--]

मिलता है, उन सड़कों को यदि आप पक्का करा दें तो नहरों का भी रखरखाव ठीक हो जायेगा और उससे काफी लाभ होगा ।

जलकुन्डी योजना सरकार के विचाराधीन है । अब तो नैपाल और भारत के सम्बन्ध भी अच्छे हैं, मेरा निवेदन है कि इस योजना पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये और इसे पूरा किया जाये । इसके पूरा होने से काफी भूमि सिंचित हो सकेगी ।

इस विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं । यह विभाग ऐसा है जिसमें शुरू से ही भ्रष्टाचार होता रहा है । मैं एक कारनामा अपने यहां का बताना चाहता हूं । आपके अधिकारियों की या नौकरशाही कोई आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, पर एक काम जो हुआ उसको बता रहा हूं । हमारे क्षेत्र में, जगदीशपुर और भुसौला क्षेत्र में गंगा नदी में ठोकर बनाने का काम किया गया । मैं जहां तक सिंचाई सचिव या मुख्य अभियन्ता महोदय का प्रश्न है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन उनसे तहत नीचे के जो अधिकारी हैं, जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं जिसकी कि बाढ़ लगी हुई है, वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं । हमारे यहां एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री हंस कुमार को भेज दिया गया । उन्होंने हमारे जगदीशपुर गांव में गंगा नदी में जो ठोकरें बनवायीं वे सभी गंगा नदी में बह गयीं...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सिंचाई मंत्री जी, अब की आप कृपया मजबूत ठोकर लगवायें ।

(हंसी)

श्री भोला पांडेय--

उसके बाद कोई अधिकारी आजतक उसको देखने तक नहीं गया और उस अंचल को बचाने के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी । यह जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन इसके मूल में जाना पड़ेगा कि इसको हम दूर कैसे करें । जनता पार्टी के शासन काल में यह शुरू हुआ कि जो इंजीनियर जिस जिले में जाता था, वहां पर वह अपने ठेकेदारों को ले जाकर काम कराता था ।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिस इंजीनियर के खिलाफ आप इन्क्वायरी बैठालना चाहते हैं, सबसे हीन भावना इंजीनियरों के अन्दर फैलती जा रही है कि आई० ए० एस० अधिकारियों को आप इनके ऊपर बैठालते जा रहे हैं । अगर इन टेक्निशियन्स के ऊपर आप आई० ए० एस० अधिकारियों को बैठालेंगे, तो उससे विकास आप नहीं कर सकते हैं । तो इसलिए यह जो प्रक्रिया चल रही है, इसको आप बन्द करें । मान्यवर, जनपद गाजीपुर से माननीय सुरेन्द्र सिंह जी हैं, मैं उनके क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । इनके यहां का सिनोवाद, मरदना, बाराबवर पड़ता है, मैं मांग करना चाहता हूं कि आप वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करायें । मेरे जनपद में एक बांदपुर योजना है, जिसको माननीय मंत्री जी भी देखने गये थे, उस योजना को चलाने के लिये आपने 96 लाख रुपया अनुदान दिया था, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं कराया गया और वह रुपया पता नहीं कहां चला गया । जगदीशपुर भुसौला में जो आवश्यकता है, उसके लिये आपने कुछ नहीं किया है । मान्यवर, मेरा

सुझाव है कि आप एक बाढ़ नियंत्रण मंत्रणालय और खोल दें ताकि जो सफेद पोश वाले हैं, उनको बाढ़ की तरफ बढ़ने का मौका मिले। मान्यवर, यह जो सिंचाई विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और जो विधायक लोग पत्र आपको देते हैं, उस पर कार्यवाही करवाने की आप कृपा करें। इन शब्दों के साथ में सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे इस बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, जिसमें एक-एक पैसा का हमारा और हमारे इलाके का प्रश्न है। मान्यवर, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि सिंचाई मन्त्री हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि ऐसे सिंचाई मंत्री, जिससे बड़ी काफी उम्मीद थी, हम लोगों को, कम से कम पूर्वांचल के लोगों को, पक्षपात की बात नहीं, यह निहित स्वार्थ का तकाजा था कि वह कुछ कर गुजरेंगे, वह तो क्या कर गुजरे, उनके दल के लोग तो ज्यादा जानते हैं, अनशन भी हो रहा है, आमरण अनशन भी हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है ओझा जी, क्षेत्र पर आइये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं यह चाहता था। मेरा कोई क्षेत्र नहीं है। मैं सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश हूं। माननीय सदस्यों को अगर कोई गलतफहमी हो, तो वह अपनी गलतफहमी दूर कर लें। यह जो हरसाल बाढ़ आ रही है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। सेन्टर से लोग देखने के लिए आते हैं। सी0 बी0 गुप्ता यहां के मुख्य मंत्री थे। मैं तो मंत्री जी के सारे पापों पर पर्दा डाल देना चाहता हूं। उनकी ईमानदारी, बेइमानी का अलग दर्जा है, जिसको ये अंगीकार नहीं कर सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ पूर्वांचल के लिए, जो पूर्वी जिले हर साल बाढ़ से डूब जाते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकें, तो आपके सारे कुकर्मों पर मैं मोटा पर्दा डालने के लिए तयार हूं। जब सी0 बी0 गुप्ता यहां पर मुख्य मंत्री थे, तब से मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल की उपेक्षा होती आ रही है। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं बराबर हर साल जब से 3 बार से आ रहा हूं इस बात की ओर इशारा करता रहा हूं। आप कुछ न करिये पूर्वांचल के लिए खूब लूटिये, सब खा जाइये लेकिन एक योजना आप पूर्वांचल को दे दीजिये। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे, पूर्वांचल की जनता आपकी शुक्रगुजार होगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे इस उदारता

(व्यवधान)

के बाद भी इनको यह क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पूर्वांचल के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

हर साल बाढ़ आती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर आप एक फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बनायें। जब तक इस प्रकार का आयोग नहीं बनेगा तब तक काम ठीक से चलने वाला नहीं है और न ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। मान्यवर, मेरी जानकारी में यह है कि जब उत्तर प्रदेश को पानी की जरूरत होती है तो बिहार के इंजीनियर कहते हैं आपको पानी नहीं दे पायेंगे और जब बिहार को जरूरत होती है उत्तर प्रदेश के इंजीनियर भी यही करते होंगे। इस प्रकार से दोनों प्रदेशों के अधिकारी आपस में खींचतान करते हैं। मान्यवर, पूर्वांचल का जो इलाका बिहार और नेपाल से लगा हुआ है जब तक भारत सरकार इस पर तीनों को मिलाकर कोई ठोस फैसला नहीं लेती और एक आयोग नहीं बनाती है तब तक सघन काम नहीं होगा और बजट का एक पैसा सदुपयोग में नहीं आयेगा। मान्यवर, जो पैसा माननीय मंत्री जी मांग रहे हैं उसका दुरुपयोग होगा जैसे आपके पास 30-30 लाख के घोटाले के मामले हैं। मान्यवर, 30 लाख का बोर्डर आया और वह नदी में बहा दिया गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी इंजीनियरों से घिरे हैं उन्होंने रस्सी कमर में बांध दिया है गले में बांधना बाकी है। 14 इंजीनियरों की लिस्ट मेरे पास है, मैं इसको आपके पास भेज दूंगा। मान्यवर, यह इंजीनियर इनकी सिन्डीकेट के सहारे इनके आदेशों की अवहेलना करके गोरखपुर में पड़े हैं। मान्यवर, नरसिंह देव, एस0 ई0 50 लाख का घोटाला किया है यह ड्रेनेज के एस0 ई0 हैं। मान्यवर, मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था यह सारा ठेका विभाग का अपने लड़के को देता है और उसी से सारा काम करवाता है। मान्यवर, आप सारे रिकार्ड को सीज करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सदन में नहीं है उसके लिए कहना मुनासिब नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है वह सारा काम अपने लड़के से कराता है बैंकों में उसके दस्तखत मौजूद हैं और फर्जी नाम से काम कराता है। मेरा आरोप है आप इसकी जांच कराइये अगर आरोप सत्य है तो आप उसके ऊपर 420 का मुकदमा कायम करके उसको पुलिस के हवाले करिये। तब तो मैं समझूंगा एक ईमानदार मंत्री ने अपने विभाग में कुछ किया। यदि आरोप गलत होंगे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं कोई ऐसा आरोप नहीं लगाता जिसको साबित न कर सकूं। बैंकों के कागजात में उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। मान्यवर, मैंने मंत्री जी से उसका ट्रान्सफर करवाया लेकिन मान्यवर, उससे भी अधिक महती कृपा सिन्डीकेट की हुई कि उसको एक डिवीजन खोलकर उसका इंचार्ज बना दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक पैसे का यदि दुरुपयोग होता है चाहे आपकी जानकारी में हो या न हो, यह तो आप जानें लेकिन मैं तो विभाग का इंचार्ज होने के नाते जिम्मेदार आपको ही मानता हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस प्रकार की लूट आपके विभाग में हो रही है। आपको तो फुरसत नहीं है, दिल्ली जाने से ही आपको फुरसत नहीं है। आपका ध्यान पूर्वांचल की तरफ क्या जायेगा। आपके विभाग में जो लूट और खसोट हो रही है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके इंजीनियर ने कहा कि जो पत्थर बुटवल (नेपाल) से आता है वह बाढ़ के लिए उपयोगी नहीं है चूंकि गोल है लेकिन फिर भी करोड़ों रुपये का पत्थर मंगाया जा रहा है जिसकी

कोई उपयोगिता नहीं है । यह आपके टेक्निकल लोग कहते हैं । इस प्रकार तमाम प्रश्नों पर सोचना पड़ेगा आपको । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो नहरें बनी हैं उनके किनारे जो पटरियां हैं उनको पक्का करायें इससे जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 को जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है वह बचेगा और जनता को आने-जाने में सुविधा होगी । मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि छोटी-छोटी नहरों और गूलों को गहराई बढ़ायें जिससे आपकी सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी ।

मान्यवर, तीसरा सुझाव है कि गंडक कमान्ड एरिया तो बना दिया है लेकिन उसमें तमाम गांव हैं जहां गंडक का पानी नहीं जाता है । इसलिए मैंने कहा था कि गंडक कमान्ड एरिया में जो शर्त है कि ट्यूबवेल नहीं लगेंगे तो उस शर्त को आप ढीला करें जिससे जहां पानी नहीं जा रहा है वहां पानी मिल सके । इससे आपको और किसानों को फायदा होगा ।

इसलिए निवेदन है कि जिस तरह से आपके विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है और आप उदासीन हो रहे हैं एवं आपको सिंडीकेट पकड़े हुए है उससे आपकी तस्वीर धूमिल होगी और प्रदेश के करोड़ों रुपये जो, पसीने का है, सिंचाई में दिया जा रहा है । उसका दुरुपयोग होगा इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आदरणीय सदन से आशा करता हूं कि कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और मंत्री जी अपने विभाग को ठीक करके एक नया बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे

*श्री जयदीप सिंह---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण सिंचाई के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन, माननीय सिंचाई मन्त्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सूझबूझ और कुशलता से आने वाले सालों में सिंचाई का विस्तार और तेजी से होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की गति बढ़ेगी । मान्यवर, सिंचाई के महत्व को देखते हुये प्रधान मन्त्री द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है और छठी पंच वर्षीय योजना में इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है । इसलिये इसके महत्व को देखते हुये पीछे की ओर विचार करें तो सिंचाई विभाग की क्या उपलब्धियां हैं उससे पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में और सफलता से बढ़ सकेंगे। मैं मान्यवर, मन्त्री जी का ध्यान उनके विभाग द्वारा दी गयी पुस्तिका के पेज 43 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, यह चिन्तनीय विषय है, इसमें दलगत और आलोचना की बात नहीं है, कि हमारी सिंचन क्षमता बढ़ती जा रही है, और वास्तविक सिंचाई कम होती जा रही है । योजनाकाल से पूर्व जो सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई में 95 प्रतिशत का अनुपात था । क्षमता 95 प्रतिशत सिंचाई करते थे' पहली, दूसरी और तीसरी योजना में वह घटकर 85 प्रतिशत, चौथी योजना में 80 प्रतिशत, पांचवी योजना में 65 प्रतिशत और 81-82 के अन्त तक 53 प्रतिशत रह गयी है । अब इतना खर्च जब सिंचाई विभाग में कर रहे हैं और सभी सहमत हैं कि इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई तरीका नहीं है गांवों की तरक्की देने का। तो मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में अगर भ्रष्टाचार है जिसके सम्बन्ध में और माननीय सदस्यों ने भी कहा है उस सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जयदीप सिंह--]

में मैं नहीं कहूंगा। सिंचन क्षमता का उपयोग न होना एवं उसमें गिरावट होना अधिक चिंता का विषय है। इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी का गठन कर दिया जाय या जैसा मंत्री जी चाहें वैसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे हमारी जितनी मेहनत और पैसा लग रहा है उसका सदुपयोग हो सके। मान्यवर, सिंचाई का 400 करोड़ रुपये का बजट है। पिछले वर्ष सिंचाई क्षमता का उपयोग न होने के कारण 95 लाख हेक्टेयर में से सिर्फ 53 प्रतिशत हम सिंचाई कर सके और जिस क्षेत्रफल की सिंचाई नहीं हुई वहां खाद्यान्न के उत्पादन में 400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तो 400 करोड़ रुपये का घाटा प्रदेश का है और 20 लाख व्यक्तियों के रोजगार का ह्रास हुआ है।

मैं दो एक सुझाव सिंचन क्षमता को बढ़ाने के बारे में देना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि नहरों की लम्बाई बहुत अधिक हो गयी है। पहले लम्बाई कम होती थी जिससे हेड से लेकर टेल तक पानी का नुकसान अधिक नहीं होता था। इस समय नहरें अधिक लम्बी हो गयी हैं जिससे रिसाव, सीपेज होने के कारण पानी का बड़ा नुकसान होता है। आपने नहरों के किनारे ट्यूबवेल लगाने की बात की है। यह बहुत अच्छी बात है। इससे जहां पर जल भराव की समस्या है उससे राहत मिलेगी। परन्तु मैं सुझाव रखना चाहूंगा कि ट्यूबवेल लगाने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि वहां ऊर्जा की समस्या है। ट्यूबवेल 6 घंटे ही चलेंगे और उस पैसे की उपयोगिता भी 25 प्रतिशत रह जायगी। जो वहां के मेन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स हैं उनको इसी पैसे से पक्का करवायें जिससे पानी का रिसाव नहीं होगा जल भराव भी नहीं होगा और जो पानी रिसाव से बेकार हो जाता है वह बेकार नहीं जायगा और नहरों की सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

एक छोटा सा सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, गांवों में गूलें और माइनर हैं उनको अगर पक्का नहीं किया जा सकता तो जो नई तकनीक उपलब्ध है उसके अनुसार प्लास्टिक, पी० वी० सी० की यूनिट की लाइनिंग लगाकर उनकी सिंचन क्षमता बढ़ायी जा सकती है। जिस माइनर की क्षमता 100 क्यूसेक है उसके 50 प्रतिशत से अधिक पानी का नुकसान हो जाता है तो ऐसा माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी में प्लास्टिक की लाइनिंग लगाने से मेरा सुनिश्चित मत है कि सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये मैं एक आग्रह और करूंगा कि किसी एक जिले को जिसमें ऐसे सिस्टम हैं जो पूर्णतया उसी जिले में सीमित है चाहे बरेली या रामपुर को चुन लें और वहां पर ऐसा यदि परीक्षण करवायें कि उसमें जितना पानी हेड से छोड़ा गया उतना टेल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी मानीटरिंग करें कि कितना पानी खेत में पहुंच रहा है। परियोजनाओं के चयन के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछड़े क्षेत्रों में जब तक नयी-नयी योजनायें नहीं लागू की जायंगी वहां का विकास नहीं होगा। और सारे प्रदेश का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारा लक्ष्य नहीं पूरा होगा। सीमित साधनों को देखते हुये मेरा आग्रह है कि जो भी प्रोजेक्ट लगे चाहे वह पिछड़े क्षेत्र में लगें चाहे वह किसी क्षेत्र में लगे जो उनका चयन किया जाय तो चयन में खर्च और लाभ का अनुपात प्रति एकड़ सिंचाई पर कितना खर्च आयेगा इन चीजों पर जरूर विशेष ध्यान दें, पिछड़े क्षेत्रों में भी ऐसी योजनायें कार्यान्वित की जा सकती हैं जिसमें पैसा कम खर्च हो और अधिक क्षेत्रफल सिंचित किया जा सकता है।

श्रीमन्, इसी प्रकार से मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं। बरेली जनपद में बल्ली बांध है। वह पक्का बांध बाढ़ में बह गया। हर वर्ष कच्चा बांध वहां

लगाया जाता है जिससे खरीफ को तो पानी नहीं मिल पाता है और रबी को पानी जनवरी में मिल पाता है । उसको नहर, गूल, झाले हर चीज मौजूद है । बहुत कम धनराशि में वह बंधा दुबारा बनाया जा सकता है । उस क्षेत्र के किसान त्रिशंकु की तरह हैं सिंचाई की सुविधा भी नहीं मिल पाती और उनको पानी नहीं मिल पाता है । मैं अनुरोध करूंगा कि उसका जो मंत्री जी के आदेश से सर्वेक्षण हो रहा है उसको शीघ्र करा कर उस बंधे को पूर्ण करवाने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । पिछले वर्ष भी राजकीय ट्यूबवेल की बहुत लोगों ने आलोचना की थी कार्य प्रणाली के बारे में । मेरा निश्चित मत है कि जो लोग जिला स्तर की मीटिंग में रहते हैं उनको मालूम है कि राजकीय ट्यूबवेल से सिंचाई कभी इतनी नहीं हुई है जितनी कि इस वर्ष हुई है । मैं अपने जनपद बरेली के बारे में बता सकता हूं कि वहां पर राजकीय ट्यूबवेलों का पहिले से अच्छा प्रबन्ध हुआ है और शायद दो चार ही ट्यूबवेल वहां खराब हैं और आशा करता हूं कि ऐसे ही अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी इसी आधार पर दक्षता के साथ सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हुई होगी और जहां नहीं हुई है वहां भी आने वाले समय में प्रशासन की चुस्ती से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है : इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(3 बजकर 16 मिनट)

श्री रामधनी––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हुकम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है । इस प्रदेश में अच्छी खेती तभी हो सकती है जब कि यहां पर सिंचाई के साधन अच्छे हों । यदि सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं तो फिर प्रकृति की मर्जी पर ही खेती निर्भर करती है कि यदि मानसून ठीक हुआ तब तो खेती ठीक हो गयी और यदि मानसून अच्छा न हुआ तो फिर खेती बरबाद हो जाती है पर आपके सिंचाई के साधन कुछ कर नहीं पाते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सिंचाई के साधन बहुत ही निन्दनीय हैं । यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सिंचाई और बिजली विभाग दो व्यक्तियों के हाथ में है जिनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है परन्तु साथ ही यह बिजली एक बड़ा अवरोध भी है सिंचाई के लिये । जब खेतों में पानी पहुंचाने की बात होती है तो बिजली चली जाती है या बिजली कट जाती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था तभी ठीक हो सकती है जबकि बिजली की व्यवस्था ठीक और अच्छी हो । जहां तक पम्पिंग सेट की बात है, किसान निजी पम्पिंग सेट लगवाने के लिये विभाग दौड़ता है कि हम अपना निजी पम्पिंग सेट लगाना चाहते हैं और दौड़–भाग करके जब पम्पिंग सेट लग जाता है तो उन्हें निजी पम्पिंग सेट के लिये कनेक्शन नहीं मिलता है । किसान हताश और परेशान हो जाता है तब जाकर घूस के रूप में काफी रुपया उसे देना पड़ता है तो इस तरह से घूस देने पर उसे निजी पम्पिंग सेटों के लिये कनेक्शन मिल

श्री रामधीन--

पाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहिले उनको ठीक करने का काम करिये जो काम नहीं करते हैं और परेशान व्यक्ति को और परेशान करके घूस लेते हैं इसके बाद यह कीजिए कि उचित ढंग से बिजली की सप्लाई निजी पम्पिंग सेटों, राजकीय नलकूपों में हो सके ।

दूसरी बात मैं नहरी एरिया के बारे में कहना चाहता हूं । मैं भी नहरी एरिया क्षेत्र से आता हूं । मेरे सैदपुर क्षेत्र में दो नहरें जाती हैं एक देवकली कैनाल और दूसरी शारदा सहायक कैनाल । देवकली कैनाल जहां से निकलती है वह तो एक बड़े हिस्से को सिंचित करती है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस जमीन से वह नहर निकाली गयी है उस जमीन को, उस ब्लाक को कम से कम पूरी तरह से सिंचित कराने की कृपा करें । इसी तरह से शारदा कैनाल हमारे जनपद में 6 मील तक आती है । गाजीपुर में लालगंज से आती है वहां पर पुलिया बनी हुई थीं । अब वहां की तमाम पुलियों को तोड़ दिया गया है । पहिले वे पुलियां बनाई गयी थीं, अब उन्हें तोड़ दिया गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कहां का तरीका है आपके इंजीनियरों का कि पहिले तो पुलिया का निर्माण कराते हैं, पर दूसरी बार आकर उसे तुड़वा डालते हैं ? इसको देखें ।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि शारदा कैनाल जहां से बहती है वहां पर पानी के निकासी का कोई साधन नहीं है । सारा पानी खेत में जमा हो जाता है । सारा पानी बह-बह कर जमा हो जाता है । खेत में जो इतने मंहगे बीज, खाद आदि को जो डाला जाता है वह सारा इसके पानी के साथ बह जाता है । माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जगदीशपुर, सेमरौल, गहनौ, ब्यारेपुर, मिर्जापुर है, तमाम गांव हैं, जहां हजारों-हजारों एकड़ पानी के काफी बहाव से खेत बरबाद हो गये हैं । मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर उसकी जांच ठीक से करवा दें और उन किसानों को जिनकी फसल बरबाद हो गई है उनको मुआवजा दे देंगे तो उनको कुछ राहत मिलेगी ।

भ्रष्टाचार की बात, मेरी जानकारी में है कि उस नहर की वर्ष में एक बार खोदाई करते हैं लेकिन केवल घास छिलाई होती है । जो कुलाबे हैं, नालियां बनी हुई हैं उनमें पानी नहीं चढ़ पाता है । किसान बांध बना कर पानी चढ़ाते हैं । इसलिए जो तमाम नालियां शारदा कैनाल की बनायी गयी हैं उनकी जांच करायें और उनको दुरुस्त करायें । सीमेन्ट बहुत कम मात्रा में लगाया गया है उन नालियों में । वे सीमेन्ट रहित हैं । सैदपुर तहसील में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बिजली के खम्भे नहीं हैं लेकिन ट्यूबवेल की जब बात आती है तो कह देते हैं कि वह नगर कैनाल एरिया है । जैसे सरसौली, लाला हिंगनपुर, सलेमपुर, बधाई, इकारा में बिजली के खम्भे नहीं हैं लेकिन जब पम्पिंग सेट लगाने की बात होती है । तो ट्यूबवेल लगाने वाले लोग कहते हैं नहर एरिया है इसलिए वहां न आज तक पानी पहुंचा है न भविष्य में पहुंच सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जहां पर नहर का पानी पहुंच नहीं सकता वहां पर ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था की जाये इसलिए बहुत बड़ी समस्या हल होगी । उस इलाके में बिजली के खम्भे पहुंच जायेंगे और उससे निजी नलकूप लगाये जा सकते हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दो वर्ष हो रहे हैं मेरी जानकारी के अनुसार मेरे जनपद गाजीपुर में नलकूप

नहीं लग सके हैं। गाजीपुर पिछड़ा, हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। जांच करा कर ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करें।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने प्रदेश की सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए जो योजना बनाई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्रदेश में जो कि इस समय सिंचाई क्षमता मात्र 50 प्रतिशत है, वह इस 6ठीं पंच-वर्षीय योजना में अन्त तक 55 प्रतिशत से आगे बढ़ा सकेंगे। बुन्देलखंड की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बुन्देलखंड में लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती होती है और उसमें हमारी जो सिंचाई क्षमता है वह मात्र 6 लाख हेक्टेयर भूमि की है। इस तरह से 25 प्रतिशत क्षमता है सिंचाई की और जब कि पूरे प्रदेश में इस समय 50 प्रतिशत है। बुन्देलखंड में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए जो योजनायें हैं जैसे राजघाट डैम है या उसकी नहरें हैं, बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के शासन के सहयोग पर निर्भर है। आपने मान्यवर, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने राजनीतिक नेताओं के सामने बुन्देलखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आक्रमण किया, मार-पीट की।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार एक बरियारपुर कैनाल बड़ी तेजी से बना रही है और अगर ग्रेट गगऊ डैम नहीं बनता तो बुन्देलखंड को मिलने वाला पानी, हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। इस तरह से बांदा में सूखा पड़ जायेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बुन्देलखंड के सूखे क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध करा सकें। मैं शासन को पंचनद बांध निर्माण के निर्णय के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जिसके द्वारा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जिससे जहां पर रैवाइन्स हैं, वहां पानी भर जायेगा, उन क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जालौन जिले में जो पानी जिस मात्रा में दिया जाना चाहिए उस मात्रा में यह योजना नहीं बनाई जा रही है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को बनाया जाय।

अब मैं आपका ध्यान बांदा विधान सभा क्षेत्र की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। क्षति बांदा नगर में प्रत्येक वर्ष केन नदी के बाढ़ के कारण वहां के लोगों को आर्थिक होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर केन गाइड बन्ध बना दिया जाय जिससे प्रत्येक वर्ष होने वाली हानि को रोका जा सके। बांदा में दो पुनाहूं और चन्द्रावल यह दोनों ऐसे गांव हैं जहां खेतों में माइनरों का पानी भर जाता है इसलिए दोनों के रेलों को बढ़ाकर नाले में गिरा दिया जाय जिससे फसलों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। शिवहद में वाटर लागिंग होती है। सिंचाई विभाग के द्वारा सहेवा, गढ़वा, असरा नाले बनाने की योजना है, इसे शासन शीघ्र स्वीकार करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में एक बात और कहूंगा कि किसानों को सिंचाई की आपसी के जो पर्चे दिए जाते थे और एक माह पहले दिए जाते थे जिससे किसानों को मौका मिल जाता था इसलिए मैं चाहता हूं कि वह व्यवस्था पुनः की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय हुकम सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस शासन ने सत्ता संभालते ही यह नीति घोषित किया था कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनका विकास किया जायेगा। इस प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र गोन्डा है। वहां पर 558 हेक्टेयर भूमि में से 529 हेक्टेयर भूमि की खेती की जाती है और वहां पर केवल 59 हजार भूमि की सिंचाई सरकारी साधनों से करा पा रहे हैं। मान्यवर, क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करने की बात कही गई लेकिन गोन्डा जनपद में केवल 20 ट्यूबवेल लग पाये हैं और केवल 6,000 भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ पाई है। गोंडा जिले में जो ट्यूबवेलों का आवंटन हुआ है, अन्य जिलों में 60-60, 100-100 दिये गए हैं लेकिन गोण्डा में बहुत कम दिए गए हैं। एक सरजू परियोजना है कहा गया कि वह जल्दी ही पूरा हो जायेगा लेकिन कम से कम उस परियोजना को पूरा होने में अभी लगभग 10 वर्ष लगेंगे। 10 वर्ष तक गोंडा क्षेत्र का विकास कार्य रुका रहेगा। इसलिए कम से कम आप वहां ट्यूबवेल की व्यवस्था जरूर करा दें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चित्तौरगढ़ में सन् 62 में ही कार्य शुरू किया गया था। मुझे याद है कि वहां के किसानों को मुआवजे की रकम उसी साल दी गयी थी लेकिन फिर भी 15 साल तक आप खामोश बैठे रहे। फिर 76 से काम शुरू हुआ। पिछले साल तक वहां बहुत कम काम हो सका है। वहां काम धीमी गति से होता रहा। इस साल अभी तक वहां कोई पूर्णरूपेण अधिशासी अभियन्ता नहीं भेजा गया है और उसी के कारण सन् 82 में जब कि यह परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी, और उसे 82 से चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि उसके पूरा होने में कम से कम तीन साल और लगेंगे और 26 हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता की जो भूमि है वह तीन साल के लिये और पीछे चली गयी। गोंडा जिला घाघरा और राप्ती नदी तथा भावरा नाले की बाढ़ से डूब जाता है। पूरे जिले का कम से कम तीन चौथाई भाग डूब जाता है। जिस तरह से राप्ती की बाढ़ से बचने के लिये जलकुम्भी योजना उत्तर प्रदेश शासन ने नेपाल राज्य के सहयोग से बनायी है उसी तरह की कोई योजना बनायी जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि नेपाल सरकार उसमें बाधक कैसे हो सकती है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार नेपाल में जाकर वहां विकास कार्य कर सकती है, सड़कें बना सकती है, और हमारे देश की सरकार ने वहां सड़कें बनायी भी हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि नेपाल की सरकार हमारे प्रदेश सरकार के विकास कार्य में बाधा डालेगी। अगर हम इस पर ईमानदारी से सोचें तो बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिले को घाघरा और राप्ती की बाढ़ से बचाने के लिये जलकुम्भी योजना को साकार करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत इन दोनों नदियों से हमारे यहां बिजली भी पैदा हो सकती है जिससे प्रदेश और देश की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से सरजू व राप्ती योजना के अन्तर्गत पचपेड़वा नामक स्थान पर विद्युत पैदा करने के लिये 26 मीटर का फाल भी मिल सकता है। सरकार ने पिछले सालों में वहां विद्युत पैदा करने की बात को स्वीकार भी कर लिया था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर उस पिछड़े क्षेत्र पचपेड़वा में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली पैदा की जाय तो उससे 26 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है जिससे कम से कम तीन चार जिलों की आवश्यकता पूरी हो सकती है । कम से कम बाढ़ पर नियन्त्रण के लिये तथा सिंचाई के साथ विद्युतीकरण भी हो सके इसलिये इस योजना को लागू करना चाहिये । चूंकि गोंडा जिला हिमालय पर्वत से मिला हुआ है और पहाड़ से नदियां बहती हुई आकर मैदानों में चारों तरफ फैल जाती हैं । उसका नतीजा यह होता है कि हर साल जो वहां की उपजाऊ भूमि है वह बालू से पट जाती है और वहां की उपज समाप्त हो जाती है । उदाहरण के लिये कटहाना नाला से बहते हुए जो पानी मैदानी क्षेत्र में आता है जिससे वहां की उपज समाप्त हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब मैंने सवाल किया था तो इसी सदन में उन्होंने वादा किया था कि इस कटाव को रोकने का इन्तजाम किया जायेगा लेकिन अभी तक कटहना नाले की बाढ़ से कटाव रोकने के काम को पूरा नहीं किया गया । इस तरह से पूरा गोंडा जनपद राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से पूरा का पूरा डूब जाता है और वहां की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम जो रियासत के जमाने के बन्धे रहे हैं रियासत के जमाने की नहरें रही हैं उन नहरों को विभाग को अपना लेना चाहिये और जो बंधे टूट गये हैं जिनकी वजह से बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं होता है उनकी आवश्यक मरम्मत करा देनी चाहिये । रियासत के जमाने के जो पुल बने हुए हैं या नहरें बनी हुई हैं उनकी तो सरकार अपने हाथ में ले लें ।

जहां पर नहरें थीं वहां पर पुल समाप्त हो गये हैं । आजादी का हमको यह फल मिला हुआ है । आजादी मिलने के बाद अंग्रेजी शासन में जहां पर पुल बनाये गये थे वे समाप्त हो गये । बाढ़ बहा ले गयी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन जगहों पर जहां जमींदारों के जमाने में नहरों में पुल बनाये गये थे वहां पर पुल अवश्य बनायें । बाढ़ नियन्त्रण की दशा में भी आवश्यक कदम उठायें । जनपद गोन्डा में मिर्जापुर में एक लिफ्ट योजना है । वहां पर 60 हार्स पावर का मोटर लगा हुआ है । लेकिन वहां नहर टूटी हुई है । कोई भी सिंचाई नहीं हो पा रही है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोंडा जनपद में सिंचाई के साधन जुटाने की ओर ध्यान दिया जाय । धन्यवाद ।

*श्री सुग्रीव सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई की प्रगति के लिए विस्तृत रूप में कहा है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रामकोला के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुग्रीव सिंह—]

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र बिहार से जुड़ा हुआ है और वहां पर जल जमाव का बहुत प्रकोप है। वहां एक सामल ताल है जहां पर दस हजार एकड़ भूमि जल जमाव से प्रभावित होती है। पहले थोड़ी बहुत फसल होती थी लेकिन जब से नहर का निर्माण किया गया है तमाम गूल, माइनर का पानी गिर रहा है तो जल जमाव बहुत अधिक हो रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वहां से एक ड्रेन निकाल कर बरांव नाले में गिरा दें, शंका समाधान हो जायगा और वहां के लोगों को लाभ होगा। इसके साथ ही साथ एक टेकुवा ताल है जहां पर नहर, गूल का पानी गिराया जाता है जिसकी वजह से वहां की फसल हमेशा बरबाद होती रहती है। वहां से एक ड्रेन निकाल कर बारी नाले में गिरा दीजिए किसानों का कल्याण होगा।

इसके साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटी गन्डक बहती है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। एक गांव से दूसरे गांव को जाने का कोई रास्ता नहीं है। छोटी गन्डक में पिपरा में पुल बनायें जिस से आवागमन का साधन हो जायगा। पुल वहां पर नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रास्ता कसिया होते हुये तहसील मुख्यालय को जाता है। मेरा माननीय सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि एक पुल वहां पर अवश्य निर्माण कराया जाय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खजुरिया नहर है। वहां पर कुमौटा गांव में 40 एकड़ जमीन इसकी वजह से बरबाद होती है। साइफन न होने के कारण जल जमा रहता है। वहां साइफन का निर्माण कराने की कृपा की जाय।

सोसा ड्रेन मदरहा ग्राम तक जाती है, लेकिन अधूरी पड़ी हुई है। दोनों तरफ से नहर की खुदायी हो गयी है। मझरिया गांव के सामने वह रोक दी गई है जिसकी वजह से बाढ़ का पानी नहर के रास्ते आकर उसे अवरुद्ध कर देता है और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। इस तरह से लगभग दो सौ एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है। वह इलाका बराबर पानी से भरा रहता है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां फाजिलनाग तिगवा में ताल के पानी को निकालने के लिये ड्रिलिंग किया गया था। दसियों वर्ष से वहां पानी का जमाव रहता है, लोग उससे परेशान हैं। उसको निकालने के लिये पारसाल टेन्डर भी हुये। वह 12 किलोमीटर है और दसवें डिवीजन से गवर्न होता है। वह केवल टेन्डर होकर रह गया, उसकी खुदाई नहीं हो पायी। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उसको 12 रिज में करके, खुदाई करवा दें तो वहां 8 हजार से लेकर 10 हजार एकड़ तक भूमि की सिंचाई हो जायेगी। साथ ही जल जमाव भी इस तरह से समाप्त हो जायेगा, यह बहुत आवश्यक काम है।

मैं सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अमुवाखास में बांध पिछले दस वर्षों से बन रहा था वह माननीय सिंचाई मंत्री जी के कार्यकाल में पूरा हो गया। इससे वहां के लोगों को राहत हुई है। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी को एक और सुझाव यह देना चाहता हूं कि जो शेष काम है जो तीन ठोकरें बना रहे हैं उसको बनवाने की व्यवस्था आप शीघ्र करा दें। इन शब्दों के साथ में माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(विरोध पक्ष की तरफ से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

दो वरिष्ठ लोग खड़े हो गये । मैं श्री फखरे आलम को बुलवाता हूं ।

श्रीमती गौरी देवी--

हमको भी आप मौका दें ।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई न कहे जिससे यह समझा जाय कि उनकी नीयत साफ है । हम लोगों के लिये आदेश हो गये हैं कि हम जो कुछ भी कहें, अपने क्षेत्र की बात कहें और बाहर की बात न कहें ।

(श्रीमती गौरी देवी अपने स्थान से उठकर रिपोर्टस टेबुल के सामने खाली स्थान पर आ गई और कुछ कागजात फाड़ते हुये बोलने लगीं जिससे व्यवधान होने लगा ।)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप गलत कर रही हैं ।

श्रीमती गौरी देवी--

आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । मैं उस दिन भी कह रही थी कि मंत्री जी इस्तीफा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, कृपया माननीय सदस्या को संयत करें ।

(श्रीमती गौरी देवी सदन से बाहर चली गयीं)

श्री फखरे आलम--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि आपने हमें आदेश दिया है कि कुछ हम कहें, वह अपने क्षेत्र की ही बात कहें, और बजट के बारे में न कहें हम तो समझते थे कि बजट पर जनरल डिस्कशन हो जाता तो ठीक था । तो यह सब बात कहनी है लेकिन आपने पाबंदी लगा दी है--

बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी,
जैसी अब है तेरी महफिल में, कभी वैसी तो ना थी ।

[श्री फखरे आलम--]

मान्यवर, आपने आदेश दिया है खासतौर पर आज के लिए क्योंकि ज्यादा बोलने वाले हैं। मैं ट्यूबवेल के बारे में कहना चाहता हूं, हमारा जिला बदायूं बहुत पिछड़ा जिला है हमारे यहां न नहरों का कोई इंतजाम है और न कैनाल का न लिफ्ट इरिगेशन का, केवल ट्यूबवेल से सिंचाई होती है वह भी प्राइवेट ट्यूबवेलों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकारी ट्यूबवेलों की हालत यह है कि उनमें कभी चार घंटे बिजली आती है कभी नहीं आती है, जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनमें भी बिजली नहीं मिलती है। मंत्री जी ने इस साल केवल 20 ट्यूबवेल दिये हैं जिसकी आबादी 20 लाख की है और उस जिले ने ग्रीन रैवोल्यूशन में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है तो जिस जिले ने प्रदेश को खेती की तरक्की में इतना बड़ा योगदान दिया है उसे केवल 20 ट्यूबवेल दिये गये हैं, जो नाकाफी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बदायूं के लिए खासतौर से वह ट्यूब वेल का इंतजाम करें वहां 8 कांस्टीटुयेंसी हैं, हर कांस्टीटूयेंसी में 10-10 ट्यूबवेल का आप इंतजाम करा दें क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि बदायूं पिछड़ा है। वहां की पूरी खेती आबपाशी पर निर्भर है तो वह प्राइवेट या सरकारी ट्यूबवेलों से हो सकती है। अगर सरकारी ट्यूबवेलों का इंतजाम नहीं किया जायेगा तो खेती को बहुत नुकसान होगा।

माननीय मंत्री जी ने एक रूल बना दिया है कि जो आपरेटर हैं वह अपने घर से 20 कि0 मी0 दूर रहेंगे। लेकिन मेरे जिले में बहुत ऐसे आपरेटर हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, उनका घर पास में ही पड़ता है। आप अपने विभाग में ऐसे लोगों की लिस्ट बना लीजिये कि कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने घरों में पोस्टेड हैं। वह करते क्या हैं कि अपने घर में काम करते हैं और अपनी खेती करते हैं। और ट्यूबवेल की ताला चाभी दूसरे को दे देते हैं और उनका कमीशन वसूलते रहते हैं। इसकी आप जांच करा लें तो आपको मालूम हो जायेगा कि जो बात मैंने आपके सामने रखी है वह सही है। मेरे जिले की 50 प्रतिशत जमीन ऐसी है जिसमें सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं खासकर मेरे उसहन क्षेत्र में आधे से ज्यादा जमीन बिना पानी के है उसके लिए ट्यूबवेल होना जरूरी है, वहां बिजली न होने से ट्यूबवेल नहीं लगे हैं इसलिए वहां ट्यूबवेल तथा बिजली का इंतजाम होना चाहिये। अगर पानी का इंतजाम हो जायेगा तो इससे काश्तकार को बहुत फायदा होगा और प्रदेश को भी फायदा होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां इरिगेशन के बहुत कम साधन हैं तो उसकी वजह से वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहां पर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वह कम नहीं है तो उनका उपयोग किया जाय।

एक चीज और मैं मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं हमारे यहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोजीशन है, वह क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, वह देखने के लिए जाते नहीं है इसलिए उनको इस बात का पता नहीं रहता है कि काश्तकारों को क्या परेशानी है। वह अपनी ड्यूटी अनजाम नहीं दे रहे हैं।

तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सैकड़ों हेक्टेयर जमीन ऊसर पड़ी हुई है जिसे आप इरिगेशन के काबिल बना सकते हैं और उसके लिए प्रापर सिंचाई का प्रबन्ध हो जाए तो वह इस काबिल हो सकता है कि

वहां पर अच्छी खेती की जाए । अगर सब इंतजाम आपने कर लिया तो आप एक बहुत बड़ा काम कर लेंगे और उससे वह पिछड़ा क्षेत्र कहां से कहां पहुंच सकता है और वह जिला कहां से कहां को पहुंच सकता है । मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक बात यह और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो दरियाओं के पानी को ले जाने का साधन है वह इस काबिल नहीं है कि वह पानी ले जा सके, आबपाशी हो सके । इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह खासकर बदायूं जाएं और वहां जाकर असलियत को देखिए।

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,

खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक ।

*श्रीमती पुष्पा चौहान--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत किसानों के हित के एक मात्र लक्ष्य पर आधारित इस अति सक्षम बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया । कृषकों की सिंचाई की हर समस्या का निराकरण करने वाले और अधिकाधिक सिंचाई सुविधा से कृषि उत्पादन की वृद्धि द्वारा राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर करने वाले इस बजट का मैं बार-बार हार्दिक स्वागत करती हूं तथा अन्धाधुन्ध, बिना सोचे-समझे विरोध करने की आदत से मजबूर विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत आधारहीन कटौती के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करती हूं ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए, देखकर पढ़ रही हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, जब कोई महिला बोल रही हों, तब तो सुना जाए । इसमें इन्टाप्शन नहीं होना चाहिए ।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई योजना एक अत्यन्त हितकारी योजना है । वृहद् सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना आदि जैसी भिन्न-भिन्न योजनाओं द्वारा राज्य के समस्त क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने का एक अनुकरणीय और सराहनीय प्रयास इस बजट के द्वारा किया गया है । वृहद् परियोजनाओं, आधुनिकीकरण की योजनाओं और लघु योजनाओं की भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर इन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इसे हर प्रकार से हरा-भरा बनाने का प्रयास किया है । यहां तक कि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत फ्लड प्लान जोनल ऐक्ट बनाने पर विचार हो रहा है । बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ समस्या का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती पुष्पा चौहान---]

निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्यक्ष में सिंचाई से केवल जमीन या खेत की सिंचाई का ही आभास होता है, वस्तुतः राज्य की प्रगति की आधारशिला सिंचन क्षमता पर ही निर्भर है। इस कृषि प्रधान भूमि पर यदि फसल उचित रूप से सिंचित है तो समझ लीजिए जनजीवन खुशहाल होता है तथा स्वस्थ समाज का निर्माण होने से प्रगति के नये-नये रास्ते स्वयं ही खुल जाते हैं। यह बजट निःसन्देह इस महत्व के अनुरूप ही बनाया गया है। सत्ता का सपना देखने वालों को हर योजना सपन ही नजर आती है। जहां तक इन विरोधी दलों का सवाल है, किसी नेक या तर्कयुक्त सलाह की इनसे रत्ती भर भी उम्मीद करना व्यर्थ है। रोज की इनके द्वारा की गयी चर्चाओं का निष्कर्ष यही है कि बेसिर-पैर की अधर में लटकी हुई बातें ही यह लोग करते हैं, वरना सामने लगे माईक पर बोलने के लिए इनकी जेब में कुछ नहीं है।

मान्यवर, अब आप यही हमसे कहेंगे कि क्षेत्र की समस्याओं पर बोलिए। तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि मेरा क्षेत्र तो विरोधी पक्ष द्वारा उजाड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के लिए इस कांग्रेस सरकार ने काफी कोशिश की है, वहां का इलाज हो रहा है और वहां के विकास के लिए एक बड़ी योजना वहां पर चालू हो रही है। एक पैट्रो केमिकल की योजना है। वह मिलती है, तो वह क्षेत्र सुधरता है वरना उसे बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरी खुशनसीबी या बदनसीबी, कुछ भी समझें, प्रदेश के विरोधी दल के नेता तथा देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, दोनों के दरवाजों पर एक साथ इकट्ठा रहती हूं। अतः फर्स्ट हैंड नौलिज करना मेरे लिए बड़ी आसान बात है। मैं किसी के द्वारा कही गयी नहीं बल्कि अपने कानों से सुनी तथा आंखों से देखी घटनाओं की, या बातों की, मेरे पास कमी नहीं है। ये मगर मच्छ के आंसू बहाने वाले लोग निरीह जनता के हितैषी बनने वाले ये लोग कितने हृदयहीन हो सकते हैं इसका निर्णय आप स्वयं ही लें। हिन्दुस्तान के इतिहास की एक मनहूस घटना घटी। जिस समय स्वर्गीय संजय गांधी की दुःखद मृत्यु का समाचार सुना उस समय मैं एक जाट भाई के यहां एक शादी में मौजूद थी। मैं इस पूरे समुदाय की बात नहीं करती, मैं तो उनकी विचारधाराओं से प्रभावित तत्वों की बात कर रही हूं। वहां पर काफी भीड़ थी। क्षेत्र के मुख्य-मुख्य लोग मौजूद थे। जैसे ही स्वर्गीय संजय गांधी की खबर हुयी कि उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया। उस समय जो मैंने सुना वह इंसानियत से हटकर हृदयहीनता में पराकाष्ठा है कि दूसरे ही क्षण यह कहते सुना गया कि क्या हो गया है, हिन्दुस्तान का केवल एक हवाई जहाज ही तो नष्ट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने क्षेत्र की बात कहें।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

अपने क्षेत्र की बात तो मैं पहले ही कह चुकी हूं लेकिन रोज-रोज जो जहर हमारे गले में उतरता है, उसका उत्तर देने के लिए हमारे पास कौन सा वक्त है, मैं 5 या 10 मिनट में पूरी कहानी नहीं कह सकती हूं।

डकैतों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी बीबियों और बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हैं लेकिन जब हिन्दुस्तान की धरती समुद्र में डूबती है, जब किसी महिला का श्रृंगार उतरता है, उसकी मांग मिटती है, भारत माता की कोख का जन्मा धरती में समाती है, एक मासूम बच्चा बिना बाप का हो जाता है तब उन्हें केवल हवाई जहाज नष्ट होता नजर आता है और सुनिए चौधरी साहब अपने जनपद में ग्राम रछाड़ में हरिजन मन्डल को थैलियां भेंट कर रहे थे। देश का निर्बल वर्ग अच्छी तरह से समझता है कि कुर्सी के लालच में झूठी सहानुभूति के नकाब से अपने चेहरे को छुपा लेने वाला हाथ तो इनके पास है लेकिन गीले नयन लिए एक हाथ से कोख में पैदा हो गये घाव को दबा कर दूसरे हाथ से बिलखती जनता को गले लगाकर उसकी आंसुओं को पोंछने वाली ममतामयी अदभुद् शक्ति वाले हाथ तो केवल श्रीमती गांधी के पास ही हैं। हठधर्मी छोड़ें, जनहित की बात सोचें और राष्ट्र के हित में आप बजट का समर्थन करें तो हम सोचेंगे कि देर आये दुरुस्त आये।

जहां तक हमारे क्षेत्र की सिंचाई समस्या का सम्बन्ध है, माननीय मन्त्री जी को मालूम है और वे पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं। इन बातों को देखते हुए मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया।

सबसे पहले तो मैं इस बात से बड़ा चिन्तित हूं कि सारे प्रदेश के किसान माननीय सिंचाई मन्त्री के कर भार से परेशान हैं। अभी जब यह सत्र प्रारम्भ हो रहा था उसके थोड़े पहले सिंचाई कर बढ़ा दिया गया था। एक ओर तो ये कर भार बढ़ाने को तैयार हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है। इनके विभाग में 88 करोड़ रुपये का घाटा है। कहते हैं कि 20 प्रतिशत ये मितव्ययिता से पूरा करेंगे। अगर ऐसा करते तो कम से कम किसान तो कर भार से परेशान न होता। 38 करोड़ रुपये का घाटा आपके ट्यूबवेल्स से है। इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्थिति यह है कि वे 300 घंटे ही चल पाते हैं जबकि पश्चिम क्षेत्र का रिकार्ड 4000 घंटे का है। बेहतर होगा कि अगर इन ट्यूबवेलों को आप क्षेत्र के किसानों को दे दें जिससे जनता कम से कम घाटे से मुक्ति तो पा जाये। और जहां पर ट्यूबवेल लगाना हो वहां पर भूमि और पानी का सर्वेक्षण करके लगाइये। मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण कराने जा रही है कि कहां-कहां सिंचाई के अच्छे साधन निकल सकते हैं, कहां पानी मिल सकता है लिफ्ट कैनाल से, कितना नलकूपों से आदि-आदि।

सिंचाई के मान्यवर, 4 साधन हैं और अगर चारों का यह सरकार सर्वेक्षण करा लेती और जहां नलकूपों का लगना लाभदायक होता वहां पर यह लगाये जाते, तो यह जो इनसे घाटा हो रहा है वह नहीं होता और सिंचाई भी बढ़ी होती। यह भी देखा गया है कि उसी जगह नहरों का पानी भी है और उसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

जगह नलकूप भी बन गये हैं। योजना रहित जो भी काम यह सरकार कर रही है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप उसका कोई उत्तरदायित्व सम्भालने में अक्षम हैं। अगर आपने पहले सर्वेक्षण करा लिया होता तो यह चीज न होती। बिना इसके आप इसका विस्तार करेंगे कैसे? बिना इसके न ही आप कोई ऐसा आश्वासन दे सकेंगे कि अगले 10-5 सालों में आप असिंचित भूमि को सिंचित कर सकेंगे। सरकार इस बात को आज तक सिद्ध नहीं कर सकी हम अगले 15-20 सालों के बाद भी इतनी भूमि सिंचित कर देंगे। आप अभी तक प्रदेश में रक्षात्मक सिंचाई कर रहे हैं, उत्पादक सिंचाई नहीं कर रहे हैं। रक्षात्मक सिंचाई से प्रदेश की कृषि पैदावार कभी नहीं बढ़ सकती। वह तो अकाल या सूखा आदि से रक्षा ही कर सकती है। जिन फसलों को 5-6 पानी की जरूरत होती है-जैसे धान है, गन्ना है, गेहूं है, इनके लिये अगर आप उत्पादक सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाये तो कभी उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा। फिर रक्षात्मक सिंचाई भी आप कितने जिलों में उपलब्ध करा पाये हैं। यह भी आप नहीं बता पा रहे हैं।

मान्यवर, आज जो घाटा हो रहा है उसका कारण यह है कि सरकार निश्चित सिंचाई की गारन्टी नहीं ले सकी है। अगर आप इसकी निश्चित गारन्टी कर सकें तो यह पतरौल से लेकर ऊपर तक जो मुहकमा इसका है इसको रखने की जरूरत ही न पड़े, इन लोगों से और काम लिया जा सकता है, नहर विभाग से इसे हटाया जा सकता है। मगर सरकार पहले एक निश्चित जिम्मेदारी ले लें तब।

मान्यवर, रूस में हमने पता लगाया कि वहां एक बांध दो साल में बन कर तैयार हो जाता है। सारा नक्शा आदि और कैलकुलेशन आदि का काम सब दो साल में पूरा हो जाता है। बांध बनाने में तो बहुत कम समय लगता है। जब कई-कई साल योजना बनाने में और उसे पूरा करने में लग जाते हैं तो उससे बड़ा घाटा होता है। आपकी टेहरी बांध योजना ही को ले लीजिये, कितने वर्ष हो गये, 12 साल से पहले वह पूरी होने वाली नहीं है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक कैनाल योजना बनी। 1974 में माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने कहा था कि वह 2 साल के अन्दर पूरी हो जायेगी और बांध बन जायेगा। उसपर सर्वेक्षण होता रहा, पर आज सन् 1982 हो गया अभी तक मन्त्री जी इस स्थिति में नहीं हैं कि यह बता सकें कि कब तक यह काम पूरा हो जायेगा। जब यह योजना बनी थी तब यह 86 लाख रुपये की थी और आज वह 2 करोड़ 32 लाख पर पहुंच गयी है। जो अनुमानित लाभ था वह करीब ढाई लाख टन अधिक अन्न उत्पादन को बढ़ाने का था, मगर वह योजना 2 साल के बजाये आज 8 साल में भी पूरी नहीं हो पायी है तो उत्पादन क्या बढ़ेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाये तो कई लाख टन का नुकसान हमें हो चुका है। आज जितना गेहूं हमें विदेशों से मंगाना पड़ रहा है वह न मंगाना पड़ता और अगर यह योजना बन गयी होती तो इसी से पूरा हो जाता। जब 100 रुपये से एक मन अनाज स्थायी रूप से बढ़ जाता है, तो सरकार इस काम को क्यों नहीं करती। तो योजना को जितनी तत्परता से पूरा कर सकें, उतनी तत्परता से पूरा करें। रूस में आदमी भेज कर ऐसे तकनीक मंगा सकते हैं जबकि दुनिया में सब जगह यह तकनीक पाया जाता है कि दो साल में बांध ड्राइंग रूम में बैठ कर तैयार करते हैं और 15 दिन में बांध बन जाता है,

डाइना माइट से उड़ा कर । जब आपने 86 लाख के बजाय 2 करोड़ 32 लाख कर दिये, तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार किसी योजना को पहले सर्वेक्षण करा के निश्चित कर दे कि हम इन तरीकों से इतनी सिंचाई करेंगे । दूसरा एक और आग्रह करूंगा कि अधिष्ठान पर इतना बड़ा खर्च है कि वह बरदाश्त नहीं हो रहा है । तो उसको आप कार्य से जोड़ दें कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, उसको उससे जोड़ दें, अधिष्ठान का खर्च नहीं घटना चाहिए । मैंने जिस योजना का जिक्र किया है, उसी योजना को टेस्ट मान कर आप उसी योजना को पूरा करा दें, अन्यथा इससे काम नहीं चलने वाला है और आपसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता । प्यार तो होता है काम से । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम यश सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने आज सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है, वह सामयिक बजट है, किसानों की रक्षा करने वाला बजट है और अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है इस प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है जो खेती पर निर्भर करती है और इस प्रदेश में सूखा और बाढ़ की वजह से अन्न की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है । इसीलिए इस सरकार ने सूखा और बाढ़ से किसानों की रक्षा करने के लिए, माननीय मन्त्री जी ने जैसा बताया कि सरकार ने तमाम परियोजनाएं चालू कर दी हैं । पिछले वर्ष अक्तूबर, 1981 में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा का भयंकर प्रकोप हुआ था, तो इसी गंगा नहर से पानी देने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा से किसानों की रक्षा की गयी थी ।

मान्यवर, पूर्वी गंगा नहर हरिद्वार से निकाली जा रही है, जिसके बन जाने से बिजनौर में सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी । जो भीम गोड़ा बैराज बन रहा है, उससे पानी नहर में जायेगा । प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष गंगा नहरों से माइनरों का काम करने के लिए देहात के लोगों को दैनिक मजदूरी पर रख कर उनकी बेरोजगारी दूर की गयी थी । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र विशनपुर कुंडा, जिसके लिए सरकार ने पिछले वर्ष 1980 में 65 लाख रुपया स्वीकृत किया था, जो हर साल बाढ़ के कारण गांव बह जाते थे और जहां पर बान गंगा तथा बड़ी गंगा से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है । मैं माननीय मन्त्री जी को हरिद्वार क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन ने आदेश दिया था कि जून के अन्दर बन्धा बन जायेगा । पिछले वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा का प्रकोप था फिर भी बड़ी गंगा तथा बान गंगा में इतना अधिक पानी आया था कि विशनपुरकुन्डो, इस्माइलपुर, दरगापुर खतरे में था । जिलाधिकारी वहां गये थे और वहां के लोगों के बसाने की एक योजना बनाई थी । पिछले साल मैंने जब कहा था तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जून के पहले बांध

[श्री रामयश सिंह--]

बन जायेगा । चूंकि जून में काम समाप्त हो जाना चाहिये इसलिये इसको अगले वर्ष अक्तूबर से चालू करेंगे ।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । बन्धा बनाने का टेंडर हो गया था लेकिन चूंकि मेरठ के चीफ इंजीनियर रिटायर हो रहे हैं इसलिये उन्होंने उस टेन्डर को कैंसिल कर दिया और बांध का काम ज्यों का त्यों पड़ा है । मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सूखा पड़ा तब बान गंगा में इतना अधिक पानी आ गया कि उससे हजारों एकड़ भूमि बह गई । अब तो भारत सरकार ने जंगलों की भूमि पर बसने के लिये भी पाबन्दी लगा दी है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो टेण्डर हो गया है । बान गंगा पर बन्धा तथा बड़ी गंगा पर ठोकर बनाना शुरू किया जाय । पिछले साल बड़ी गंगा की चपेट में रायघड़ी गंगा दासपुर, सोपरी का 20 हजार एकड़ एरिया रकबा उसमें था । उसम 10 हजार एकड़ से ज्यादा एरिया का कटाव हो गया बाकी खतरे के बिन्दु में था । पिछले साल सरकार ने कहा था अधिकारियों को कहा था कि ठोकर बनवाने का काम चालू करें लेकिन आज तक सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं हुआ । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका सर्वे कराकर ठोकर बनवाने का काम भी बड़ी गंगा में कराये । बांध का काम भी तुरन्त शुरू कराकर जून से पहले उसे पूरा करा दें ताकि किसानों की सुरक्षा हो सके और गांव उजड़ने से बच सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में बहुत से मजदूर 30 साल से वर्कचार्ज में पड़े हैं । बहादराबाद में 30-30 साल से वर्क-चार्ज पर हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 20-20 और 30-30 साल से कर्मचारी वर्कचार्ज में पड़े हैं जो विदेशी मशीनों को आपरेट करते हैं, को तुरन्त रेगुलर करने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सिंचाई के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मन्त्री जी ने जो प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के निवासियों को एक स्वप्न दिखाने का प्रयास किया था या किया है वह कहां तक सफल होगा कहां तक पूरा होगा इसके विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं । लेकिन यह सही है कि एक तरफ जहां जिस तरह की सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये जितनी सिंचन क्षमता होनी चाहिये, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता वहीं दूसरी तरफ पूरब के जिले हमेशा बाढ़ की चपेट में आ जाया करते हैं । हम सिंचाई के बारे में न कह कर अपना सारा समय बाढ़ पर केन्द्रित करना चाहते हैं । बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया के गांव बाढ़ की चपेट में आ जाया करते हैं । मान्यवर, हमारे यहां डुमरियागंज, नौगढ़बांसी में 1 हजार 70 गांव रेवेन्यू के हैं । इसमें से 500 गांव मैरुन हो गये थे

(इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

काफी लम्बी चौड़ी योजनायें आपकी बनती हैं । भगवान ने आपको जो सिपहसालार दे रखे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शेर सिंह साहब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। जब बाढ़ आती है तो योजना बनाने का काम शुरू करते हैं लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो तिब्बत और चीन की बात करते हैं। उनका कहना है कि यह पानी तो नेपाल से आता है, चीन से आता है अगर कोई योजना बनायी जायगी तो पैसा खराब हो जायगा। इनका कोई समझौता नेपाल से होने वाला नहीं है और पुरानी जो योजनायें हैं वह बन नहीं सकती हैं तो आप हमको कब तक बाढ़ में डुबोते रहेंगे।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप बंधा बनाते हैं, आपके इंजीनियर बांध बनाते हैं लेकिन बाढ़ की एक हल्की सी ठोकर लगती है और पूरा बंध टूट जाता है। आप हमारे जिले का सर्वे कराइये। जमींदारी के तमाम बांध जो हैं वह ट्रांसफर नहीं हुये हैं। जो ट्रांसफर हुये हैं उसी पर रोजना काम हुआ करता है। आप बलरामपुर के आगे गोरखपुर, बांसी तक जायें छोटे-छोटे अनेक बंधे हैं जिन पर 20, 30, 50 हजार रुपये खर्च

(4 बजकर 16 मिनट)

करके पूरे गांवों को बचाया जा सकता है। जब तक अशोकवा, मरदहवा, खौदी नाला पर रेगुलेटर नहीं बनाया जायगा तब तक बाढ़ की समस्या का हल नहीं होगा। 11 लाख रुपये की खौदी नाला की स्कीम स्वीकार की गयी लेकिन एस0 ई0 ने रीजेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में बिस्कोहर, परसोहन से लेकर सकटपुर तक 4 कि0 मीटर लम्बा जमींदारी बांध है जिस पर रिवेयरिंग पर दो, ढ़ाई लाख रुपया खर्च कर दीजिये तो मेरे क्षेत्र के 100 गांवों को डूबने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब हम ऐसी बातें करते हैं तो आपके जो सिपहसालार हैं वह तिब्बत और चीन की बातें करते हैं। तो आप कोई दूसरा इंजीनियर भेजकर वहां सर्वे कराइये और बाढ़ से बचाव कीजिये। हम आपसे सिंचाई के साधन नहीं मांगते हैं, हम आपसे ट्यूबवेल नहीं मांगते हैं। हर वर्ष मेरे क्षेत्र के गरीब किसान लाखों रुपये खर्च करके फसल बोते हैं, पूर्वी जिलों के किसान की खड़ी फसल हर वर्ष तबाह हो जाती है। एक हल्का सा बाढ़ का झटका आता है और सारी फसल बरबाद हो जाती है। हमें सिंचाई की जरूरत नहीं है पहले हमको बाढ़ से बचायें। जब तक आप हमको बाढ़ से नहीं बचाते हैं तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। आप चाहे वहां उद्योग धंधे लगायें या सड़क बनायें लेकिन बाढ़ में सारी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। हर साल सड़कें रिवेयर होती हैं और जब बाढ़ आती है तो सब सड़कें टूट जाती हैं। ट्यूबवेल और सिंचाई की वहां क्या आवश्यकता है जब तक आप वहां बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं।

मैं बजट की तफसील में न जाकर निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कराइये कि कहां पर बन्धों की जरूरत है, कहां पर नदी पर बांध बनाकर सिंचाई की सुविधा दी जा सकती है या कहां पर ट्यूबवेल लगाया जा सकता है। इन चीजों का जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करायेंगे तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास करना सम्भव नहीं हो सकेगा। हमारे जिले में एक करोड़ रुपय का गल्ला बंटा है। यह एक करोड़ रुपया लगाकर आप बस्ती को बचाने का काम करें तो मैं समझता हूं कि आसानी से 50 परसेंट इसका बचाया जा सकता है। राहत के नाम पर जो आप देते हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं, याचक नहीं हैं, हमारे स्वाभिमान को यह बाढ़ गिराती

[श्री माता प्रसाद पान्डेय--]

है तो इस स्वाभिमान को बचाने की हम याचना करते हैं मुझे उम्मीद है कि इधर ध्यान देंगे । आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्द को समझते हैं । इन शब्दों के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं ट्यूबवेल आप दे रहे हैं । चाहे सत्तारूढ़ दल की बात हो चाहे विरोधी दल के सदस्य की बात हो पैसा सभी ट्यूबवेलों में लगता है। पहले आप सर्वेक्षण करायें तब पैसा दीजिये तो मुझे कोई एतराज नहीं है । आपके 7 ट्यूबवेल हमारे यहां लगे हुये । बिजली विभाग से बड़ी सिफारिश की गई थी । हमारे वित्त मन्त्री जी की बड़ी कृपा है पन्द्रहवें दिन वह मेरे यहां हेलीकाप्टर से जाते हैं । तो वहां पर ट्रांसफारमर विद्युत् विभाग वालों ने लगा दिया और लाइन खींच दिया । लेकिन वहां पर मशीन नहीं लगी जिससे विजली विभाग वाले ट्रांसफारमर लद ले गये और तार उखाड़ दिया और ट्यूबवेल वैसे के वैसे पड़े हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र के ट्यूबवेल जो कि चल नहीं रहे हैं उन्हें चलवाइये। दूसरी बात यह कि परसोहन से सेकर बूढ़ी राप्ती तक किनारे-किनारे आप बन्धा बनवाइये क्योंकि वह बिलकुल डूब जाता है । इस कारण आपकी विकास की योजना कोई वहां सफल नहीं हो सकती हैं, सारी विकास की योजनायें समाप्त हो जायेंगी इसलिए मैं वहां पर बांध बनवाने के लिये आपसे जोर देता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका ऋणी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे सुझाव को अगर सुनें तो प्रकारान्तर से उस पक्ष के और इस पक्ष के दोनों तरफ के सदस्यों को इससे लाभ होगा ।

श्रीमन्, सिंचाई का बजट सिंचाई मन्त्री जी ने उपस्थित किया है, उसका मैं पूर्ण समर्थन कर रहा हूं और अपने सीमित साधनों द्वारा जो भी इस बजट में वे कर सके हैं वह बहुत ही स्तुत्य है। श्रीमन्, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे उधर के लोग हों और चाहे इधर के लोग हों, सभी लोग एक बात तो कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में । यहां पर भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा होती है । तो अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार क्यों नहीं जा रहा है और उसमें हम लोगों का क्या योगदान है, इस पर भी विचार होना चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर हम सब लोग अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से करें तो भ्रष्टाचार अपने आप दूर होगा और वह समाप्त हो जायेगा । श्रीमन्, ऐसा है कि यह क्यों हो रहा है ? आज जब हम आपकी आज्ञा से बोलने के लिए खड़े हुये तो मेरे ही पक्ष के जो भाई हैं वह बराबर तब से नाराज हो रहे हैं कि हमें आपने क्यों बोलने दिया । अरे भाई, हमारी अलग ही स्थिति है, हम कोई हमेशा तो बोलते नहीं हैं, अगर अध्यक्ष जी ने हमें बोलने के लिये कह दिया तो इतनी नाराजगी हो रही है । मान्यवर, मैं आपके मध्यम से सभी सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार अपने कर्तव्य की विमुखता के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारण हो रहा है, यह दूर तभी हो सकता है जब हमारा आहार और बिहार एक समान होगा। आप भी मानते हैं कि--

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणिपश्यन्तु मा कश्चिद्दुख भागभवेत ।।

इसी को आधार मान कर चलें तो सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोग रहें, कोई भी यहां दुख का भागी न हो। हमारा एक नारा शुरू से रहा है देश प्रेम का। इसी दिशा में मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर हम सब लोग, इस सम्मानित सदन के सभी सदस्य जो हैं जिनका कर्त्तव्य देश की सेवा है, देश प्रेम है, मेरी बात को सही मान कर इस पर विचार करें कि जब तक हमारा आहार-बिहार सात्विकी नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार को दूर करने में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं।

श्रीमन्, इस समय सिंचाई मन्त्री जी ने सिंचाई का बजट रखा है। सिंचाई मन्त्री जी का प्रयास इस दिशा में स्तुत्य है। इसमें यह है, श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बात सुनाऊं और मेरे कुछ सुझाव हैं और आप के माध्यम से श्रीमन्, मन्त्री जी उसको सुनें और करवा लें तो ज्यादा अच्छा हो। आजमगढ़ के नजीमाबाद क्षेत्र से आता हूं और संयोग से या दुर्भाग्य से वहां शारदा सहायक की तमाम छोटी-मोटी माइनर-फाइनर आ गयी हैं। उसमें पहले न तो कोई मुआवजा दे रहे हैं और न पानी ठीक से। तो ऐसी दिशा में इस बात का ध्यान रखें कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है और जो भी फसल कटवा कर के समझा बुझा कर किसानों से कहा कि नहर जाने दो, डेढ़ वर्ष हो गये एक बून्द पानी का नहीं पहुंचा।

दूसरा श्रीमन्, एक हमारे फरिहा के पास एक गांव है जहां पर एक पुल है। शारदा सहायक चल रही है और कहा कि पुलिया बनवा दी जाय, लेकिन नहीं बनी। रामनरेश जी के समय में कुछ आपरेटरों की भर्ती का इंतजाम हुआ था और ऐन भर्ती के वक्त उन को रोक दिया गया। उस जगह पर आज तक कोई भर्ती नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि वहां भर्ती कर ली जाय। हमारे यहां शहर में बड़ा पुल है उसको बिना कारण बाढ़ डिपार्टमेन्ट ने तुड़वा दिया। रास्ता बिलकुल बन्द है। सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि इसको तोड़ा न जाये। एक तो तुड़वायेंगे, फिर बनवायेंगे, फिर तुड़वायेंगे, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आजमगढ़ नगर में जो टौंस नदी पर बड़ा पुल है उसके सामने बड़ी सड़क है उस को न तोड़ा जाये। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई विभाग के इस बजट का समर्थन करता हूं और इस कामना के साथ अपनी चर्चा समाप्त कर रहा हूं कि सिंचाई विभाग में जो आलस्य है वह दूर हो जाय और वह अपने कर्त्तव्य पथ पर चले।

धन्यवाद।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आप का बड़ा आभारी हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय हुकम सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज माननीय इन्दिरा गांधी जी ने जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह--]

उत्पादन वर्ष मनाने का निर्णय लिया है तो मन्त्री जी बताने का कष्ट करें कि 7 प्रतिशत अलाभकर जोत हैं जहां पर कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। 21 हजार नलकूप सरकारी हैं जिनके औसत चलने का है एक घन्टा रोज। क्या इसी तरह से उत्पादन वर्ष मनायेंगे। 3 अरब 90 करोड़ के बजट में से कुल 21 हजार राजकीय नलकूपों में आयल इंजिन या जेनरेटर की व्यवस्था कर दी जाय तो उन की क्षमता आज 24 गुनी बढ़ जायेगी केवल 50 करोड़ रुपये उन पर खर्च आयेगा। यह मैं सुझाव दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि अपने नेता के उत्पादन वर्ष को मनाने में यह योगदान दे सकेंगे। सरकारी सूत्रों से 56 प्रतिशत सिंचाई होती है। इनका यह कथन सत्य से परे है केवल 28 प्रतिशत, अधिक से अधिक 30 प्रतिशत सिंचाई सरकारी साधनों से होती है। बाकी जितनी भी सिंचाई साधन अपनाये जा रहे हैं किसान अपने बाहुबल पर अपना रहा है और उससे अपना उत्पादन कर रहा है। इस प्रदेश में 60 प्रतिशत लोग बिना नफे के काम कर रहे हैं जो अलाभकर जोतों के मालिक हैं। अलाभकर जोतें कैसे लाभकर बनायेंगे। सिंचाई का यही हाल है, राजकीय नलकूपों का यही हाल है और 3 अरब 90 करोड़ रुपये का बजट ले लिया और यह रुपया सरकारी अधिकारियों की जेबों में जायेगा, कर्मचारियों की जेबों में जायेगा और कुछ मन्त्रियों की जेबों में भी जायेगा।

श्रीमन्, रामपुर जनपद 1947 में एक रियासत थी और रियासत के राजा या नवाब जैसे अपनी प्रजा के प्रति सजग रहते हैं वह आपको मालूम है और यह प्रदेश भी चरमरा रहा है इस राजा के राज्य में। वहां पर 15 नलकूप की स्वीकृति हुई थी और 15 में से 9 राजकीय नलकूप सरदार दलजीत सिंह के चुनाव क्षेत्र में बिना आदेश के लगा दिये गए। अब वहां पर यह झगड़ा है और अब स्वीकृति प्रदान नहीं हो रही है। यह है इनकी राजनैतिकता का प्रतीक। मान्यवर, हमें 35 वर्ष आजाद हुये हो गये और उसमें 31 वर्ष इनका राज्य रहा लेकिन यह आज तक हमें बाढ़ से नहीं बचा पाये। बाढ़ का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा दी। मान्यवर, ब्रिटिश सरकार के वक्त का एक एग्रीमेन्ट है। उसमें यह है कि 60 फीसदी पानी रामपुर जनपद को दिया जायेगा परन्तु इस एग्रीमेन्ट का कोई बन्धन नहीं है। नैनीताल वाले रामपुर जनपद को पानी नहीं देते। जब उनका पेट भर जाता है बरसात आ जाती है तब रामपुर की तरफ पानी छोड़ दिया जाता है। वहां पर एक रानी बांध बनाया जा रहा था वह भी खटाई में पड़ा हुआ है। माननीय बिहारी लाल जी जो सत्तारूढ़ दल के हैं उन्होंने भी इसका रोना रोया है। एक तालपुर डैम है उसकी भाला नदी पर पुल की समस्या बनी हुई है। सिंचाई विभाग वालों का यह कर्त्तव्य है कि उसको बनायें। वहां पर कबड़िया बांध से पानी नैनीताल जिले में मिलता है। यदि मन्त्री जी 21 हजार टयूबवेलों के लिए 50 करोड़ रुपया प्रदान कर दें तो प्रदेश के सभी टयूबवेल चलेंगे, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा और उसके साथ ही साथ 50 हजार परिवारों को लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ बिलासपुर तहसील में एक साइफन बनाया गया 5 लाख रुपये की लागत से जब उसका उद्घाटन किया गया तो वह टूट गया और आज तक टूटा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसकी जांच करवायें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बलबीर सिंह, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से इतना चाहूंगा कि वहां नलकूप लगाने की कोई व्यवस्था कर दें। बहराइच के नानपारा में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण योजना है।

श्री अध्यक्ष--

श्री बलवीर सिंह जी, 5 मिनट का समय आपका पूरा हो गया है। जो कुछ बोलना हो बोलिए जल्दी।

श्री बलवीर सिंह--

वहां की सिंचाई में घोटाला है, सीमेंट की बिक्री व सरिया की बिक्री में घोटाला है जिसकी जांच करानी चाहिये। शारदा खैराबाद बांध सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुकम्मल जांच करायी जाय। इतना कहते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट अनुदान का विरोध करता हूं।

*श्री सुन्दर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने सिंचाई बजट के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने सिंचाई के सम्बन्ध में जो महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है और प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाने और दोनों फसलों को पानी देने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं अपने कर्मठ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद बहराइच में जो सरजू बैराज परियोजना बनाई गई है वह योजना 299 करोड़ रुपये की है। उस योजना के विस्तार को मैंने स्वयं देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समय यह योजना पूरी होगी उस समय हमारे जनपद बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो सदा से पानी के लिए तड़पता रहा है, जिसकी धरती सदियों से सिंचाई क्षमता से वंचित रही है उसकी जमीन सिंचाई के बाद शस्य श्यामला हो जायेगी और पूरा पूर्वांचल क्षेत्र पानी से सिंचित हो जायेगा। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, अभी तक वहां 8 प्रतिशत भूमि की सिंचाई हो पाती थी लेकिन इस योजना के पूरी हो जाने पर लगभग 45 प्रतिशत सिंचाई क्षमता हो जायेगी। इसके साथ ही शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बहराइच में जो बैराज बन रहा है वह भारतवर्ष में भाखरा बैराज के बाद दूसरा बैराज है और एशिय का बहुत ही महत्वपूर्ण बैराज होगा। घाघरा और राप्ती का पानी जिससे गोंडा तबाह हो जाता है, सरजू बैराज, गिरजा बैराज, मोतीपुर बैराज, लक्ष्मणपुर बैराज का पानी उस बड़े बैराज में चला जायेगा। इससे इस प्रदेश के गरीबों के लिए भी सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में घाघरा नदी के कटान से जरवल कटी नाम का जो नाला है, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि उस पर बंधा बन जायेगा लेकिन अभी तक वह नहीं बन सका है। घाघरा नदी और जरवलकटी नाले से लगा हुआ ही किनारे पर गोंडा व बहराइच जनपद है। माननीय मंत्री जी ने आदेश भी किया था कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर सिंह---]

बंधा बन जाना चाहिये । उसके बनने का निर्णय हो चुका है, सर्वे हो गया है, इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह बंधा बनवा दिया जाय जिससे हमारे क्षेत्र और जनपद बहराइच और गोंडा के 200 गांवों को घाघरा की बाढ़ से बचाया जा सके । इन शब्दों के साथ में अपने माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे सिंचाई मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह जी डब्बल बहादुर हैं और इस समय डबल विभाग भी उनके चार्ज में है । यानी परिवहन विभाग के मन्त्री रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में परिवहन ठप्प कर दिया है । इस सदन से बाहर पूरे राज्य में माल वाहनों का चलना बन्द हो गया है । परिवहन में अपनी वीरता दिखलाने के बाद अब माननीय मन्त्री जी सिंचाई विभाग में बहादुरी दिखलाने आये हैं । पिछले साल, मान्यवर, बजट ले कर आये थे, अब फिर आये हैं और चक्का जाम हो गया, पानी बहता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, उसको बांध नहीं सकते हैं और श्रीमन्, यह बजट पेश किया है मन्त्री जी ने । बजट का क्या होगा, यह सबको मालूम है । हम तो फेफड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमाना बाहु बल का था, स्वयंवर तो बहाना था । सिंचाई विभाग में जो कुछ हो रहा है वह भी सभी को मालूम है ।

मेरे जिले के बारे में माननीय मन्त्री जी ने जो यह पुस्तक दी है इसके पृष्ठ 5 पर जैसे बाइबिल में अंक रहते हैं उसी हिसाब से 3, 3·1, लिखा है । इसमें लिखा है, श्रीमन्, लास्टर घाटी परियोजना । ऐसा लगता है कहीं अमेरिका या इंगलैन्ड से अंग्रेज भेज कर इसको बनाया गया है । इस पुस्तिका के प्रति संशोधन के लिए एक लम्बा कागज भी आया है । मैंने पृष्ठ के हिसाब से संशोधन करने की कोशिश की । लेकिन इस लास्टर का मुझे कहीं भी लस्तर बना हुआ नहीं दिखाई दिया । लस्तर के बारे में इस पुस्तिका के अनुसार 480 हेक्टर सिंचन क्षमता उपलब्ध हो चुकी है । श्रीमन्, यह फिगर गलत है । पिछले साल भी मैंने निवेदन किया था । एक किलो मीटर कं. सिंचन क्षमता भी उपलब्ध नहीं हुई है । वहां के अधिशासी अभियन्ता प्रेम चन्द साहब के खिलाफ मैंने माननीय मन्त्री जी से कहा था कि वह तमाम पैसा वहां खा गये, सीमेंट खा गये । मन्त्री जी ने अधिशासी अभियन्ता जी को प्रमोट कर के श्रीमन् पिथौरागढ़ जिले में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर बना कर भेज दिया और लस्तर घाटी परियोजना आजतक उसी हालत में है ।

17 फरवरी, 1982 को हाउस चल रहा था । मेरे पास 16 फरवरी को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खन्ड, टिहरी गढ़वाल, की सूचना आई कि वह 17 तारीख को कीर्तिनगर पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां उन्होंने अपने दौरे का कार्यक्रम भेजा था । मैंने हाउस छोड़ दिया और मैं अधिशासी अभियन्ता से मिलने वहां गया । मैं कीर्तिनगर में दिन भर बैठा रहा लेकिन अधिशासी अभियन्ता का कहीं पता नहीं लगा । बता रहा हूं हालत क्या हो गई है । आपका काम किस तरह से चल रहा है । आज नदियों में जल

की मात्रा कम हो गई है। नदियों का तट, तल, ऊंचा होता जा रहा है। सिल्ट भरती जा रही है। मंत्री जी के पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

(बिजली चले जाने से)

ऐसा ही सब जगह हो रहा है। यही हालत हो रही है।

(बिजली आ गई)

जो बड़ी-बड़ी हाइडिल की योजनायें बनाई जा रही हैं ये इस पूरे प्रदेश के हितों के खिलाफ हैं। टिहरी बांध के लिए जितने वनों का विनाश कर दिया गया, जितनी भूमि का विनाश कर दिया गया, उससे उतना लाभ नहीं होने वाला है, जितना नुकशान होने वाला है। नरेन्द्र नगर में, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, पलसड़ा से कुमारखड़ा तक 35 लाख रुपये सिंचाई विभाग ने खर्च कर के जो सड़क बनाई है उस सड़क पर आज तक एक दिन ट्रैफिक नहीं चली। अब इस साल दुबारा उस पर कार्य किया जा रहा है। ट्रैफिक अलग से चलता है। जो सड़क जिले के अन्दर मौजूद है उस सड़क पर ट्रैफिक अच्छी तरह से चलती है। अब इस बाईपास के कारण किये गये कटान से जो बाढ़ आयेगी उस बाढ़ को मैदानी इलाकों में रोकना मुश्किल होगा। इनकी योजना कैसे बनती है। इनके विभाग के पता नहीं कितने किस्म से नाम हैं। एक प्लानिंग एण्ड इन्वेस्टिगेशन है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर चौरास में नहर खोदी जा रही है। 9 फीट चौड़ी और 6 फीट गहरी। काश्तकार की आबाद भूमि में नहर खोद कर बिजली पैदा की जायगी उस समय हमारे जो वित्त मंत्री माननीय ब्रह्म दत्त जी हैं, वे ऊर्जा मंत्री भी थे, उनको मैंने लिखकर दिया था। उन्होंने उस योजना को रुकवा दिया था। श्रीनगर के दूसरी तरफ नदी के उस पार चौरास में यह योजना बननी थी, उसको रुकवा दिया। 10 अप्रैल, 1981 को मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें मैंने कहा था कि यह योजना मेरे क्षेत्र में बन रही है और मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। श्रीनगर में मुख्य मन्त्री के आगमन पर मुझे आपके इंजीनियर नहीं बुलाते हैं, आपके सिंचाई के सचिव वहां पर बैठे हुए थे, कमरा नं0 80 में यह मीटिंग हुई थी। मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया था कि मुझे इस योजना के बारे में जानकारी दी जाय और बताया जाय कि इस योजना पर कितना काम हुआ है मैं अभी तक उसका इन्तजार कर रहा हूं। इसके बारे में न तो सिंचाई मन्त्री को मालूम है न मुख्य मन्त्री को मालूम है कि कहां यह योजना बननी है, कहां नहीं बननी है। इंजीनियर जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से हमारी अक्ल को ठगते रहते हैं। पहाड़ के अन्दर जो छोटी जल विद्युत् योजनायें बनाई जा रही हैं, उनको आप लागू करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री मारकन्डेय चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस सिंचाई विभाग के दो कार्य हैं – एक तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मारकन्डेय चन्द्र—]

सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और दूसरा बाढ़ से सुरक्षा करना। जहां तक सिंचाई सुविधा का प्रश्न है उस समय इस प्रदेश की स्थिति यह थी कि पश्चिमी जिलों में स्वतंत्रता के पूर्व ही वे काफी उपलब्ध थीं लेकिन पूर्वांचल में जिसको कि आज भी पिछड़े हुये जिलों के नाम से पुकारा जाता है, यह कहने में हमको संकोच और शर्म आती है कि हम उन जिलों को आज भी पिछड़ा हुआ कहते हैं। उसका मुख्य कारण यही था कि वहां पर कोई भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे और वे जिले इस तरह से पनप नहीं सके। आंकड़ों से विदित होता है कि आजादी के पूर्व 27 लाख हेक्टेयर भूमि में राजकीय सिंचाई की सुविधा न उपलब्ध थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की सरकार ने ऐसे क्रान्तिकारी कार्य किये कि आज 91 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद भी पूर्वांचल जिलों के एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। उनको जानकारी नहीं है कि सरजू नहर परियोजना वहां के लिये वरदान सिद्ध होगी। वहां के लोगों ने जो परिकल्पना किया था उसको आज मंत्री जी ने साकार रूप दिया है और ऐसा प्रस्ताव किया है। इससे वहां के चार जिले गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच लाभान्वित होंगे और उनके लिये यह परियोजना वरदान सिद्ध होगी। इसके साथ ही साथ में माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि वे अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर अपनी कार्यकुशलता और अनुभवशीलता के आधार पर उसको शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करें जिससे लाखों लोगों को वह फायदा पहुंचा सकें।

दूसरी बात यह है कि जहां पूर्वांचल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है, एक विकास खन्ड बेलघाट वहां पर है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 34 वर्ष आजादी के बाद भी वहां पर एक इंच भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। वह क्षेत्र शारदा नहर से वंचित रहेगा क्योंकि वह वहां नहीं जा रही है। मंत्री जी इस बात को जानते हैं। मान्यवर, जहां उनका ध्यान इन चार जिलों के लिये है वहां यह क्षेत्र अगर इस सुविधा से वंचित रह जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिय मैं मांग करता हूं कि इस ओर भी आप ध्यान दें और वहां के लिये जो एक 42 ट्यूबवेलों की योजना सर्वे होकर आयी है उसके कार्य को प्रारम्भ करवा दें।

मान्यवर, सिंचाई विभाग का दूसरा काम बाढ़ से रक्षा करना है। यह सदन जानता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण कई गांव डूब जाते हैं। उसकी कमर टूट जाती है एक बाढ़ से जब तक संभलते नहीं तब तक दूसरी बाढ़ आ जाती है। इस वर्ष ऐसी स्थिति आ गयी थी कि 15–15 दिन तक गांव पानी में घिरे रहे। माननीय मुख्य मन्त्री जी की कृपा से वहां पर हेलीकाप्टर से लोगों को खाना दिये जाने लगा। तो वहां की जो दुर्दशा है उसकी ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता मंत्री जी को है कि सिंचाई के साथ-साथ वहां बाढ़ का भी काम होना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने अभी जलकुंडी योजना के बारे में कहा नेपाल सरकार से आज हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं तो इस समय नेपाल के जो इरिगेशन और पावर के सचिव हैं वह सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के ही खासतौर से गोरखपुर के उनके पूर्वज रहने वाले हैं तो उनसे हमें सहायता मिल सकती है। इसलिए वहां के पावर एण्ड इरिगेशन सेक्रेटरी से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और उस योजना को शीघ्रता से लागू किया जाय। इस तरफ अधिकारियों तथा मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ताकि जलकुंडी योजना बन सके उससे जो

हमारे यहां बाढ़ की समस्या है वह हल होगी । मेरा विश्वास है कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने सरयू योजना को मूर्तरूप दिया है उसी तरह से जलकुंडी को भी पूरा करेंगे और इस क्षेत्र को बाढ़ से बचा सकेंगे ।

अभी माननीय ओझा जी ने एक बात कही मैं उन्हें सूचना देना चाहता हूं वह बुरा नहीं मानेंगे उन्होंने कुछ अधिकारियों का नाम लिया इस विभाग के सचिव और प्रमुख अभियन्ता जिनकी कार्यकुशलता पर कोई संदेह नहीं है । जन-जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई कमी न हो । तो हमें भी पहले इस बात को सोचना होगा । मान्यवर, गोरखपुर में शेर सिंह और नरसिंह का नाम लिया । शेर सिंह के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वैसे किसी का भ्रष्टाचार जब तक सिद्ध न हो जाय तब तक हमें उसे ईमानदार मानना चाहिये, तो उनकी विशेषता यह है कि वह बाढ़ के मामले में दक्ष माने जाते हैं उन्हीं की दक्षता में हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । वह बेईमान हैं या नहीं इसको मैं नहीं कहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब तक बेइमानी सिद्ध न हो जाय मैं इनको ईमानदार मानता हूं उनको आये कुछ ही दिन हुए हैं तो इतने दिनों में वह बेइमान हो सकते हैं यह मैं नहीं कह सकता हूं । मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता दूसरे से कहने से पहले अपनी बात भी सोचनी होगी । चूंकि लालबत्ती हो गयी मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल के लिए सरयू नहर एक बरदान के रूप में दी है और उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया है उसी तरह से इस जलकुंडी योजना को भी मूर्तरूप देने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, एक मिनट हमें दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

समय बहुत कम है मजबूरी है ।

श्री हुकम सिंह--

श्रीमन्, मैं आभारी हूं सभी सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखे और अपने-अपने क्षेत्र और अपने-अपने जनपद की समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी को अवगत कराया । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए दो-चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपकी चाहे कितनी ही अच्छी परियोजनायें हो किसान इस बात में रुचि रखता है कि आपकी इन परियोजनाओं से उसे पानी मिलता है या नहीं । पानी केवल निर्माण कार्य से नहीं मिल जाता है बल्कि जिस प्रणाली का निर्माण किया है उसका कितना अनुरक्षण होता है वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । जिस व्यक्ति को पानी की आवश्यकता हो, उसकी फसल के लिए आपने पानी छोड़ा भी हो उसके लिए आपने पानी छोड़ा भी हो लेकिन कटिंग के कारण, चोरी के कारण या

[श्री हुकम सिंह—]

अनुरक्षण न होने के कारण टेल पर बैठे हुए किसान को पानी नहीं मिल पाये तो कोई फायदा उस किसान का अरबों रुपये के खर्च से होने वाला नहीं है। इस अनुरक्षण में या इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे छोटे कर्मचारी को हो जाती है और वह है सींचपाल। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, यद्यपि वह सबसे छोटा कर्मचारी है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और जब तक वह ठीक से अपना काम नहीं करेगा, आप कितना रुपया लगा लें, कितनी नालियां बना लें, किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज आपके विभाग में कोई सींचपाल ऐसा नहीं बचा है जिसका किसान से फसलाना, रबी और खरीफ दोनों फसलों का न बंधा हो। यदि कोई उससे फसलाना नहीं बांधता है तो उसको भुगतना पड़ेगा—या तो उसको तावान देना पड़ेगा या उसके खेत तक पानी कतई नहीं पहुंचेगा। इसके विपरीत जो लोग कटिंग भी कर लेंगे, लेकिन सींचपाल के साथ मिली भगत रहेगी तो उसे कोई तावान नहीं देना पड़ेगा और पानी भी उसके खेत तक बराबर पहुंचता रहेगा। इसकी रोक थाम के लिए तरीका यह है कि जो जिला स्तर पर आपके अधिकारी बैठे हैं, वे जब तक फील्ड का अपना दौरा ईमानदारी से नहीं करेंगे, कुछ इसमें होने वाला नहीं है। केवल लाग बुक भरने से कुछ होने वाला नहीं है।

आज वास्तविकता यह है कि आपके कर्मचारी ईमानदारी से कोई काम या दौरा नहीं करते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी इन छोटे कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं, जिससे लाखों किसानों का उत्पीड़न होता रहता है। दूसरी बात यह कि आपके विभाग में एक चलन हो गया है, आपके रखरखाव की कमी के कारण या और किसी कारण कोई नहर टूट जाती है तो आपका विभाग उसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। पानी ज्यादा छोड़ दिया या पटरी कमजोर हो गयी, उस पानी को सहन नहीं कर पायी, खेतों में पानी चला गया, लोगों की फसल बर्बाद हो गई, तो किसान को उसके लिए उसका मुआवजा देना तो दूर रहा, उसको तावान देने पर मजबूर किया जाता है। आपके विभाग के रखरखाव की कमी के कारण जहां कहीं भी नहर टूटी है, आप के विभाग ने कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस की है। अतः इस दिशा में जागरूक होकर आप कोई कदम उठावें।

एक सुझाव मैं मंत्री जी को और देना चाहता हूं, जो मूलतः आपकी नीति के बारे में है कि आप परियोजनाएं तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन संसाधन आपके पास नहीं हैं। तो कागज पर आपने जो योजनाएं दे दी हैं, वे कभी पूरी नहीं हो पाएंगी और अधिष्ठान पर आपका खर्च बढ़ता चला जाएगा। तो पहले तो आप जो योजना ले जा रहे हैं उनको ही पूरी तरह से पूरा करिये। अभी मेरे बुन्देलखंड के साथी खुश हो रहे थे, कि वहां पर पानी पहुंचने जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वहां पानी पहुंच पाएगा। तो करोड़ों और अरबों रुपयों की योजनाओं से वहां कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना आपका अनुरक्षण का खर्च है, अरबों रुपया लगाकर आपने जो निर्माण कार्य किया है, उससे इतना राजस्व प्राप्त हो जाना चाहिए था कि आप प्रभावी तरीके से उनका अनुरक्षण कर सकें। लेकिन यह अजीब बात है, आपने अरबों रुपया लगाया, उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे हैं, लेकिन आप इस लायक नहीं हो पाए कि मेन्टीनेन्स का खर्च ही उसके पूरा कर सकें जो आपका अनुरक्षण पर प्रति हेक्टर खर्च है, वह 256.99 रुपया आता है।

और जो प्राप्ति राजस्व के कारण है वह 94.47 पैसे हैं। इस तरह से राजस्व प्राप्त करने के बावजूद 169.52 पैसे आप दूसरे संसाधनों से जुटाते हैं। इससे जाहिर होता है कि इन प्रणालियों में मेन्टीनेन्स के लिए आपके विभाग द्वारा सही काम नहीं होता है। वर्ष 1978-79 में राजस्व की प्राप्तियां 48 करोड़ 34 लाख 83 हजार प्राप्त हुआ इसकी अपेक्षा राजस्व की प्राप्तियों में अब कमी होना हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है। आप हमें संतुष्ट करें कि जब वर्ष 1978-79 में 48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां थीं तो अब क्यों कम हो रही हैं, 13 करोड़ कहां गया। वर्ष 1981-82 में आपका अनुमान है कि 47 करोड़ की प्राप्ति होगी। आप अपने अधिष्ठान में क्या खर्च कर रहे हैं यह 43 करोड़ 19 लाख रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं। यह कैसी विडम्बना की बात है कि आपके विभाग अपने अधिष्ठान का खर्च अपनी राजस्व प्राप्तियां से पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी अतिरिक्त संसाधन आप किसानों से जुटा रहे हैं। आपकी जो लोअर लेविल है, जिला स्तर पर आपके विभाग की जो वर्किंग है उसमें कमी आई है। आप उसे गम्भीरता से देखें और उसको दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठायें।

अब मैं एक और बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपकी एक राम गंगा बहुउद्देशीय योजना है, उसमें जो खर्चा आता है पानी का वह 17 रुपये 40 पैसे प्रति हेक्टेयर आपने दिखाया है और विद्युत् प्रजनन में जो लागत आती है, एक यूनिट बिजली बनाने में वह 16 पैसे प्रति यूनिट आती है। अभी यहां पर हमारे बहुत ही अनुभवी मंत्री जी और कई माननीय सदस्य भी बैठे हैं बता दें कि क्या ये किसी भी प्रदेश के हिस्से म 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जो बिजली के प्रजनन में इनकी लागत है उससे कई गुना ये वसूल करते हैं और फिर भी नुकसान में रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसको भी आप देखें। अभी हमारे एक माननीय सदस्य, देवरिया, ने कहा, शायद उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक बिन्दु उठाया सरकारी साधनों से कृषि भूमि में कितन प्रतिशत में आप सिंचाई कर पा रहे हैं। आपकी इस पुस्तक में यह 23.4 दिया हुआ है और करीब आज हमसे 400 करोड़ रुपया इस प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए ले रहे हैं लेकिन क्षमता केवल आप .08 प्रतिशत ही बढ़ा रहे हैं। तो यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

यह सीपेज की वजह तो नहीं है?

श्री हुकम सिंह—

उस पर भी मैं आ रहा हूं। एक ओर तो आप जमीन से पानी ले रहे हैं और दूसरी तरफ जितनी हमारी नहरें हैं, जो इतनी अच्छी बनायी हैं, जैसे शारदा सहायक गंडक परियोजना से सिंचाई के बजाय आप ऐसा कर देंगे कि लोग वहां पर रह भी नहीं पायेंगे, वहां पर पानी ऊपर आता जा रहा है। सीपेज हमारे और आपके नियंत्रण से बाहर हो जायेगा, यदि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही न की गई। मुझे आशा है जो चन्द सुझाव मैंने दिए हैं, उनको देखते

[श्री हुकम सिंह--]

हुए माननीय मंत्री जी प्रभावी कदम उठायेंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, किसानों के हित में आप कुछ कर दिखायेंगे।

इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी दोनों पक्षों ने जो सुझाव दिये हैं उनमें बहुत से सुझाव अच्छे हैं और जब हम अपनी योजनायें बनायेंगे तो उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। माननीय हुकम सिंह जी ने, जिन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा, 2-3 बातों पर अधिक जोर दिया। उन्होंने एक बात यह कही कि योजनायें जो बनती हैं उनके पूरा होने में बहुत बिलम्ब होता है जिसके कारण कास्ट बढ़ जाती है। यह बात सही है। पर उसके कुछ कारण होते हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता। यह बात सही है कि योजनाबद्ध समय के अन्दर ही अगर हमारा काम हो जाये तो अच्छी बात है। पर मान्यवर, आप जानते हैं कि भूमि आदि मिलने म बड़ी कठिनाइयां सामने आती हैं। जो क्षेत्र पिछड़े हुये हैं वहां से मांग आती है कि वहां के लिए योजनायें बनाई जायें। उसके लिए योजनायें बनानी पड़ती हैं। पर जितने साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं उसी के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। साधनों के अनुसार ही हमें बटवारा करना पड़ता है। किसी-किसी योजना में 5-5 और 10-10 साल भी लग जाता है।

मान्यवर, शारदा सहायक योजना, गन्डक योजना, राम गंगा योजना आदि में इतना विलम्ब क्यों हुआ। विलम्ब के कारण ज्यादा पैसा लगा। यह बात कही गई। आप जानते हैं कि जमीन ऐसी चीज है जो समय से नहीं मिलती। उसके एक्वायर करने में तमाम दिक्कतें आती हैं। लोग तरह-तरह के अवरोध खड़े करते हैं। बहुत से लोग कोर्ट में चले जाते हैं। इनके कारण विलम्ब हो जाती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा नियम हम बनायें जिससे कि जमीन मिलने में हमें कठिनाइयां न हुआ करें।

(व्यवधान)

ताजेवाला बैराज का जिक्र किया गया। उसके लिए हरियाणा सरकार से बात हुई है। इसमें बहुत सी बातें तय हो चुकी हैं। इन्जीनियरों की एक कमेटी भी बना दी गई है जो तमाम बिन्दुओं पर विचार करेगी और जैसे ही सारी बातें तय हो जायेंगी तुरन्त काम शुरू हो जायेगा।

बुन्देलखंड की योजनाओं के बारे में हम चाहते हैं वह क्षेत्र और मिर्जापुर का क्षेत्र ऐसा है जहां पानी की बहुत कमी है, पीने के पानी की भी कमी है, हमारा प्रयास होगा कि वहां की योजनायें जल्दी पूरी हों। इस सम्बन्ध में जो चिन्ता आपकी है, वही हमारी भी है। हम तेजी से काम करना चाहते हैं और करेंगे।

औगासी पम्प नहर की बात है। उस पर 25 लाख रुपया आवंटित किया गया है यह बात सही है। पम्प कैनाल चालू हो गई है, लेकिन माइनरें तथा गूल आदि बनना बाकी है। इसके लिए पैसे की व्यवस्था की गई है और उसके लिए भी काम शुरू हो गया है आपने अभी कुछ बातों की तरफ इशारा किया कि कुछ

खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है और यह भी कहा कि जो आपरेटर हैं, सींचपाल हैं ये लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं और किसानों को परेशान करते हैं। मान्यवर, यह बात सही है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में अभी आदेश किया गया है कि 32 किलो मीटर तक, अपने घर से कोई भी नलकूप चालक नहीं रहेगा। मान्यवर, मिर्जापुर के बारे में शिकायत आई कि वहां पर काम रोक दिया गया, उस पर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, किसी काम को किसी हद तक रोका नहीं जायगा और जहां कहीं भी ऐसी कोई शिकायत आयेगी, तो उसको देख लिया जायगा। इनके बारे में आप ही लोग कहते हैं कि छोटे कर्मचारी हैं, क्यों दूर किया जा रहा है? मान्यवर, अगर किसानों को सुविधा देना है और काम ठीक से चलाना है, तो उनको काम करना पड़ेगा और जिम्मेदारी जो है, उनको निभानी पड़ेगी और इस अनुशासनहीनता को दूर करना पड़ेगा। इसमें जो भी कदम शासन को उठाना पड़ेगा, वह उठाया जायगा।

(माइक खराब होने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

माननीय मंत्री जी दूसरे माइक से बोलें, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह रखरखाव का पैसा जो पहले रखा जैसे नलकूप के रख-रखाव के लिए दो हजार रुपया प्रत्येक नलकूप पर रखा गया है, मान्यवर, कोई भी नलकूप खराब हो जाय, तो वह इस पैसे से ठीक कराया जायेगा और इसमें काफी सफलता मिली है। जो बहुत दिनों से ट्यूबवेल खराब पड़े हुए थे, उसे ठीक कराया गया है। जो भी शिकायतें जिस किसी ने की हैं, उसके बारे में जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मैंने जिलाधिकारी से और ब्लाक से रिपोर्ट मंगाई कि आपके यहां ब्लाक में जितने ट्यूबवेल खराब हैं, उनकी सूची हमारे पास भेजें और उसको ठीक करायें। उसको मैंने देखा कि उसमें काफी हद तक काम किया गया। मान्यवर, जमरानी बांध की मांग बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन उसमें यह हो रहा था कि उसको किस तरह से बनाया जाय। यह हमारे प्रदेश में जो हमारे इंजीनियर हैं, दूसरे जो इक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बैठकर देखा कि किस तरह का बांध बना रहे हैं, व्यय वित्त समिति जो हमारी होती है, उसको वह देखती है।

मैं चाहूंगा कि जल्दी से वहां से वह आ जाय और उस पर जल्दी काम किया जाय। आगरा में नलकूप के लिए मान्यवर, मैंने कहा था कि वहां पर खारा पानी है, इसलिए वहां पर नलकूप नहीं लगा सकते हैं। हम उसका सर्वे कर रहे हैं कि किस स्ट्रेटा तक पानी अच्छा है, ताकि वहां तक हम नलकूप लगा सकें। श्री भोला पान्डेय ने चांदपुर के बारे में कुछ शिकायतें की। मान्यवर, जो भी शिकायतें आती हैं, उनके बारे में जांच कराई जाती है। मान्यवर, मैं नहीं कह सकता कि सभी जगहों पर काम ठीक हो गया है, कोई कमी नहीं है। मान्यवर, हमारे नियम बने हैं, उसी के अन्तर्गत सरकार काम करती है। अगर कोई शिकायत आती है, तो उसकी जांच की जाती है और कार्यवाही की जाती है। अगर माननीय भोला पान्डेय कोई स्पेसिफिक बात बतायेंगे, तो उसके ऊपर जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाया जायगा, किसी को छोड़ा नहीं जायगा। माननीय ओझा

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

जो ने एक इंजीनियर के बारे में शिकायत की है, तो अगर वह कोई स्पेसिफिक शिकायत देंगे, तो जांच कराकर कार्यवाही की जायगी ।

दूसरा गाजीपुर के बारे में कुछ बातें बताई गई । वहां सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया और कहा कि 38 करोड़ रु0 का घाटा नलकूप में और 88 करोड़ रु0 का घाटा सिंचाई विभाग में हो रहा है । आप जानते हैं कि सिंचाई ऐसी चीज नहीं है कि प्रत्यक्ष लाभ दिखलाई दे । आप यह भी जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में जो हरियाली बढ़ी है जो उत्पादन बढ़ा है, इसकी चर्चा आज विदेशों में है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ग्रीन रेवोलूशन आया है । आज हम अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं । आप हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में ही देखें जब यह योजनायें नहीं थी तो क्या था । आज पैदावार किस तरह से बढ़ी । हमारी पैदावार इतनी बढ़ी कि आज हम दूसरे प्रदेशों के लिये भोजन दे रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं । इसको घाटा नहीं कहा जा सकता है । कहीं 88 करोड़ रु0 का घाटा होता है तो दूसरी जगह 5, 7 सौ करोड़ का लाभ भी होता है । यह कोई व्यवसाय नहीं है कि आप उसके फायदा देखें आपको किसानों का कितना लाभ हुआ है कि यह देखना चाहिये और देखना पड़ेगा ।

(5 बजकर 16 मिनट)

माननीय माता प्रसाद जी ने कुछ बातें कहीं और कहा कि डुमरियागंज के 5 सौ गांव बाढ़ में डूब गए। मान्यवर, बस्ती जिले में इस साल कुछ बांध स्वयं टूट गए और कुछ को जनता ने गांव वालों में बाट दिया और इस साल बाढ़ में बूढ़ी राप्ती में इतना पानी आया कि इतना पानी कभी नहीं आया था । इसको बाढ़ से बचाने के लिए इन बांधों को मजबूत किया जा रहा है, उनको ऊंचा कर रहे हैं । हमने यह भी आदेश दिए हैं कि जो काम किए जाएं, वह मजबूत किए जाएं और बाढ़ को रोकने के लिए योजना बनाई जाय और देख लें कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा ताकि समयबद्ध तरीके से काम किया जा सके । श्री विद्यासागर नौटियाल ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया कि श्रीनगर में विद्युत् योजना बना दी गई, उनको जानकारी नहीं है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश और देश के लिये बिजली का पैदा करना बहुत आवश्यक है । बिना बिजली के न तो उद्योग चल सकते हैं और न ही कोई नलकूप चल सकता है न कोई उद्योग धंधा या रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं । बिजली का पैदा करना आवश्यक है और इसको पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूं । श्री हुकम सिंह ने बाढ़ के सम्बन्ध में कहा था कि बांध नहीं बनाये गये । मैं सूचना देना चाहता हूं कि अलीपुर बांध, आरा बांध बुलन्द-शहर में, तथा हिन्डन नदी पर नोयडा बांध का निर्माण हो रहा है । लखनौटी बांध सहारनपुर में है । पश्चिमी जनपदों के लिए 6 करोड़ 50 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 2-4 बातें अनर्गल कह दी जाती हैं । लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि कुछ न कुछ कहना है, क्योंकि उनको विरोध करना है । लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विरोध के लिए वह इस तरह की बात कहें । ओझा जी ने आजमगढ़ के इंजीनियर के बारे में शिकायत किया कि नोटिस छपी और परचा बांटा गया । मान्यवर, आज ही कौंसिल

में प्रश्न था मैंने जवाब दिया है 10 लाख रु0 का काम हुआ और कह दिया गया कि 40 लाख रु0 का गबन हो गया। 10 लाख रु0 का काम हो और 40 लाख रुपया गबन हो जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। फिर भी मैंने चीफ इंजीनियर को जांच के आदेश दे दिए हैं कि जांच करके रिपोर्ट दें कि तथ्य क्या है। मान्यवर, कोई भी शिकायत यदि है तो उसको हम दबाने के लिए तैयार नहीं हैं, उसको हम जांच करायेंगे और जांच जिस एजेन्सी से चाहेंगे, उससे करायेंगे और सही तथ्यों पर हम कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, कुछ कान्ट्रेक्टर जो कि दूसरे काम में लगे थे आज वह ठेके में आ गए हैं और इंजीनियरों से गलत काम करवाना चाहते हैं और वह नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध वह शिकायत करते हैं। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि टेन्डर के लिए जिनको बुलाया जाय, वह रजिस्टर्ड हो, मान्यता प्राप्त हों और पात्र हों, इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि कान्ट्रेक्टर और इंजीनियर जो पैसे का काम मिस्यूज करते हैं, वह न होने पाये।

मान्यवर, बाढ़ में एक-दो जगह अच्छे काम हुए और राप्ती एवं गोमती का मास्टर प्लान बनवा रहे हैं, बाढ़ को रोकने के लिए। चूंकि राप्ती नेपाल से आने के बाद भयंकर रूप धारण कर लेती है, इसलिए उसका मास्टर प्लान बनवा रहे हैं ताकि सही निदान ढूंढ सकें।

मान्यवर, विभाग ने जो काम और एक्शन लिए हैं, उसमें जिन्होंने गलतियां किया था, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 105 अधिकारियों के खिलाफ खुली जांच करने के आदेश विजालेन्स को दिए गए हैं। इसी प्रकार प्राधिकरण में 7 व्यक्तियों को भेजा है कि उचित कार्यवाही करें। मान्यवर, भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग आये थे, उसके लिए आदेश मैंने सतर्कता विभाग को जांच के लिए दिए थे। जांच पर जिनको निलम्बित किया गया है, उसमें 1 अधीक्षण अभियन्ता, 13 अधिशासी अभियन्ता और 18 सहायक अभियन्ता थे। इस प्रकार 4 को नौकरी से निकाल दिया गया है और 2 अधिशासी अभियन्ताओं को रिवर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार यहां जिसके खिलाफ शिकायत आयी, उसकी जांच कराई गई है।

श्री कुबेर भंडारी—

जो निकाले गये हैं, वह किस जाति के हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जाति नहीं लिखी हुई है।

मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई है, उसकी जांच कराई गई और दोषी पाये जाने पर किसी को छोड़ा नहीं है, इसको नजीर नहीं मिलेगी और भविष्य में जो गलत काम करेगा बड़ा हो या छोटा हो, गलत पाया जायेगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा।

मान्यवर, अब मैं अनुशासनहीनता के बारे में कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त आ जाती है कि वह भ्रष्टाचार करता है, इसलिए हमने कहा है कि

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

कोई शिकायत करता है तो तब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी जब तक जांच से सिद्ध नहीं हो जाता है ।

मान्यवर, वर्ल्ड बैंक के बारे में माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिंचाई विभाग की शिकायत किया ।

लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का हिन्दुस्तान में सबसे पहला नम्बर है । जो भारत सरकार की मानीटरिंग की समिति है उसने कहा है कि सबसे अच्छा काम हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का है और प्रधान मन्त्री जी ने खुद अपने मुंह से कहा है । दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हिन्दुस्तान आये थे तो वह उत्तर प्रदेश में भी आये थे, जो विश्व बैंक के ट्यूबवेल हैं उनको देखने के लिये । तो वह देखकर बड़े प्रभावित हुये, आपने अखबारों में पढ़ा होगा ।

उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा किया । चीन और नेपाल से लोग आकर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के ट्यूबवेल कैसे लग रहे हैं । यह छोटी बात नहीं है । उन्होंने हमारी शारदा सहायक की प्रशंसा की है । जो विदेश की बड़ी हस्ती के आदमी हैं उन्होंने आकर हमारे प्रोजेक्ट की प्रशंसा की है यह कोई छोटी बात नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय हुकम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और प्रदेश की गरीबी मिटाने और उत्पादन बढ़ाने के इस महत्वपूर्ण काम में उनका यह योगदान महत्व-पूर्ण होगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री रियासत हुसैन—

मेरा एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिलवा दें । जो गंगा के कमांड में, शारदा सहायक के कमांड में और राम गंगा के कमांड में पानी जाता है उसको लोग पीने के काम में लाते हैं । तो पोल्यूशन को देखते हुये आप यह प्रबन्ध करेंगे कि जगह-जगह ड्रिंकिंग वाटर को चेक करा लिया करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

माननीय हुकम सिंह जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक जानकारी करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब उनका उत्तर हो गया है, आप बैठें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43, 19, 69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,46,00, 48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त हो जायं, एक सूचना है उसे सुन लें।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी हेतु दिनांक 16 मार्च, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक का समय और निर्वाचन होने की दशा में मतदान दिनांक 20 मार्च, 1982 के लिये नियत था। नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिये अभ्यर्थियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होने के कारण, निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि 20 मार्च, 1982 निर्धारित की गयी थी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की तिथि 20 मार्च, 1982 करने तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 20 मार्च, 1982 के स्थान पर दिनांक 31 मार्च, 1982 को रखे जाने के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं की प्रार्थना पर अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये नामों की वापसी की तिथि 20 मार्च, 1982 तक तथा उक्त दोनों निकायों के लिये मतदान की तिथि 31 मार्च, 1982 नियत

[श्री अध्यक्ष--]

की गयी है । तद्नुसार अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की तिथि 20 मार्च, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक तथा उक्त निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 31 मार्च, 1982 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से एक ही विषय पर श्री मोहन सिंह औत फिर सर्वश्री विद्यासागर नौटियाल, पंचानन राय, किरनपाल सिंह की सूचना आयी जो कि प्रदेश में स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में है, वह वक्तव्य के लिये स्वीकार हुई है, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई ।

श्री राम रतन सिंह--

31 मार्च श्रीमन्, वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

31 मार्च, की तिथि वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई ।

सरस्वती कन्या विद्यालय इन्टर कालेज, नरही लखनऊ की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने की कथित घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में नरही में स्थित भवन संख्या 50 जिसमें सरस्वती कन्या विद्यालय चलाया जा रहा था, का कब्जा न्यायालय के आदेश के अनुसार 1-2-82 को पुलिस की सहायता से मकान मालिकान को दिलाया गया ।

दिनांक 5-3-82 को करीब 10 बजे दिन को उपरोक्त भवन पर अवैधानिक व जबरदस्ती कब्जा करने के लिये विद्यालय की अध्यापिकाओं, विद्यार्थियों, स्टाफ और प्रबन्धकों की भीड़ सर्वश्री सुरेश, चन्द्र सक्सेना, रामधनी सिंह, हरि प्रसाद तिवारी, सुनील कुमार मुखोपाध्याय, रमेश चन्द्र 'विकट' सदस्यगण विधान परिषद् तथा श्री पंचानन राय, सदस्य विधान सभा के नेतृत्व में एकत्र हुई व प्रशासन के अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बावजूद पुलिस का घेरा तोड़कर भवन में घुसने का प्रयास किया । इन लोगों में से बहुत से लोगों को जो सड़क पर रक्खी हुई मेजों व कुर्सियों पर चढ़कर अन्दर घुसने का प्रयास कर रहे थे, कुर्सियों व मेजों से गिरने के कारण चोटें आयी । नौ लोगों का डाक्टरी मुआयना कराया गया ।

यह कथन गलत है कि 50 से अधिक लोगों को चोटें आयी । भीड़ में से उपरोक्त केवल 8 व्यक्तियों को चोटें आयी । जिला प्रशासन में कार्यरत एक मजिस्ट्रेट, एक क्षेत्राधिकारी, दो उप निरीक्षक, पांच महिला पुलिस तथा पांच पुलिस कर्मियों को भी चोटे आयीं । इसके अतिरिक्त मालिक मकान के घर वालों में से भी चार लोगों को चोटे आयीं ।

मौके पर शांति व्यवस्था भंग होते देखकर विधान मन्डल के उपरोक्त माननीय सदस्यों को धारा 151 दन्ड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार कर थाना हजरतगंज में लाया गया जहां मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 111 दन्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस सुनाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया । यह कहना सही नहीं है कि इस घटना में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 5-3-82 को घटना में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया । यह कहना सही नहीं कि सरकार द्वारा स्थिति को नियन्त्रित न कर पाने से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है तथा शान्ति और व्यवस्था के लिये गम्भीर संकट है । इस क्षेत्र में स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, लाठी चार्ज हुआ या नहीं, लोग मारे गये या नहीं, उसके भुक्त-भोगी पंचानन राय बैठे हैं, वह खुद पूंछ लेंगे अपने बारे में । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समस्या के बारे में विवाद है, न्यायालय के आदेश से किराये का भवन खाली हो गया, लड़कियों की पढ़ाई में बाधा हो रही है, इतने दिन बीत गये तो सरकार ने अब तक कोई प्रयास जरूर किया होगा कि लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाये, तो इसकी प्रगति क्या है ?

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

लड़कियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो इसके लिए सरकार बहुत चिन्तित है और उसी दिन से जिस से स्कूल खाली कराया गया, यह प्रयास जारी है । श्रीमन् दो बिल्डिंग्स हैं जिनमें यह स्कूल चलते थे । एक के लिए हाईकोर्ट का फैसला हुआ कि खाली कर दिया जाये । कई वर्षों से लगभग 30 वर्षों से ऊपर समय हो गया मुकदमा मालिक मकान और कालेज के प्रबन्धक के खिलाफ चल रहा था । अन्त में हाईकोर्ट तक वह केस हारते चले गये और हाईकोर्ट से भी फाइनल फैसला हो गया मकान मालिक के फेवर में । तब उन्होंने खाली कराने के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट स्माल काजेज कोर्ट में मूव किया और अपना केस रखा वहां से उन्होंने व्यवस्था दी कि पुलिस की मदद से खाली कराया जाय । दूसरा भवन जो था उसमें 9वीं, 10वीं 11वीं, 12वीं तक कक्षायें लगती हैं । वह भवन विवाद रहित है । जिला मैजिस्ट्रेट के बीच में पड़ने से दोनों पार्टियों के बीच में बात-चीत हुई और जो भवन विवाद रहित है वहां वे क्लासेज चलती रहेंगी । आर्य समाज प्रबन्धक समिति में है, वहीं व्यवस्था करता है । मेरे कमरे में, जिला मैजिस्ट्रेट के आफिस में बात हुई और यह कोशिश की जा रही है कि जो क्लासेज हैं वह चलते रहें इसके लिए कोई व्यवस्था करें इसमें वह राजी हैं । वह अपनी एक जमीन देने के लिए तैयार हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

उनके पास काफी जमीन है और उसमें कमरे बनाने के लिए भी तैयार हैं। इसमें आर्य समाज समिति है वह पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि उन लड़कियों की 6ठीं, 7वीं, 8वीं की व्यवस्था की जाये और हमने विचार किया था कि शिफ्ट में स्कूल चलाये और सरकार भी विचार कर रही है कि अगर आर्य समाज प्रबन्धक समिति भी मदद मांगती है तो सरकार भी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। विचूएशन नियंत्रण में है और चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, टीचर्स हो, प्रबन्धक समिति हो, सब इस बात में एक मत हैं कि लड़कियों की पढ़ाई में व्यवधान न होने पाए।

श्री पंचानन राय--

मंत्री जी ने कहा कि दो बिल्डिंग हैं। मुख्य हिस्सा जिसमें 18 कमरे थे और दूसरा छोटा है जिसमें 5-6 कमरे हैं। सरकार ने 24 फरवरी को आश्वासन दिया था कि लड़कियों की पढ़ाई का इन्तजाम किया जायेगा। एक हजार लड़कियां पढ़ती हैं। 24 से आज काफी दिन होने को आये, सरकार ने इस बीच में क्या प्रयास किए हैं उनकी पढाई का इंतजाम हो जाये और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जिला मैजिस्ट्रेट ने उस बिल्डिंग के रिक्वीजीशन की कोई कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उसी दिन से जिस दिन यह झगड़ा हुआ, 3 ही तारीख को एक्वीजीशन के लिए लिखा गया है और उनको नोटिस 3 तारीख को ही सर्व कर दी गई थी और वह प्रयास बराबर जारी रहेगा और उसमें जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होगा, हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने चोटें तो तीन तरह से लोगों को दिखा दीं मगर क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो डाक्टरी मुआयना हुआ उसमें जो आखिरी लाइन होती है, वह अगर पढ़कर सुना दें तो अच्छा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, कुर्सी मेजों की चोट बहुत तेज और खतरनाक होती है। इलेक्शन के टाइम में मेरे हाथ पर मेज से चोट लग गई थी, अभी तक मेरा हाथ टेढ़ा है। उसमें कुर्सी मेजों से चोटें आई लेकिन मान्यवर, इतना फैक्ट है कि जो वहां पर निष्पक्ष लोगों ने देखा और वह मेरा क्षेत्र है, मैंने नरही के लोगों से भी पूछा वहां के लोगों ने जानकारी दी कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन, वह मंत्री जी का क्षेत्र है। अभी भी आपको कुछ कहना है ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा तो सीधा सा सवाल था कि डाक्टरी मुआयने में लिखा रहता है कि यह चोटें किस कारण से आई हैं तो उसकी आखिरी लाइन आप पढ़कर सुना दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, कहें तो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं आप पूरी रिपोर्ट मत पढ़िए। डाक्टरी मुआयने की अन्तिम लाइन बता दीजिए। चोट का कारण बता दीजिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसमें इंजरी सिम्पुल है। ब्लंट आब्जेक्ट है। नो मार्क आफ इंजरी है। सात कम वाई फ्रिक्शन है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि सरकार इन्तजाम कर रही है। मंत्री जी का वह निर्वाचन क्षेत्र भी है और उनसे कुछ अध्यापिकायें भी मिली थी और जिला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि वहां नगरपालिका की कोई खाली बिल्डिंग है तो क्या उसमें लड़कियों की पढ़ाई का कोई इन्तजाम किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जूनियर क्लासेज के लिए वहां पर न तो इतनी जगह है और वह आलरेडी भरा हुआ है। इसमें हम इन्तजाम नहीं कर पायेंगे। मेरे दफ्तर में मीटिंग हुई थी। उसमें आप प्रतिनिधि भी थे, एस० एस० पी० थे और मैजिस्ट्रेट भी थे और यही तय हुआ कि कोई न कोई इन्तजाम अवश्य करना वह हमारी जिम्मेदारी है। हम लड़कियों को पढ़ायेंगे और उनका समुचित प्रबन्ध करने की हमारी जिम्मेदारी है।

श्री राज कुमार राय—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वहां पर कब्जा करने के लिए लोग जबरदस्ती घुस आयें और उनको 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ताजीरात हिन्द में भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी क्या कोई और मुकदमा दर्ज हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, ऐसा है कि पुलिस की तरफ से एफ० आई० आर० लिखाई गई है, विधान परिषद् की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी। आप लोग हमारे साथ हैं और अगर आप लोगों की शुभकामना रही तो फैसला हो जायगा और माननीय अध्यक्ष जी की छत्रछाया में सब काम अच्छी तरह से बन जायेगा।

श्री फखरे आलम—

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से यह मालूम होता है कि विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद् के पुलिस घेरे को तोड़ कर स्कूल के अन्दर घुसने की कोशिश की। अगर उन्होंने ट्रेस पासिंग की कोशिश की तो दफा 151 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा कायम करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी

[श्री फखरे आलम--]

ने जो बयान दिया है वह सत्य से परे है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 30 साल तक सिविल लिटिगेशन के बाद वह स्कूल बिल्डिंग मकान मालिक के कब्जे में दे दी गयी तो फिर उसके रिक्वीजीशन का सवाल क्या पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि सिविल कोर्ट की जो डिग्री हुई है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाय। उनको बिलकुल खतम कर दिया जाय। उसे बेकार कर दिया जाय। तो क्या यह सिविल कोर्ट की अवमानना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने एक ऐसा बारीक कानूनी बिन्दु उठा दिया जिसका उत्तर मैं क्या बिलवाऊं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, वह मकान माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद मकान मालिक को कब्जा मिल गया और सरकार फिर उसको अधिग्रहण कर रही है स्कूल के लिए, तो इसका क्या औचित्य है ? जब न्यायालय ने इस पर फैसला दे दिया जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अवगत कराया है, तो फिर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो संस्था उस स्कूल को चलाती है आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके पास ही अपना बड़ा भवन है और जिसके कई मकान किराये पर चलते हैं, तो उसी संस्था को किसी बिल्डिंग में उस स्कूल का ले जाने के सम्बन्ध में कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया या किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

हाईकोर्ट की रूलिंग और उनका आदेश सर आंखों पर। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए अगर जनहित में कोई तरीका ऐसा निकल सकता है कि वह स्कूल जो पचासों वर्ष से उसी बिल्डिंग में चल रहा था और जो खाली कराया गया है, तो जरूर उनको एकवायर करने का प्रयास किया जायेगा। क्योंकि यह लड़कियों और कन्याओं का मामला है, उनकी शिक्षा का मामला है और मैं समझती हूं कि इसमें पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान लीजिए कि एक आदमी है जिसने अपना मकान खाली करा लिया और एक संस्था है जिसके पास बड़ी भारी सम्पत्ति का भवन है तो सरकार उनकी बिल्डिंग के लिए प्रयास क्यों नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष--

कारण तो उन्होंने बतला दिया कि पचासों वर्ष से वह स्कूल उस बिल्डिंग में चल रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस आर्य प्रतिनिधि सभा के पास अपना भारी भवन है, और जिसमें अपनी बिल्डिंग के कई हिस्से को किराए पर दे रखा है सरकार के उस बिल्डिंग के किसी अंश को एक्वायर करने का प्रयास किया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उस संस्था को भी नोटिस दे दिया गया है, और अगर एकोमोडेशन है उसमें कोई व्यवस्था की जा सकती है या नहीं लेकिन जो बिल्डिंग जिसमें विद्यालय चल रहा था उसको निश्चित तौर पर देखा था कि लिया जाय। दूसरी बिल्डिंग पर भी सरकार की नजर है। अगर वहां हो गया तो उसमें और यदि नहीं हुआ तो दूसरी पर होगा, कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
16 मार्च, 1982

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 667 पर)

प्रतिलिपि

प्रेषक,

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,

23, ए0 पी0 सेन रोड,

लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश,

पोस्ट बाक्स संख्या 220,

कानपुर ।

पत्रांक 17460/एल आर-पु (फं) 24 अक्तूबर, 1981

विषय--अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मेसर्स यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं0 (1) लिमिटेड, यूनिट रायबरेली नामक प्रतिष्ठान का दिनांक 23-9-81 को किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी उक्त प्रतिष्ठान के सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

ओ0 पी0 शर्मा,

उप श्रमायुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ ।

आज दिनांक 23-9-81 को सायंकाल 1.40 (पी0 एम0) बजे कारखाने का निरीक्षण किया । पावर की सहायता से 1169 कर्मकारों में से जो रोल पर थे कर्मकार कार्यरत थे । निरीक्षण के समय मोहम्मद अयूब श्रम कल्याण अधिकारी उपस्थित थे, कारखाना अधिनियम, 1948 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित उल्लंघन पाये गये ।

धारा--54 : यह कि श्री प्रेम नाथ शुक्ला, कोन बाइन्डर पुत्र श्री भगवती प्रसाद शुक्ला दिनांक 22-9-81 के 10.00 पी0 एम0 से 23-9-81 के 1-45 पी0 एम0 तक कार्य करते पाये गये । इनका टोकेन नं0 45 है । जोकि प्रतिदिन के कार्य निर्धारित घंटों से अधिक है । श्री रतिपाल पुत्र तीतर, कोन बाइन्डर भी दिनांक 22-9-81 के 10-00 पी0 एम0 से 23 9-81 के 1-45 तक लगातार कार्य करते पाये गये । जोकि निर्धारित कार्य अवधि से अधिक है । फार्म नं0 12 मस्टर रोल शिफ्ट "सी" 22-9-81 हस्ताक्षर करके वापस कर दिया ।

सेक्शन 59(5) (बी) रूल 76, 16 (बी) व (5) ओवर टाइम रजिस्टर व ओवरटाइम की स्लिप नहीं बनाई गई है। रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2—धारा 47 नियम 69—

यह कि कारखानों में 150 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं परन्तु शेल्टर और रेस्ट रूम नहीं है।

(ह0) ओ0 पी0 शर्मा,

23-9-81

डिप्टी लेबर कमिश्नर,

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'ख'

[देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 681 पर ।]

आरोपों का विवरण

1—यह कि श्री राम प्रताप सिंह, वैतनिक प्लाटून कमान्डर ड्यूटी व परेड का पैसा कम्पनी कमाण्डर के समक्ष वितरित न करके स्वयं भुगतान करते हैं ।

2—श्री सिंह होमगार्ड्स की ड्यूटी व परेड का पैसा भुगतान करते समय हर एक होमगार्ड्स से एक दिन का पैसा स्वयं ले लेते हैं । उसने चाहे एक माह ड्यूटी की हो अथवा कम दिन ।

3—होमगार्ड्स का पैसा भुगतान करने के पूर्व ही प्रत्येक होमगार्ड्स से भुगतान पंजिका पर हस्ताक्षर करा लेते हैं

4—साप्ताहिक परेड पर होमगार्ड्स की संख्या कम रहने पर भी फर्जी नाम भर कर उनका परेड भत्ता स्वयं हड़प लेते हैं ।

5—ईद ड्यूटी के अवसर पर 30 होमगार्ड्स ड्यूटी पर लगाये जाने के आदेश के विपरीत केवल 18 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगायी गयी तथा 12 होमगार्ड्स की फर्जी ड्यूटी दिखाकर श्री राम प्रताप सिंह द्वारा उनकी ड्यूटी भत्ता स्वयं हड़प कर लिया गया । जब कम्पनी कमान्डर द्वारा उक्त फर्जी बिल पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया तो इस फर्जी बिल का प्रमाणीकरण अवैतनिक पी0 सी0 से करा लिया गया ।

7—ड्यूटी व परेड का पैसा कार्यालय से प्राप्त करके अपने पास रखे रहते हैं तथा होमगार्डों के पैसा मांगने पर उन्हें डांटते व संगठन से निकालने की धमकी देते हैं ।

8—कैशबुक तथा अन्य आवश्यक कागजात कार्यालय में रखने के बजाय अनियमित रूप से अपने पास रखते हैं ।

9—कम पढ़े लिखे होमगार्ड्स उनकी जालसाजी को न समझ पाकर तथा विवश होकर उनके आदेशों का पालन करते हैं ।

10—श्री राम प्रताप सिंह बनारस के निवासी हैं तथा प्रायः अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 685 पर)

डायमन्ड डेरी कालोनी, लखनऊ के आवास संख्या ई0 डी0–25 तथा ई0 डी0–32 से सम्बन्धित सितम्बर, 1979 से सितम्बर, 1981 तक की सूचना :—

आवास संख्या	आवंटी का नाम तथा पद नाम	अध्यासन की अवधि	देय किराया फरवरी, 82 तक	देय किराये की धनराशि जो वसूल की गई
1	2	3	4	5
			रु0	रु0
ई0डी0–25	विश्व मानव सेवा परिषद् "बाल्टी बाबा"	27–11–1979 से अब तक	10,935·62	758·32
ई0डी0–32	श्री निर्मल दास तिवारी, बिक्रीकर अधिकारी	24–8–79 से 7–6–81 तक	8,193·13	179·65
	2—श्री उग्रसेन सिंह, भूरसायनज्ञ, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय	6–7–81 से अब तक	(नियमित रूप से किराया अदा कर रहे हैं)	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ध'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 693 पर)

जून सन् 1980 से 15 जनवरी, 1982 की अवधि में वित्त मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर पर की गई यात्रा का विवरण :

दिनांक	प्रश्नगत अवधि में जिन जनपदों में यात्रा की गई			उद्देश्य
1	2	3	4	5
24-12-80	लखनऊ	बलरामपुर	इटावा	सरकारी कार्य से
25-12-80	नौगढ़	गोरखपुर	लखनऊ	,,
7-1-81	लखनऊ	बरेली	मेरठ	,,
8-1-81	मेरठ	बरेली	लखनऊ	,,
13-1-81	लखनऊ	बरेली	पन्तनगर	,,
1-2-81	लखनऊ	भद्री		,,
28-2-81	लखनऊ	बरेली	पन्तनगर	,,
	विकासनगर	देहरादून		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
1-3-81	देहरादून	ऋषिकेश		सरकारी कार्य से
2-3-81	बरेली	लखनऊ		,,
6-4-81	देहरादून	बरेली	लखनऊ	,,
11-4-81	लखनऊ	बरेली		,,
	कोटद्वार	देहरादून		,,
12-4-81	पुरोला	बारकोट	बवांसी	,,
	सेहरामैदान	देहरादून		,,
13-4-81	देहरादून	डाक पत्थर	देहरादून	,,
	बरेली	लखनऊ		
12-5-81	लखनऊ	बरेली	पौड़ी	निर्वाचन
14-5-81	पौड़ी	श्रीनगर	जोशीमठ	,,
	गोपेश्वर			
15-5-81	गोपेश्वर	बरेली	लखनऊ	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26-9-81	बलरामपुर	डुमरियागंज	इटावा	सरकारी कार्य से
	गोरखपुर	लखनऊ		
27-9-81	लखनऊ	बरेली	मेरठ	,,
	बरेली	लखनऊ		
20-10-81	देहरादून	बरेली	लखनऊ	,,
19-11-81	लखनऊ	अमेठी	रायबरेली	,,
	लखनऊ			,,
21-11-81	लखनऊ	बरेली	गोचर जोशीमठ	,,
	नागथाल			
23-11-81	देहरादून	बरेली	लखनऊ	,,
29-11-81	लखनऊ	इलाहाबाद	महोबा	,,
	सुमेरपुर	लखनऊ		,,
9-12-81	लखनऊ	कानपुर	लखनऊ	,,
11-12-81	बरेली	सहारनपुर	डुईवाला (देहरादून)	,,
2-1-82	लखनऊ	डुमरियागंज		,,
	कर्थला	बनराही	चंदेही	,,
	गोरखपुर			,,
3-1-82	गोरखपुर	लखनऊ		,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 706 पर।)

जनपदवार प्रशिक्षण का विवरण

परिशिष्ट 'क'

वर्ष	खेल का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	अधिकारी का पद नाम	प्रशिक्षण का स्थान	लाभान्वित बालक
जनपद झांसी--					
1979-80	हाकी	1-4-79 से 31-3-80	उप क्रीड़ाधिकारी	स्टेडियम, झांसी	20
1980-81	1--हाकी	1-4-80 से 31-3-81	,,	,,	25
	2--एथलेटिक्स	5-11-80 से 31-3-81	,,	,,	15
1981-82	1--हाकी	1-4-81 से 31-10-81	,,	,,	25
31-10-81	2--एथलेटिक्स	1-4-81 से 30-6-81	,,	,,	16
जनपद बांदा--					
1979-80	बाल,बाल	1-8-79 से 31-3-80	,,	राइफल क्लब, बांदा	32
1980-81	बालीबाल	1-4-81 से 31-3-81	,,	राजकीय इन्टर कालेज, बांदा	34
1981-82	बालीबाल	1-4-81 से 31-10-81	,,	,,	28
31-10-81					
जनपद हमीरपुर--					
1981-82	वेटलिफ्टिंग	1-5-81 से 30-10-81	क्रीड़ाधिकारी	रायफल क्लब हमीरपुर	30
जनपद-उरई (जालौन)--					
1979-80	मारोत्तोलन	1-4-79 से 31-3-80	,,	सनातन धर्म इन्टर कालेज, उरई	20
1980-81	,,	1-4-79 से 31-3-81	,,	,,	25
1981-82	,,	1-4-81 से 31-10-81	,,	कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड, उरई	15

अनुविधान सभा

उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का विवरण
परिशिष्ट 'ख'

क्रम-संख्या	स्थान	निरीक्षण की तिथि	अधिकारी का पदनाम
1	झांसी	1--13-2-80	उप निदेशक
		2--7/8 अप्रैल, 1980	,,
		3--4/5 मई, 1980	,,
		4--16 मई, 1980	,,
		5--19/20 मई, 1980	,,
2	बांदा	1--29-7-79	,,
		2--28-11-79	,,
		3--5-2-80	,,
		4--9/10-4-80	उप निदेशक/क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
		5--21-22 मई, 1980	उप निदेशक
		6--23-6-80	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
		7--25-7-80	,,
		8--28-11-80 से 1-12-80 तक	,,
		9--19-12-81	उप निदेशक
3	हमीरपुर	1--6-11-79	,,
		2--11-4-80	उप निदेशक/क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
		3--23-5-80	उप निदेशक
		4--21-7-80	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
4	उरई (जालौन)	1--11/12 अप्रैल, 1980	उप निदेशक/क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
		2--24-5-80	उप निदेशक
		3--21-12-80 से 23-12-80 तक	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
		4--7-1-81	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

परिशिष्ट "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 708 पर ।)

झांसी मण्डल का वर्ष 1979 से 31 अक्तूबर 1981 तक प्रतियोगिताओं का विवरण

क्रम-संख्या	जनपद	खेल का नाम	प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कालेजों के नाम	लाभान्वित बालक/बालिकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	बांदा	1—एथेलेटिक्स, बालीबाल, कबड्डी, फुटबाल (जू0 सी0), हाकी (जूनियर सीनियर), टेबुल-टेनिस, खो-खो, महिला खेलकूद	डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, आदर्श बजरंग इन्टर कालेज, राजकीय इन्टर कालेज, खानखां हाई स्कूल, ओमर-वैश्य, नेहरू महाविद्यालय, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, आर्य कन्या इन्टर कालेज	1140
		2—क्रासकन्ट्री वाक रेस, साइकिल रेस	ओपेन	226
		3—अन्तरमुख्यालय, बालीबाल	इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, बुलन्दशहर, उरई, बरेली, कुमायूं, बांदा, कानपुर, झांसी, गाजीपुर, गोरखपुर, आगरा, म्योहाल इलाहाबाद व इलाहाबाद	126

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	हमीरपुर	1—वाक रेस, क्रासकन्ट्री रेस	ओपेन	31
		2—फुटबाल (जू0 सी0), महिला खेलकूद	बी0 एम0 ई0 कालेज, जी0 आई0 सी0 कालेज, ई0 ई0 कालेज, महिला रेस (हमीरपुर), महिला डब्लू0 जी0 आई0 सी0,	20 2
3	झांसी	1—एथेलेटिक्स, बैडमिन्टन, टे0 टे0, जिमनास्टिक, फुटबाल (जू0 सी0), खो-खो, बास्केटबाल, कबड्डी, बालीबाल, हाकी, महिला खेलकूद	क्रिस्ट दी किंग कालेज, सेन्ट मार्क, राजकीय इन्टर कालेज, विपिन बिहारी इन्टर कालेज, सनातन धर्म इन्टर कालेज, आर्य कन्या इन्टर कालेज, सुरथ प्रसाद गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, हेल्म म्यूमेनेडेट हाई स्कूल, क्रिश्चियन इन्टर कालेज, बी0 आई0 बी0 इन्टर कालेज, सरस्वती पाठशाला इन्टर मीडिएट इन्टर कालेज, एम0 सी0 आई0 खालसा स्कूल, जी0 आई0 सी0 स्कूल, एम0 आई0 सी0 आई0 कालेज, सी0 के0 इन्टर कालेज, सेन्ट्रल स्कूल, एम0 एम0 हाई स्कूल, बी0 के0 डी0 सी0 कालेज, ए0 के0 डिग्री कालेज, ए0 के0 आई0 सी0 कालेज	180
		2—क्रासकन्ट्री रेस, वाकरेस	ओपेन	100
4	ऊरई (जालौन)	फुटबाल, (जू0 सी0) वेटलिफ्टिंग, टे0 टे0, भारोत्तोलन, एथेलेटिक्स, हाकी, बालीबाल, खो-खो, कबड्डी, महिला खेलकूद	एम0 जी0 इन्टर कालेज, गान्धी इन्टर कालेज, आचार्य नरेन्द्र इन्टर कालेज, डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, सनातन धर्म इन्टर कालेज, डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, जी0 आई0 सी0 इन्टर कालेज, आर्यकन्या इन्टर कालेज, जी0 जी0 आई0 सी0 इन्टर कालेज, राजनरायन जू0 हा0 स्कूल	630

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

परिशिष्ट "ट"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 708 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें मंगलवार के लिए निर्धारित

श्री हरवंश प्रसाद पाण्डे के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का अनुलग्नक

क्रम-संख्या	जिला	आयोजित तिथि	पुरस्कार पर व्यय	विविध	रेल किराया तथा अनु0	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	झाँसी	21/22 सितम्बर, 1981	3,075.60	..	..	3,075·60
2	उरई	2/3 अक्तूबर, 1981	2,256.00	100.00	344·00	2,700·90
3	बांदा	27/28 व 30 सितम्बर, 1981	2,733·10	35·00	550·00	3,318·10
4	हमीरपुर	10 अक्तूबर, 1981	1,732.75	..	720.00	2,452·75
					कुल योग ..	11,547.35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 711 पर)

1-1-1981 से 1-1-1982 की अवधि में चोरी व डकैती के अपराधों में गिरफ्तारी आदि का विवरण

थाना	अपराध	नामजद व प्रकाश में आये	गिरफ्तार	1982-83	हाजिर अदालत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
गड़वार	चोरी	63	19	..	19	नामजद अभियुक्तों में शेष की नामजदगी गलत होने या उनके विरुद्ध साक्ष्य न मिलने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई।
	डकैती	50	26	4	15	
फेफना	चोरी	28	18	5	..	
	डकैती	12	4	1	3	
नरही	चोरी	82	39	4	20	
	डकैती	6	6	..	..	
सुखपुरा	चोरी	28	4	..	24	
	डकैती	15	9	1	5	
योग ..	चोरी	201	80	9	63	
	डकैती	83	45	6	23	

नोट :—उपरोक्त मुकदमों में मफरूरों के अतिरिक्त और किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 711 पर।)

जी0 आर0 पी0 थाना, बलिया पर चोरी के 98 मामलों तथा डकैती के एक मामले का विवरण

चोरी के सभी मामले जी0 आर0 पी0 थाना, बलिया में पंजीकृत किये गये जिनमें 25 मुकदमों का घटनास्थल अन्य क्षेत्र पाया गया, अतः मामले सम्बन्धित स्थान पर भेज कर कार्यवाही कराई गई। एक अपराध झूठा पाया गया, 23 अभियोगों में विवेचना से माल-मुल्जिम का पता चले जिनमें आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा जिनमें से 3 अपराधों में अभियुक्तों को सजा दी गई। 20 अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। शेष अन्य 49 अभियोगों में माल-मुल्जिम का कुछ पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना को समाप्त किया गया।

इसी प्रकार जी0 आर0 पी0, थाना, बलिया पर डकैती के मामले में मुकदमा अपराध संख्या 68/81 धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान कायम किया गया। विवेचना के दौरान दो अभियुक्त प्रकाश में आये जिनके विरुद्ध धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया विधान की कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा उनकी गवाहों द्वारा शिनाख्त कार्यवाही कराई गई किन्तु किसी गवाह द्वारा अभियुक्तों की सही शिनाख्त न कर पाने के कारण अभियुक्तों को धारा 169 दण्ड प्रक्रिया विधान के अन्तर्गत अवमुक्त कर दिया गया। शेष अभियुक्तों एवं माल की खोज के लिये मुकदमें में विवेचना प्रचलित है।

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 712 पर ।)

दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक जनपद एटा में पुलिस इन-काउन्टर में मारे गये डकैतों का विवरण निम्न प्रकार है :--

1--रघुनाथ सिंह पुत्र गोबिन्द, निवासी सईदपुर, थाना सिढ़पुरा ।

2--रामदयाल पुत्र सुखदेव, निवासी पिलखुनी, थाना सिढ़पुरा ।

3--जारे पुत्र भोजराज, निवासी बनार, थाना जैथरा ।

4--महावीर पुत्र दिलावर, निवासी गुल नगरिया, थाना जैथरा ।

5--नन्द राम पुत्र प्रीतम, निवासी कादरपुर, थाना गंजडुंडवारा ।

6--मेघ सिंह पुत्र गंगाराम, निवासी निवादा, थाना गंजडुंडवारा ।

7--महीपाल पुत्र सरदार, निवासी बोहरा, थाना सिकन्दरपुर वैश्य ।

8--चन्द्रपाल पुत्र नेकसू, निवासी जारथर, थाना मारहरा ।

9--चरना उर्फ चरण सिंह पुत्र अम्बू, निवासी हरपाल पुर, थाना सोरो ।

10--उगरा पुत्र धनोराम, निवासी नगला घनश्याम, थाना जलेसर ।

11--रूपराम उर्फ रूपा पुत्र सालिगराम, निवासी तारापुर, थाना सहावर ।

12--रक्षपाल पुत्र पदम सिंह, निवासी नगला फुली, थाना सकीट ।

13--महावीर पुत्र महासुख, निवासी विरामपुर, थाना सकीट ।

14--रामदुलारे पुत्र महाराज सिंह, निवासी मंसूरनगर, थाना सकीट ।

15--बलवीर पुत्र मिश्री, निवासी खड़गपुर, थाना सकीट ।

16--रामदास पुत्र परसादी, निवासी नगला अगर, थाना सकीट ।

17--चन्द्रपाल पुत्र रघुवर, निवासी राजपुर, थाना बागवाला ।

18--नेमसिंह उर्फ निमा पुत्र सियाराम, निवासी नगला मल्ले, थाना पटियाली ।

19--नरोत्तम पुत्र दुर्गा, निवासी भूरी नगला, थाना पटियाली ।

20--रघुनाथ सिंह पुत्र हरी दयाल, निवासी नगला अमर सिंह, थाना पटियाली ।

21--राम प्रसाद उर्फ परसादी पुत्र तुलसी, निवासी कमाल डोली, थाना कोतवाली, मैनपुरी ।

22--रामपाल पुत्र सोबरन, निवासी नगला राजेपुर, थाना कुरावली ।

23--फौजदार पुत्र गुरुदयाल, निवासी साजपुर तियरा, थाना अलीगंज ।

24—किशन लाल पुत्र रामदीन, निवासी मोहकमपुर, थाना जैथरा ।

25—बालक राम पुत्र निहाल सिंह, निवासी खुरेजा, थाना अलीगंज ।

26—भूपाल पुत्र जोराबर, निवासी रघुपुरा, थाना जैथरा ।

27—जैवीर पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी नगला मोहन, थाना अलीगंज ।

28—नेमसिंह उर्फ नेमा पुत्र गुलाब सिंह, निवासी गनू, थाना अलीगंज ।

29—बादशाह पुत्र जीवाराम, निवासी चमन, थाना जैथरा ।

30—काशी पुत्र रघुनन्दन, निवासी केशवपुर, थाना जैथरा ।

31—जतनू पुत्र छक्कू, निवासी केशवपुर, थाना जैथरा ।

32—मुलखान पुत्र करन सिंह, निवासी परसराम, थाना जैथरा ।

33—रामदुलारे पुत्र रघुनाथ, निवासी भिड़ैया, थाना, जैथरा ।

34—अजयपाल पुत्र चुन्नी, निवासी कंचनपुर, थाना सहावर ।

35—हवलदार पुत्र जवाहर सिंह, निवासी बगिया, थाना सोरों ।

36—रामेश्वर पुत्र साहबराम, निवासी मुजफ्फराबाद, थाना दादो, अलीगढ़ ।

37—प्रेमपाल पुत्र महाराज सिंह, निवासी गढ़पुरा, थाना सोरों ।

38—उदयवीर पुत्र रघुवीर, निवासी लखमीपुर, थाना अमापुर ।

39—रामवीर सिंह पुत्र बटकन, नि० बहादुरपुर, थाना मारहरा ।

40—दलवीर, नि० न० भजा, थाना मारहरा ।

41—फतह सिंह पुत्र परसुराम, नि० छिछोरा, थाना, कासगंज ।

42—रामसेवक पुत्र रामभरोसे, नि० दस्तपुर, थाना सकीट ।

43—चन्द्र पुत्र लक्ष्मण, नि० खेड़ा गवारु, थाना जलेसर ।

44—बहादुर पुत्र चुन्नी लाल, नि० ना० सुन्दर, थाना मारहरा ।

45—कुंवर पाल उर्फ प्रेमलाल पुत्र फूल सिंह नि०, गडरउद्दीनपुर, थाना मारहरा ।

46—चरना उर्फ चरनी पुत्र गया प्रसाद, नि० देवरारा, थाना अलीगंज ।

47—बाबू पुत्र रामदयाल, नि० दावेपुर, थाना कोतवाली ।

48—चन्द्रपाल पुत्र करन सिंह, नि० ककरला, थाना निगोहली कलां ।

49—रघुवीरा पुत्र गंजाराम, नि० बहेली, थाना कलान शाहजहांपुर ।

50—राम बाबू पुत्र सियाराम, नि० कन्नेसर, थाना अलीगंज ।

51--राम प्रसाद उर्फ प्रसादी पुत्र भल्लू, नि० नवादा, थाना गंजडुंडवारा ।

52--तेजपाल पुत्र चन्नी, नि० असदगढ़, थाना सोरी ।

53--जगदीश पुत्र होरी लाल, नि० किलोंनी, थाना गंजडुंडवारा ।

54--राधे लाल पुत्र सूरजपाल, नि० नौगवां, थाना कासगंज ।

55--सुरेस पुत्र रामचन्दर, नि० मारेचा, थाना जैथरा ।

56--तोता पुत्र मोती, नि० नगला लालजीत, थाना सहावल ।

57--ओम शंकर उर्फ लल्लू पुत्र राम प्रसाद, नि० बजहेड़ा, थाना कोतवाली ।

58--कलक्टर उर्फ छत्तर, नि० तोसइया, थाना जैथरा ।

59--भगवान सिंह पुत्र छत्तर सिंह, नि० तोसइया, थाना जैथरा ।

60--वेदा उर्फ बेदराम पुत्र हजारी, नि० अमरौली, थाना अलीगंज ।

61--चुन्नी पुत्र भजनलाल, नि० नगलाभजू, थाना जैथरा ।

62--मुल्ली पुत्र बल्देव, नि० निबिया, थाना सिकन्दरपुर वैश्य ।

63--भूदेव पुत्र भपाल, नि० बटसौली, थाना कासगंज ।

64--लालाराम पुत्र मेवाराम, नि० भामोह, थाना कासगंज ।

65--साहब सिंह पुत्र बंशी, नि० मोहम्मदपुर, थाना कासगंज ।

66--नत्थू उर्फ टेली पुत्र गनेशी, नि० मोहम्मदपुर, थाना कासगंज ।

67--छत्तर पुत्र कुंदन, नि०, मोहम्मदपुर, थाना कासगंज ।

68--नेत्रपाल पुत्र प्यारे लाल, नि० गोटरा, थाना कासगंज ।

69--कुंदन पुत्र ज्ञान सिंह, नि० नगलाबीर, थाना कासगंज ।

70--उदयवीर पुत्र नत्थू ,नि० बरसौली, थाना अमापुर ।

71--रघुवीर पुत्र नत्थू, नि० भड़सौली, थाना कासगंज ।

72--सकटू पुत्र सरनाम, नि० सतपुरा, थाना कासगंज ।

73--हेतराम पुत्र चुन्नी लाल, नि० भड़घट्टा, थाना निधौली कलां ।

74--जालिम सिंह पुत्र अगान, नि० महीरगढ़, थाना मारहरा ।

75--प्रथमा पुत्र राम प्रसाद, नि० अमृतपुर, थाना मारहरा ।

76--मौजी, नि० नगला पिंजा, थाना कायमगंज, फर्रुखाबाद ।

77--रामखिलाड़ी, नि० गुलवा, थाना नबाबगंज, फर्रुखाबाद ।

78--राम सिंह, नि० नगला पिंजा, थाना कलान, जिला शाहजहांपुर ।

79--भोंदू पुत्र पिताम्बर, नि० गढ़ी चन्दोला, थाना हसायन, अलीगढ़ ।

80--रोशन पुत्र गोपाल, नि0 सिकन्दरपुर वैश्य ।

81--राम सनेही पुत्र चूरामनी, नि0 गढ़पुरा, थाना सोरों ।

82--राम भरोसे पुत्र अनोखे, नि0 हुसेनपुर, थाना सोरों ।

83--अनेकपाल पुत्र रामस्वरूप, नि0 हरपालपुर, थाना सोरों ।

84--शिव सिंह पुत्र नन्दराम, नि0 गडरपुरा, थाना सोरों ।

85--सुखलाल पुत्र लालसा, नि0 दासपुर, थाना बागवाला ।

86--तेजपाल पुत्र हीरालाल, नि0 ना0 रखा, थाना अमापुर ।

87--जालिम सिंह पुत्र छिट्टू सिंह, नि0 कछेला, थाना अमापुर।

88--सुल्तान सिंह पुत्र राम सिंह, नि0 सुदाकाबाद, थाना जलेसर ।

89--ननुआ पुत्र बासदेव, नि0 सुदाकाबाद, थाना जलेसर ।

90--मेघनाथ उर्फ मिग्गा पुत्र दयाराम, नि0 नौरंगाबाद, थाना पटियाली ।

91--प्रेमपाल पुत्र कुंदन, नि0 मोहनपुर, थाना मारहरा ।

92--रमेश पुत्र मुंशी, नि0 नगला धोकल, थाना सहावर ।

93--जगदीश, नि0 पिलखतरा, थाना जलेसर ।

94--बनवारी पुत्र बलवंत, नि0 खबरा, थाना सिकन्दरपुर वैश्य ।

95--राम निवास पुत्र हीरालाल, नि0 रंजीतपुरा, गंजडुंडवारा ।

96--बाबू पुत्र तुलसी, नि0 कुचलपुर, थाना अमापुर ।

97--जमीउल्ला उर्फ नइमउल्ला पुत्र अताउल्ला, नि0 सहावर ।

98--राजपाल पुत्र लेखराज, नि0 मरथरा, थाना बागवाला ।

99--रहीसा पुत्र कल्लू, नि0 मिर्जापुर, थाना सोरों ।

100--रजिया पुत्र रोशन खां, नि0 मौजपुर, थाना सोरों ।

101--सत्तार पुत्र मुंशी खां, नि0 मौजमपुर, थाना सोरों ।

102--युसूफ पुत्र गुलाब, नि0 औखरा, थाना नारखी, आगरा ।

103--मुम्ताज पुत्र अमजद युसूफ, नि0 साकिनी, थाना खैरगढ़, मैनपुरी ।

104--खलीलपुर छिद्दन, नि0 कोडला, थाना एका, मैनपुरी।

105--अर्जन सिंह पुत्र गोपी सिंह, नि0 सुमरत, थाना जैथरा ।

106--अजवीर सिंह पुत्र रघुराज सिंह, नि0 नवेली, थाना कासगंज ।

107--महावीर सिंह पुत्र कुंवरपाल सिंह, नि0 चिरावली, थाना आवागढ़ ।

108--खचेरमल पुत्र टुंडी सिंह, नि0 चिरावली, थाना आवागढ़ ।

109—राजवीर पुत्र मदन लाल, नि0 चिरावली, थाना आवागढ़ ।

110—सुरेश पुत्र रोशन, नि0 चिरावलीं, थाना आवागढ़ ।

111—भूरा पुत्र प्रीतम सिंह, नि0 कुडा, थाना पटियाली ।

112—देवेन्द्र पुत्र नेकराम, नि0 पटना, थाना जलेसर ।

113—रामबाबू पुत्र रामस्वरूप, नि0 ऊंचागाव, थाना जलेसर ।

114—सूरजपाल पुत्र सियाराम, नि0 रामपुरवा, थाना कादरचौक, बदायूं ।

115—प्रेमचन्द्र पुत्र हेतराम, नि0 मंगली की मड़ैया, थाना सहसवान बदायूं ।

116—गबडूआ पुत्र काशीराम, नि0 चेहकागुनार, थाना सिढ़पुरा ।

117—महावीर पुत्र जयराम, नि0 पिथनपुर, थाना सिढ़पुरा ।

118—देवजीत पुत्र भूपाल, नि0 लालपुर, थाना निघौली कलां ।

अज्ञात डकैत जिनका नाम पता ज्ञात नहीं हो सका कुल—8 ।

मुंशी प्रेमचन्द सृजन पीठ बहराइच

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 226 का उत्तर पीछे पृष्ठ 752 पर)

निगम का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति के समय उम्र
1—उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्	श्री आर0 के0 सान्याल	अध्यक्ष	21-10-81	59 वर्ष
2—आटो ट्रैक्टर लि0	श्री एस0 एस0 बिसेन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1-2-81	59 वर्ष
3—उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम	श्री के0 एन0 कौल	अध्यक्ष	25-8-80	75 वर्ष
4—उ0 प्र0 आवास विकास परिषद्	श्री बी0 जे0 खोदायजी	अध्यक्ष	1-9-81	58 वर्ष
5—उ0 प्र0 राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम	श्री के0 डी0 शर्मा	अध्यक्ष	1-12-81	58 वर्ष
6—गढ़वाल मंडल विकास निगम लि0	श्री खुशहाल सिंह रावत	निदेशक	1-9-81	64 वर्ष

पी0 एस0 यू0 पी0—26 वि0 सभा--1983--(पी0 डी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा